षष्ठम् माला, खंड 7, अंक 1, सोमवार, 14 नवम्बर, 1977/23 कार्तिक, 189 (शक)
Sixth Series, Vol. VII, No. 1, Monday, November 14, 1977/Kartika 23, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 18-9-9
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a Summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches ect. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1 सोमवार, 14 नवम्बर, 1977/23 कार्तिक 1899 (शक)

No. 1, Monday, November 14, 1977/Kartika 23, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की वार्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members . .	1—8
सभा के अधिकारी	Officers of the House . . .	9
मन्त्रिमंडल के सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों की सूची	List of Members of the Cabinet and Ministers of State	9—10
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member sworn	10
मंत्रियों का परिचय	Ministers Introduced	10
जोरहाट के निकट विमान दुर्घटना में प्रधान मंत्री की दैविक प्राण रक्षा के बारे में संकल्प	Resolution re. Providential Escape of Prime Minister in Air Crash near Jorhat	11
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References . . .	11
भारतीय वायु सेना के चालक दल की स्मृति में मौन	Silence in memory of crew of the IAF Aircrash	12—13
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions .	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 4	Starred Questions Nos. 1 to 4 .	13—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 5 से 20	Starred Questions Nos. 5 to 20 .	23—31
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 7, 9 से 179 और 181 से 200	Unstarred Questions Nos. 1 to 7, 9 to 179 and 181 to 200 . . .	32—150
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment	
गांधी स्मृति में एक गाइड श्री दामोदरन नायर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले का समाचार	Reported assault by RSS workers on Shri Damodaran Nair, a guide at Gandhi Smriti . . .	150—153
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	153—158
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	158
खाद्य जोनों की समाप्ति का समाचार	Reported abolition of food zones .	158
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . .	158
श्री भानु प्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh . .	159
श्री शिवाजी पटनायक	Shri Sivaji Patnaik . . .	160
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya . .	160
श्री पी० के० ोडियान	Shri P. K. Kodiyan . . .	160
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya	161

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	161
सत्रहवां प्रतिवेदन	Seventeenth Report .	161
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	161
पहला प्रतिवेदन	First Report . .	161
सदस्य का त्यागपत्र	Resignation of Member . .	161
(श्री भगवत दयाल शर्मा)	(Shri Bhagwat Dayal Sharma)	161
फरक्का में गंगा जल के बंटवारे पर भारत और बंगला देश की सरकारों के बीच समझौते के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Agreement between Government of India and Bangladesh on sharing of Ganga Waters at Farakka	162
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai. . . .	162—166
प्रधान मंत्री की सोवियत संघ की यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Prime Minister's visit to USSR	167
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai. . .	167—168
समाचार खबर एजेंसी के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Samachar News Agency	
श्री लाल कृष्ण अडवानी	Shri L. K. Advani	168—170
उत्तर रेलवे पर हाल में हुई दो गंभीर रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Two recent serious Train accidents on Northern Railway .	170
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate . .	170—172
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	172
केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Archaeology	172
लोकपाल विधेयक	Lokpal Bill	172
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	172
विधेयक पुरःस्थापित	Bill Introduced	173
जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) उपकर विधेयक, 1977	Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Bill, 1977 .	173
नियम 377 के अधीन मामले	Matter under Rule 377	174
पश्चिम बंगाल में कुछ पटसन मिलों का बन्द किया जाना	Closure of some Jute Mills in West Bengal	174
लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा अस्पताल (अर्जन) और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक	Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition) and Miscellaneous Provisions Bill . .	174
विचार के लिये प्रस्ताव	Motion to consider	174
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain .	174
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	175
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	176
खण्ड 2 से 19 और 1	Clauses 2 to 19 and 1	177
पास करने के लिये प्रस्ताव, यथा संशोधित	Motion to pass, as amended	177
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	178

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यम के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव	Motion re. White Paper on misuse of Mass Media During Internal Emergency	178
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi	178
श्री वी० अरुणाचलम	Shri V. Arunachalam .	179
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	180
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua .	181
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan .	182
सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Contempt of the House .	183

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 14 नवम्बर, 1977/23 कार्तिक, 1899 (शक)
Monday, November 14, 1977/Kartika 23, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

षष्ठम् लोक-सभा

अ

अंकनीडु, श्री मागन्ति (मछलीपटनम)
अंसारी श्री फकीर अली (मिर्जापुर)
अकबर जहान बेगम, श्रीमती (श्रीनगर)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अर्गल, श्री छबीराम (मुरैना)
अघन सिंह, श्री (कांकेर)
अनबालगमन, श्री पी० (रामनाथपुरम)
अनन्तन, श्री कुमारी (नागरकोइल)
अप्पालानायडु, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)
अब्दुल लतीफ, श्री (नालागोंड़ा)
अमात, श्री डी० (सुन्दरगढ़)
अमीन प्रो० आर० के० (सुरेन्द्र नगर)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अरुणाचलम, श्री वी० (तिरुनलवेली)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (अर्कोनम)
अलहाज, श्री एम० ए० हनान (बसीरहाट)
अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस (नरसापुर)
अन्सारी, श्री गेव० मनचारशा (नागपुर)
अशोकराज श्री ए० (परेम्बलूर)
असाइथाम्बी, श्री ए० वी० पी० (मद्रास उत्तर)
अहमद, श्री हलीमउद्दीन (किशनगंज)
अहमद हुसैन श्री (धुबरी)
अहसान जाफरी, श्री (अहमदाबाद)

आ

आरिफ बेग, श्री (भोपाल)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरनाकुलम)
आहूजा, श्री सुभाष (बेतुल)

इ

इन्द्र सिंह, श्री (हिसार)

उ

उग्रसेन, श्री (देवरिया)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बड़ागारा)

ए

एंगती श्री बीरेन सिंह (स्वायत शासी जिले)
एलनचेजियन, श्री बी० एस० (पुडुक्कोट्टाई)

ओ

ओंकार सिंह श्री (बदायूं)
ओरांव, श्री लालू (लोहरडगा)

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन)
कदम, श्री बी० पी० (कनारा)
कानन, श्री पी० (सेलम)
कर्पूरी ठाकुर, श्री (समस्तीपुर)
कपूर, श्री लखन लाल (पूर्णिया)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्लि)

कृष्ण कान्त, श्री (चण्डीगढ़)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (चिकबल्लापुर)
काकडे, श्री सम्भाजीराव (बारामती)
कडन्नापल्ली, श्री राम चन्द्रन (कासरगोड)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
काम्बले, श्री बी० सी० (बम्बई दक्षिण केन्द्रीय)
कार, श्री भरत (कटक)
कालदाते, डा० बापू (औरंगाबाद)
कासर, श्री अमृत (पणजी)
किशोर लाल, श्री (पूर्व दिल्ली)
किस्कू, श्री जदुनाथ (झाड़ग्राम)
कुन्हम्ब, श्री के० (ओटापालम)
कुन्दू, श्री एस० (बालासोर)
कुरील, श्री आर० एल० (मोहनलालगंज)
कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद (घाटमपुर)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफी (अनतनाग)
कुशवाहा, श्री रामनरेश (सलेमपुर)
केशरवानी, श्री एन० पी० (बिलासपुर)
कैलाश प्रकाश, श्री (मेरठ)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगाम)
कोडियान, श्री पी० के० (अडूर)
कोलनथाइवेलू, श्री आर० (तिरुचेगोडे)
कोलूर, श्री राजशेखर (रायचूर)
कोसालराम, श्री के० टी० (तिरुचेंडूर)
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (रायपुर)

ख

खिमे रिनचिंग खाण्डू (अरुणाचल—पश्चिम)
खां, श्री इस्माइल हुसैन (बारपेटा)
खां, महमूद कुंवर अली (हापुड़)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री महमूद हसन (बुलन्दशहर)
खां, श्री मोहम्मद शमसुल हसन (पीलीभीत)
खालसा, श्री बसन्त सिंह (रोपड़)

ग

गंगा भक्त, सिंह, श्री (शाहाबाद)
गंगा सिंह, श्री (मंडी)
गवई, श्री डी० जी० (बुलडाना)
गट्टानी, श्री आर० डी० (जोधपुर)
गामित, श्री छीतुभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री एफ० पी० (बड़ौदा)
गिरजानन्द सिंह, श्री (शिवहर)
गुप्त, श्री कंवर लाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री श्याम सुन्दर (बाढ़)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गोगाई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोडे, श्री सन्तोषराव (वर्धा)
गोपाल, श्री के० (करुर)
गोदारा, चौ० हरी राम मक्कासर (बीकानेर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोरे, श्रीमती मृणाल (बम्बई–उत्तर)
गोटखिडे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोविन्दजी बाला, श्री परमानन्द (खंडवा)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गौडा, श्री एस० ननजेश (हसन)
गौंडर, श्री वेणुगोपाल (वान्डी-वारा)

घ

घोषाल, श्री सुधीर (मिदनापुर)

च

चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप (कलकत्ता—दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्री शम्भुनाथ (आगरा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्दन सिंह, श्री (कैराना)
चन्दर, डा० प्रताप चन्द्र (कलकत्ता—उत्तर पूर्व)

चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (कन्नौनोर)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (वाराणसी)
चन्द्रावती, श्रीमती (भिवानी)
चरण नरजरी, श्री (कोकरा झार)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड)
चांदराम, श्री (सिरसा)
चावडा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (माण्डया)
चेतरी, श्री के० बी० (दार्जिलिंग)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर० (बनासकांठा)
चौधरी, श्रीमती रशीदाहक (सिलचर)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौहान, श्री बेगाराम (गंगानगर)
चौहान, श्री नवाब सिंह (अलीगढ़)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

ज

जगजीवनराम, श्री (आसाराम)
जगन्नाथन, श्री एस० (श्रीपेरम्बुदुर)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकासी)
जसरोथा, ठाकुर बलदेव सिंह (जम्मू)
जार्ज, श्री एस० सी० (मुकुन्दपुरम)
जाफ़र शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर—उत्तर)
जावदे, श्री श्रीधर राव नाथोबाजी (यवतमाल)
जुल्फीकार उल्ला, श्री (सुल्तानपुर)
जैठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर—पश्चिम)
जैन, श्री कचरुलाल हेमराज (बालाघाट)
जैन, श्री कल्याण (इन्दौर)
जैन, श्री निर्मल चन्द (सिवनी)
जैन, श्री मोहन भैया (दुर्ग)
जायसवाल, श्री अनन्त राम (फैज़ाबाद)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्डा)
जोशी, डा० मुरली मनोहर (अल्मोडा)

ट

टिर्की, श्री पायस (अलीपुर द्वार)
टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मणिपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)

ड

डान्, श्री राज कृष्ण (वर्दवान)
डोले, श्री एल० के० (लखिमपुर)
डामोर, श्री सोमजीभाई, (दोहद)
डिगल, श्री श्रीबाटचा (फूलवनी)

ढ

ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह (जालन्धर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
तलवंडी, श्री जगदेव सिंह (लुधियाना)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री बृज भूषण (खलीलाबाद)
तिवारी, श्री मदन (राजनंदगांव)
तिवारी, श्री रामानन्द (बक्सर)
तुर, श्री मोहन सिंह (तरन तारन)
तुलसीराम, श्री वी० (पैड्डापल्ली)
तोहरा, श्री जी० एस० (पटियाला)
तेज प्रताप सिंह, श्री (हमीरपुर)
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (बहराइच)
त्यागराजन् श्री पी० (शिवगंगा)
त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद (डुमरिया गंज)
त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश (कन्नौज)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायन)
थोरट, श्री भाऊ साहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दण्डयुतपाणि, श्री वी० (बेल्लोर)
दत्त, श्री अशोक कृष्ण (डमडम)
दवे, श्री अनन्त (कच्छ)
दानवे, श्री पुण्डलीक हरि (जालना)
दाभी, श्री अजीत सिंह (आनन्द)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री आर० पी० (कृशनगर)
दास, श्री श्याम सुन्दर (सीतामढ़ी)
दास गुप्ता, श्री के० एन० (जलपाइगुड़ी)
दासप्पा, श्री तुलसीराम (मैसूर)
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (वैशाली)
दुर्गाचन्द, कंवर (कांगड़ा)
देशमुख, श्री नानाजी (बलरामपुर)
देशमुख, श्री राम प्रसाद (हाथरस)
देशमुख, श्री शेषराव, (परभनी)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
देसाई, श्री दाजीबा (कोलहापुर)
देसाई, श्री हितेन्द्र (गोधरा)
देवराजन, श्री वी० (रसिपुरम)
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र (पार्वतीपुरम)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

ध

धारा, श्री सुशील (तामलुक)
धारिया, श्री मोहन (पुज्जे)
धुर्वे, श्री श्यामलाल (मांडला)
धोंडगे, श्री केशवराव (नान्देड)

न

नाथू सिंह, श्री (दौसा)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (जूनागढ़)
नथुनी राम, श्री (नवादा)
नरेन्द्र सिंह, श्री (दमोह)
नाहाटा, श्री अमृत (पाली)
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण (खजुराहो)
नायक, श्री एस० एच० (नन्दुरबार)
नायक, श्री वी० पी० (वाशिप)
नायक श्री बी० के० (मवेलीकारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)
नाहर, श्री विजय सिंह (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
नायर, श्री एम० एन० गोविन्दन (त्रिवेन्द्रम)
नायडु, श्री पी० राजगोपाल (चित्तुर)
नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)

प

पंडित, डा० वसन्त कुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटवारी, श्री एच० एल० (मंगलदाई)
पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ोच)
पटेल, श्री आर० आर० (दादरा और नागर हवेली)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)
पटेल, कुमारी मणिबेन वल्लभभाई (मेहसाना)
पटेल, श्री द्वारिकादास (अमरेली)
पटेल, श्री धर्मसिंह भाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री नानुभाई एन० (बुलसार)
पटेल, श्री मीठा लाल (सवाई माधोपुर)
परमार, श्री नटवरलाल (ढुढुका)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)
पस्लेकर, श्री बापुसाहिब (रत्नागिरि)
पई, श्री टी० ए० (उदीपी)
पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद (बांदा)
पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मन्दसौर)
पजनौर, श्री ए० बाला (पांडिचेरी)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री चन्द्रकान्त (हिंगोली)
पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री ू० एस० (लातुर)
पाटिल, श्री विजय कुमार एन० (धुलिया)
पाटिल, श्री एस० डी० (इरन्दोल)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)
पासवान, श्री राम बिलास (हाजीपुर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पार्वती देवी, श्रीमती (लद्दाख)
पिपिल, श्री मोहन लाल (खुर्जा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुल्लय्या श्री दारूर (अनन्तपुर)
पेरटिन, श्री बकिन (अरुणाचल पूर्व)
पेरियासामी, श्री पी० वी० (कृष्णगिरी)
प्रधान, श्री अमर राय (कूचबिहार)
प्रधान, श्री गणनाथ (सम्बलपुर)
प्रधान, श्री पवित्र मोहन (देवगढ़)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

फ

फजलुर रहमान, श्री (बेतिया)
फैलीरी एडग्रार्जी, श्री (मारमोगोग्रा)
फर्नानडिस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फिरंगी प्रसाद, श्री (बासगांव)

ब

बटेश्वर हेमराम, श्री (दुमका)
बद्रीनारायण, श्री ए० ग्रार० (शिमोगा)
बनतवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बड़कटकी, श्रीमती रणुकादेवी (गोहाटी)
बरनाला, श्री सुरजीत सिंह (संगरूर)
बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक)
बर्मन, श्री किरित बिक्रमदेव (त्रिपुरा)
बर्मन, श्री पालस (बालूरघाट)
बरुग्रा, श्री देवकान्त (नवगांव)
बरुग्रा, श्री वेदव्रत (कलियाबोर)
बलदेव, प्रकाश डा० (ग्रमृतसर)
बलवीर सिंह, चौधरी (होशियारपुर)
बशीर ग्रहमद श्री (फ़तेहपुर)
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन (लखनऊ)
बहुगुणा, श्रीमती कमला (फ़ुलपुर)
बासप्पा, श्री कोंडाजी, (दावंगेरे)
बसु, श्री चित्त (बारासत)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ (कटवा)
बागड़ी, श्री मनीराम (मथुरा)
बागुन, सुम्बरूई, श्री (सिंहभूम)
बाल श्री प्रद्यूमन किशोर (जगतसिंहपुर)
बालकराम, श्री (शिमला)
बालकृष्णाय्या, श्री टी० (तिरुपति)
वीरेन्द्र प्रसाद श्री (नालन्दा)
बुरांडे, श्री गंगाधर ग्रप्पा (भिर)
बैरागी, श्री जेवा (भद्रक)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित ग्रांग्ल भारतीय)
बेरवा, श्री रामकंवर (टोंक)
बोडे, श्री नानासाहिब (ग्रमरावती)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)
बोरोले, श्री यशवन्त (जलगांव)
बृजराज सिंह, श्री (ग्रांवला)
ब्रह्म प्रकाश चौधरी, (बाह्य दिल्ली)

भ

भवर, श्री भागीरथ (झबुग्रा)
भक्त, श्री मनोरंजन (ग्रंडमान ग्रौर निकोबार, द्वीप समूह)
भगतराम, श्री (फिलोर)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री श्यामा प्रसन्न (उलुबेरिया)
भदौरिया, श्री ग्रर्जुन सिंह (इटावा)
भारत भूषण, श्री (नैनीताल)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (कुड्डलोर)

म

मंगलदेव, श्री (ग्रकबरपुर)
मंडल, श्री धनिक लाल (झंझारपुर)

मंडल, श्री मुकुन्द (मयुरापुर)
मंडल, डा० विजय (बंकुरा)
मंडल श्री बी० पी० (माधेपुर)
मछण्ड, श्री रघुबीर सिंह (भिण्ड)
मनोहरलाल, श्री (कानपुर)
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (सोनीपत)
मल्लिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मल्होत्रा, श्री विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
महाटा, श्री सी० आर० (पुरुलिया)
महाला, श्री के० एल० (झुन्झुन)
महात्वे, श्री हरि शंकर (मालेगांव)
महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
महीलाल, श्री (बिजनौर)
मागर, श्री अण्णा साहिब (खेड)
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद (सीकर)
मानकर, श्री लक्षमण राव (भंडारा)
माने, श्री राजाराम शंकर राव (इचलकरांजी)
मायातेवर, श्री के० (डिंडीगल)
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्गा)
मावलंकर, प्रो० पी० जी० (गांधीनगर)
मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली (मुर्शिदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथुराम (नागौर)
मिरी, श्री गोबिन्द राम (सारगढ़)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मुखर्जी, श्री समर (हाडड़ा)
मुण्डा, श्री गोविन्द (क्योंझर)
मुण्डा, श्री कटियां (खुटी)
मुरमू, फ़ादर एन्थनी (राजमहल)
मुराहरी श्री गोडे (बिजयवाडा)
मूरुगाइयन, श्री एस० जी० (नागापट्टिनम)
मूरुगेसन, श्री ए० (चिदम्बरम)
मुल्तान सिंह, चौधरी (जालेसर)
मूर्ति, श्री कसुमा कृष्ण (अामलापुरम)
मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर (कनकपुर)
महालगी, श्री आर० के० (थाना)
मेदुरी, श्री नागेश्वरराव (तेनाली)
मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)
मैथ्यू, श्री जार्ज (मुवुतुपुन्जा)
मोहनरंगम, श्री आर० (चिंगलपट्ट)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोहम्मद हयात अली, श्री (रायगंज)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मयती, कुमारी आभा (पंसकुरा)

य

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (खगरिया)
यादव, श्री नर सिंह (चन्दौली)
यादव, श्री रामजी लाल (अलवर)
यादव, श्री राम नरेश (आजमगढ़)
यादव, श्री रूप नाथ सिंह (प्रतापगढ़)
यादव, श्री विनायक प्रसाद (सहरासा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री हुकम देव नारायण (मधुबनी)
यदवेन्द्रदत्त, श्री (जौनपुर)
युवराज, श्री (कटिहार)

र

रघुबीर सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
रघु रामैया, श्री के० (गुंटूर)
रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)
रणजीत सिंह, श्री (हमीरपुर)
रवि, श्री वयालार (चिरायिनकिल)
रवीन्द्र प्रताप सिंह श्री (अमेठी)
रशीद मसूद, श्री काजी (सहारनपुर)
रांगनेकर श्रीमती अहिल्या पी० (बम्बई उत्तर मध्य)
राकेश आर० एन० (तायल)
राघव जी, श्री (विदिशा)
राघवेंद्र सिंह, श्री (उन्नाव)
राचैया, श्री बी० (चामराजनगर)
राज केशर सिंह, श्री (मछली शहर)
राजदा, श्री रत्न सिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)
राजनारायण, श्री (राय बरेली)
राजू, श्री के० ए० (पोलाची)
राजू, श्री पी० वी० जी० (बोब्बिली)
राठवां, श्री अमर सिंह भाई (छोटा उदयपुर)
राठौर, डा० भगवान दास (हरिद्वार)
राम अवधेश सिंह, श्री (विक्रमगंज)
राम, श्री रामदेनी (पालामू)
राम किंकर, श्री (बाराबंकी)

रामकिशन, श्री (भरतपुर)
राम गोपाल सिंह, चौधरी (बिल्लौर)
रामचन्द्रन, श्री पी० (मद्रास मध्य)
रामचरण, श्री (जालौन)
रामजी सिंह, डा० (भागलपुर)
रामधन, श्री (लालगंज)
रामजीवन सिंह, श्री (बलिया)
रामदास सिंह श्री, (गिरीडीह)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
रमापति सिंह, श्री (मोतिहारी)
राम मूर्ति, श्री (बरेली)
राममूर्ति, श्री के० (धर्मपुरी)
रामलिंगम, श्री एन० (मयूरम)
रामलिंगम, श्री पी० एस० (नीलगिरी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
रामास्वामी, श्री के० एस० (गोबिचेट्टिपालयम)
रामास्वामी, श्री एस० (पेरियाकुलम)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री गौरी शंकर (गाजीपुर)
राय, श्री नर्मदा प्रसाद (सागर)
राय, श्री शिवराम (घोसी)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्री सौगत (बैराकपुर)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगाम कोंडाला (खम्मम)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री पट्टाभी राम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकीनीडु (बापतला)
राव, श्री पी० वी० नर सिंह (हनमकोण्डा)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री राजे विश्वेश्वर (चन्द्रपुर)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री एस० आर० (गुलबर्गा)
रेड्डी, श्री के० ओबुल (कुड्डापाह)
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री जी० एस० (निरयालगुडा)
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० बायप्पा (हिन्दुपुर)
राड्रिक्स, श्री रुडोल्फ (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
रोथुआम, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर० (डिंडिक्कल)
लहानु सिडवा कोम, श्री (दहानु)
लल्लू प्रसाद, श्री (छपरा)
लाल श्री श्याम सुन्दर (बयाना)
लालजी भाई, श्री (सलुम्बर)
लास्कर, श्री निहार, (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लिंगडोह, श्री हौपिंगस्टोन (शिलांग)

व

वघेला, श्री शंकरसिंह जी (कापडवंज)
वकील, श्री अब्दुल अहाद (बारामुला)
वर्मा, श्री आर० एल० पी० (कोडरमा)
वर्मा, श्री सुखदेव (चतरा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री फूल चन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री मृत्युंजय प्रसाद (सीवान)
वर्मा, श्री बृज लाल (महासमुन्द)
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (रांची)
वर्मा, श्री हरगोविन्द (सीतापुर)
वशिष्ट, श्री धर्म वीर (फरीदाबाद)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
विश्वनाथन, श्री सी० एन० (तिरुपत्तूर)
वीरभद्रप्पा, श्री के० एम० (बैलूलारी)
वीरभद्रप्पा श्री के० एम० (बैल्लारी)
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दीपेट)
वेंकटा रेड्डी, श्री पी० (ओंगोले)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानंद, श्री बी० (चिक्कोडी)
शर्मा, श्री जगन्नाथ (गढ़वाल)
शर्मा, श्री यज्ञदत्त (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल)
शाक्य, श्री दया राम (फरुखाबाद)

शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)
शारदा, श्री एस० के० (अजमेर)
शास्त्री, श्री भानु कुमार (उदयपुर)
शास्त्री, श्री रामधारी (पदरौना)
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवा)
शाह, श्री डी० पी० (बस्तर)
शाह, श्री सूरत बहादुर (खीरी)
शिन्दे, श्री पी० अण्णासाहिब (अहमदनगर)
शिवनारायण, श्री (बस्ती)
शिव सम्पति राम, श्री (राबर्टगंज)
शुक्ल, श्री मदन लाल (जांजगीर)
शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)
शेठ, श्री विनोदभाई (जामनगर)
शेर सिंह, प्रो० (रोहतक)
शैजा, श्रीमती रानों एम० (नागालैंड)
शायजा, श्री वाई० (बाह्य मनीपुर)
श्रंगारे, श्री टी० एस० (उस्मानाबाद)
श्रीकृष्ण, श्री (मुंगेर)
षाडंगी, श्री आर० पी० (जमशेदपुर)

स

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सैयद मोहम्मद, डा० वी० ए० (कालीकट)
सईद मुर्तजा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सक्सेना, प्रो० शिब्बनलाल (महाराजगंज)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेनकानल)
सत्यदेव सिंह, श्री (गौंडा)
सत्यनारायण, श्री दरोनमराजू (विशाखापतमन)
सरकार, श्री शक्ति कुमार, (जयनगर)
सरदार, श्री महेन्द्रनारायण (अररिया)
सारण, श्री दौलतराम (चुरू)
सरसूनिया, श्री शिव नारायण (करोलबाग)
साठे, श्री बसंत, (अकोला)
सान्याल, श्री शशांकसेखर (जंगीपुर)
सई, श्री लारंग (सरगुजा)
सई, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव (रायगढ़)
सैयावाला, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
सामन्त सिंहेरा, श्री पदमचरण (पुरी)
साहू, श्री एन्थू (बोलनगीर)
साहा, श्री ए० के० (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिंह, डा० बी० एन० (हजारीबाग)
सिकन्दर बख्त, श्री (चांदनी चौक)
सिन्हा, श्री एच० एल० पी० (जहानाबाद)
सिन्हा, श्री महामाया प्रसाद (पटना)
सिंघा, श्री सचिन्द्र लाल (त्रिपुरा-पश्चिम)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिन्हा, श्री पूर्ण (तेजपुर)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सुखेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
सुधीरन, श्री वी० एम० (एल्लेप्पी)
सुन्ना साहिब, श्री ए० (पालघाट)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (पलानी)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
'सुमन' श्री सुरेन्द्र झा (दरभंगा)
सुरेन्द्र विक्रम, श्री (शाहजहांपुर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलुरू)
सूर्य नारायण सिंह, श्री (सीधी)
सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (आरामबाग)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सैनी, श्री मनोहर लाल (महेन्द्रगढ़)
सोभानी, श्री रूप लाल (भीलवाड़ा)
सोमसुन्दरम् , श्री एस० डी० (तंजाबर)
सोमानी, श्री एस० एस० (चित्तौड़गढ़)
स्टीफन, श्री सी० एम० (इदुक्की)
स्वतन्त्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद (बगहा)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई-उत्तर पूर्व)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)

ह

हजारी, श्री राम सेवक (रोसेड़ा)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हरेन भूमिज, श्री (डिब्रूगढ़)
हांडे, श्री वी० जी० (नासिक)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हीराभाई, श्री (बांसवाड़ा)
हुकम राम, श्री (जालोर)
हेगड़े, श्री के० एस० (बंगलौर—दक्षिण)

क्ष

क्षेत्री, श्री छत्र बहादुर (सिक्किम)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री के० एस० हेगड़े

उपाध्यक्ष

श्री गोड़े मुराहरि

सभापति तालिका

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु
श्री त्रिदिब चौधरी
श्री एम० सत्यनारायण राव
श्री द्वारिका नाथ तिवारी

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री	श्री मोरारजी देसाई
गृह मंत्री	श्री चरण सिंह
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री लाल कृष्ण अडवाणी
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री सुरजीत सिंह बरनाला
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री सिकन्दर बख्त
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री शांति भूषण
शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री	डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र
रेल मंत्री	प्रो० मधु दण्डवते
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री मोहन धारिया
उद्योग मंत्री	श्री जार्ज फर्नांडिस
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री पुरुषोत्तम कौशिक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री राजनारायण
वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री	श्री एच० एम० पटेल
इस्पात और खान मंत्री	श्री बीजू पटनायक
ऊर्जा मंत्री	श्री पी० रामचन्द्रन्
विदेश मंत्री	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री	श्री रवीन्द्र वर्मा
संचार मंत्री	श्री बृजलाल वर्मा

राज्य मंत्री

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आरिफ़ बेग
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री . .	श्री चान्द राम
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री कृष्ण कुमार गोयल
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री धन्ना सिंह गुलशन
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राम किंकर
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० कुन्डू
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	कुमारी आभा मैती
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री धनिक लाल मण्डल
पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री जनेश्वर मिश्र
इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री करिया मुण्डा
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० डी० पाटिल
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री फजलुर रहमान
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री लारंग सई
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री शिव नारायण
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	प्रो० शेर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री भानु प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री जगबीर सिंह
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री .	डा० राम कृपाल सिन्हा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नरसिंह यादव
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जुल्फिकार उल्लाह
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

Member Sworn

श्री रूप लाल सोमानी (भीलवाड़ा)

मंत्रियों का परिचय

Ministers Introduced

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं इन राज्य मंत्रियों का परिचय कराता हूं : वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सतीश अग्रवाल, वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल, निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम किंकर, उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री कुमारी आभा मैती, पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र, ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री फजलुर रहमान, श्रम तथा संसदीय कार्य

मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री लारंग सई, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शिव नारायण, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शेर सिंह, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगबीर सिंह, श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डा० राम कृपाल सिन्हा, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जुल्फिकार उल्लाह, शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका देवी बड़कट की।

जोरहाट के निकट विमान दुर्घटना में प्रधान मंत्री की दैनिक प्राण रक्षा के बारे में संकल्प

Resolution re: Providential Escape of Prime Minister in air Crash near Jorhat

अध्यक्ष महोदय : मैं 12 नवम्बर, 1977 को दलों एवं वर्गों के नेताओं के साथ हुई बैठक में स्वीकृत संकल्प को सभा-पटल पर रखता हूं :--

"कि यह सभा 4 नवम्बर, 1977 को आसाम में जोरहाट के निकट विमान दुर्घटना में प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई की दैविक प्राण रक्षा पर गहरा सन्तोष और भारी राहत प्रसन्नता व्यक्त करती है।

कि यह सभा भारतीय वायु सेना के दुर्घटना ग्रस्त वायुयान के चालक दल के पांच सदस्यों द्वारा, जिन्होंने प्रधान मंत्री के प्राणों की रक्षा हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी, प्रदर्शित कर्तव्य परायणता और राष्ट्रभक्ति की भी प्रशंसा करती है और संतप्त परिवारों के सदस्यों को हार्दिक संवेदनाएं भेजती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

The Resolution was adopted

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने भूतपूर्व चार सहयोगियों, श्री पी० जी० करुतिरमण, श्री के०के० नायर, काजी सैयद करीमुद्दीन और श्री भगवंतराव ए० मंडलोई के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री पी० जी० करुतिरमण वर्ष 1962-67 के दौरान तत्कालीन मद्रास राज्य के गोवीचेट्टीपालायन निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह 1952-62 के दौरान मद्रास विधान सभा तथा 1967---69 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे। कृषि के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। वर्ष 1954--56 के दौरान वह नई दिल्ली स्थित राष्ट्र की राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्य रहे। वह देश के कई कृषि संगठनों से सम्बन्धित थे और फसल प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अनेक इनाम जीते। कृषि में रुचि रखने के अतिरिक्त वह तमिल लेखक भी थे और कई पत्रिकाओं में उनके लेख छपे थे। उनका निधन 58 वर्ष की अवस्था में 5 अगस्त, 1977 को कोयम्बटूर में हुआ।

श्री के० के० नायर उत्तर प्रदेश के बहराइच निर्वाचन क्षेत्र से 1967--70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले वह वर्ष 1965—67 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व वह भारतीय सिविल सेवा से संबंधित थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वर्ष 1952 में उन्होंने विधि व्यवसाय अपनाने के लिए भारतीय सिविल सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति मांगी। वह बुद्धि जीवी थे तथा 11 भारतीय तथा विदेशी भाषाएं जानते थे। वह अच्छे खिलाड़ी थे। यह भी एक दुर्लभ संयोग की बात है कि वर्ष 1967—70 के दौरान उनकी पत्नी तथा वह लोक सभा के सदस्य रहे। श्री नायर का निधन 70 वर्ष की अवस्था में 7 सितम्बर, 1977 को लखनऊ में हुआ।

15 LSS/77—2

काजी सैयद करीमुद्दीन वर्ष 1947—50 के दौरान तत्कालीन सी० पी० तथा बेरार प्रोविन्स से भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे। वर्ष 1954—58 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह 1947—52 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उनका निधन 78 वर्ष की आयु में 29 सितम्बर, 1977 को हैदराबाद में हुआ।

श्री भगवन्तराव ए० मण्डलोई वर्ष 1946—50 के दौरान तत्कालीन सी० पी० तथा बेरार प्रोविन्स से संविधान सभा के सदस्य रहे । वर्ष 1917 में वह एडवोकेट बने लेकिन शीघ्र ही वह राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। वह एक प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे और 1940 तथा 1942 में जेल गए । वह खंडवा नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1935—37 के दौरान वह सी० पी० तथा बेरार विधान परिषद के सदस्य रहे तथा बाद में 1937 में राज्य विधान सभा के सदस्य बने । वर्ष 1956—62 के दौरान वह मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री रहे। वर्ष 1962-63 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे । श्री मण्डलोई ने जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया । वह कई शैक्षिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सम्बन्धित रहे । उनका निधन 85 वर्ष की अवस्था में 3 नवम्बर, 1977 को खंडवा में हुआ ।

हम अपने इन सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। आशा है कि सभी सदस्य शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ शरीक होंगे।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे

The Members then stood in silence for a shortwhile.

श्री मल्लिकार्जन (मेड़कले मैं श्रीमती गांधी की प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेलों में तंग किए जाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं । इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा । मुझे इस विषय पर नियम 377 के अन्तर्गत सूचनाएं, ध्यानकर्षण सूचनाएं तथा स्थगन प्रस्ताव मिले हैं । मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि न्याय निर्णयाधीन मामले के हुए बिना इस पर किस प्रकार चर्चा की जाए । अतः इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं । मैं इस पर पूरा ध्यान दूंगा और नियमों के अनुरूप इस पर चर्चा करने का अवसर दूंगा । मैं नहीं चाहता कि इस समय यह मामला उठाया जाए ।

भारतीय वायु सेना के चालक दल की स्मृति में मौन
Silence in memory of crew of the IAF aircrash

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैं आपका ध्यान निदेश संख्या 3 तथा निधन संबंधी उल्लेख के बारे में अपने नोटिस की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: आपने मेरी अनुमति नहीं ली है । इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय आपने लिखा अवश्य था पर मैंने अनुमति नहीं दी है । मामले पर विचार किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह नहीं बताया गया कि आपने इसे स्वीकार नहीं किया है ।

श्री मोरारजी देसाई : वह पुराने सदस्य हैं और उन्हें प्रक्रिया नियमों का पता होना चाहिए । यह प्रश्न काल है । वह मामले को उचित समय पर उठा सकते हैं । इस प्रकार से संसद की कार्यवाही नहीं चल सकती । वरिष्ठ सदस्य से मुझे ऐसी आशा नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निदेश संख्या 2 के अनुसार निधन सम्बन्धी उल्लेख प्रश्नों से पूर्व आता है । मैंने नोटिस दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी इस की अनुमति नहीं दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप अपना विनिर्णय दें

अध्यक्ष महोदय : मैं सोच कर विनिर्णय दूंगा।

श्री ज्योतर्मय बसु : आप कल बतायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गान्धी नगर) : या तो हमें आज ही मौन खड़े होना चाहिए या बिल्कुल खड़े नहीं होना चाहिए । यह कार्य कल नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : इस वाद विवाद को न करने के लिए अध्यक्ष पीठ से पहले ही मामले का उल्लेख कर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री की जीवन रक्षा के प्रयास में चालक दल के पांच सदस्यों की मृत्यु पर रक्षा सेवाओं को हुए दुःख में शरीक होने के लिए हमें कुछ देर मौन खड़े रहना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : हालांकि यह पारम्परिक नहीं है, फिर भी हमें इस अवसर पर मौन खड़े होना चाहिए क्योंकि इस बात का उल्लेख हो चुका है ।

श्री समर मुखर्जी : (हावडा) यह सभा की भावनाओं का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें मृत व्यक्तियों की स्मृति में कुछ देर मौन खड़ा रहना चाहिये।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in Silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निरक्षरता समाप्त करने के लिए अध्यापकों का सम्मेलन

*1. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निरक्षरता समाप्त करने का कार्यक्रम तैयार करने के लिए अध्यापकों का, जिनमें स्कूलों के अध्यापक भी हों, एक सम्मेलन बुलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : क्या देश में निरक्षरता समाप्त करने के लिए वह अध्यापकों का सम्मेलन नहीं बुला रहे हैं। देश में निरक्षरता समाप्त करने के लिए और कौन-सा कार्यक्रम बनाया गया है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : देश में निरक्षरता समाप्त करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड गठित किया गया है। इस शिक्षा बोर्ड की कई उपसमितियां हैं जो कुछ नीतियां बना रही हैं। राज्य बोर्डों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। हम जनाते हैं कि निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों को मुख्य भूमिका निभानी होती है। अतः उचित समय पर अध्यापकों से परामर्श किया जाएगा। इस समय मैं इस मामले में अध्यापकों के विभिन्न संघों से बातचीत कर रहा हूं।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar : Had he not said in the Consultative Committee meeting that teachers conference will be called ? Had he not said to the representatives of University Teachers Federation on 6th October that a teachers Conference will be called.

Dr. Pratap Chander Chunder : It is not proper time for calling a conference. The question of calling a conference will arise after the study of population is complete. The strategy is being developed and the strategy is developed, teachers conference will be called.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : निरक्षरता की समस्या न केवल बहुत बड़ी है बल्कि देश में निरक्षरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मंत्री महोदय ने पहले ही प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर दी है। क्या इस बोर्ड में सभी स्तरों पर अध्यापकों तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि हैं? मुझे लगता है कि बोर्ड में मंत्रियों, सचिवों तथा नौकरशाहों की भरमार है और इसमें काम करने वाले अध्यापकों को शामिल नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय, इस बात का आश्वासन देगें कि सरकार अध्यापकों तथा सामाजिक शिक्षा एवं साक्षरता कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ईमानदारी से तथा शीघ्रता से विचार कर रही है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमें इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन हम इस बोर्ड को छोटा सा रखना चाहते हैं। यदि हम बहुत बड़ा बोर्ड बनाऐंगे तो बैठकें शीघ्र और प्रायः नहीं हो पायेंगी। अतः हमारा विचार बोर्ड को विभिक्त करने और राज्य सरकारों से राज्य बोर्डों की स्थापना के लिए सम्पर्क करने का है ताकि स्वयंसेवी संस्थाओं एवं शिक्षक संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जा सके।

श्री रामगोपाल रेड्डी : जनता सरकार के आने के बाद जनसंख्या में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि हर वर्ष 1 करोड़ 80 लाख जनसंख्या बढ़ रही है। वयस्क अनपढ़ता को दूर करने के साथ-साथ क्या मंत्री जी इन सभी लोगों को शिक्षा देने की स्थिति में हैं। यदि हां, तो उन्हें कितना समय लगेगा? **(व्यवधान)**

श्री दिनेन भट्टाचार्य : माननीय सदस्य समझते हैं कि जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद जनसंख्या बढ़ी है। ऐसा कैसे सम्भव है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य की बात स्वीकार्य नहीं है लेकिन जहां तक इस विशाल अनपढ़ता को दूर किये जाने का प्रश्न है, उचित ढंग से उपाय किये जा रहे हैं।

डा० सुशीला नायर : क्या सरकार के पास कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ? यदि है, तो अध्यापकों और सरकारी अभिकरणों के कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष कार्यक्रम क्या हैं और क्या सभी शिक्षित लोगों को इस कार्यक्रम में लगाने का प्रस्ताव है ? क्या निरक्षरता जिसमें कार्यशील निरक्षरता भी शामिल है, दूर करने के लिए जोरदार कार्यक्रम चलाने हेतु कोई निधि भी रखी गई है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : 10 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के वर्ग से निरक्षरता दूर करने के लिए हमने 5 वर्ष की अवधि को लक्ष्य माना है। इसमें 13 करोड़ लोग आते हैं और निःसन्देह यह एक भारी कमी है। इसलिए हमने अधिक राशि के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया है। । इस कार्य के लिए एक विशेष उप-समिति भी बनायी गई है। प्रधान मंत्री ने जो योजना आयोग के चेयरमैन हैं और उप चेयरमैन श्री लक्कड़वाला दोनों ने समिति की उद्घाटन बैठक में भाग लिया। दोनों ने विश्वास दिलाया कि इस विशेष समस्या को उच्चतम प्राथमिकता दी जाये कि और उसके लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था भी की जायेगी।

श्री त्रिदिब चौधरी : समस्या की विशालता को देखते हुए और इस तथ्यता को दृष्टिगत रखते हुए कि राज्यों में भी निरक्षरता दूर करनी है, क्या राज्य सरकारों को इस कार्य में सक्रिय रूप से लगाने की कोई योजना बनायी गई है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने पहले ही सभा को विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकारों को भी शामिल किया जायेगा क्योंकि राज्य बोर्ड गठित किये जायेंगे और हम तो जिला स्तर तक पहुंचना चाहते हैं इसलिए जिला बोर्ड भी स्थापित किये जायेंगे। मैंने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। उन्होंने अधिकांश रूप से इस समस्या को स्वीकार किया है। इस बात पर विस्तृत रूप से विचार हो रहा है। सारी नीति तैयार किये जाने के बाद मैं शिक्षा सम्बन्धी संसद की सलाहकार समिति के समक्ष पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा।

Shri Ramji Lal Suman: It is a very vital question and Government alone can not solve it. So whether Government propose to taken any step to encourage the N.S.S. work being carried on in Colleges and Universities ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : We have decided to involve N.S.S. in this work. We are trying to introduce it in higher secondary stage 2 to cover more boys.

वन विकास

2. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने लगभग 16 अगस्त, 1977 को दिल्ली में हुई गोष्ठी में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वनों का विकास करने पर जोर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो देश में वनों का विकास करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां, । "वन संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग" के संबंध में दिनांक 16 अगस्त, 1977 को नई दिल्ली में हुई विचारगोष्ठी में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने वानिकी सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया था। यह देश की बेरोजगारी की समस्या हल करने में भी सहायता करेगा।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य क्षेत्र दोनों में पौद-रोपण की योजनाओं के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए वानिकी क्षेत्र में अधिक बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश में ईंधन की लकड़ी और छोटी इमारती लकड़ी की अत्यधिक कमी पर विचार किया था और इसने ग्रामीण लोगों को ईंधन की लकड़ी, छोटी इमारती लकड़ी, चारा और फलों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सामाजिक वानिकी सम्बन्धी योजनाओं को पंचम पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, भारत सरकार ने केन्द्रीय अनुदान के तौर पर 10 करोड़ रुपये के परिव्यय से पांचवीं योजना की अवधि में दो केन्द्रीय प्रायोजित सामाजिक वानिकी योजनाएं शामिल की थीं। इन प्रत्येक योजनाओं, अर्थात् (1) बेकार भूमि और पंचायत भूमि, आदि पर मिश्रित वृक्षरोपण और (2) उजड़े हुए वनों में फिर से वनरोपण करने और रक्षा-पट्टियों को बनाने की योजनाओं के लिए अलग-अलग 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। केन्द्रीय अनुदान का प्रतिमान वर्ष 1976-77 के दौरान मिश्रित पौद-रोपण के लिए 75 प्रतिशत और उजड़े हुए वनों के वनरोपण के लिए 50 प्रतिशत था। अब यह अनुदान वर्ष 1977-78 के दौरान बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है, जो प्रति हैक्टार 1,000 रुपये तक सीमित है। ये योजनाएं 1976-77 से क्रियान्वित की जा रही हैं। निम्नलिखित सारिणी में 1976-77 की उपलब्धियां और 1977-78 तथा 1978-79 के संभावित कार्यक्रम दिये गये हैं :—

सारणी

पौद-रोपण	बेकार भूमि, पंचायत भूमि आदि पर मिश्रित पौद-रोपण	उजड़े हुए वनों में फिर से वनरोपण करना तथा रक्षा-पट्टियां बनाना
1976-77 (उपलब्धि)	3,380 है० 105 आर० के० एम०	13,090 है० 1,250 आर० के० एम०
1977-78 (लक्ष्य)	19,385 है०	43,585 है० 5,360 आर०के० एम०
1978-79 (लक्ष्य)	37,500 है० (लगभग)	68,980 है० (लगभग) 5,200 आर० के० एम०
1979-80 के पौद-रोपण के लिए अग्रिम कार्य	50,000 है० (लगभग)	10,000 है० (लगभग) 5,200 आर०के०एम०

छठी योजना में उपर्युक्त योजनाओं को बड़े पैमाने पर जारी रखने का विचार है।

उपर्युक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अलावा, शीघ्र उगने वाली किस्मों का पौद-रोपण, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक महत्व का आर्थिक पौद-रोपण, फार्म वानिकी और उजड़े हुए वनों को फिर से लगाना, आदि कुछ और पौद-रोपण योजनाएं हैं, जो राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं। पांचवीं योजना की अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए कुल 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त, उत्पादन संबंधी योजनाएं भी हैं, जिनकी श्रम तथा कुशल कार्मिकों के रूप में रोजगार की अधिक संभाव्य क्षमता है। ये योजनाएं छठी योजना की अवधि के दौरान भी और अधिक परिव्यय और अधिक बड़े क्षेत्रों में प्रारंभ की जाएंगी। इसके अलावा, संस्थागत वित्त का उपयोग करने, अगम्य और घटिया किस्म के वनों का विकास व लकड़ी पर आधारित उद्योगों को शुरू करने तथा वन संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए स्थानीय जनता में दक्षता का विकास करने के लिए (जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में

रोज़गार सृजित किया जा सकता है) 16 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्णतः राज्यों की कम्पनियों के रूप में वन विकास निगमें गठित की गई हैं।

पौद-रोपण संबंधी योजनाओं की कुल लागत का लगभग 60 प्रतिशत मजदूरों को रोज़गार देने तथा लगभग 15 प्रतिशत विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत कुशल और अर्ध-कुशल कार्मिकों पर उपयोग में लाया जाता है।

डा० वसंत कुमार पंडित : वर्ष 1976-77 में निर्धारित लक्ष्य से कम उपलब्धि होने को देखते हुए क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य क्षेत्र में ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ के कारण बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत से पेड़ गिराये जा रहे हैं और वनों की कटाई जारी है। यदि हां, तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान वनों की कितनी कटाई हो चुकी हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह : स्थिति यह है कि राज्य सरकारें इन योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं और हम केवल वित्त व्यवस्था करते हैं और उनका मार्ग दर्शन करते हैं। हम वनों की कटाई की ओर देखेंगे। लेकिन कल मेरे जानकारी चाहने पर मुझे बताया गया कि जहां तक वन विभाग का सम्बन्ध है, वनों की कटाई से अधिक वन लगाये जा रहे है।

डा० वसंत कुमार पंडित : आगामी वर्ष 1977-78 में लक्ष्यों में वृद्धि को देखते हुए रोजगार के और कितने अवसर उपलब्ध हो सकेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह : अनुमान के अनुसार 1 करोड़ रु० के निवेश से 16 लाख मानव दिनों का रोज़गार उपलब्ध होता है।

डा० कर्ण सिंह : मंत्री जी ने कहा है कि उनकी जानकारी यह है कि वनों की कटाई से अधिक वन लगाये जा रहे हैं। मेरे विचार से उनकी जानकारी सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने केवल राज्यों के वन विभागों का उल्लेख किया है।

डा० कर्ण सिंह : उन्होंने कहा है कि वनों द्वारा नौकरियां मिलने के अतिरिक्त वन लगाने का प्रश्न राष्ट्रीय कल्याण के लिये भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि वनों की कटाई से सारे पर्यावरण में परिवर्तन आ जाता है। क्या सरकार देश की सम्पूर्ण वन स्थिति पर विचार कर रही है क्योंकि यह दीर्घकालीन मामला है और कुल स्थिति पर विचार तथा वनों के अधीन क्षेत्र बढ़ाये बिना भविष्य में राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं सदस्य महोदय से पूर्णतः सहमत हूं। जनता पार्टी वनों का महत्व समझती है। मुझे विश्वास है कि इस ओर पूर्ण ध्यान दिया जायेगा।

Shri Hukum Chand Kachwai : The Hon. Minister has said that on an investment of Rs. 1 crores the employment potential is 16 lakh mandays but he has not stated the number of persons which will get employment. May I know whether deforestation is taking place rapidly and contractors by bribing the persons fell more trees. At the same time the number of wild animals is also decreasing fast. So what schemes have been formulated to check deforestation and to provide more employment opportunities ? May I know whether guideline have been issued to the state Government to implement the policies properly ?

Shri Bhanu Pratap Singh : According to my information mor afforestation is taking place in forests which are under the Forest Department but deforestation is taking place

rapidly where the land is not under the Forest Department. So far as the increase under forests is concerned we are thinking of including afforestation in schemes which are prepared by Panchayats for village upliftment.

Shri Hukum Chand Kachwai : He has not replied to my question.

Shri Bhanu Pratap Singh : We will try to create maximum employment potential keeping in view of our present resources.

Shri Balbir Singh : In Himachal Pradesh cases have been registered against prominent congress leaders. I have been informed that there is a move to hush-up those cases. May I know whether Government will try their best to persue cases against those responsible for deforestation ?

Shri Bhanu Pratap Singh : This local information has not reached me. But I know there is lot of corruption. We will try to check it. We will write to the States also.

श्री पी० के० देव : पिछले सितम्बर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आई भयंकर बाढ़ का कारण भारी पैमाने पर वनों की कटाई था । केन्द्र द्वारा जो अध्ययन दल भेजा गया था उसकी रिपोर्ट से भी यह तथ्य सामने आया है। वनों के भारी संख्या में काटे जाने से उस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था भी पूरी तरह गड़बड़ा गई है । मंत्री जी केवल यह कह कर कि वनों का विषय राज्यों के अधीन है, अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते क्योंकि यह विषय समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है। इस लिये क्या मंत्री जी राज्य सरकारों को निदेश देंगे कि वनों को राजस्व का स्रोत न समझा जाये । ठेकेदारी को पूरी तरह समाप्त किया जाये और केवल तकनीकी व्यक्तियों द्वारा ही वनों का कार्य किया जाये और राज्य वन विभाग इस काम को करे। राजस्व की दृष्टि से नहीं बल्कि मितव्ययता के आधार पर इस प्रश्न पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य के लिये सुझाव है ।

श्री पी० के० देव : मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार एक निदेश जारी करे ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्नों का वह उसी समय उत्तर नहीं दे सकेंगे । वह उस पर विचार करेंगे ।

Shri Yuvraj : May I know the number of persons who got employment as a result of expenditure to the time of Rs. 10 crores on the scheme started in 1976-77 for mixed plantation on waste lands, Panchayat lands and reforestation of degraded forests ?

Shri Bhanu Pratap Singh : This information is not with me. I may tell you that 3380 hectares of land was covered under plantation and 13090 hectares were covered in the second stage ?

Shri Yuvraj : He has not replied to my question and his information is incomplete. It was stated in the meeting called by the Secretary, Department of Science and Technology that this scheme is meant to provide employment. So I want to know the number of persons who got employment.

Shri Bhanu Pratap Singh : At present this information is not with me. I want notice for that.

Shri Hukum Chand Kachwai : Sir, The Hon. Minister has stated that on an investment of Rs. 1 crore, the employment potential is 16 lakh man-days. So how many persons got employment with an investment of Rs. 10 crores is a vital question.

Shri Yuvraj : If the hon. Minister has no information, the question may be postponed.

Shri Bhanu Pratap Singh : I have told him that the employment potential with Rs. 1 crore is 16 lakh man-days. This average is for the whole country. Anybody can know the number of persons getting employment by multiplying with ten. But if you want a specific answer state-wise then I want a separate notice.

Shri Hukum Chand Kachwai : The able hon. Minister should reply this question.

Shri Bhanu Pratap Singh : 160 lakhs people got employment.

Shri Mani Ram Bagri : I have a point of order.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अधिकांश आदिजातियां सदियों से वन सम्पति से जीवन निर्वाह कर रही है और आदिजाति के लोगों को वन अधिकारी तंग करते रहते हैं और उन्हें जेल भेजते रहते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वन विकास के साथ-साथ आदिजातियों को सुरक्षण प्रदान करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि ये लोग वन उत्पादों से पहले की तरह अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं कह चुका हूं कि वन तथा कानून व्यवस्था राज्य विषय है। तंग करने सम्बन्धी कोई विशेष मामला हमारी सूचना में लाया जाये तो हम राज्य सरकार का ध्यान अवश्य इस ओर दिलायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वन इस समय राज्य विषय नहीं है, यह एक समवर्ती विषय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आदिजातियां वनसम्पदा का उपयोग सदियों से करती आ रही है। अब उन्हें बाहर धकेल दिया गया है। उनके पास जीवन निर्वाह का और कोई साधन नहीं है। सरकार उन्हें जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करने के लिये क्या करने जा रही है....

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने उत्तर दे दिया है। इन्होंने कहा है कि कोई विशेष उदाहरण इनकी सूचना में लाया जाये। ये इस ओर ध्यान देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नीति निर्धारण के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं। वनरोपण कार्यक्रम चलाते हुए आदिम जातियों को जीवन निर्वाह साधन प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर पृथक प्रश्न दें।

डा० मुरली मनोहर जोशी : जहां कहीं भी वन हैं, आदिम जातियां सदियों से वहां वनसम्पदा से जीवन निर्वाह करती आ रही हैं। क्या यह सब नहीं है कि वन उत्पादों पर आधारित बहुत से उद्योग कच्चा माल तथा वन उत्पादन न मिलने के कारण संकट ग्रस्त हैं और बहुत से उद्योग बंद हो रहे हैं। तथा लोग बेरोजगार हो रहे हैं? जिन लोगों को सदियों से प्राप्त वन सम्पदा साधनों से वंचित किया गया है उन्हें रोजगार दिलाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या कागज कारखानों तथा पूंजीपतियों को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी सप्लाई करना बन्द किया जायेगा ताकि वनों का विकास हो सके।

श्री भानु प्रताप सिंह : अन्तर का पता लगाने, कच्चे माल, लकड़ियों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के उपयोग वनरोपण, वृक्षारोपण, वनविकास सम्बन्धी उपयोगी मशीनरी, विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उपयोग, ईंधन उत्पादों के अनुसन्धान स्वदेशी प्रौद्योगिकी आदि-आदि सभी सिफ़ारिशों पर हम विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है। इनका प्रश्न यह था कि पर्याप्त वनसम्पदा न मिलने के कारण वन उत्पादों पर आधारित अनेक उद्योग बंद हो गये हैं और बहुत लोग बेरोज़गार हो गये हैं और क्या

कागज कारखानों को लकड़ी सप्लाई करना बन्द किया जायेगा । इस बारे में आपका क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : वन उत्पादों पर आधारित अनेक उद्योग बन्द पड़े हैं । वन उत्पादों पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग कठिनाई में पड़ गये हैं। बहुत से लोग बेरोजगार हैं । मंत्री महोदय उन्हें कोई रोजगार नहीं दे रहे। सदियों से वे वन उत्पादों पर निर्वाह कर रहे हैं। अलमोड़ा में 115 उद्योगों में से 110 उद्योग बन्द पड़े हैं। मंत्री महोदय इस मामले में क्या करने जा रहे हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : हम वनरोपण के लिये यथासम्भव कदम उठा रहे हैं। वन का विकास एक महीने अथवा वर्ष में नहीं होता, इसमें समय लगेगा । यदि वन-कटाव बहुत समय से चल रहा है तो इसका समाधान थोड़े से समय में नहीं हो सकता।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है (**व्यवधान**) । इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, एक भी शब्द का उत्तर नहीं दिया है। वृक्ष काटने तथा वनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी मार्गदर्शी बातें क्या हैं? क्या यह सच है कि कागज कारखानों के लिये लकड़ी बहुत मात्रा में सप्लाई की जा रही है जिसके फ़लस्वरूप वनों के वृक्ष काटे जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में वनों पर आधारित उद्योग बन्द हो गये हैं तथा वहां लोग बेरोजगार हो गये हैं ? सदियों से वनों की सम्पदा पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। यदि उचित उत्तर न आये और मंत्री के पास सूचना न हो तो आधे घंटे की चर्चा सम्बन्धी प्रक्रिया भी है।

Shri Hukum Chand Kachwai : The Minister can say that he has no information.

अध्यक्ष महोदय : आप हर किसी के वकील न बनें। मंत्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं है । आप बैठ जायें। मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता क्योंकि मंत्री को पूरी जानकारी नहीं है ।

Shri Hukum Chand Kachwai : He can say that he has no information. **(Interruptions)**

Shri Mani Ram Bagri : I rise on a point of order.

Mr. Speaker : There cannot be any point of order during the question hour.

Shri Mani Ram Bagri : It can be raised everytime. You can give a decision after hearing me. My question is that employment was provided to one crore and ten lakhs people with an amount of Rs. ten crores. Will not this Lok Sabha be laughed at in case this means spreads throughout the world ? You may think over it.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मुल्य कम करने का निर्णय

*3. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अशोक बिहार (वजीरपुर), राजौरी गार्डन, प्रसाद नगर, आदि में नवम्बर, 1976 से अलाट किये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्य कम करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय या किये जाने वाले निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस मामले में कब तक कोई निर्णय किया जाने वाला है;

(घ) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन या शिकायत मिली है कि अशोक बिहार (अवस्था-III) पाकेट 'ए' में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों में घटिया किस्म के सामान का उपयोग किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पूर्ण किये जा रहे फ्लैटों के विभागीय प्रभारों में किफायत करके लागत कम करने का निर्णय किया है लेकिन यह निर्णय पहले आबंटित किये गये अथवा पूर्ण किये गये अपार्टमेंटों पर लागू नहीं होगा।

(घ) तथा (ङ) एक फ्लैट में विद्युत संस्थापन और साज-सामान में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ये त्रुटियां आबंटी की सन्तुष्टि के अनुसार ठीक कर दी गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Durga Chand : Some shops and flats were due to be allotted in 1973 and completed in 1974 and their possession was given in 1976. I want to know whether the cost of these flats was assessed for 1973 or 1976 ?

Shri Sikander Bakht : The construction as the flats started in 1973 was completed on 15th November, 1976 and they had no different cost structure but equal cost structure.

Shri Durga Chand : It has been stated bv the Minister that a complaint has been received from those people. But it has been brought to my notice that a notice was also given by the Union of that area in which it was stated that damaged and third rate material was used for the flats which were constructed in 1973 or 1974. So, may I know if hon. Minister will enquire into the matter or appoint an enquiry Committee so as to ascertain the extent of loss suffered by these people ?

Shri Sikander Bakht : No such complaint has been received by me but when the possession of these flats was being given, at that time a complete survey was conducted by the union of those people and they were modified according to their satisfaction.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : नीविदाओं की मांग करने तथा वास्तव में निर्माण कार्य का आबंटन करने के बीच काफ़ी अन्तराल रहता है । इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1972 से लेकर इस समय तक इन फ्लैटों के निर्माण मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री सिकन्दर बख्त : निर्माण मूल्यों में हुई वृद्धि का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्यों में कमी करने के बारे में निर्णय लिया है। पहले इन फ्लैटों का आबंटन अलाटियों को एक विशेष मूल्य पर किया गया था। कच्चे सामान तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि निर्माण मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह एक अलग प्रश्न है। इसके लिये मुझे नोटिस की जरूरत है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : क्या मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसके लिये उन्हें नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि यह मुख्य प्रश्न में नहीं आता।

Damage to Crops Due to Floods

*4. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :**
Shri K. Lakkappa :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the extent of loss suffered due to damage caused to crops during the recent floods in the country; and

(b) the measures being taken by Government to provide relief to the farmers affected by these floods ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) (a) : According to the information received from the State Governments, crops in an area of 61.65 lakhs hectares valued at Rs. 22,582.04 lakhs were damaged by the recent floods in the country.

(b) Consequent upon the acceptance by the Government of India of the recommendations of the Sixth Finance Commission, Central assistance of a non-Plan nature for relief operations is generally not available to the State Governments. Such expenditure is expected to be met by the State Governments from their own resources and the enhanced margin money provided to them. However, advance plan assistance is made available to the States to supplement their own resources for implementing Plan schemes in the affected areas.

The Government of India has already sanctioned Rs. 4.98 crores to Assam and Rs. 4.41 crores to West Bengal as advance Plan assistance. It has also been agreed to provide Rs. 10.43 crores to Gujarat, Rs. 11.00 crores to Haryana and Rs. 7.97 crores to Rajasthan as advance Plan assistance. It is also being considered to provide advance Plan assistance to Himachal Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh. In addition, the Food Corporation of India has been directed to make available 20,000 tonnes of wheat to West Bengal and 10,000 tonnes of wheat to Assam for distribution as gratuitous relief. The quantium of additional supply of wheat to West Bengal is being considered as and when request is received from the State Government. The Government of India is also considering to supply 10,000 tonnes of wheat each to Uttar Pradesh and Rajasthan and 5,000 tonnes to Himachal Pradesh for distribution as gratuitous relief. The Army and Air Force assistance was also provided to the States for relief and rescue operations as and when requested for by the State Governments. Necessary assistance was also provided to arrange adequate supply of seed, and medicines etc. to the affected areas.

Shri Gyaneshwar Prasad Yadav : It has been accepted by the Minister that crops in 61.65 lakhs hectares have been damaged by recent floods. So in view of this fact, I would like to know from the hon. Minister whether Government is planning to have some special scheme for saving the lakhs of acres of land of Bihar and specially North Bihar where floods cause devastation almost every year ?

Shri Bhanu Pratap Singh : Here is a flood Control Board for protection against floods which is not only for Bihar but is for all the States. The Board formulates schemes in accordance wth the requirements of particular area. Bihar will get its due share of attention and its requirements will also be looked into.

Shri Gyaneshwar Prasad Yadav : It has been mentioned in the statement about statewise damages to the crops that Rs. 4.98 crores have been given to Assam and Rs. 4.41 crores to West Bengal. But the State of Bihar which suffered maximum losses due to floods has not been given any grant. May I know whether no intimation was sent by the State Government to Centre with regard to flood losses and it is far this reason that no Central aid has been given to Bihar ?

Shri Bhanu Pratap Singh : No such demand has been received from Bihar Government.

श्री के० लकप्पा : मैं इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि भारत सरकार द्वारा पांचवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों को राहत कार्यों के लिये गैर-योजना की तरह की केन्द्रीय सहायता साधारणतया उपलब्ध नहीं की जाती है। परन्तु इस देश में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। तथा उसके परिणाम स्वरूप सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तथा करोड़ों रुपयों की हानि हो जाती है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता सरकार इसके बारे में कोई राष्ट्रीय नीति बनाने या कुछ अन्य ऐसे ठोस कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है जिनके परिणामस्वरूप फ़सलों को बाढ़ की क्षति से बचाया जा सके। दूसरे क्या विश्व बैंक से इस कार्य के लिये सहायता की मांग की गई है यदि हां, तो देश में बाढ़ों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या किया जा रहा है ? (**व्यवधान**)

श्री भानु प्रताप सिंह : बाढ़ों से सुरक्षा प्रदान करने का प्रश्न भी सदा ही सरकार के विचाराधीन रहता है परन्तु हमारे पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जा सकती जिससे कि आने वाले समय की बाढ़ों की सम्पूर्ण क्षति की पूर्ति की जा सके। अपने संसाधनों की सीमाओं के अन्तर्गत हम सभी सम्भव उपाय कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : इन्होंने यह नहीं बताया कि बाढ़ से होने वाली क्षति का सामना करने के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त नहीं की जा रही है।

श्री के० लकप्पा : इनका वक्तव्य परस्पर विरोधी है। बिहार में बाढ़ों से हुई क्षति का सामना करने के लिये विश्व बैंक से सहायता की मांग की गई है । (**व्यवधान**) बिहार सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के सहयोग के साथ ही विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की है, यह समाचार 10 अक्तूबर 1977 के "हिन्दुस्तान टाइम्ज" में प्रकाशित हुआ है। क्या आपको इस तथ्य की जानकारी है कि बिहार सरकार ने विश्व बैंक से सहायता की मांग की है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : इस प्रश्न पर सम्भवत पहले भी विचार हुआ हो, परन्तु अब विश्व बैंक से इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया गया है ।

Shri Ugrasen : It has been stated by the hon. Minister in his reply that Flood Control Board is there for controlling the floods. I want to put a specific question to the Minister with regard to Flood Control Board. May I know if there is a scheme to include Bhaluhang on Rapti river in Uttar Pradesh, Karnali on Ghaghara river and Pancheshwar on Sharda river projects are also in any of the flood control schemes so that the flood problem of these areas could be put to an end and crores of people be relieved of this worry. I want a categorical reply from the hon. Minister.

Shri Bhanu Pratap Singh : I cannot reply about each and every scheme of different States.

प्रश्नों के लिखत उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शिक्षा मंत्री की सोवियत रूस की यात्रा

*5. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में सोवियत रूस की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार की बातचीत हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) सोवियत रूस के मेरे 13 से 16 सितम्बर, 1977 तक के प्रवास के दौरान मैं सोवियत रूस के प्रधान मंत्री परमश्रेष्ठ श्री कोसीजिन से मिला और उनसे भारत तथा सोवियत रूस के बीच सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर विशेषकर शिक्षा तथा संस्कृति से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया। मैंने पारस्परिक हितों के विषयों पर सोवियत रूस के संस्कृति मंत्री परमश्रेष्ठ श्री पी० देमीचेव और उच्चतर एवं माध्यमिक विशिष्ट शिक्षा के मंत्री परमश्रेष्ठ प्रो० वी० पी० येलुतिन से भी लाभदायक विचार-विमर्श किया। मैंने श्री देमीचव के साथ कला और शिल्प के विकास विशेषकर थियेटर के विकास के सम्बन्ध में चर्चा की। परमश्रेष्ठ प्रो० येलुतिन के साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विषयों पर संयुक्त पाठ्य पुस्तकों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा हुई।

15 सितम्बर, 1977 को मास्को में मैंने भारतीय कला और संस्कृति समारोह का भी उद्घाटन किया।

हाकी के खिलाड़ी चुनने वाले के विरुद्ध रोष

*6. **श्री डी० वी० चन्द्रगाड़** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाकी के खिलाड़ियों का चयन करने वाले व्यक्तियों में से एक के बर्ताव के विरुद्ध कुछ वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय हाकी खिलाड़ियों ने रोष प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो इन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने इसकी ब्यौरेवार जांच की है कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई; और

(घ) 'विश्व हाकी कप' के लिये खिलाड़ियों का चयन करने के लिये क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) सर्व श्री बलदेव सिंह, सुरजीत सिंह और वरिन्द्र सिंह।

(ग) सरकार ने इस घटना की विस्तृत जांच नहीं की है क्योंकि यह पूर्णतः भारतीय हाकी संघ के अधिकार क्षेत्र में आती है।

(घ) ऐसा समझा जाता है कि भारतीय हाकी संघ ने, जो कि खिलाड़ियों के चयन के लिए जिम्मेदार है, हर व्यक्ति के निष्पादन, टीम खेल, अनुशासन, सामान्य आचरण आदि के आधार पर चयन किया।

चीनी संबंधी नीति की घोषणा में विलम्ब

*7. **डा० हैनरी आस्टिन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी संबंधी नीति की घोषणा में विलम्ब होने के कारण निर्यात हेतु रखी चीनी को क्षति पहुंची है; और

(ख) क्या चीनी सम्बन्धी नीति बनाने में विलम्ब होने के कारण चीनी उद्योग तथा उत्पादकों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) : सामान्यतया पिराई-कार्य नवम्बर के मध्य के बाद और बहुत से राज्यों में तो दिसम्बर के पहले सप्ताह से शुरू होता है। यद्यपि, वितरण के लिए चीनी वर्ष 1976-77 का स्टाक लगभग दिसम्बर

के अंत तक चलेगा लेकिन चीनी वर्ष 1977-78 की लेवी चीनी की मूल्य नीति लगभग जनवरी, 1978 से इस वर्ष के उत्पादन से केवल निर्मुक्त चीनी पर लागू होगी। सरकार ने चीनी वर्ष 1977-78 के लिए गन्ने और चीनी की मूल्य नीति की मुख्य-मुख्य बातों की घोषणा पहले ही कर दी है।

Research in Oilseeds

*8. **Shri Chandradeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether in order to increase the production of oilseeds research is being conducted to develop seeds which would have larger yield in a shorter period; and

(b) if so, when these seeds are likely to be available in market ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir. New short-duration varieties have been developed in some of the important oilseed crops under the All-India Coordinated Oilseeds Improvement Project which is being implemented at the Central Institutes, Agricultural Universities and State Centres of Research.

(b) Seeds of these varieties are already available with the concerned institutions and departments.

इतिहास की पाठ पुस्तकों का हटाया जाना

*9. **श्री सौगत राय** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इतिहास की कुछ पाठ्य पुस्तकों को परिचालन से हटाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पुस्तकों तथा उनके लेखकों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन पुस्तकों को हटाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Production of Groundnuts, Shells and Oil

*10. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the production of groundnuts, groundnut shells and groundnut oil estimated, State-wise, for 1977-78 and their production during 1976-77, State-wise;

(b) whether the Central Government have any programme for increasing groundnut production; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh). (a) The State-wise production of groundnut during 1976-77 is given below :—

State	Production of groundnut in shell ('000 tonnes) Kharif & Rabi
1. Andhra Pradesh	595.5
2. Bihar	6.5
3. Gujarat	1898.4
4. Haryana	10.4
5. Himachal Pradesh	1.9
6. Karnataka	336.7
7. Kerala	18.4
8. Madhya Pradesh	303.6
9. Maharashtra	605.2
10. Orissa	112.6
11. Pondicherry	5.1
12. Punjab	151.0
13. Rajasthan	156.5
14. Tamil Nadu	828.7
15. Tripura	0.5
16. Uttar Pradesh	231.4
	5262.4

Firm estimates of production of groundnut during 1977-78 would become available sometime in June, 1978. However, on the basis of the available reports, it is expected that the production of groundnut during Kharif, 1977 may be higher than the level of 47.8 lakh tonnes in 1976-77. Firm estimates of the production of groundnuts (other than in shell) and groundnut oil are not available.

(b) Yes, Sir.

(c) In order to supplement the efforts of the State Governments for increasing the production groundnut in the country, the following Centrally Sponsored Schemes are operatingin the important groundnut growing States :—

1. Intensive Oilseeds Development Programme.
2. Extension of Oilseeds to New Irrigated Areas.

The strategy adopted under the Intensive Oilseeds Development Programme comprises of adoption of package approach in selected districts where the production technology has been well developed and potentialities for rapid growth in production are good. Particular emphasis is laid on the use of improved varieties and ensuring optimum plant population, application of balanced dose of fertilisers and control of pests. The programme for groundnut is being implemented over an area of 14,29,000 hectares during 1977-78 in 18 districts spread over 8 States.

The strategy adopted under the scheme for Extension of Oilseeds to New Irrigated areas is on the same lines as for Intensive Oilseeds Development Programme but the object of the scheme aims at extension of irrigated groundnut area in the command area of major irrigation projects. An additional new area of 1,79,400 hectares under groundnut is programmed to be covered under the scheme during 1977-78 in 4 States.

Under the above mentioned two schemes, financial assistance is given to meet the cost of production of nucleus and foundation seeds, minikits, demonstrations and subsidy on plant protection equipment, besides extension staff.

In order to give further impetus to inrease the production of groundnut during 1977-78, the following additional measures have been taken on the basis of recommendations made by a Special Group of Secretaries set up by the Government of India :—

1. Adoption of plant protection measures on a larger scale than hitherto through both ground and aerial operations.
2. Application of phosphatic fertilisers.
3. Strengthening the programme for production and distribution of good quality seeds of improved varieties.
4. Announcement of support price of Rs. 160 per quintal with adequate arrangements for carrying out support operations.
5. Expanding the irrigated area under groundnut.

गंगा, पदमा और ब्रह्मपुत्र के किनारों का कटाव

*11. **श्री दीन्रे भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा, पदमा और ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारों के तेजी से कटाव के बारे में क्या निरोधक और उपचारी उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : सभी जलोढ़ नदियों के किसी न किसी भाग में तट-कटाव की समस्या विभिन्न मात्रा में विद्यमान है परन्तु ब्रह्मपुत्र के तट के साथ यह कई स्थानों पर तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के तट की कुछ पहुंचों में एवं पश्चिम बंगाल में गंगा और पदमा के तटों पर यह समस्या काफ़ी गम्भीर है ।

कटाव रोधी उपाय बाढ़-नियंत्रण सेक्टर के भाग होते हैं और ये राज्य योजना में शामिल होते हैं तथा बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को प्रस्तुत करने, तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारों द्वारा हाथ में ली गई मुख्य कटाव-रोधी स्कीमों में बिहार में बरहिया, मन्सी तथा नारायणपुर में कटाव-रोधी उपाय, उत्तर प्रदेश में गायघाट के निकट गंगा के वाम तट पर कटाव-रोधी उपाय तथा असम में धुबी और डिब्रूगढ़ की सुरक्षा के लिए कटाव रोधी उपाय शामिल हैं ।

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार गंगा की नाजुक पहुंचों में कटाव से सुरक्षा के लिए उपाय कर रही है । राज्य सरकार ने 1972-76 की अवधि में कटाव होने वाले नाजुक स्थानों प्रर लघु-अवधि के किए गए उपायों पर लगभग 5.5 करोड़ रुपये व्यय किए हैं । राज्य सरकार ने गंगा के दक्षिण तट के साथ-साथ समस्त प्रभावित पहुंचों में इस समस्या से निपटने के लिए 63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की है । इसको अन्तिम रूप देने के लिए विस्तृत आंकड़ों का एकत्रण, अनुसंधान और जल-विज्ञान सम्बन्धी माडल अध्ययन किए जा रहे हैं । गंगा नदी द्वारा कटाव के खतरे से जंगीपुर बराज कम्पलेक्स की सुरक्षा के लिए फ़रक्का बराज प्राधिकारियों ने दो सबमर्सिबल बोल्डर बारों के निर्माण के लिए 9 लाख रुपये की राशि भी व्यय की है ।

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन

*12. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में कुछ संशोधन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन कौन-कौन से हैं और ऐसे संशोधन किए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

1'5 LSS/77—3

मानसून में नष्ट हुआ खाद्यान्न

* 13. **श्री अहमद एम० पटल :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के मानसून में कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का खाद्यान्न नष्ट हुआ;

(ख) इसके क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए अथवा किए जाने हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) : अक्तूबर, 1977 तक 112 लाख रुपये के मूल्य के 8,345 मीटरी टन खाद्यान्न अलग-अलग क्षतिग्रस्त और मानव उपभोग के अयोग्य घोषित किए गए । क्योंकि क्षतिग्रस्त स्टाक में से कुछेक मात्रा को पशु-चारे और मुर्गी चारे के रूप में बेच दिया जाएगा इसलिए उस सीमा तक हानि कम हो जाएगी ।

(ख) वर्षा, बाढ़ों, तूफ़ानों आदि के कारण "कैप" (कवर एवं प्लिथ) भंडारों में रखा स्टाक ही मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(1) गोदामों का मानसून-पूर्व निरीक्षण किया जाता है और आवश्यक मरम्मत की जाती है ।

(2) खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए आवश्यक निभार सुलभ किए जाते हैं ताकि भूमि की नमी से जो पानी रिसता है उसके कारण क्षति को रोका जा सके ।

(3) समय-समय पर निरीक्षण करने और खाद्यान्नों का उपयुक्त रख-रखाव करने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ़ को लगाया जाता है ।

(4) कैप भण्डारण में पौलीथीन की चादरों को उपयुक्त रूप से बांधने के लिए नायलन की रस्सियां सुलभ की जाती हैं ताकि उड़ने के कारण चादरों को क्षतिग्रस्त होने से रोका जा सके ।

(5) अतिरिक्त सुरक्षा के लिए प्रमुख कैप काम्पलैक्सों में मानोफ़िलामैंट के जाल और कवर-टाप्स भी सुलभ किए गए हैं ।

(6) खराब हुई चादरों को तुरन्त बदलने के लिए पोलीथीन की अतिरिक्त चादरें भी सप्लाई की गई हैं ।

(7) ठीक मौसम में स्टाक का नियमित रूप से वातन किया जाता है ताकि स्टाक को ठीक-ठीक बनाए रखा जा सके ।

(8) बड़े-पैमाने पर गोदामों का निर्माण करने से संबंधित काम शुरु किया गया है ताकि "कैप" भण्डारण को समाप्त किया जा सके ।

New Sugar Policy

*14. **Shri Meetha Lal Patel :**
Shri M. Kalyanasundaram :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a final decision in regard to new Sugar Policy; and

(b) If so, the details thereof; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) (a) The Cabinet at its meeting held on 27th October, 1977 has taken a final decision in regard to the Sugar Policy for the current year, 1977-78.

(b) It has been decided to continue the partial control policy. Ex-factory levy prices would be based on the statutory minimum cane price of Rs. 8.50 per quintal related to a recovery of 8-½ %. The retail consumer price of levy sugar would be retained at Rs. 2.15 p. per Kg. Levy sugar quota to the States would be based on population and efforts would be made to increase the per capita availability to 450 gms. per month and the States will be asked to treat rural and urban areas in a similar manner. Measures will be taken for increasing off-take of free sale sugar in the market, and maintain its price at around Rs. 390 per quintal.

राज्यों में एकत्र किये गये सिंचाई आंकड़ों में अन्तर

*15. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता चला है कि विभिन्न राज्यों में अनेक एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए सिंचाई आंकड़ों में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनका किस प्रकार पता चला है;

(ग) क्या इसको देखते हुए सरकार केन्द्रीय स्तर पर इन आंकड़ों को एकत्र करने और इनका समन्वय करने के लिए कोई समान प्रक्रिया कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) राज्यों में इस समय सिंचित क्षेत्र के आंकड़ों को एकत्र तथा समेकित करने का कार्य दो भिन्न एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है। एक एजेन्सी भू-राजस्व अथवा भूमि रिकार्ड विभाग के नियंत्रण में है तथा दूसरी सिंचाई अथवा लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में। आंकड़ों को एकत्र करने की प्रक्रिया तथा मानदण्ड भिन्न-भिन्न हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में विभिन्न एजेंसियों के आंकड़ों में काफ़ी अन्तर है।

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंडल द्वारा अभी हाल में आयोजित की गई एक गोष्ठी में इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था और इसकी सिफ़ारिशों के अनुसरण में आंकड़ों के समंजन के प्रश्न तथा आंकड़ों को एकत्र करने के कार्य में सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

Ban on Sale of Aluminium Phosphide

*16. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Agricultre and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in August, 1977 Central Insecticide Board has asked State Governments to give orders to all the shopkeepers to stop immediately sale of aluminium phosphide to agriculturists;

(b) whether it is also a fact that orders have also been issued for taking strict action against the dealers if it is found in their stock; and

(c) if reply to parts (a) and (b) be in the affirmative, whether Government propose to consider to take back the stock of the insecticides from the dealers so that they may not sell it in blackmarket ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के बारे में अध्ययन

*17. **श्री आर० के० महलगी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग देश में नदियों को परस्पर जोड़ने, विभिन्न बेसिनों में जल की अधिकता और कमी की स्थिति और जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने का अध्ययन करने का कार्य कब से कर रहा है;

(ख) अध्ययन के बारे में अद्यतन प्रगति क्या है; और

(ग) उक्त अध्ययन के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश की नदियों को परस्पर जोड़ने की संभावना के बारे में एक कागज़ी-अध्ययन 1971 में किया गया था। लेकिन यह विचार किया गया कि ऐसी स्कीमों के किसी भाग के बारे में कोई मत निर्धारित करने से पहले यह जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों, बेसिन उपबेसिनों में फ़ालतू जल और जल की कमियों का गहराई से अध्ययन किया जाए और सूखा-प्रवण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल का अन्तर्बेसिन और अन्तर्क्षेत्रीय ट्रान्सफ़र किफ़ायती रूप से करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए। केन्द्रीय जल आयोग में एक मुख्य इंजीनियर की अध्यक्षता में एक अलग यूनिट हाल ही में स्थापित किया गया है और अपेक्षित फ़ील्ड कार्य का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकारों से भी आवश्यक आंकड़े आदि सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है। इस बात की संभावना है कि कुछ नदियों को जोड़ने की संभाव्यता के बारे में कुछ प्राथमिक रिपोर्टें तीन-चार वर्षों में उपलब्ध हो जाएंगी।

नदी के जल के प्रयोग के बारे में अन्तर्राज्यीय विवाद

*18. **श्री के० मायातेवर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी के जल के प्रयोग के बारे में अन्तर्राज्यीय विवादों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त विवादों के बने रहने के कारण भारत के लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के हित में युक्तियुक्त उपयोग के लिए नदी जल के प्रयोग का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यदि इस बारे में कोई समयबद्ध योजना है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मुख्य निर्णयाधीन विवादों का सम्बन्ध नर्मदा गोदावरी और यमुना नदियों के जल से सम्बन्धित विवादों के बारे में न्याय-निर्णयन की कार्रवाई, अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित किए गए न्यायाधिकरणों द्वारा की जा रही है।

लेकिन इस बीच गोदावरी बेसिन के मामले में सम्बन्धित राज्यों के बीच नई परियोजनाओं के लिए गोदावरी के जल का काफ़ी हद तक आवंटन किए जाने के बारे में सहमति हो गई है। नर्मदा बेसिन के मामले में भी राज्यों के बीच गुजरात और मध्य प्रदेश में चार-चार छोटी स्कीमों पर काम शुरू करने पर सहमति हो गई है। यमुना बेसिन के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों के साथ परामर्श करते हुए विस्तृत अध्ययन किए गए हैं और निकट भविष्य में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किए जाने का विचार है।

(ख) चूंकि सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध समूची धन-राशि इस्तेमाल कर ली गई है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन विवादों से अब तक समूचे देश के विकास पर कोईखास प्रभाव नहीं पड़ा है

लेकिन विवादग्रस्त बेसिनों में कतिपय परियोजनाओं को हाथ में लेने में विलम्ब अवश्य हुआ है, जिससे विशिष्ठ क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) और (घ) अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के उपयोग के आयोजन में केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के प्रश्न और अन्य सम्बद्ध मामलों की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है

भूमि सुधार

*19. **श्री एस० डी० सौम्सुन्दरम :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सात महीनों के दौरान भूमि सुधारों के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या ठोस कार्य किए गए हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और दुर्बल वर्गों के लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय मिले;

(ख) यह समस्या कितनी बड़ी है; और

(ग) भूमि सुधारों के कार्य में तेजी लाने के लिए यदि कोई समयबद्ध योजना बनाई गई है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों के अंतर्गत मामलों को शीघ्र निपटाने और पात्र वर्गों के व्यक्तियों को जोत की अधिकतम सीमा की फालतू भूमि अलाट करने के लिए आवश्यक उपाय करें । राज्य सरकारों से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार जुलाई, 1977 के अंत तक लगभग 2 लाख मामलों का निपटान करना बाकी था । यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल से जुलाई, 1977 के बीच जोत की अधिकतम सीमा की लगभग 1.18 लाख एकड़ फालतू भूमि का वितरण किया गया । उन्हें यह सुझाव दिय गया है कि वे दिसम्बर, 1977 के अंत तक फालतू घोषित किए गए सारे क्षेत्र का वितरण कर दें । राज्य सरकारों से यह भी आशा की जाती है कि वे या तो पट्टेदारों को स्वामित्व प्रदान करके या उनकी पट्टेदारी को सुरक्षा प्रदान करके पट्टेदारी के कानूनों का उचित क्रियान्वन करें ।

Changes in Master Plan, Delhi

*20. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehailitation** be pleased to state :

(a) whether development of old Delhi is being hampered due to Master Plan of Delhi and those who want to develop Mori Gate and other areas are being deprived of this work;

(b) whether Government propose to change the Master Plan; and

(c) if so, the time by which Government would declare its policy ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) No, Sir.

(b) The question of changing the Master Plan in the above context does not arise. However, the existing Master Plan is based on projections made upto 1981. Further projection is to be made upto 2001 A.D. and the Master Plan is being prepared in the light of this as well as the experience of the past.

(c) The work is already in hand.

मध्य प्रदेश में पेय जल की योजना

1. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1977 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में पेय जल योजना की क्या प्रगति रही है; और

(ख) मध्य प्रदेश को अब तक कुल कितनी सहायता मिली है और राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1977 के अन्त तक कितनी राशि का उपयोग किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों की पेय जलपूर्ति योजनाएं राज्य क्षेत्र की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के एक अंग हैं। इन योजनाओं के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वियन की प्रगति के बारे में सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) पेय जल पूर्ति योजना सहित सभी राज्य प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। तथापि, समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए पेय जल की व्यवस्था करने के लिए चालू वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति का एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1977-78 के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों की पेय जलपूर्ति की चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को 100 प्र० श० केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

इस कार्यक्रम के अधीन मध्य प्रदेश सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 200.00 लाख रुपयों का नियतन किया गया है तथा 200.00 लाख रुपये के अलावा 50.00 लाख रुपये आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी दिए गए हैं। इसमें से उस राज्य को केन्द्रीय अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में 52.80 लाख रुपये दिए गए हैं।

आंग नदी पर सिंचाई परियोजना

2. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में चिरोली के निकट "आंग" नदी पर सिंचाई परियोजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र आएगा तथा इसके लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है तथा यह किस तिथि तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में ऐसी कोई परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नारियल की खेती को हानि

3. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में कुट्टानदु में नारियल की खेती को व्यापक नुक्सान पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो इस खेती को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां । सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के कुट्टानाडु क्षेत्र में तथा राज्य के अन्य भागों में नारियल की खेती को अधिक हानि होती है ।

(ख) अधिकांश हानि जड़ों के मुर्झान रोग के कारण और कुछ नारियल के पत्र विगलन के कारण होती है । रोगी और अनुत्पादक नारियल बागानों के पुनरुज्जीवन के लिये 1977-78 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना कार्यान्वित की गई है । रोगी और अनुत्पादक नारियल पाम के स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक सहनशील संकर पौधे लगाए जाते हैं । कृषकों को संकर पौध, उर्वरक, भूमि सुधारक एवं पौध संरक्षण रासायनकों को आपूर्ति 50 प्रतिशत राज सहायता देकर की जाती है ।

राज्य सरकार के पास एक ऐसा भी कार्यक्रम है जिस से चुनीन्दा क्षेत्रों में वर्ष में दो बार निःशुल्क संरक्षी छिड़काव करके पत्र विगलन रोग को और अधिक बढ़ने से रोका जा सकता है ।

भारतीय बाल कल्याण परिषद् द्वारा प्रायोजित दौरे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का शामिल किया जाना ।

4. **श्री के० के० मूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने अपने प्रायोजन में प्रायोजित अध्ययन दौरे और गोष्ठियों की योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शामिल किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा (वर्षवार) क्या है ?

शिक्षा, समाज, कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेर्ंका देवी बकरटकी) : (क) और (ख) भारतीय बाल कल्याण परिषद् का अध्ययन के लिए दौरों या भ्रमणों का कोई कार्यक्रम नहीं है । शिक्षा आदि के लिए निर्धन बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए बाल कल्याण की राज्य परिषदों से मंगाए गए आवेदनों में उम्मीदवार की जाति के बारे में नहीं पूछा जाता है । परिषद् का मुख्य ध्यान "बच्चे" के लिए है और यह निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों को सहायता दिए जाने के योग्य समझती है ।

शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाना

5. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 150 जिलों में व्यवसाय का सर्वेक्षण करने का विचार था तथा सर्वेक्षण किए गए जिलों में से 40 जिलों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए चुना जाना था; और

(ख) क्या यह सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू कर दिये गये हैं और यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक, निम्नलिखित 34 ज़िलों में ज़िला व्यावसायिक सर्वेक्षण के संचालन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी गई है :--

राज्य	ज़िले का नाम
असम	कामरूप
	सिवसागर
	डिब्रुगढ़
	कचार
जम्मू तथा कश्मीर	काथुआ
	अनन्तनाग
कर्नाटक	बंगलौर
	धारवाड़
	उत्तर कनारा
	दक्षिण कनारा
	मैसूर
	रायचूर
मध्य प्रदेश . . .	विदिशा
	बिलासपुर
	ग्वालियर
	हौशंगाबाद
	बालाघाट
	झाबुआ
	रायपुर
	छतरपुर
	शाहडोल
	उज्जैन
उड़ीसा	पुरी
	किन्झार
	सम्बलपुर
	बालासौर
	गंजम
राजस्थान	जयपुर
	जोधपुर
	कोटा
	बांसवाड़ा
सिक्किम . .	गंगटोक
	नामची
त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा

इस योजना के अन्तर्गत गंगटोक (सिक्किम) में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। कर्नाटक सरकार ने भी बंगलौर, दक्षिण कनारा तथा धारवाड़ जिलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू किए हैं।

स्वायत्तशासी कालेज

6. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अधीन स्वायत्तशासी कालेजों सम्बन्धी कोई योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां तो महाराष्ट्र में ऐसी संस्थाएं कौन-कौन सी हैं, जिनकी सिफारिश वहां के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा की गई;

(ग) क्या ऐसी संस्थाओं को विशेष अनुदान दिया जायेगा; और

(घ) इन स्वायत्तशासी संस्थाओं की विशेष बातें क्या होंगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के किसी भी विश्वविद्यालय ने इस योजना के अन्तर्गत किसी संस्था की अभी तक सिफारिश नहीं की है ।

(ग) स्वायत्तशासी स्तर के फलस्वरूप कोई भी सहायता मात्र उपांतिक होगी तथा कालेजों द्वारा विकसित विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित होगी, इसकी व्यवस्था आयोग द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए, शत-प्रतिशत के आधार पर की जायेगी ।

(घ) एक स्वायत्तशासी कालेज अपने अध्ययन पाठ्यक्रम तैयार करने, मूल्यांकन के अपने तौर तरीकों बनाने तथा छात्रों के दाखिले के सिद्धान्तों और शिक्षकों की चयन प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में स्वतन्त्र होगा । इससे वांछनीय शैक्षिक विचारों के परीक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पाठ्यक्रमों और शिक्षण के ढांचे को व्यापक बनाने का कार्य शुरू होगा जिससे ये कुशल जन शक्ति की स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के सन्दर्भ में अधिक सार्थक और संगत बन सकेंगे ।

गांव अरकपुरबाग मोती, मोची बाग, नई दिल्ली को स्थायी पट्टा दिया जाना

7. श्री **लालजी भाई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण 20 अप्रैल, 1976 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की समिति की बैठक में एक संकल्प स्वीकृत करके रिंग रोड, नई दिल्ली के निकट गांव अरकपुर बाग मोची, मोती बाग के लिये स्थाई पट्टा देने पर सहमत हो गया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 22 नवम्बर, 1976 को उनके मन्त्रालय को इस संकल्प का अनुमोदन करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था;

(ग) यदि हां, तो उसका अनुमोदन न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन ग्रामवासियों के लिये आवश्यक अनुमोदन कर दिया जायेगा जो वहां मुगल काल से रह रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, जब अरकपुर बाग, मोची गांव के निकट की भूमि 1911-1912 में अर्जित की गई थी तब गांव के जो 85 परिवार थे उन्हें चूल्हाटैक्स के रूप में नाममात्र किराया देने पर वहीं रहने की अनुमति दे दी गई थी । यह इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय सरकार को तत्काल विकास के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं थी । दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो भारत सरकार की ओर से भूमि का प्रबन्धक है, ने मूल आबंटियों के कब्जे के प्लाटों को उनके उत्तराधिकारियों को ही एक रुपये वार्षिक के प्रत्येक पट्टे के आधार पर स्थाई पट्टे पर भूमि आबंटन करने के लिए सरकार की इजाजत मांगी है । यह भूमि बहुत कीमती है और इसमें समाज के प्रभावशील वर्ग के घुसपैठ की बहुत सम्भावना रहती है । कई दशक पहले के ऐसे मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जा सकता । एक तथ्य अन्वेषण समिति का गठन करने का प्रस्ताव है जो समस्या का मौके पर अध्ययन करेगी और सिफारिशें पेश करेगी ।

धनबाद स्थित व्यावहारिक खनन प्रशिक्षण निदेशालय के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

9. **श्री ए० के० राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद स्थित व्यावहारिक खनन प्रशिक्षण निदेशालय के कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या समस्यायें हैं; और

(ग) उनके समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां ।

(ख) धनबाद स्थित व्यावहारिक खनन प्रशिक्षण निदेशालय के स्टाफ से इसके सन्निकट समापन के सम्बन्ध में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें इसके कर्मचारियों के उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार और वेतन-मानों, वरीयता, पदोन्नति के अवसरों आदि का सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना की गई है ।

(ग) धनबाद स्थित व्यावहारिक खनन प्रशिक्षण निदेशालय को 1 नवम्बर, 1977 से बन्द कर दिया गया है । 21 व्यक्तियों के कुल स्टाफ में से 13 को भारतीय खान स्कूल, धनबाद में खपा लिया गया है; 'ग' वर्ग के 6 कर्मचारियों के नाम कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त कर्मचारी सैल को भेज दिए गए हैं तथा 'घ' वर्ग के एक कर्मचारी का नाम रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय को वैकल्पिक रोजगार के लिए भेज दिया गया है । 'क' वर्ग के एक अधिकारी का मामला विचाराधीन है ।

उड़ीसा में मध्यम सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

10. **श्री डी० अमात**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में मध्यम सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक ने 52 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण से आरम्भ की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना में ये शामिल हैं:—(1) राज्य में लगभग 66,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए पांच वर्ष की अवधि में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण (2) वर्तमान

तीन सिंचाई प्रणालियों नामशः हीराकुड, सालन्दी और महानदी डेल्टा में कमान क्षेत्र विकास जिसमें लगभग 200,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि की चकबन्दी करना तथा लगभग 57,000 हैक्टेयर के समेकित क्षेत्र में ऑन-फ़ार्म कार्यों का निर्माण करना शामिल है। विश्व-बैंक ने कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी विशिष्ट मध्यम सिंचाई परियोजना को नहीं चुना है परन्तु जो परियोजनाएं स्वीकृत कसौटी के अनुरूप होंगी उन्हें कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने बताया है कि निम्नलिखित 14 परियोजनाएं यदि वे विश्व-बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पाई जाएं, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में ली जा सकती हैं:—

1. सुनई
2. रमियाला
3. दाहा
4. कुआरिया
5. झारवन्द
6. डुमेरवेहल
7. रेमल
8. मिलासालकी
9. सरायगढ़
10. तलसारा
11. गोहिरा
12. वड़ानाला
13. हरभंगी
14. कनझारी

सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों के नक्शों का पास किया जाना

11. **श्री बलदेव सिंह जसरोथा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों के, जिनको भूमि आबंटित किए 15 वर्ष से अधिक समय हो गया है, नक्शों आदि को शीघ्र पास कराने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट उपाय किये हैं;

(ख) क्या सोसायटियों के मामलों को ठीक-ठीक कराने और सदस्यों को शीघ्र भूमि आबंटित कराने के लिए जुलाई, 1976 में कुछ सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों के लिये प्रशासक नियुक्त किया गया था; और

(ग) क्या यह कार्य पूरा हो गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 10 ले-आऊट और 21 सीमांकन व सेटबैक नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास निलम्बित पड़े हैं। इन में से, सभी ले-आऊट प्लानों और 14 सीमांकन व सेट बैक प्लानों को बनाने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। अन्य सीमांकन व सेट बैंक नक्शों की जांच की जा रही है और इन सब पर किये जाने वाले निर्णय के बारे में शीघ्र ही सूचित कर दिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Lift Irrigation Scheme

†12. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 3903 on 18-7-77 regarding Lift Irrigation Scheme and state the present position ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : Ajgaibinath Lift Irrigation Scheme is still under examination in different formations of Central Water Commission.

राष्ट्रीय आवास आयोग

13. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आवास से संबंधित विभिन्न मामलों पर गहराई से विचार करने के लिए राष्ट्रीय आवास आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किस चरण पर है; और

(ख) सभी एजेन्सियों द्वारा क्रियान्विति हेतु आवास की एक दीर्घकालीन नीति शीघ्रातिशीघ्र किस तिथि तक बनाई जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह निर्णय किया गया है कि इस प्रस्ताव पर आगे विचार न किया जाए ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Land Survey Organisation in Meghalaya

14. **Shri Daya Ram Shakya:**
Shri Ram Naresh Kushwaha :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have accorded approval to a scheme for the formation of Government Land Survey Organisation in Meghalaya in 1977-78; and

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon and whether such a scheme is proposed to be introduced in other Sates?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Yes, Sir. The scheme for the formation of Government Land Survey Organisation in Meghalaya is part of the State Plan scheme for cadastral survey and preparation of record of rights.

(b) An outlay of Rs. 42 lakhs was approved for the Fifth Plan period out of which an outlay of Rs. 10 lakhs was approved for 1977-78.

Cadastral survey and preparation of record of rights are already being attended to by a number of State Governments.

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जाना

15. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री पी० के० कोडियन :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने तथा उनका विकास करने की दिशा में सरकार ने क्या प्रगति की है और उन्हें नियमित करने में सरकार को कितना समय लगेगा;

(ख) क्या इन बस्तियों में पर्याप्त सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो जब तक वे बस्तियां नियमित नहीं की जातीं उस अवधि तक वहां मूल सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन बस्तियों में उक्त सुविधायें प्रदान करने के लिये दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को निधियां उपलब्ध कराई हैं; और

(ङ) इन दो स्थानीय निकायों की मांगे क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली में अधिकृत कालोनियों के निर्धारित नीति के अनुसार नियमन तथा विकास की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने 2-5-1977 को दिल्ली के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यान्वयन निकाय की नियुक्ति की थी। कालोनियों के नियमन से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए निकाय की दो बैठकें हुई हैं। यह बताना सम्भव नहीं है कि ये कालोनियां कब तक नियमित हो सकेंगी।

(ख), (ग), (घ) तथा (ङ) फिलहाल इन कालोनियों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। दिल्ली नगर निगम ने इन कालोनियों के विकास के खर्च का अनुमान नहीं लगाया है। यद्यपि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 15 करोड़ रुपये की आवर्ती फण्ड की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है।

बारह सूत्री मद्यनिषेध कार्यक्रम की क्रियान्विति

16. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री एस० एस० सोमानी :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री एडुआर्डो फैलोरी :
डा० मुरली मनोहर जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री एन० के० शेजवलकर :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बारह सूत्री मद्यनिषेध कार्यक्रम की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने का है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अपने यहां पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने में अनिच्छा प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मद्यनिषेध लागू करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को प्रति वर्ष कितनी अनुमानित हानि होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) : 12 सूत्री मद्यनिषेध कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(1) मद्यनिषेध संबंधी न्यूनतम कार्यक्रम को कार्यान्वित किए जाने के बारे में राज्य सरकारों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(2) उद्योग और नागरिक पूर्ति (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा 19 नवम्बर, 1975 को एक अधिसूचना जारी की गई थी कि एल्कोहल वाले पेयों का निर्माण करने वाले किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान का मालिक केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कारोबार करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार ही उस प्रतिष्ठान का कारोबार चलाएगा। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि उन मामलों को छोड़ कर जहां 100 प्रतिशत उत्पादन निर्यात के लिए होता है, नए लाइसेंस प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5 (ख) 2 के अधीन 27 फरवरी, 1976 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें फिल्म सेंसर बोर्ड को निर्देश दिए गए थे जिनमें उन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया था जिन्हें ध्यान में रख कर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की मंजूरी दी जानी थी। उन सिद्धान्तों के अनुसार मतवालेपन या शराब पीने अथवा एल्कोहल वाले पेयों के संबंध में विज्ञापन के प्रदर्शन को आपत्तिजनक समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 तथा अखिल भारत सेवा (आचरण) नियम, 1968 में जिनके अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के आचरण का विनियमन होता है, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध किया गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एल्कोहल वाले पेयों का सेवन नहीं करेंगे। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे भी केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को देखते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियंत्रण करने वाले आचरण नियमों में उपयुक्त उपबन्ध करें।

(5) मोटरवाहन (संशोधन) अधिनियम, 1977 पारित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह उपबन्ध किया गया है कि (क) एक मोटर वाहन चलाने वाले अथवा चलाने की चेष्ठा करने वाले किसी व्यक्ति के खून में यदि एल्कोहल होगा, चाहे उसकी मात्रा कितनी कम क्यों न हो तो उसे प्रथम अपराध के लिए 6 मास तक के कारावास अथवा 2,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। पहले अपराध के बाद किए गए अपराधों के लिए सज़ा और भी सख्त होगी; (ख) वर्दी पहने कोई भी पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति से श्वांस परीक्षण के लिए उसके श्वांस के एक या एक से अधिक नमूने मांग सकता है यदि उसके पास शक करने का उचित कारण है कि उस व्यक्ति के शरीर में किसी भी मात्रा में एल्कोहल है। मोटर वाहनों के चालकों का श्वांस परीक्षण करने के लिए बिक्री हेतु एक श्वांस विश्लेषण उपकरण का निर्माण किया गया है।

(6) रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है कि भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 120 के अधीन भारतीय रेलव की सभी गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी डिब्बों तथा एयर कन्डीशन्ड चेयर कारों में एल्कोहल वाले पेयों का सेवन करना निषिद्ध है।

2. सभी राज्य सरकारों ने 12 सूत्री न्यूनतम कार्यक्रम को कार्यान्वित किए जाने के लिए अपनी रजामन्दी सूचित की है और बहुत सी बातें राज्य मद्यनिषेध अधिनियमों/आबकारी अधिनियमों में अब भी शामिल है अथवा जहां कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां संबंधित सरकारों ने विशेष अनुदेश जारी किए हैं कि उनको लागू किया जाए। कुछ राज्यों ने अलबत्ता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में ब्यौरा नहीं भेजा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार की नीति संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन दी गई राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत तक सीमित है। संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2--राज्यसूची की प्रविष्टि 8 द्वारा इस नीति को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर रखा गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ङ) इस वर्ष के बजट अनुमानों के अनुसार एल्कोहल वाले पेय पर आबकारी करों से राज्य को राजस्व में अनुमानित हानि 449.31 करोड़ रु० की थी। केन्द्रीय सरकार एल्कोहल वाले पेयों पर कोई आबकारी कर नहीं लगाती है।

Criteria for Allotment of Shops in Connaught Place, New Delhi

17. **Shri Ram Lal Rahi** : Will the Minister of **Works and Hosuing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether 310 shops built in Connaught Place, New Delhi are proposed to be allotted by inviting tenders;

(b) whether some shops have been reserved for Hrijans and if so, the percentage thereof;

(c) whether details about reservation were not given by the New Delhi Municipal Committee in advertisements given to newspapers; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) No. Sir.

(b) No, Sir.

(c) No such details were given.

(d) It has been decided to allot these shops to the temporary stall holders operating since long in the Connaught Circus area.

काल पात्र

18. **श्री समर गुह :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काल-पात्र को खोद कर निकाला गया है जैसा कि शिक्षा मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी विषय वस्तु का पाठ क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो काल पात्र को खोद कर निकालने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) काल पात्र अभी तक खोद कर निकाला नहीं गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बताया गया है कि काल पात्र 40 फीट की गहराई पर गाड़ा गया है। दिल्ली और इसके आस-पास भारी वर्षा और उच्च जल-स्तर को ध्यान में रखते हुए खुदाई कार्य नवम्बर, 1977 के दूसरे पखवाड़े से पहले नियत नहीं किया जा सकता था।

डी०डी० ए० के फ्लैटों के लिये पंजीकरण

19. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1977 तक निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और जनता योजनाओं के अन्तर्गत डी० डी० ए० के पास फ्लैटों के आबंटन के लिये कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है;

(ख) क्या डी० डी० ए० ने इन व्यक्तियों को मकान देने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दरबख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, जनता/सी०एस०पी० योजनाओं के अधीन फ्लैटों के आबंटन के लिए 1-10-1977 तक 64855 व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण करवाया है ।

(ख) तथा (ग) : अब तक 21614 व्यक्तियों के विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों का आबंटन किया गया है । 14,423 व्यक्तियों ने पंजीकरण की अपनी जमा रकम वापस ले ली है । 28,818 आवेदन-पत्रों का निपटान किया जाना अभी बाकी है ।

इस समय 1600 फ्लैट आबंटन के लिए तैयार हैं तथा 2810 मकान निर्माण के अन्तिम चरणों पर हैं । निर्माण कार्य का एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जायेगा जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

फरक्का फीडर नहर के आस-पास के क्षेत्र में ठहरे हुए पानी का निकाला जाना

20. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का फीडर नहर के आस-पास के विस्तृत क्षेत्र में रुके हुए पानी को निकालने के लिए जिसके लिए गत बजट सत्र में उनके द्वारा बजट की मांगों पर चर्चा के उत्तर में आश्वासन दिया गया था, क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) से (ग) : फरक्का फीडर नहर के आस-पास के क्षेत्रों के जलमग्न होने की समस्या के संबंध में मंत्री महोदय ने कहा था कि इस समस्या के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए दिसम्बर, 1976 में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के विशेषज्ञ शामिल हैं । इस मामले के बारे में तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता को देखते हुए समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही अग्रिम रूप से कुछ सिफारिशें की हैं तथा फरक्का बराज प्राधिकारियों से इन सिफारिशों के आधार पर विस्तृत स्कीम तथा अनुमान तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में चीनी रुग्ण मिल

21. **श्री बशीर अहमद :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन गन्ने की कीमत निर्धारित की है और उत्तर प्रदेश राज्य में इसे लागू नहीं किया गया है और वहां मिल मालिकों को गन्ने का मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक देने के लिए बाध्य किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत चीनी मिल रुग्ण हो गये हैं;

(ख) क्या लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करने की नीति से चीनी के बड़े कारखानों को प्रोत्साहन मिला है और छोटे कारखाने, जो जोन-समूह के कारण मुकाबला करने में असमर्थ थे, रुग्ण हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने और छोटे कारखानों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या ब्यूरो आफ इंडस्ट्री कास्ट एंड प्राइस की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप छोटे कारखानों को भारी हानि हुई है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है। यह मूल्य 8.5 प्रतिशत की वसूली से संबद्ध गन्ने के 8.50 रु० के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य पर आधारित है। यह न्यूनतम अथवा कम से कम कीमत है और इससे ऊपर भी मिलों द्वारा अधिसूचित लेवी मूल्य से ऊपर मुक्त बिक्री की चीनी से अधिक प्राप्तियों को 50 प्रतिशत शेयर करने से संबंधित भार्गव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अन्तर्गत अतिरिक्त मूल्य भी देना होगा। मिलों द्वारा 1976-77 में मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के वास्तव में दिए गए मूल्य 13.25 रु० प्रति क्विंटल थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12.25 रु० प्रति क्विंटल थे। सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता चले कि इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत चीनी मिलें रुग्ण हो गई हैं।

(ख) उत्तरोत्तर टैरिफ आयोगों, जिन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं, की सिफारिशों की दृष्टि में अब तक लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए जोनल ग्रुपिंग को आधार माना गया है। यह अनिवार्य है कि औसत निकालने की किसी भी प्रणाली में, कई ऐसे भी यूनिट होंगे जिनकी लागत निकाली गई औसत से भी अधिक होगी। फैक्ट्री के आकार की ओर ध्यान दिए बिना और प्रबंधकीय कार्यक्षमता, जिससे उनकी कुल लागत का पता चलता है, सहित विभिन्न अन्य बातों पर निर्भर करते हुए, ऐसा सत्य हो सकता है। अतः यूनिटों की रुग्णता के लिए जोनल ग्रुपिंग को ही केवल जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता है लेकिन ऐसा विविध कारणों से हो सकता है।

(ग) जो फैक्ट्रियां इकनामिक साइज से निचले स्तर की हैं, उनका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और सरकार उन फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है जो कि विस्तार और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करते हैं। ये प्रोत्साहन ऊंचे मुक्त बिक्री के कोटे, लाइसेंसशुदा विस्तारों के लिए मुक्त बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क में छूट और आधुनिकीकरण तथा पुनर्वासन के लिए रियायती वित्त सुलभ करने के रूप में दिए जाते हैं।

(घ) यह निर्णय करते समय, मंत्रिमंडल ने उचित लेवी मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी संगत बातों पर विचार किया है।

Residential Accommodation for Union Ministers and Secretaries

22. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works & Housing & Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme regarding construction of residential accommodation for Union Ministers and Secretaries; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir.

(b) So far as the Ministers' bungalows are concerned, according to the present proposal, these will have 3000 sq. ft. of plinth area in the main house excluding the office portion which will have an area of about 635 sq. ft. plus servant quarters etc.

As regards the scheme regarding construction of houses for Secretaries, details have not yet been worked out.

'गारलेंड सिंचाई योजना'

23. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गारलैंड सिंचाई योजना' के नाम से विख्यात 1500 करोड़ रुपये के सिंचाई कार्यक्रम की आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता की जांच में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) श्री दस्तूर की स्कीम पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । इस स्कीम में सतलुज से चेरापूंजी तक औसत समुद्र स्तर से 3000 फुट ऊंचे एक समान स्तर पर 2300 मील लम्बी, 1000 फुट चौड़ी तथा 30 फुट गहरी हिमालय नहर तथा औसत समुद्र स्तर से 1500 फुट ऊंचे एक-समान स्तर पर भारतीय प्रायः द्वीप के चारों ओर एक दक्षिणी और केन्द्रीय गारलैंड नहर का निर्माण करना परिकल्पित है ।

हिमालय की नदियों से जमा जल को गारलैण्ड नहर में डालने के लिए इन दोनों नहरों को 12 फुट व्यास के 10 पाइपों से जोड़ने का प्रस्ताव है । इसमें हिमालय नहर के साथ-साथ लगभग 5-5 लाख एकड़ फुट की जल-संचय क्षमता वाले 300 जलाशयों और गारलैण्ड नहर के साथ-साथ उसी क्षमता वाले 600 जल-संचयन जलाशयों के निर्माण, 40 वर्गमील के क्षेत्र में 300 फुट ऊंचे बांध के निर्माण के साथ राजस्थान में नागौर के निकट 300 मिलियन एकड़ फुट के जल-संचय तथा सोन पर 100 मिलियन एकड़ फुट के जल-संचय की भी व्यवस्था है ।

इस समय सिंचाई विभाग में केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श के उपर्युक्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी जल के बारे में समझौता

24. **श्री क० मालन्ना :**

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के मद्रास के दौरे में प्रधान मंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी-जल-विवाद पर शीघ्र ही समझौता हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने दोनों राज्यों में शीघ्र समझौता कराने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा अगस्त, 1976 में ली गई अंतर्राज्यीय बैठक में संबंधित राज्य नामशः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल के उपयोग और विकास के संबंध में सहमति दी गई थी । उस समय यह सहमति हुई थी कि कमी वाले और पर्याप्त जल वाले वर्षों में कावेरी जल के बंटवारे से संबंधित विभिन्न विषयों की जांच केन्द्र और राज्य सरकारों के तकनीकी प्रतिनिधियों को एक समिति द्वारा की जाएगी । यह भी सहमति हुई थी कि कावेरी घाटी प्राधिकरण की स्थापना की जाये और तीनों राज्यों के सचिवों को एक समिति द्वारा इस प्राधिकरण के कार्य-कलाप तय किये जायें और प्राधिकरण के कार्य-संचालन संबंधी नियम बनाए जाएं ।

तदनुसार, दो समितियां गठित की गईं । इन समितियों की कई बैठकें हो चुकी हैं जिनमें राज्यों के प्रतिनिधियों ने कुछ विषयों पर भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किए ।

बकाया मतभेदों को समाप्त करने के लिए अब निकट भविष्य में मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

बने बनाये फ्लैटों की खरीद के लिये सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

25. **श्री डी० जी० गवई :**
श्री कचरुलाल हेमराज जैन :

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/कार्यालयों के विभागाध्यक्षों से बने बनाये फ्लैटों के लिए अपने कर्मचारियों को स्वयं ही गृह निर्माण ऋण स्वीकृत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे निर्माण और आवास मंत्रालय के कार्य में कितनी कमी हुई है;

(ग) क्या अधिकृत भू-खण्ड पर मकान बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण स्वीकृत करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों को अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवस तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 10 से 12 प्रतिशत तक ।

(ग) जी, हां ।

(घ) विस्तृत ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं ।

केरल में समुद्र कटाव

26. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत समय में समुद्री कटाव के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये अध्ययन का मूल्यांकन क्या है; और

(ख) इस प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिये केरल सरकार को कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने केन्द्र के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों के साथ केरल में समुद्री कटाव से प्रभावित क्षेत्रों का 11 से 14 अगस्त, 1977 तक दौरा किया था । मंत्री महोदय ने सुझाव दिया था कि राज्य को सबसे पहले समुद्री-कटाव से प्रभावित समुद्र-तट के अधिक असुरक्षित भागों की ओर ध्यान देना चाहिए तथा चालू वर्ष के बजट-प्रावधान का उपयोग करने और समुद्री-कटाव-रोधी कार्यों के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करना चाहिए । राज्य को यह भी परामर्श दिया गया था कि वे ग्राम-रोजगार स्कीम के अन्तर्गत गेहूं तथा मक्के (माइलो) की अतिरिक्त सहायता प्राप्त करें जिसका इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों पर लगे श्रमिकों की मजदूरी के कुछ भाग की अदायगी के लिए किया जा सकता है ।

(ख) समुद्र-कटाव-रोधी कार्यों को बाढ़-नियंत्रण क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया जाता है जो राज्य योजना का अंग होता है । इस तरह से इन उपायों के आयोजन एवं कार्यान्वियन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । केन्द्र योजना में शामिल स्कीमों के लिए राज्य-सरकारों को ब्लाक ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। और राज्य सरकारें प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए इनका आवंटन कर सकती है । फिर भी, राज्य में समुद्री कटाव-रोधी उपायों के तेजी से कार्यान्वियन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने राज्य-योजना में शामिल, स्वीकृत समुद्री-कटाव-रोधी स्कीमों को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य सरकार को विशेष ऋण-सहायता दी है । पांचवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 3.75 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध की गई है । चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए अब तक एक करोड़ रुपये की धनराशि दी जा चुकी है ।

नर्मदा जल-विवाद के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय

27. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री नर्मदा जल के बारे में 20 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 996 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के बीच नर्मदा जल-विवाद के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने न्यायाधिकरण से इस मामले में शीघ्रता करने का अनुरोध किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । गुजरात ने इस मामले में अपनी आगे की बहस पूरी कर ली है । इस सारे मामले पर मध्य प्रदेश द्वारा बहस की जा रही है जिसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है । उसके पश्चात् महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात इसी अनुक्रम में सारे मामले पर न्यायाधिकरण के समक्ष बहस करेंगे ।

(ग) जी, नहीं। किन्तु नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा अपने कार्य को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दिल्ली में भवन निर्माण की गतिविधि में शिथिलता

28. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने के बारे में सरकार के निर्णय में विलम्ब होने के कारण भवन निर्माण का कार्य रुक गया है; यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा;

(ख) क्या उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20 के अन्तर्गत अधिकतम सीमा के अधीन आने वाले रिहायशी प्लाटों की छूट के बारे में दिल्ली के सम्बद्ध अधिकारी के पास बड़ी संख्या में आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त आवेदनों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) अधिनियम, 1976 के लागू होने के बाद से भवन निर्माण गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भवन-निर्माण गतिविधि पुनः चालू करने के उपाय विचाराधीन हैं।

(ख) तथा (ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अधीन राज्य सरकारों को जिनके पास अधिकतम सीमा से ज्यादा भूमि वाले व्यक्तियों को लोकहित में या कठिनाई के मामलों में छूट देने की शक्ति प्राप्त है। धारा 20 के अधीन रिहायशी प्लाटों को छूट देने के 1190 आवेदन पत्र दिल्ली प्रशासन के पास निलम्बित पड़े हुए हैं। अनुमोदित, विकसित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित (बसी हुई) कालोनियों में स्थित प्लाटों को छूट देने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी निर्णयाधीन मामले

29. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन:**

श्री के० ए० राजन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी सभी निर्णयाधीन मामलों को निपटाने के उद्देश्य से एक द्रुत अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के अन्तर्गत मामलों का निपटान करने, अधिशेष भूमि को कब्जे में लेने और उस भूमि को पात्र अलाटियों को वितरित करने के कार्य में तेजी लाएं। अब तक असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। इन उत्तरों से यह पता चलता है कि राज्य सरकारें मामलों का शीघ्रता से निपटान करने तथा अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

Damage due to Drought

30. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the extent of damage caused to Kharif Crops by recent drought in Haryana, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar; and

(b) the remedial measures taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) This year, the Government of Uttar Pradesh and Rajasthan only have reported drought conditions so far. The Government of Uttar Pradesh has reported that 28,868 villages and a cropped area of 36.47 lakh acres and crops worth Rs. 79.20 crores has been affected by drought conditions. The Rajasthan Government is still assessing the extent of damage.

(b) In accordance with the report available a sum of Rs. 12.04 lakhs has so far been allotted by the Government of Uttar Pradesh to the drought affected districts for relief work. Besides this, a sum of Rs. 22 lakhs has been allotted for test works to be undertaken in the districts of Basti, Gorakhpur, Deoria and Azamgarh. The realisation of all agricultural dues, where loss is 50% or more, has been stayed by the State Government. It has also been decided by the State Government to distribute free wheat seed and fertilizer for Rabi sowing to small cultivators having a holding upto one acre whose crop has suffered 50% or more loss. Taqavi will be distributed to other cultivators who have holding of more than one acre. The Central Government is considering sanctioning of Advance Plan Assistance to the Government of Uttar Pradesh which would also include provision for supply of seeds and fertilizers to the small and marginal farmers in the drought affected areas free or at concessional rate. The question of providing wheat for gratuitous relief is also under consideration.

थीन बांध के निर्माण पर समझौता

31. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थीन बांध के निर्माण के बारे में भागीदार राज्यों के बीच हाल में इस प्रयोजन हेतु आयोजित अन्तर-राज्य बैठक में कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में बांध का कार्य आरम्भ होने वाला है और किस एजेंसी के अधीन वह कार्य किया जाएगा ; और

(घ) अनुमानतः किस तारीख तक कार्य समाप्त कर दिया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की 3 अक्तूबर, 1977 को हुई बैठक में यह निश्चय किया गया है कि थीन बांध का निर्माण-कार्य तत्काल शुरू किया जाना चाहिए । चूंकि पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच थीन बांध से उत्पन्न विद्युत के बंटवारे के बारे में सहमति हो गई है, भारत सरकार इस संबंध में राजस्थान और हरियाणा के दावों पर विचार करेगी । इस परियोजना का क्रियान्वयन पंजाब सरकार द्वारा किया जाना है । एक अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड नीति संबंधी निर्णय लेगा और निर्माण और प्रचालन के दौरान पंजाब सरकार को निर्देश देगा। केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री इस नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे तथा संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री और सिंचाई और विद्युत् मंत्री इस बोर्ड के सदस्य होंगे ।

(घ) जैसा कि परियोजना प्राधिकारियों (पंजाब) द्वारा सूचित किया गया है, इस परियोजना के 1985-86 में पूरा होने की संभावना है ।

पीतमपुरा रिहायशी योजना, दिल्ली में बरसाती का निर्माण

32. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की पीतमपुरा रिहायशी योजना के 84 वर्गमीटर के भूखंडों पर बनाये जाने वाले भवनों की छतों पर अब बरसाती बनाने की इजाजत दी जाती है ;

(ख) क्या उन मामलों में, जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसे दिए गए नक्शे से बरसाती बनाने की योजना जानबूझकर निकाल दी गई थी, लोगों को और अब बरसाती बनाने की इजाजत दी जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में निर्णय का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एक गांधीवादी कार्यकर्ता पर हमला

33. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "गांधी जयन्ती सप्ताह" के दौरान गांधी स्मृति में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक कार्यकता ने श्री एन० दामोदरन नायर नाम के एक वृद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता पर, जो गांधी की हत्या के बारे में तथ्यों का उल्लेख कर रहे थे, हमला किया था और उन्हें पीटा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 9-10-77 को गांधी स्मृति में एक दर्शक आया था जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता बताया जाता है । जब गाइड श्री दामोदरन नायर ने महात्मागांधी के हतारे नाथूराम गौडसे को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में जिक्र किया, तो उसने उसका विरोध किया और उसके साथ गरमा-गरमी बहस की । इसके बाद उनमें हाथापाई हो गई, जिससे दोनों को मामूली सी खरोंचें आई ।

(ख) पुलिस ने दोनों के बयान लिख लिये । लेकिन चूंकि मामला हस्तक्षेप के योग्य नहीं था, सलिये पुलिस ने कोई मुकदमा दायर नहीं किया । फिर भी, शांति बनाये रखने के लिये एक पुलिस कांस्टेबल को वहां नियुक्त कर दिया गया था ।

बाढ़ों के बारे में पश्चिम बंगाल से ज्ञापन

34. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अभी हाल की बाढ़ से हुई क्षति के बारे में एक व्यापक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और कुछ उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की आवश्यक बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ आवश्यक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ।

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने बाढ़ों से प्रभावित जनता को निःशुल्क और अन्य किस्म की राहत प्रदान करने तथा क्षतिग्रस्त हुए निर्माण-कार्यों की सामान्य मरम्मत/उन्हें यथास्थिति में लाने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी थी । केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ की स्थिति का मौके पर अध्ययन करने तथा योजना के लिए अग्रिम सहायता देने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजा । केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने राज्य सरकार को योजना के लिए अग्रिम सहायता के रूप में 441 लाख रु० की धनराशि मंजूर की है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने जल-मग्न क्षेत्रों में निःशुल्क राहत के रूप में वितरण करने के लिए 56,000 मीटरी टन गेहूं तथा खाद्यान्नों के भंडारों का उपयोग करके सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के रख-रखाव पर ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की सुविधाओं के सृजन के लिए 27,900 मीटरी टन गेहूं देने के बारे में भी केन्द्रीय दल की सिफारिश स्वीकार कर ली है ।

(ग) जी हां ।

चीनी के नये कारखानों द्वारा उठाई गई हानि के बारे में लागत तथा मूल्य संबंधी औद्योगिक ब्यूरो का प्रतिवेदन

35. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'लागत तथा मूल्य संबंधी औद्योगिक ब्यूरो' का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसमें 1973–74 तथा उसके बाद निर्मित चीनी के नए कारखानों द्वारा उठाई जा रही भारी हानि को दूर करने के लिए उपाय सुझाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार को नवम्बर, 1976 में चीनी उद्योग के बारे में लागत तथा मूल्य संबंधी ब्यूरो का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था । इस प्रतिवेदन में लेवी चीनी की मूल्य निर्धारण नीति और रुग्ण मिल घोषित करने के मानदंड पर विचार किया गया है । इस प्रतिवेदन में निर्माण-वर्ष का कोई खास हवाला दिए बिना चीनी उद्योग की सामान्य रुग्णता के बारे में विचार किया गया है ।

(ख) ब्यूरो ने जो सिफारिशें की हैं वे इस प्रकार हैं :—(i) अधिसूचित न्यूनतम मूल्य के आधार पर लेवी चीनी के मूल्य का हिसाब लगाना और (ii) मौजूदा भौगोलिक ज़ोन बनाने के स्थान पर चीनी फैक्टरियों के कार्य-निष्पादन के आधार पर मूल्य-ज़ोनों में उनका ग्रुप बनाना । इस प्रतिवेदन में रुग्ण यूनिटों को राहत देने, गन्ने को गुड़ अथवा खंडसारी बनाने जिनमें कम लाभ होता है में, लगाने से रोकने, गन्ना उत्पादकों को लेवी मुक्त चीनी की बिक्री से प्राप्त अधिक राशि में शेयर देने आदि के बारे में भी सिफारिश की गई है ।

सरकार ने न्यूनतम अधिसूचित मूल्य पर आधारित लेवी चीनी के मूल्यों से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है लेकिन यह निर्णय किया है कि लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक फैक्ट्री को अलग-अलग समझा जाना चाहिए ।

विश्वविद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षण

36. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरटकी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों से सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण करें ।

विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं अतः अपनी संविधियों के ढांचे के भीतर उनको ही समुचित निर्णय लेना है।

अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार चौदह विश्वविद्यालयों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय किया है ।

परीक्षा-सुधार संकाय सुधार तथा शोध संवर्धन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उठाये गये कदम

37. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1976–77 में परीक्षा-सुधार, संकाय सुधार शोध संवर्धन के क्षेत्र में क्या-क्या कदम उठाये गए ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परीक्षा-सुधार, संकाय सुधार तथा शोध-संवर्धन के क्षेत्रों में 1976–77 के दौरान किए गए उपायों से संबंधित स्थिति निम्नलिखित है :—

(क) **परीक्षा सुधार** : अध्यापकों के अनुस्थापन हेतु कार्यशालाओं के लिए विश्वविद्यालयों को, तथा चुने हुए विश्वविद्यालयों में परीक्षा सुधार एककों की स्थापना के लिए कुछ मूल स्टाफ हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई । यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षा सुधार के कार्यान्वियन से संबंधित की गई प्रगति को कायम रखा जाए, अनुवर्ती उपाय भी किए गए थे। 1976–77 तक, 66 विश्वविद्यालयों ने, विभिन्न स्तरों पर सत्रिक मूल्यांकन आरंभ कर दिया है ; 27 विश्वविद्यालय, प्रश्न बैंकों की योजना से संबंधित विकास के विभिन्न चरणों पर हैं ; लगभग 50 प्रतिशत विश्वविद्यालयों ने ग्रेडिंग पद्धति लागू कर दी है, यद्यपि इस मामले में काफी मार्गदर्शन (मानीटरिंग) अपेक्षित हैं ; और सभी कृषि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त 33 विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टर पद्धति अपना ली है, यद्यपि, केवल लगभग 10–12 विश्वविद्यालयों में यूनिट प्रणाली प्रचलित है।

(ख) संकाय सुधार कार्यक्रम : 1976–77 के दौरान आयोग ने, संबद्ध कालेजों के अध्यापकों के सुधार के लिए, 285 सेमिनारों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, ग्रीष्म-संस्थानों, कार्यशालाओं

इत्यादि के आयोजन के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त, अध्यापक शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो कालेज अध्यापकों के लिए एम० फिल० एम० लिट० अथवा पी० एच० डी० के लिए कार्य करने हेतु बनाया गया है, तीन वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी निश्चित समय पर, 3380 अध्यापकों को लाभान्वित करने के लिए व्यवस्था की गई है ये शिक्षावृत्तियां एक वर्ष अथवा तीन वर्षों की अवधि के लिए हैं और विश्वविद्यालय के विभागों/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रयोगशालाओं/भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र/टाटा मूल अनुसंधान संस्थान इत्यादि द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 1976 के दौरान सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों को इसी प्रकार की 250 शिक्षावृत्तियां तथा 1977 में 628 शिक्षावृत्तियां सीधे ही प्रदान की हैं।

(ग) **शोध संवर्धन** : विज्ञान विषयों में, 1976-77 के दौरान आयोग ने 113.5 लाख रुपयों की कुल लागत पर, कुल 282 परियोजनाएं अनुमोदित की। छः विभागीय परियोजनाओं को भी अनुमोदित किया गया, जिन पर 60.00 लाख रुपए का कुल अनुदान लगा है। 1976-77 के दौरान, 35.20 लाख रुपये की कुल लागत पर, अनुमोदित लघु अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या 1021 थी। मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में, 212 अल्पकालिक परियोजनाओं जिन पर 5.37 लाख रुपये के अनुदान लगे हैं, के अतिरिक्त, 29 उच्च अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की गई और 690 लाख रुपये के अनुदान का वचन दिया गया। 1976-77 के दौरान आयोग ने, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में विभागों को विशेष सहायता के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तीन विश्वविद्यालय विभागों को आमंत्रित किया है। 1976-77 के दौरान आयोग ने, विभिन्न विषयों में अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए 1191 एसोसिएटशिप/शिक्षा- वृत्तियां भी प्रदान कीं।

भारत की नदियों के फालतू पानी का उपयोग

38. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री हर गोविंद वर्मा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की नदियों का कितना जल सागर में व्यर्थ चला जाता है ; और

(ख) इस जल को कृषि एवं पीने के उपयोग में लाने की क्या योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की नदियों के 1,850,000 मिलियन घन मीटर (1500 मिलियन एकड़ फुट) के कुल अनुमानित वार्षिक प्रवाह में से इस समय 1,480,000 मिलियन घन मीटर (1200 मिलियन एकड़ फुट) पानी बहकर समुद्र में चला जाता है।

(ख) सिंचाई तथा पीने के पानी की सप्लाई राज्य विषय हैं और परियोजनाओं के आयोजन, अनुसंधान तथा उन्हें तैयार करने एवं उनके कार्यान्वियन, प्रचालन तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कृषि एवं अन्य लाभकारी उद्देश्यों के लिए इस जल का प्रयोग करने हेतु बहुत-सी स्कीमों को पहले ही हाथ में लिया जा चुका है तथा अन्य बहुत-सी स्कीमों का आयोजन किया जा रहा है।

School Curriculum on Abolition of Caste System

†39. **Shri Hukamdeo Narain Yadav : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to include in the curriculum for Ten-Year school writings on "why and how caste system should be abolished"; and

(b) if so, the steps taken in this direction ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) & (b): It has been adovcated in the 'Curriculum for The Ten-Year School-A Framework' published by National Council of Educational Research and Training that discrimination of any kind based on sex, caste, religion, language or region is to be looked at with aversion because it is irrational, unnatural and harmful to the growth of modern India and that all subjects should be taught in such a manner as to foster the spirit of scientific humanism. The text books in Social Sciences prepared by National Council of Educatioanl Research and Training promote the values and ideals of humanism, secularism, Socialism and democracy. In these books an attempt has been made to develop in the students an understanding that the caste system divides our society, and therefore, in order to bring about social equality and to get the full co-operation of the oppressed classes for the progress of the country, we will have to give up caste distinction. Basically, eradication of the evil can be achieved only by education.

सम्बद्ध कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विकास अनुदानों की प्राप्ति

40. **श्री शिब्बन लाल सक्सेना : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगभग चार हजार सम्बद्ध कालेजों में से, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान पाने के पात्र हैं, पांच वर्षों के लिये उन्हें मंजूर किये गये कुल पांच लाख रुपयों में से कितने कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विकास अनुदान प्राप्त हुए हैं तथा ऐसे प्रत्येक कालेज की वर्तमान पंच वर्षीय योजना में 30 सितम्बर, 1977 तक कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) उन्हें अधिक धनराशि क्यों नहीं दी गई तथा अब तक मंजूर शुदा राशि में से उन्हें अधिक अनुपात में राशि दिये जाने में क्या कठिनाइयां थी ; और

(ग) सम्बद्ध कालेजों की शीघ्र अनुदान देने के लिए क्या किया जा सकता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

Restrictions to Procurement of Levy Foodgrains to Storage Capacity

41. **Shri Brij Raj Singh : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to restrict the procurement of levy foodgrains to the storage capacity available; and

(b) the machinery to check the malpractices such as replacement of foodgrains by inferior stuff, pilferage and mixing of dust etc., indulged in after purchase and before supply to the consumer ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) Procurement of foodgrains under the system of levy is done by the State Government and other public agencies duly authorised by them. Also the distribution within the State is done by the State Governments. Food Corporation of India is responsible for the storage of Central Pool stocks and issues therefrom. State Governments as well as Food Corporation of India have adequate machinery for quality control and for checking malpractices.

ऑल इण्डिया यूनिवर्सिटी एम्पलाईज कान्फीडरेशन द्वारा पारित संकल्प

42. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान ऑल इण्डिया यूनिवर्सिटी एम्पलाइज़ कान्फीडरेशन द्वारा 25 तथा 26 अगस्त, 1977 को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित किये संकल्पों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संकल्पों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

National Average of Land under Irrigation

43. **Shri Y. P. Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have any Scheme for increasing the area of irrigated land to national average in the districts where less than 5 per cent agricultural land is irrigated ; and

(b) whether Government proposes to accord priority in 1978-79 to those irrigation schemes in the districts having less than 3 per cent irrigated land in respect of which survey has been conducted ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned and implemented by the State Governments. It has, however, been emphasised on the State Governments to give priority to the taking up of new scheme in tribal and drought prone areas and for removal of regional imbalances within the State in the 5-year medium term plan commencing from April, 1978. It is expected that the new projects would be taken up in the districts having low percentage of irrigation development.

आगरा को पर्याप्त जल देने के लिये यमुना के जल के बटवारे के बारे में पुनर्विलोकन

44. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर से जून तक पानी की कमी के महीनों के दौरान ताजेवाला और ओखला हेडवर्कस पर बहुत कम पानी का बहाव होने के कारण यमुना नदी वास्तव में सूख-सी जाती है तथा उससे आगरा शहर को पीने और घरेलू कार्यों के लिये भी पर्याप्त मात्रा में जल नहीं दिया जा सकता

जिसमें पानी का अत्यन्त अभाव हो जाता है, अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा प्रतिवर्ष आंत्रशोथ रोग फैलता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी के पानी को जमा करने सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने का है जिससे आगरा नगर की आवश्यकतानुसार, पर्याप्त जल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये नदी में पानी के बहाव को बढ़ाया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) बरसात के महीनों से भिन्न महीनों में ताजेवाला और ओखला में यमुना नदी का जो जल-प्रवाह उपलब्ध होता है उसकी लगभग सारी मात्रा इस समय सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जा रही है और अनुप्रवाह में इस्तेमाल के लिए बहुत ही कम पानी बचता है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए, कमी वाले महीनों में यमुना के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इस नदी के बाढ़ के जल के संचय के वास्ते ताजेवाला के प्रति प्रवाह में किशाऊ में एक उच्च जल-संचयन बांध के निर्माण का प्रस्ताव किया है केन्द्र द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ सलाह करते हुए यमुना-जल के बंटवारे के मामले पर, जिसमें किशाऊ जल संचय के लाभों को बांटने का मामला, भी शामिल है, विचार किया जा रहा है ।

Kataras in Chandni Chowk, Delhi

45. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Kataras in Chandi Chowk, Delhi have again been declared as private Kataras by Government; and

(b) if so, the reasons therefor and the loss Government will have to incur on this account ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikandar Bakht): (a) Yes, Sir.

(b) The earlier decision of the Municipal Corporation of Delhi declaring the Kataras as Public streets was not well received and led to a lot of litigation. Hence it was decided by the Corporation, again, to declare these Kataras as private ones. No loss has been caused to Government or the Corporation on this account.

उड़ीसा की चिल्का झील का विकास

46. **श्री पद्मचरण सामन्तसिंहार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चिलका झील को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) परियोजना कब चालू होगी और इसकी अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि चिलका झील मत्स्य क्षेत्र तथा चिलका झील खारे पानी के मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव हैं जिनकी लागत क्रमशः 24.37 करोड़ रुपये तथा 13.50 करोड़ रुपये है । जब ये स्वीकृत हो जाएंगे तब इन्हें हाथ में लिया जायेगा ।

यमुनापार क्षेत्रों में मकानमालिकों द्वारा बहुत अधिक किराया वसूल किया जाना

47. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि शाहदरा, कृष्ण नगर आदि यमुना पार के क्षेत्र में मकान मालिक अपने किरायेदारों से बहुत अधिक किराया वसूल करते हैं और किराये की रसीद नहीं देते हैं; और

(ख) क्या सरकार का दिल्ली प्रशासन से इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने के लिए कहने तथा शाहदरा और कृष्ण नगर आदि के माकन-मालिकों की इस अनियमितता को रोकने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । दुःखी किरायदार कानूनन कानूनी उपाय कर सकते हैं ।

"जनकपुरी फ्लैटस बडैली डिजाइंड" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

48. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 सितम्बर 1977 के "नेशनल हेराल्ड" में "जनकपुरी फ्लैट्स बडैली डिजाइंड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन फ्लैटों में घटिया सामग्री लगाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है; और

(ग) इन फ्लैटों के अलाटियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

खाद्यान्नों के रक्षित भण्डार

49. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री वृजराज सिंह :
श्री यादवेन्द्र दत्त :
श्री के० मायाथेवर :
श्री शंकरसिंह जी० बाघेला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भण्डार गृहों में और खाद्यान्नों के इधर-उधर ले जाते हुए रास्ते में वर्षा तथा अन्य कारणों से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के रक्षित खाद्यान्नों की क्षति हुई ;

(ख) भण्डारण सुविधाओं में वृद्धि करने तथा खाद्यान्न को क्षति से बचाने के लिये क्या अतिरिक्त उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान किस ढंग से किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 112 लाख रुपये के मूल्य के 8,345 मीटरी टन खाद्यान्न वर्षा, बाढ़ों, तूफानों आदि के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे और मानव उपभोग के अयोग्य हो गए थे। खाद्यान्नों की मांग में हुई क्षति से संबंधित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

भाग (ख) :--भण्डारण सुविधाओं में वृद्धि करने से संबंधित जो अतिरिक्त पग उठाए गए हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) क्राश कार्यक्रम के अधीन बड़े पैमाने पर नये गोदामों का निर्माण ।

(2) मौजूदा गोदाम कंम्पलैक्स में जहां कहीं थोड़ी भी भूमि उपलब्ध है वहां छोटे आकार के गोदामों का निर्माण करना । तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ऐसे छोटे गोदामों का थोड़े समय में निर्माण कराया जा सकता है ।

(3) मौजूदा गोदाम कम्पलैक्स में और स्वीकृत केन्द्रों पर जहां तुरन्त भूमि मिल सकती है, वहां नये गोदामों का निर्माण करना ।

(4) प्राइवेट पार्टियों को न्यूनतम विशिष्ट अवधि के लिए गारन्टीबद्ध अधिभोग पर गोदाम का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना और अपेक्षाकृत सुगम शर्तों पर बैंक ऋण दिलाने में उनकी मदद करना ।

(5) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से बफर स्टाक के भण्डारण के लिए गोदामों का निर्माण कराना ।

(6) चट्टों की ऊंचाई बढ़ाकर, बेकार/अप्रचलित सामान तथा क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का शीघ्र निपटान कर मौजूदा भण्डारण क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करना जिससे खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए अतिरिक्त खाली स्थान पैदा किया जा सके ।

(7) केन्द्रीय भाण्डागार निगम राज्य भाण्डागार निगम राज्य सरकारें, प्राइवेट पार्टियों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से और गोदाम किराये पर लेना ।

(8) वसूली मौसम के दौरान सुरक्षा स्थापनों, चीनी मिलों, चावल मिलों, प्रयोग में न आ रहे पुनर्वास कैम्प आदि से अस्थायी तौर पर गोदाम किराये पर लेना ।

भाग (ग) :--क्षतिग्रस्त हुए और मानव उपभोग के लिए अयोग्य हुए खाद्यान्नों की जांच तकनीकी समिति द्वारा की जाती है और उसका निम्नलिखित के योग्य श्रेणीकरण किया जाता है :--

(1) पशु चारा

(2) मुर्गी चारा

(3) खाद संबंधी प्रयोजनों हेतु

(4) औद्योगिक प्रयोग

(5) डम्पिंग

ये स्टाक पहले राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेन्सियों को पेश किए जाते हैं और जो राज्य सरकारों को स्वीकार्य नहीं होते हैं उनको केवल क्षतिग्रस्त अनाजों का व्यापार करने वाली मंजूरशुदा पंजीकृत पार्टियों को टेंडरों द्वारा अथवा नीलामी द्वारा बेच दिया जाता है ।

सिंचाई का विकास

50. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई सरकार ने भावी पांच वर्षों में 170 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय निष्पादित की जा रही मध्यम और बड़ी परियोजनाओं की संख्या में इस निर्णय से कितनी वृद्धि होगी;

(ग) क्या नई सरकार ने भी सिंचाई के विकास की राशि को बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो 170 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि के इस निर्णय के अंतर्गत कौन कौन से नए क्षेत्र आयेंगे और उन पर कितना व्यय होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने अप्रैल, 1978 से शुरू होने वाली पंचवर्षीय मध्यावधिक योजना में सिंचाई विकास को उच्च प्राथमिकता देने और 17 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का—8 मिलियन हैक्टेयर बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से और 9 मिलियन हैक्टेयर लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों से—निर्माण करने का निश्चय किया है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि पिछली योजनाओं से आगे लाई गई स्कीमों की प्रगति को तेज करने के अलावा, विशेष रूप से जनजाति क्षेत्रों और राज्यों के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में और क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने के लिए और आयोजन अवधि से पहले की तथा पिछली योजना की सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए तथा भूतल और भूगत जल के संयुक्त उपयोग के लिए नई स्कीमें हाथ में ली जानी चाहिएं।

भौतिक और वित्तीय परिव्ययों के ब्यौरे को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Appointment of Shri P.C. Joshi as Reader by Jawahar Lal Nehru University

†51. **Shri Yadavendra Dutt:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Jawaharlal Nehru University and University Grants Commission had appointed Shri P.C. Joshi, former General Secretary of the Communist Party of India, as Reader in Directorate of Contemporary History Archives and if so the reasons therefor; and

(b) whether it is a fact that a few days before the Emergency was lifted Communist Publicity literature was purchased from him for Rs. three lakhs, and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b) According to the information furnished by the Jawaharlal Nehru University, Shri P.C. Joshi, former General Secretary of the Communist Party of India, was appointed as Editor of the collection acquired from him. He was appoointed with effect from 1-12-1970 on a consolidated salary of Rs. 1,400 per month and he continued until 13-12-1976. The University Grants itself does not make any appointments in Central Universities.

With the approval of the University Grants Commission, the Jawaharlal Nehru University made payment of Rs. 3.5 lakhs to Shri P.C. Joshi towards acquisition of the Joshi Archives. Further, the Executive Council of the University, on the advice of an Expert

Committee decided to set up an Archives of Contemporary History with the material so acquired.

दालें और फलियां

52. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान देश में दालों की उपभोक्ता कीमतों में असाधारण वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या देश में दालों और फलियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कोई योजनायें बनाई हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार वर्तमान कठिनाइयों का समाधान करने के लिए दालों और फलियों का सीमित मात्रा में आयात करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस वर्ष दालों की कीमत में वृद्धि मुख्यतः दालों के उत्पादन में कमी होने के कारण हुई है । 1975-76 में दालों का उत्पादन 130 लाख मीटरी टन हुआ था, जो 1976-77 में घटकर 115 लाख मीटरी टन रह गया ।

(ख) जी हां। सरकार ने निम्न उपायों से दालों के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना बनायी है :--

(1) सिंचित अवस्थाओं के अंतर्गत गेहूं की कटाई के पश्चात् और चावल की परती भूमि में मूंग, उडद और लोबिया की अल्पावधि किस्में पैदा करके और(2) देश के विभिन्न भागों में उपयुक्त फसलों के साथ दालों की अंतवर्ती/संखेती/मिश्रित खेती के जरिए अल्पावधि फसल के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना और

(2) उन्नत बीज, रिजोबियम कल्चर, फास्फेट पूरक उर्वरक जैसी पैकेज प्रणालियों को अपनाकर और उनकी खेती में आवश्यक मूलभूत पौध संरक्षण उपाय अपनाकर दालों की उत्पादकता में वृद्धि करना ।

(ग) विदेशों से दालों की कुछ मात्रा आयात करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपूर्ति नियंत्रित है और/या दालों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत घरेलू कीमत की तुलना में काफी अधिक है, दालें आयात करने में कठिनाई पेश आई है ।

माना शिविर स्कूल के अध्यापकों के वेतनमान

53. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शिविर स्कूल, रायपुर के अध्यापकों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित वेतनमान नहीं दिये गये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर): (क) माना शिविर स्कूल, रायपुर के अध्यापकों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित वेतनमान दिए गए थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

15 LSS/77—5

तूफान के कारण क्षति

54. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1977 के दौरान तूफान के कारण कितनी क्षति हुई; और

(ख) प्रत्येक राज्य की स्थिति का सामना करने के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) बाढ़ों, ओलावृष्टि तथा तूफान से उत्पन्न हुई स्थिति का मुकाबला करने के लिए असम के लिए अग्रिम योजना सहायता के तौर पर 498.28 लाख रुपये की रकम स्वीकार की गई है ।

बारानी खेती और मिली-जुली खेती की योजनायें

55. **श्री दौलत राम सारण :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या दीर्घावधि समन्वित कृषि कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) कार्यक्रम में बरानी खेती और मिली-जुली खेती की कौन-कौन सी योजनाएं हैं और क्या इस बारे में कोई अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) योजना आयोग ने सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके दीर्घकालीन स्वरूप की योजना तथा मध्यावधि योजना को तैयार करने के लिए कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । इस कार्य के लिए (1) नई मध्यावधि योजना के लिए नीति सम्बन्धी उपायों (2) प्रत्येक क्षेत्र की मध्यावधि योजना के विस्तृत निरूपण पर विचार करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए विभिन्न कार्यकारी दल बनाये गये हैं। कार्य का दूसरा भाग राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके शुरू किया जायेगा । समन्वित कृषि कार्यक्रमों के लिए दीर्घावधि स्वरूप की योजना का निरूपण भी साथ-साथ शुरू किया गया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी ब्यौरा देना कठिन है, क्योंकि योजनाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात् राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा उन्हें स्वीकृति देनी होती है ।

अपने स्वयं के मकानों वाले सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी आवास रखने की छूट

56. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री मनी राम बागड़ी :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में उप-सचिव तथा इसके ऊपर के पदों पर काम करने वाले ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके अपने मकान हैं और वे सरकारी आवास में रह रहे हैं;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या तथा उनके पद क्या हैं जिन्हें, जब वे ऐसे सचिवालयों/कार्यालयों में काम कर रहे थे जिनके अपने आवास पूल हैं, पुराने किराये पर ही सरकारी आवास रखने की

अनुमति दी गई थी और जिन्होंने राजसम्पत्ति कार्यालय पूल में सम्मिलित मंत्रालयों/कार्यालयों में स्थानान्तरण ो जाने के उपरांत भी सरकारी आवास नहीं छोड़ा है;

(ग) उन्हें किन कारणों से छूट दी गई थी; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 163.

(ख) उन अधिकारियों के बारे में सूचना सम्पदा निदेशालय के पास नहीं रखी जाती जो सामान्य पूलवास से वास के आबंटन के लिये पात्र कार्यालयों में स्थानान्तरित हो जाने के बाद भी अन्य पूलों के वास को अपने दखल में रखे हुए हैं।

(ग) तथा (घ) भाग (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

चितरंजन पार्क दिल्ली में अभिगृहीत जमीन के भू-शुल्क का निर्धारण

57. **श्री दिलीप चक्रवती :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुर्नावस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चितरंजन पार्क, दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भू-शुल्क का निर्धारण क्षेत्र में जमीन के अभिग्रहण की लागत के सन्दर्भ में किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो भूमि के अभिग्रहण की लागत क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) चितरंजन पार्क में प्लाटों के एलाटियों से अर्जित लागत तथा प्रासंगिक प्रभार, जिसे बाद में अर्जन लागत में मिला दिया जाएगा, पर 2.5% की वार्षिक दर से भूमि का किराया वसूल किया जाता है। प्रासंगिक प्रभारों की दरें निम्न हैं:—

प्रथम 200 वर्ग गज अथवा उसके भाग पर 1.50 रुपये प्रति वर्ग गज।

अगले 200 वर्ग गज अथवा उसके भाग पर 2.00 रुपये प्रति वर्ग गज।

अगले 200 वर्ग गज अथवा उसके भाग पर 2.50 रुपये प्रति वर्ग गज।

अगले 200 वर्ग गज अथवा उसके भाग पर 3.00 रुपये प्रति वर्ग गज।

(ख) भूमि की अर्जन लागत अस्थायी तौर पर 12 रुपये प्रति वर्ग गज निश्चित की गई है। इसे यथाशीघ्र निश्चित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। अन्तिम रूप से भूमि अर्जन का जो मूल्य निश्चित किया जाएगा, उसके आधार पर भूमि के किराए में, यदि कोई समंजन करना हो तो उसे कर दिया जाएगा।

कर्नाटक और केरल की नदियों के बहाव को मोड़ने के बारे में तकनीकी समिति की सिफोरिशें

58. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और केरल की पश्चिम की ओर वहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ने के बारे में अध्ययन करने हेतु गठित तकनीकी समिति के निर्देश-पद क्या हैं;

(ख) केरल सरकार द्वारा किन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है;

(ग) क्या उस तकनीकी समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है जिसकी सक्रियता के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा आरम्भ किये गये और उनकी उपस्थिति में हुई तमिलनाडु तथा केरल के मुख्य मंत्रियों की बैठक में निर्णय किया गया था; और

(घ) सरकार को तकनीकी समिति की सिफारिशें कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के फालतू पानी को पूर्व की ओर मोड़ने की व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 दिसम्बर, 1976 को गठित तकनीकी समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) केरल सरकार ने सुझाव दिया है कि तकनीकी समिति के विचारार्थ विषयों की मद (क) को संशोधित किया जाए ताकि उसमें पश्चिम की ओर बहने वाली उन नदियों के बारे में, जिनके संबंध में तमिलनाडु और केरल की सरकारों के बीच पहले ही समझौते हो चुके हैं, अध्ययन करने को शामिल न किया जाए । तदनुसार मद (क) को संशोधित किया जा चुका है ।

(ग) और (घ) समिति की प्रथम बैठक शीघ्र बुलाने के लिए तकनीकी समिति के संयोजक से अनुरोध किया जा चुका है । इस समिति को अपनी रिपोर्ट छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करनी है ।

विवरण

तकनीकी समिति के विचारार्थ विषय :

(क) केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली विभिन्न नदियों में उपयुक्त स्थानों पर उपलब्ध जल की मात्रा का अनुमान लगाना ।

(ख) केरल और कर्नाटक में इन नदियों के जल के वर्तमान तथा पहले से आयोजित एवं भविष्य में आगे परिकल्पित जल के समुपयोजन का अनुमान लगाना, जिसमें खपतकारी तथा अखपतकारी दोनों प्रकार के उपयोग शामिल हैं, जैसे विद्युत् उत्पादन, नौवहन, लवणता नियंत्रण जिसमें पत्तनों और बन्दरगाहों आदि की निक्षालन (लीचिंग) आवश्यकताएं शामिल हैं ।

(ग) जहां पर स्थानीय जल संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, वहां सिंचाई के लिए फालतू जल को पूर्व की तरफ मोड़ने की योजना तैयार करना तथा दोनों राज्यों में इसके आनुषंगिक प्रभावों का अनुमान लगाना जिसमें जल को न मोड़ जाने की स्थिति में विद्युत् उत्पादन की संभाव्यता का पता लगाना भी मि है ।

(घ) ऐसी स्कीमों के लिए सवक्षण एवं अन्वेषण की स्कीम तैयार करना तथा ऐसे अन्वेषणों एवं अध्ययनों की लागत का अनुमान लगाना ।

खंडसारी चीनी बनाने वाले कारखाने

59 **श्री आर० कालनयाइबेलु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में और तमिलनाडु में खंडसारी बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) भारत में कितनी खंडसारी चीनी तैयार होती है;

(ग) राज्य के स्वामित्व वाले कितने कारखाने हैं और उनमें कितना उत्पादन होता है तथा यह कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत होता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर खंडसारी का उत्पादन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारत में खंडसारी चीनी बनाने वाले और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत कारखानों की संख्या 31-3-1977 को 2164 थी ।

तमिलनाडु में कार्य कर रहे खंडसारी यूनिटों की संख्या तीन है । जो यूनिट केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के योग्य नहीं हैं उनके समेत खंडसारी यूनिटों की कुल संख्या संबंधी आंकड़े राज्य सरकारों से इकट्ठे किए जा रहे हैं ।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत यूनिटों द्वारा उत्पादित खंडसारी चीनी की कुल मात्रा 1976-77 में 504.5 हजार मीटरी टन थी । अन्य यूनिटों के उत्पादन संबंधी आंकड़ें राज्य सरकारों से इकट्ठा किए जा रहे हैं । 1976-77 में तमिलनाडु में 6359 क्विंटल का उत्पादन हुआ था ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को राज्य के स्वामित्व की किसी फैक्ट्री द्वारा खंडसारी चीनी बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खंडसारी चीनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बाढ़

60. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने के लिये बातचीत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिये कोई स्थायी हल निकाला गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) साहिबी नदी के कारण दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बाढ़ की समस्याओं पर विचार करने और इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए राजस्थान और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों तथा दिल्ली के उपराज्यपाल की एक अन्तर्राज्यीय बैठक प्रधान मंत्री द्वारा 10 अगस्त, 1977 को बुलाई गई थी। इस बैठक में यह फैसला किया गया था कि सिंचाई तथा भूगत जल के री-चार्ज के लिए साहिबी नदी के जल का यथा-संभव अधिकतम सीमा तक उपयोग करने तथा फालतू जल को सुरक्षात्मक तरीके से यमुना में डालने के लिए एक मास्टर प्लान तत्काल तैयार की जाए । हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्यों के मुख्य इंजीनियरों के परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस तरह की मास्टर प्लान तैयार की जा रही है । आशा है कि प्लान की रूप-रेखा दिसम्बर, 1977 तक तैयार हो जाएगी । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यतः सिंचाई के लिए राजस्थान में अजमेरीपुरा में साहिबी नदी पर एक जल-संचय जलाशय का निर्माण तथा मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए हरियाणा में मसानी पर एक जल-संचय जलाशय का निर्माण, दिल्ली में नजफगढ़ नाले का इष्टतम क्षमता तक सुधार, तथा छोटे जल-संचय के निर्माण, भूगत जल के री चार्ज, भू-संरक्षण, अतिरिक्त नालों, आदि के प्रस्ताव शामिल हैं ।

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय प्राध्यापक संगठन संघ से प्राप्त ज्ञापन

61. श्री समर मुखर्जी :
श्री बसन्त साठे :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय प्राध्यापक संगठन संघ से सरकार को 6 अक्तूबर, 1977 को ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त ज्ञापन में क्या मांग की गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में की गई प्रमुख मांगें हैं :—

(1) असम, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, कर्नाटक तथा जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकारों को जो वि०अनु० आ० के वेतनमानों को लागू करने के लिए सहमत नहीं हुई हैं, उन्हें लागू करने के लिये कहा जाए ।

(2) एक ओर तो शिक्षकों तथा दूसरी ओर पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता बनाए रखी जानी चाहिये ।

(3) कम-से-कम द्वितीय श्रेणी की उत्तर-स्नातक अर्हता रखने वाले प्रदर्शकों तथा ट्यूटरों को लैक्चरर का वेतन-मान मंजूर किया जाना चाहिये ।

(4) परीक्षा कार्य के लिये शिक्षकों को पारिश्रमिक न देने के निर्णय को रद्द किया जाना चाहिये।

(5) शिक्षकों की सेवा की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये कानून बनाने हेतु राज्य सरकारों को अनुदेश दिये जाने चाहिये, केन्द्रीय सरकार को इस मामले में एकरूपता लाने के लिये कानून बनाना चाहिये ।

(6) शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने वाली आचरण-संहिता को उन पर नहीं थोपा जाना चाहिये ।

(7) कालेजों के शासी निकायों तथा विश्वविधालयों की सीनेट, सिन्डीकेट और शैक्षिक परिषदों में चुने हुए शिक्षकों का और अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड आदि में शिक्षक संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

(9) 10+2+3 की नई पद्धति को लागू करने के फलस्वरूप कोई कालेज शिक्षक नहीं निकाला जाना चाहिये ।

(10) निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ निरक्षरता के प्रति संघर्ष की योजनाओं को कार्यान्वित करने में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय शिक्षक संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये ।

(ग) इनमें से कुछ मांगों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक तथा राजस्थान की सरकारों ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वि० अनु० आयोग के वेतनमान मंजूर कर दिये हैं, असम, जम्मू और कश्मीर तथा मध्य

प्रदेश की सरकारें इस प्रस्ताव पर अभी विचार कर रही हैं और केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिश की गई योजना को नहीं माना है ।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पुस्तकाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा कर्मचारियों को स्वीकृत संशोधित वेतन मानों का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया था । आयोग ने इस मामले में कुछ शिफारिशें की हैं; जिनकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

(3) उन प्रदर्शकों/ट्यूटरों को जो द्वितीय श्रेणी की उत्तर-स्नातक योग्यताएं रखते हैं, लैक्चरर का वेतनमान मंजूर करने की केन्द्रीय योजना में कोई व्यवस्था नहीं है । यद्यपि योजना को कार्यान्वित करते समय कई राज्य सरकारों ने अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले प्रदर्शकों/ट्यूटरों को लैक्चरारों के रूप में खपाने का निर्णय कर लिया है ।

(4) परीक्षा कार्य के लिये पारिश्रमिक न देने के निर्णय पर पुनः विचार किया जा रहा है । राज्य सरकारों को लिये गये निर्णय की सूचना शीघ्र भेज दी जायेगी ।

(5) शिक्षकों के लिये सेवा की सुरक्षा की व्यवस्था करने हेतु कानून बनाने का अनुरोध राज्य सरकारों से पहले ही किया जा चुका है, इस मामले में कोई केन्द्रीय कानून बनाने का कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड आदि जैसे निकायों में विख्यात शिक्षाविद् तथा शिक्षक भी शामिल हैं, यद्यपि उनके विधान में किसी विशेष शिक्षक संगठन अथवा संगठनों के प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(7) प्रौढ़ शिक्षा आदि के कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में शिक्षक संगठनों सहित सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों की सहायता तथा सहयोग प्राप्त करने का सरकार का इरादा है ।

पाठ्य पुस्तकें हटाए जाने के विरुद्ध रोष

62. **श्री बसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक शिक्षाविदों ने इतिहास की चार-पाठ्य पुस्तक हटाए जाने के विरुद्ध सरकार से रोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा उठाई गई बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन पुस्तकों को हटाने का क्या औचित्य है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक अवधियों की सर्वोत्तम और अत्यन्त वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकें बताई जाती हैं; और

(घ) क्या सरकार इन पुस्तकों को फिर लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर पुनः विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां । इन चार पुस्तकों में से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित केवल दो पुस्तकें अर्थात् मध्य-युगीन भारत तथा आधुनिक भारत क्रमशः मिडिल स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकें हैं । शेष दो पुस्तकें सामान्य अध्ययन की पुस्तकें हैं और पाठ्य-पुस्तकें नहीं हैं ।

(ख) इन पाठ्य-पुस्तकों को हटाया नहीं गया है और आपत्तियों की शैक्षिक वैधता के संबंध में विशेषज्ञों की राय प्राप्त की जा रही है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Agriculture Farm in Bundelkhand M.P.

63. **Shri Tej Pratap Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have set up an agriculture farm in Bundelkhand region (Hamirpur, Banda, Jalaun, Jhansi and Lalitpur in Uttar Pradesh and Datia, Tikamgarh, Chhatarpur and Panna in Madhya Pradesh) keeping in view the special features of the region and the varieties of foodgrains and oilseeds grown there; and

(b) the details of the agricultural research work done so far in this region and the names of the improved varieties of goodgrains and oilseeds developed ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation : (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir. Central Government have not set up any agriculture farm in Bundelkhand Region. However, considering the special feature of the Region, the Indian Council of Agricultural Research established the Indian Grassland and Fodder Research Institute (IGFRI) at Jhansi in Bundelkhand area of U.P. in 1966. The Institute is conducting basic and applied research on grasses, grasslands and fodder crops. The major research thrust at IGFRI is on the scientific use of land and the principles underlying crop—livestock integration of Bundelkhand Region.

(b) The research material and technology which has been developed at various central institutes and agricultural universities are being tested under the All India Coordinated Projects supported by the ICAR in Bundelkhand Region. A number of high-yielding varieties of Wheat like Kalyan Sona Raj 911, HD 4530, Jairaj, Sonalika and Shera under irrigated conditions, and C-306 K 65, K 68, Mukta and NP 404 under rainfed conditions, Gram varieties Type 3, Radhey and H-208; Lantil variety type 136 and Linseed varieties T 397 and BS 44 have been indentified as promising varieties for Bundelkhand Region.

स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास

64. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1937-1947 की अवधि के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास को, जो सरकार द्वारा वित्तपोषित दस खण्डों वाली परियोजना है, प्रकाशित करने की जिम्मेदारी सरकार ने भारतीय विद्याभवन को सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह परियोजना भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अधीन थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के नियंत्रण में परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) यह परियोजना भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् को सौंपी गई थी, और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से सरकारी रिकार्डों में से सम्बन्धित सामग्री एकत्र करके तथा इसे उपलब्ध करा कर, इसकी सहायता करना अपेक्षित था। इस परियोजना के कार्यान्वियन के, इस वर्ष के आरम्भ में किए गए पुनरीक्षण से यह पाया गया था कि प्रगति धीमी रही थी। इस बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ था कि यह जिम्मेदारी भारतीय विद्या भवन को सौंप दी जाए। तथापि, यह मामला अभी विचाराधीन है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Teaching arrangement for Languages of European and West and East Asian Countrie

†65. **Shri Mrityunjay Prasad Varma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether any official arrangements exist for teaching the languages of the European and West and East Asian countries and for holding proficiency examinations therefor; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b) According to the information furnished by the University Grants Commission, several Universities in the country provide facilities for instruction in foreign languages. The details are attached.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1015/77]

ईस्ट ग्राफ कैलाश कर्माशियल कम्प्लैक्स, नई दिल्ली में मंजूरशुदा नक्शे की ग्रवहेलना करके निर्माण किया जाना

66. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ईस्ट ग्राफ कैलाश कर्माशियल काम्प्लैक्स के सामुदायिक केन्द्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए नक्शों का उल्लंघन करके भू-स्वामियों द्वारा मेज्जाम्मे फर्श बनाने और अधिक क्षेत्र पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि उनको निर्माण करते समय उसका पता चल गया था ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस काम को रोकने में असफल रहने और भू-स्वामियों को अधिक क्षेत्र बनाने और उनको किराये के रूप में निरन्तर आमदनी बढ़ाने के काम में उनके साथ सांठगांठ करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) अनुमोदित मानक प्लान मेज्जान फर्श के लिए था जिसका निर्मित क्षेत्र प्लाट के क्षेत्रफल के 25 प्र०श० से अधिक न हो। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इससे अधिक और विशेष रूप से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है। जिन प्लाटधारियों ने इससे अधिक क्षेत्र अनधिकृत रूप से निर्मित किया है उन्हें नोटिस दिए गए थे तथा चेतावनी दी गई थी कि वे मानक प्लान का अनुपालन करें ऐसा न करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समापन्न प्रमाणपत्र जारी करना रोक दिय है तथा प्लाटधारियों को कहा है कि वे अनियमितताओं को सुधार दें ताकि उन्हें समापन्न प्रमाण-पत्र दिए जा सकें।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाओ) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र दिया जाना

67. **श्री कल्याण जैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाओ) अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाने के मामले, जिस पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (गन्दी बस्ती आयुक्त) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी (गन्दी बस्तियां) द्वारा सुनवाई की जाती है, केवल संक्षिप्त विचारण के मामले हैं और जिन्हें एक वर्ष के लगभग की थोड़ी अवधि में निपटाया जाना चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मामलों के निपटान में कई वर्ष लग जाते हैं, विशेषकर उन आवेदनपत्रों पर जो किरायेदारों से मकान खाली कराए जाने की डिगरियां प्राप्त करने के लिए अनुमति लेने और मुकदमे दायर करने के लिए प्रमाणपत्र लेने के लिए पेश किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी (गन्दी बस्तियां), तीस हजारी कोर्ट्स दिल्ली के समक्ष 1 अक्तूबर, 1977 को 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष से अधिक समय से कितने आवेदनपत्र विचाराधीन थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनवाई के लिए पार्टियों को अवसर देना अपेक्षित है और मामलों की परिस्थितियों की संक्षिप्त जांच, वे सही समझें, करने के बाद, लिखित आदेश द्वारा उन्हें या तो अनुमति देनी होती है या इसके लिए इन्कार करना होता है। अतः यह कहना नितान्त सही नहीं है कि गन्दी बस्ती क्षेत्रों (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रमाणपत्र देने की कार्यवाहियां संक्षिप्त विचारण के मामले हैं।

(ख) कतिपय मामलों में देरी हुई है।

(ग) 1-10-1977 को निलम्बित आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है:—

दो वर्षों से अधिक समय से निलम्बित . . .	245
चार वर्षों से अधिक समय से निलम्बित . .	76
छः वर्षों से अधिक समय से निलम्बित . . .	55

(घ) देरी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

(i) अधिनियम की धारा 19 के अधीन कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकार की है। अतः दोनों पक्षों को अपने-अपने मामलों के पक्ष में लिखित ब्योरे प्रत्युत्तर तथा मौखिक और दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना होता है। यदि पार्टियां इच्छुक हों तो वे एक दूसरे के साथ एवं उनके गवाहों से जिरह कर सकती हैं।

(ii) प्रतिवादी किरायेदार सामान्यतया यह चाहते हैं कि कार्यवाही लम्बे समय तक चलती रहे इसलिए वे ओछेपन से एक के बाद दूसरी विविध प्रकार की दरख्वास्त देते रहते हैं ताकि कार्यवाही में विलम्ब होता रहे। मामले पर आगे कार्यवाही करने से पहले ऐसी विविध प्रकार की दरख्वास्तों पर निर्णय लेना होता है।

(iii) यदि सक्षम प्राधिकारी का कोई अन्तरिम आदेश आवेदक पार्टी के पक्ष में नहीं होता है तो वे प्रायः अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के वित्तीय आयुक्त के सम्मुख अपील दायर कर देता है। और अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार जब तक वित्तीय आयुक्त द्वारा अपील पर निर्णय नहीं दिया जाता, सक्षम अधिकारी की कार्यवाही निलंबित की जाती है।

(iv) वित्तीय आयुक्त के आदेश के पश्चात भी, कभी-कभी पार्टियां उच्च न्यायालय में चली जाती हैं और इस प्रकार की कार्यवाही में विलम्ब करवाते हैं।

राष्ट्रीय बीज परियोजना

68. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला :**
श्री अनन्त दवे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बीज उद्योग को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के विचार से राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय बीज परियोजना संकट में पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भी उपरोक्त परियोजना के लिए कुछ सहायता दी थी; यदि हां, तो कितनी धनराशि दी थी ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वह इस मामले पर आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं, सरकार की राष्ट्रीय बीज परियोजना संकट में नहीं पड़ी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) विश्व बैंक ने अब तक 250 लाख अमरीकन डालर का ऋण दिया है ।

(घ) भारत सरकार ने विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण स्वीकार कर लिया है और इस परियोजना को राज्य सरकारों, राष्ट्रीय बीज निगम तथा राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम से विधिवत ढंग से सम्बद्ध विभिन्न दूसरी एजेंसियों के सहयोग से कार्यान्वित करने का विचार है।

केरल को चावल सप्लाई करने की गारंटी

69. **श्री के० ए० राजन :**
श्री वी० एम० सुधीरन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि चावल जोन समाप्त करने की क्षति के रूप में राज्य में 12 औंस चावल के राशन के लिए चावल की सप्लाई की गारंटी दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय कृषि तथा सिंचाई मंत्री की 23 सितम्बर, 1977 को केरल सरकार के खाद्य मंत्री के साथ चर्चा के दौरान केरल के खाद्य मंत्री ने बताया था कि यदि केन्द्रीय पूल से प्रति वर्ष 16 लाख मीटरी टन चावल की सप्लाई बनाए रखी जाती है तो केरल सरकार चावल के संचलन के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए जाने पर संतुष्ट रहेगी ।

केरल सरकार की उचित जरूरतें पूरी करने में कोई कठिनाई होने की संभावना नहीं है।

Late Printing of Text Books

70. **Shri Yuvraj : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the 'Pustak Vikreta Sangh' (Booksellers Association) has drawn Government's attention towards the late printing of nationalised books ;

(b) whether the faulty printing policy has resulted in great shortage of tex-books; and

(c) whether the policy of partial-nationalisation of text-books adopted by previous Government is still continuing ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):

(a) No, Sir. But the representatives of the Pustak Vikreta Sangh met the Head of the Publication Department of the NCERT three months back to complain about the distribution system of the private-sector publishers. The representative of the Federation of Indian Publishers who was also present at that time assured the representatives of the above Sangh that his Federation will look into the matter. The NCERT has not received any further complaint about the distribution, since then.

(b) The shortage of textbooks in the market was not due to the faulty printing policy, but due to the private publishers not honouring the printing orders. The Executive Committee of National Council of Educational Research and Training at its recent meeting held on 14th October, 1977 reviewed the performance of the private publishers and decided that only reprints need be given to private publishers in respect of those books which were published by them this year and the manuscripts for those should be sent to them by middle of November. In view of unsatisfactory performance of some private publishers, the Executive Committee decided that only those whose performance was good should be entrusted with the jobs. The contract form should also be revised and a penal clause provided for default and delays. The titles would be done by NCERT themselves. The distribution system of the private publishers were responsible for most of the problems this year. The Executive Committee, therefore, decided that the NCERT may revert to its old system of having Director of Publications Division as their sole distributor and that all private publishers should print and supply to DPD. This should be included in the contract to be signed.

(c) The production of school textbooks is the responsibility of the State Governmnts. The policy of nationalisation has however been accepted in principle by most of the State Government. A few State Governments have already nationalised the programme of producing school-level textbooks, while the others have done so partially.

अनाज का भंडार, वसूली और बाजार में भेजा जाना

71. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 को सरकार के पास कुल कितना अनाज जमा था ;

(ख) 1 अप्रैल और 15 अक्तूबर, 1977 के बीच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से कुल कितना अनाज बेचा गया ;

(ग) 1 अप्रैल और 15 अक्तूबर, 1977 के बीच कुल कितना अनाज वसूल किया गया ;

(घ) 15 अक्तूबर, 1977 को सरकार के पास शुरू स्टाक कितना था ;

(ङ) ग्राम निर्माण कार्यक्रम में, राज्यवार, लगे व्यक्तियों को अनाज के रूप में भुगतान करने के लिए इस भण्डार का उपयोग करने की योजना को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(च) अनाज के इतने बड़े भण्डार के संबंध में अल्पावधि और दीर्घावधि कार्यक्रम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकारी एजेंसियों के पास 31 मार्च, 1977 को खाद्यान्नों का प्रत्यक्ष स्टाक लगभग 180 लाख मीटरी टन था।

(ख) पहली अप्रैल, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 57 लाख मीटरी टन खाद्यान्न निर्मुक्त दिया गया था।

(ग) पहली अप्रैल, 1977 से 15 अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के दौरान 56 लाख मीटरी टन खाद्यान्न की वसूली की गई थी।

(घ) उपलब्ध स्टाक संबंधी जो अद्यतन सूचना है वह 30 सितम्बर, 1977 की है। सरकारी एजेंसियों के पास लगभग 182 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उपलब्ध था। राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष स्टाक संबंधी सूचना मासिक आधार पर दी जाती है और इसलिए 15 अक्तूबर, 1977 को सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध स्टाक के बारे में बताना संभव नहीं है।

(ङ) ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित खाद्यान्नों का उपयोग करके रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाने की योजना के अधीन लगभग 35,690 मीटरी टन खाद्यान्न निम्नलिखित राज्यों को आबंटित किया गया था :—

राज्य	आबंटित मात्रा (मीटरी टन)
कर्नाटक	2,000
महाराष्ट्र	1,650
उड़ीसा	10,000
उत्तर प्रदेश	2,400
पश्चिम बंगाल	11,200
असम	7,500
हिमाचल प्रदेश	940
	35,690

(च) सरकार ने खाद्यान्नों की निकासी बढ़ाने के लिए अनेक पग उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित प्रमुख उपाय शामिल हैं :—

(क) केन्द्रीय भण्डार से गेहूं के आबंटन संबंधी राज्य सरकारों की मांगों को पूरी तरह पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकारों को इस बात के लिए भी प्राधिकृत कर दिया गया है कि वे खाद्य विभाग से औपचारिक आवंटन की प्रत्याशा में भारतीय खाद्य निगम के पास सीधे गेहूं देने के लिए इन्डेन्ट भेज दिया करें। कमी वाले राज्यों को चावल का आबंटन भी उदारता के साथ किया जा रहा है।

(ख) सभी राज्य सरकारों से ये बातें भी कही गयी हैं :—

(1) राशन की मौजूदा मात्रा को 8 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर कुछ समय के लिए 12 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह किया जाए और अतिरिक्त मात्रा गेहूं अथवा होल मील आटा के रूप में दी जाए।

(2) सभी प्रमुख सिंचाई तथा निर्माण परियोजनाओं तथा राहत कार्यों पर राशन कार्डों के बिना प्रति वयस्क मजदूर को प्रति माह 12 किलो गेहूं/होलमील आटा सप्लाई किया जाए।

(3) राशन/उचित दर की और भी दुकानें खोली जाएं ताकि उपभोक्ताओं के घर के बिल्कुल पास खाद्यान्न उपलब्ध किए जा सकें और राशन की दुकानों में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक रखा जा सके। इस बात पर बल दिया गया है कि उचित दर की दुकानें विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों, स्लम-क्षेत्रों आदि जोकि अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आ सके हैं, में खोली जानी चाहिएं।

(4) बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त तथा अन्य राहत कार्यों के लिए राज्य सरकारों को खाद्यान्न दिए जा रहे हैं।

(5) जैसा कि पहले निर्णय किया गया था, रूस के गेहूं के ऋण को नकद रुपये न देकर वस्तु के रूप में चुकाया जा रहा है।

भूमि सुधारों में विलम्ब

72. **डा० बापू कालदाते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारें भूमि सुधारों संबंधी विनियमों की क्रियान्विति में विलम्ब कर रही हैं;

(ख) यदि हां तो उन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) भूमि सुधारों से सम्बन्धित उपायों के कार्यान्वियन की प्रगति सब स्थानों पर एक सी नहीं हुई है, तथापि प्रत्येक राज्य में विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार प्रगति का मूल्यांकन करना होगा। यह स्वाभाविक है कि उस भूमि संरचना का पुनर्गठन करने में, जो कि भूमि सुधार संबंधी कानूनों का लक्ष्य है, समस्याएं पैदा होंगी, परन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि राज्य सरकारों ने जानबूझकर विलम्ब किया है।

चीनी मिलों द्वारा चीनी के वास्तविक उत्पादन तथा निर्यात संबंधी आंकड़े

73. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने जुलाई, 1974 से जुलाई, 1977 के दौरान, मिलवार, चीनी का कितना उत्पादन किया ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ मिलों ने अपनी उत्पादन विवरणियों में दिखाई मात्रा से अधिक मात्रा का उत्पादन किया

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अतिरिक्त चीनी को काले बाजार में बेचा गया और कुछ कारखानों ने उनके लिए निर्धारित मात्रा से अधिक का निर्यात भी किया ; और

(घ) क्या इन मिलों में से किसी के विरुद्ध कोई जांच की गई थी और यदि नहीं, तो क्या सरकार का अब जांच करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1016/77]

(ख), (ग) और (घ) फैक्ट्रियों द्वारा अपनी आवधिक विवरणियों में दी गई सूचना के आधार पर ये उत्पादन संबंधी आंकड़े संकलित किए गए हैं। इन मामलों के बारे में विस्तृत तथा विशिष्ट सूचना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मातृभाषा का पढ़ाया जाना

74. **श्री एडुअर्डो फैलीरो** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मातृभाषा के अध्यापन पर देश भर में कम बल दिया जाता है और देश की शिक्षा संस्थाओं में दूसरी तथा तीसरी भाषा की पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया जाता है ; और

(ख) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार द्वितीय तथा तृतीय भाषाओं के अध्यापन की अपेक्षा मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा के अध्यापन के लिए अधिक समय दिया जाता है।

(ख) शिक्षा की जो नई योजना बनाई जा रही है उसमें भी स्कूल पाठ्यचर्या में मातृभाषा को पुनः विशिष्टतम स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के 10 वर्षीय स्कूल शिक्षा के ढांचे में प्रथम, द्वितीया और तृतीय भाषाओं के लिए समय का आवंटन इस प्रकार है :--

कक्षा	प्रथम भाषा	द्वितीय भाषा	तृतीय भाषा
I–V . .	25 प्रतिशत	कुछ नहीं	कुछ नहीं
VI–VIII .	16 प्रतिशत	10 प्रतिशत	कुछ नहीं
IX–X . .	12 प्रतिशत	10 प्रतिशत	4 प्रतिशत

कम कीमत पर निम्न-आय-वर्ग वाले फ्लैट

75. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य प्राधिकारियों द्वारा निम्न-आय-वर्ग के लोगों और अन्य को रिहायशी मकान लाभ न लेकर निर्माण लागत पर ही उपलब्ध किए जाने के बारे में उनके मंत्रालय के क्या ठोस प्रस्ताव और योजनाएं हैं, विशेषकर, इन राज्यों में जो सीधे केन्द्रीय सरकार के शासनाधीन हैं; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी लाभ लेने की नीति त्याग दी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम जो इस मंत्रालय के अधीन वित्तीय निकाय है। सभी वर्ग के लोगों के लिए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने हेतु आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरण और अन्य सार्वजनिक विकास प्राधिकरणों को ऋण देता है। तथापि, ब्याज की दरें और सामान्य वित्तीय प्रणाली समाज के गरीब लोगों के अत्यधिक हक में है और इसके द्वारा 80 प्र०श० से अधिक मकानों के लिए दी गई वित्तीय सहायता उन लोगों के लिए है जिन की मासिक आय 600 रुपए से अधिक नहीं है। हुडको ने दरों के कुछ मानक भी निर्धारित किये हैं, जिसके अनुसार, मकान काफी सस्ते बनेंगे जिसे समाज का गरीब वर्ग खरीद सकें। इसके अलावा, निर्माण और आवास मंत्रालय ने निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाएं बनाई हैं :--

(1) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना।

(2) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना।

(4) ग्रामीण आवास परयोजना स्कीम।

(5) निम्न आय वर्ग आवास योजना।

(6) मध्यम आय वर्ग आवास योजना।

(7) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना।

(8) राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना ; और

(9) झुग्गी तथा झोंपड़ी उन्मूलन योजना (केवल दिल्ली के लिए)

ये सामाजिक आवास योजनाएं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, निम्न आय तथा मध्यम आय वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की आवासीय स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके द्वारा निर्धारित अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों/फ्लैटों की भूमि तथा विकास की उच्चतर लागत और अपेक्षाकृत अच्छी विशिष्टियों के कारण लागत अधिक है। दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्माण की लागत कम करने की संभाव्यता के उपाय भी ढूंढ रहा है ताकि मूल्य कम किया जा सके।

Cow Slaughter

76. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of States which have enforced ban on cow slaughter as per the directions from the Central Government ;

(b) the names of the States which have not complied with the directions from the Central Government; and

(c) the efforts made by the Central Government to ensure that the rest of the State Governments enforce ban on cow slaughter in their respective States and the reaction of these States thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The subject of preservation, protection and improvement of stock comes under entry 15 of list II of the Seventh Schedule to the Constitution and as such this is a State subject. Therefore, the Central Government have no power to issue directions with regard to this subject. The Centre, has, however, been advising the State Governments in th matter from time to time. As per the latest information available complete ban on the

slaughter of cows is enforced in the States of Jammu & Kashmir, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Karnataka Orissa, Andhra Pradesh, Assam, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Tripura, Manipur, Chandigarh, Delhi, Dadra and Nagar Haveli, Pondicherry, Lakshdeep Islands and, Andaman and Nicobar Islands.

(b) The States/UT's which have not yet imposed complete ban on the slaughter of cow are as follows :—

Kerala, West Bengal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Goa, Daman & Diu and Arunachal Pradesh. Position about Sikkim is being ascertained.

(c) There is already complete ban on the slaughter of cows in all the major States, except West Bengal, Kerala and also the Union Territory of Goa. Daman and Diu and the North-Eastern Regions of the country. In regard to Kerala , West Bengal and Goa, the Minister for Agriculture and Irrigation has already requested the Chief Ministers concerned to take steps to fall in line with other States and enact necessary legislation banning cow slaughter. In regard to the States in the North-Eastern region, the question is still under consideration.

Discontentment among Farmers on Fixation of Sugarcane Prices

77. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is a discontentment among the common farmers as a result of the fixation of minimum sugarcane prices ; and

(b) if so, the measurs taken by Government to remove the causes of discontentment?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh):(a) and (b) The minimum notified price under the Sugarcane (Control) Order is only a floor price and growers are entitled to 50% share of the excess realisations from the sale of free-sale sugar under Clause 5(A) of the Sugarcane (Control) Order, 1966. However, in many States growers get what is known as the State advised price and this is considerably higher than the minimum notified price. The attached statement will indicate the range of minimum notified prices as compared to the actual cane price received by cane growers in the various States during 1976-77 season. It has also been decided that State Governments should be requested to ensure that growers get the same price during the 1977-78 season. These prices are remunerative as is indicated by the growth in cane areas and production over the last few years. Since farmers are producing more and more sugarcane, there is no reason to presume that there is dicontentment among them.

[*Placed in Library. See No. L.T. 1017/17*]

Violation of Delhi Master Plan

78. **Shri Rameshwar Patidar** : Will the Minister of **Works and Housing & Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Master Plan has been violated in the recent years;

(b) if so, the persons responsible for such violation; and

(c) the action if any, taken against them ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) Yes, Sir.

(b & (c) The Additional Chief Planner, Town and Country Planning Organisation, of the Ministry of Works and Housing, has been asked to conduct a preliminary inquiry into the violations of the Master Plan and submit his report by 15th December, 1977.

15 LSS/77—6

मोतियाखान क्षेत्र, दिल्ली से परिवारों को हटाया जाना

79. **श्री चतुर्भुज :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाडगिल आश्वासन के अंतर्गत आने वाले शरणार्थी परिवारों को आपात स्थिति के दौरान मोतियाखान, दिल्ली क्षेत्र से हटा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें सुविधायुक्त उपयुक्त वैकल्पिक आवास प्रदान किया गया था जैसा कि गाडगिल आश्वासन में उल्लिखित था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गाडगिल आश्वासन के अनुसार कितने व्यक्तियों को उपयुक्त वैकल्पिक आवास प्रदान नहीं किया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) सभी वस्तुतः निष्पादित परिवारों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में वैकल्पिक वास की पेशकश की गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई सुविधाओं का प्रसार करने सम्बन्धी नई नीति

80. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सिंचाई सुविधाओं का प्रसार करने हेतु कोई नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो आगामी दो वर्षों में कौन-कौन सी नई परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का आयोजन और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । लेकिन भारत सरकार ने देश के विकास कार्यक्रमों में सिंचाई-विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। अप्रैल, 1978 से शुरू होने वाली माध्यावधिक योजना में निर्माणाधीन स्कीमों को तेजी से पूरा करने, विशेष रूप से जनजाति क्षेत्रों और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में नई स्कीमों को हाथ में लेने, मौजूदा सिंचाई प्रणालियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए उनके आधुनिकीकरण और भूतल तथा भूगत जल के संयुक्त उपयोग पर बल दिया गया है।

नई दिल्ली में 8 और 9 नवम्बर, 1977 को हुए राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में अगली पंचवर्षीय योजना की नीति पर विचार-विमर्श किया गया था। राज्यों के मंत्रियों ने सिंचाई को दी जा रही उच्च प्राथमिकता का हार्दिक रूप से स्वागत किया और इसके लिए आवश्यक उपाय करना स्वीकार किया ।

चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने बृहद और मध्यम सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता प्रदान करना मान लिया है।

(ख) राज्य सरकारों ने अगले दो वर्षों में हाथ में ली जाने वाली नई परियोजनाओं को शामिल करने के संबंध में अभी तक अपने कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

बंगलादेश के शरणार्थियों को चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में प्लाटों का आवंटन

81. **श्री डी० अपात** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान (नए बंगला देश) के शरणार्थियों से चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में प्लाट आबंटित करने के लिए मार्च, 1977 में आवेदन पत्र मांगे गये थे।

(ख) यदि हां, तो क्या सात मास से अधिक समय बीतने के पश्चात भी इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही इस बारे में आवेदकों को कोई सूचना दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो आसाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कितने प्लाट आबंटित किये जायेंगे तथा यह कार्य कब तक किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां। दिनांक 14-1-1977 के प्रेस नोट के अनुसार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आए ऐसे विस्थापित व्यक्तियों से, जो दिल्ली में लाभकारी रोजगार पर लगे हों और विभाजन के पश्चात तथा 31-3-1966 तक दिल्ली में कम से कम 4 वर्ष तक रहते रहे हों, आवेदन पत्र मांगे गए थे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31-3-1977 थी।

(ख) प्राप्त किए गए लगभग 1600 आवेदन पत्रों में से, 800 से अधिक की छान-बीन आबंटन समिति द्वारा की जा चुकी है। सभी आवेदन पत्रों की छान-बीन हो जाने के पश्चात आवेदकों को सूचित कर दिया जाएगा।

(ग) आवेदन-पत्रों की इतनी बड़ी संख्या की छान-बीन करने में समय लगता है।

(घ) 82 प्लाट (इनमें वे 8 प्लाट भी शामिल हैं जिनके बारे में न्यायालय में मामला चल रहा है और जिनका अभी तक विकास नहीं किया गया है) आबंटन के लिए उपलब्ध हैं। छीन-बीन के पूरा हो जाने के बाद, जिसकी दिसम्बर, 1977 तक पूरा होने की आशा है, यथाशीघ्र लाटरी निकाल दी जाएगी ।

Proposals from States regarding Irrigation Schemes for Adivasi Areas

82. **Shri Laxman Rao Mankar** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that proposals for irrigation Schemes in the Adivasi areas have been called for from the States ;

(b) the number of schemes submitted by Maharashtra Government and the expenditure proposed to be incurred thereon; and

(c) the amount of grant being given by Central Government for these schemes.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Proposals for irrigation schemes had not been called for from the State Governments. They had, however, been asked to prepare Tribal-sub Plans comprisng all sectors including irrigation. They had also been asked to prepare master plans for irrigation benefitting tribal areas.

(b) The Tribal sub-plan prepared by the Government of Maharashtra includes an amount of Rs. 16.77 crores for minor irrigation schemes in adivasi areas during the 5th Plan period.

(c) Special Central Assistance for minor irrigation in tribal areas of Maharashtra under Tribal sub-plan will be of the order of Rs. 2.10 crores during the 5th Plan.

हरिजनों तथा आदिवासियों को भूमि का वितरण

83. **श्री संतोष राव गोढे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नये हरिजनों तथा आदिवासियों को, जिन्हें भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में भूमि आवंटित की गयी थी, हाल में उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बेदखल किये गये हरिजनों तथा आदिवासियों को भूमि वापस दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत हरिजनों व आदिवासियों की अलाट हुई भूमि की बड़े पैमाने पर बेदखली हुई है। कुछ समय पहले एक सूचना मिली थी कि बिहार में 378 मामलों में अलाटियों की बेदखली हुई है और राज्य सरकार ने कहा था कि वह उपयुक्त कार्यवाही कर रही है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्बल वर्गों के अलाटियों को भूमि की बेदखली से बचाया जाए।

निम्न आय वर्ग के रिहायशी मकानों का निर्माण करने के लिए प्राइवेट आर्किटेक्टों द्वारा पेशकश

84. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्टों तथा इंजीनियरों ने समूचे देश में निम्न आय वर्ग के रिहायशी मकान और फ्लैट निर्माण के सरकार के प्रयास को अपनी सेवाएं अर्पित करने की पेशकश की है;

(ख) क्या उनमें से कुछ ने अपने कार्य का ब्यौरा भी भेजा है, यदि हां, तो ऐसे आर्किटेक्टों और इंजीनियरों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कोई विशेष पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांकुरा में दाराकेशर बांध का निर्माण

85. **डा० विजय मण्डल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई कार्य के लिए जिला बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में दराकेशर बांध के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) लगभग

40000 हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का 18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दारकेश्वर जलाशय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव है। किन्तु अभी तक राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

हवाई छिड़काव करने के लिए हैलीकोप्टर का प्रयोग

86. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों को हवाई छिड़काव करने के लिए पर्याप्त सख्या में हेलीकाप्टर नहीं मिल रहे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कारण यह है कि देश में हेलीकाप्टरों को कमी है।

(ग) सरकार ने फिक्स्ड विंग/हेलीकाप्टरों की सहायता से हवाई छिड़काव करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ताकि वह देश में हेलीकाप्टरों के बेडे को सुदृढ़ करने के विषय में निर्णय कर सके।

बृहत भंडारण गोदामों का निर्माण

87. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को बृहत्त भण्डारण गोदामों का निर्माण करने के लिए कहा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह कार्य करने से मना कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने ऐसे गोदामों के संबंध में 500 लाख रुपये से अधिक के निर्माण कार्य पहले ही स्वीकार कर लिए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेहरू कांपलेक्स, नई दिल्ली के लिए भूमि

88. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित नेहरू कांपलेक्स के लिए जमीन किन-किन दरों पर अर्जित की गई और दी गयी ;

(ख) क्या जमीन के मालिक को मुग्रावजा मिल गया है; श्रौर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा मुश्रावजे की कितनी राशि श्रांकी गई है?

निर्माण श्रौर श्रावास तथा पूर्ति श्रौर पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नेहरू प्लेस के लिए सरकार ने विभिन्न पंचाटों के जरिए 1500 रुपये से 2500 रुपये के बीच तक प्रति बीघा की दरों पर श्रविकासित भूमि श्रर्जित की थी। भूमि का विकास कर दिया गया था श्रौर 66.4 एकड़ भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी थी जिसमें 150 रुपये प्रति वर्ग गज़ के प्रीमियम पर किए गए 16.6 एकड़ प्लाट वाले क्षेत्र में श्रनुमेय निर्मित क्षेत्र दर्शाया गया है।

(ख) तथा (ग) मुश्रावजे की रकम के बारे में मामला न्यायालय में निलम्बित होने या दावेदारों में उनके शेयर हित श्रादि के बारे में विवाद होने के मुश्रावजे को भुगतान कर दिया गया है।

मन्दिर मार्ग नई दिल्ली स्थित पुरान ढ़ंग के क्वार्टरों के लिए श्रावंटन के लिए प्राथमिकता सूची

89. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **निर्माण श्रौर श्रावास तथा पूर्ति श्रौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदिर मार्ग, इरविन रोड़ श्रौर काली बाड़ी रोड स्थित पुराने ढंग के क्वार्टर ऐसे लोगों को श्रावंटित करने के लिए उनकी कोई प्राथमिकता सूची बनाई हुई है जो टाइप-V के मकानों के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्वार्टरों के श्रावंटन की प्राथमिकता तिथि श्रलग-श्रलग क्या है; श्रौर

(ग) प्रत्येक बस्ती में टाइप V के क्वार्टरों की सम्पूर्ण प्राथमिकता क्या है?

निर्माण श्रौर श्रावास तथा पूर्ति श्रौर पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इन तथा श्रन्य कालोनियों के टाइप V के पुराने ढंग के मकानों के लिए एक पृथक संयुक्त प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है।

(ख) 5-11-1977 को 12-9-68 की अग्रता तारीख वाले अधिकारी का सूची में प्रथम स्थान था।

(ग) 5-11-1977 की 13-9-62 की अग्रता तारीख वाले अधिकारी का संयुक्त सूची में प्रथम स्थान था।

उर्वरक तथा कीटनाशक श्रौषधियों के मूल्य कम करने के लिए केरल द्वारा श्रनुरोध

90. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि श्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उर्वरक तथा कीटनाशक श्रौषधियों का निर्गम मूल्य कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार से श्रनुरोध किया है ताकि कृषि उत्पादन की लागत को कम किया जा सके; श्रौर

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि श्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केरल सरकार ने कृषि श्रौर सिंचाई मंत्रालय से एन० पी० के० (13-13-20) का मूल्य कम करने के लिए श्रनुरोध किया था, जिसका स्टाक केरल सहकारी विपणन संघ के पास था। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार से उर्वरकों तथा कृमिनाशी श्रौषधियों के मूल्यों में कमी करने के लिए कोई श्रन्य श्रनुरोध प्राप्त नहीं हुश्रा है।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम से अनुरोध किया गया था कि वे केरल सहकारी विपणन संघ से एन० पी० के० (13-13-20) का स्टाक अपने हाथ में ले लें और उन्होंने अब यह स्टाक उठाना शुरु कर दिया है।

तथापि भारत सरकार ने हाल ही में 12.10.77 से यूरिया का मूल्य प्रति मीटरी टन 100 रुपये तक कम कर दिया है।

नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के मामले में राज्य सरकारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

91. **श्री वयालर रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के मामले में राज्य सरकारों पर कोई प्रतिबन्ध लगाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार ने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (क) के अंतर्गत 17 जून 1972 के बाद स्थापित किसी विश्वविद्यालय को भी केन्द्र सरकार अथवा आयोग द्वारा सहायता नहीं दी जाती जब तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कुछ विश्वविद्यालयों को अनुदान के लिए उपयुक्तता) के नियम, 1974 के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु उपयुक्त घोषित न कर दे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कुछ मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार की हैं, जिनकी सूचना राज्य सरकारों को जनवरी, 1974 में देदी गई थी । इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार किसी राज्य सरकार द्वारा नए विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में उच्च शिक्षा के लिए मौजूद सुविधाओं तथा उसकी प्रक्षिप्त आवश्यकताओं का एक सर्वेक्षण होना चाहिए । किसी नए विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तैयार करने से, पहले आयोग को भी इस सर्वेक्षण के साथ सहयोजित किया जाना चाहिए।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर गोष्ठी

92. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने जून, 1976 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर मैसूर में एक गोष्ठी का आयोजन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गईं और इस पर कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) 14 से 16 जून, 1976 तक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र (रा० शै० अ० प्र० परि०) द्वारा मैसूर में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी ।

(ख) गोष्ठी ने कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं कीं क्योंकि इसका उद्देश्य शैक्षिक प्रोद्यौगिकी जो तुलनात्मक रूप से एक नया विषय है, के क्षेत्र में बुनियादी धारणों तथा विषयों को स्पष्ट करना और इस क्षेत्र में कार्य नियत करना था।

गोष्ठी में हुए विचार-विमर्श के आधार पर शैक्षिक प्रोद्योगिकी केन्द्र (रा० शै० अ० प्र० परि०) ने दो दस्तावेज तैयार किए एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी की धारणा पर तथा दूसरा शैक्षिक प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में नियत कार्यों पर।

गोष्ठी पर कुल 14,864.96 रु० खर्च हुए।

ऐसे अधिकारियों के नाम जिन्हें अक्टूबर, 1975 के प्रथम सप्ताह में टाइप IV के क्वार्टर आवंटित किये गये

93. **श्री नवाब सिंह चौहन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के नाम क्या है जिन्हें अक्टूबर, 1975 के प्रथम सप्ताह में टाइप IV के क्वार्टरों आवंटित किये गये थे ;

(ख) उन अधिकारियों ने किन-किन तारीखों को इन क्वार्टरों का कब्जा लिया था ; और

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने निर्धारित अवधि के अन्दर उन्हें आवंटित किये गये क्वार्टर का कब्जा नहीं लिया था और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) :

1. सर्वश्री आर० के० महेश्वरी
2. ए० के० राय
3. डी० के० तैहान
4. वी० एन० झा०
5. आर० के० कलसी
6. एम० एस० रावत
7. हंसराज सिंह
8. एम० चक्रवर्ती
9. एच० सी० वर्मा
10. पी० के० मिश्रा
11. राजेश्वर प्रसाद
12. एम० के० सेन
13. पी० सिंह
14. पी० आर० नाम्बीसन
15. एम० आर० नारायण
16. एस० पी० गोयल
17. वी० आर० बहल
18. वी० पी० बोहरा
19. जगत प्रकाश गुप्ता
20. एम० के० अप्पाया
21. कोदाली अंजली

22. सी० आई० सुब्रामनियन
23. के० गो० बिन्दन
24. एम० आर० चिदाबरम
25. के० सुधाकरन
26. बी० एन० टंडन
27. ए० सी० दास
28. एस० एन० शर्मा
29. एस० कुमार
30. डी० के० सहगल
31. साधुराम
32. वाई० पी० सूद
33. के० एस० अदम्या
34. एस० एन० पुरी
35. डी० आर० हान्डा
36. एन०डी० खुरखन्दा

(ख) और (ग) श्री आर० के० महेश्वरी [(क्रम संख्या 1 (अ)] को छोड़कर शेष सभी अधिकारियों ने जिन्होंने आवंटन स्वीकार किया था उन्होंने मकान का कब्जा निर्धारित समय की अवधि में ही ले लिया था। इस अधिकारी ने क्वार्टर का कब्जा दिनांक 19-11-77 को लिया था, परन्तु इस क्वार्टर के संबंध में उसके खिलाफ़ कोई भी दंड-कार्रवाई नहीं की गई।

वन्दोबस्त अधिकारी, दिल्ली के पास लंबित दावों के समायोजन के मामले

94. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्दोबस्त अधिकारी, नई दिल्ली के पास उल्हासनगर और खोपाड़ी कालोनी, जिला थाना (महाराष्ट्र) के विस्थापित व्यक्तियों के कितने मामले समायोजन के बारे में लम्बित हैं ;

(ख) इन मामलों में कितनी धनराशि अर्न्तग्रस्त है ;

(ग) क्या इन विस्थापित व्यक्तियों के दावों का समायोजन लगातार कई वर्षों से चल रहा है ;

(घ) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन मामलों पर अंतिम रूप से कब तक निर्णय लिया जायेगा और संबंधित व्यक्तियों को भुगतान किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) और (ख) चूंकि उल्हासनगर और खोपाड़ी कालोनी के दावों के समायोजन के संबंध में लंम्बित मामलों के लिए कोई भी रजिस्टर अलग से नहीं रखा गया है अतः इस प्रकार के मामलों की ठीक-ठीक संख्या और उनसे सम्बन्धित धनराशि की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी हां, ये मामले निम्नलिखित कारणों से लंबित पड़े हैं :--

(i) दावेदारों और उनके सहयोगियों द्वारा उत्तर का अभाव

(ii) राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों द्वारा 'धन न लौटाए जाने के प्रमाण-पत्र' जारी न किया जाना ; और

(iii) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित औपचारिकताओं/अपेक्षाओं का अनुपालन न किया जाना।

(ङ) इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड के अप्रचलित नियम

95. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के टेनेंट्स एसोसियेशन, अम्बरनाथ, जिला थाना (महाराष्ट्र) द्वारा दिया गया दिनांक 23 जुलाई, 1977 का अभ्यावेदन मिला है जो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के एकपक्षीय नियमों एवं पुराने विनियमों के बारे में है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कार्यवाही कब की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एसोसियेशन ने एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :—

(1) औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन निर्मित मकानों के आवंटन/मकान रखने के लिए पात्रता की आय-सीमा 500 रुपये से 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ा दी जाये।

(2) उपर्युक्त मकानों के बारे में किराये की परिधि में कमी कर दी जाये ; और

(3) यदि उपर्युक्त सुझाव सरकार को मान्य नहीं है तो इन मकानों को "आन यूअर औन हाऊस" की योजना में परिवर्तित कर दिया जाये ; अर्थात् ये मकान उन्हीं में रहने वाले को बेच दिये जायें।

(ख), (ग) और (घ) औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना इस मंत्रालय द्वारा सन् 1952 में आरम्भ की गई थी। सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यह योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न आय वाले औद्योगिक कर्मचारियों और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को किराये में आर्थिक सहायता प्रदान करने के आधार पर आवासीय स्थान दिलाना है। इस योजना की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जिन व्यक्तियों की मासिक आय 500 रुपये से अधिक नहीं हैं, मकानों के आवंटन के लिए हकदार हैं। फिर भी, 351 रुपये से 500 रुपये प्रति माह तक के आय वर्ग में आने वाले आवंटियों के मामले में, आर्थिक सहायता के रूप में दिये गये सामान्य किराये के अतिरिक्त, मकानों के लिए आर्थिक सहायता पर 50 प्र० श० ब्याज प्रभार के बराबर अतिरिक्त प्रभार उनसे वसूल किया जाता है। किसी माकान वाले कर्मचारी से, जिसकी आय 500 रुपये प्रति माह से अधिक हो गई है, जब तक वह मकान खाली नहीं कर देता, उसे सस्ती दर पर पूरा किराया वसूल किया जाता है।

2. मन्त्रालय की उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों के आधार पर जुलाई 1975 में इस योजना के अधीन निर्मित मकानों के पहली बार आवंटन के लिए पात्रता वर्तमान आय-सीमा निर्धारित की गई थी। यह समिति विभिन्न आवासीय योजनाओं से सम्बधित कतिपय मामलों पर विचार

करने के लिए नियुक्त की गई थी । इस सीमा परिवर्तन करने के लिए अन्य स्रोतों से भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों की जांच करते हुए यह महसूस किया गया कि यह सच है कि कुछ संगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि हो गई है, लेकिन तथ्य यह है कि अधिकांश कर्मचारी 500 रुपये प्रति माह से कम वेतन ले रहे हैं। अतः इन अनुरोधों को स्वीकार करना सम्भव नहीं था।

3. जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख कर दिया गया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले कर्मचारियों को आवासीय स्थान प्रदान करना है। यही कारण है कि जिन कर्मचारियों की आय 351 और 500 रुपये प्रति माह के बीच है उनके लिए कुछ अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया गया है और जिनकी आय 500 रुपये प्रति माह से अधिक है उनके लिए सस्ता किराया निर्धारित किया गया है।

4. जहां तक इन मकानों को बेचने की अनुमति देने के लिए ऐसोसियेशन के अनुरोध का सम्बन्ध है, उपयुक्त आवंटियों को ऐसे मकान बेचने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति देने का प्रश्न इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

Authority Entrusted with the Building Activity at Village Arakpur

No 95. **Shri Lalji Bhai** : Will The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the name of the department such as the D.D.A. or the Corporation which have been entrusted with the building activities at a New Delhi Village, Arakpur Bagh Mochi (near Moti Bagh, Nanakpura) and the name of the Department which would issue lay-out plans etc;

(b) whether sewers have been laid in the village; if not, when the same would be laid and the name of the Department entrusted with this work; and

(c) whether Government would do justice with the people of the village who were deprived of the facility during the Congress regime, by laying there the sewers at an early date ?

The Minister of Works & Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) The village falls within the jurisdiction of the Municipal Corporation of Delhi' which exercises regulatory control over the building activity, if any, in the area, but does not do *suo moto* construction. It is only in 'the Development Area that the Delhli Development Authoriy constructs buildings on land acquired for or available with it; otherwise for construction by private party on lands owned by or allotted to them it only exercises regulatory control. Village Arakpur Bagh Mochi is outside the Development Area; and no department has been entrusted with taking up building activity, *suo moto*.

(b) Sewers have not been laid in this village. The Municipal Corporation lays trunk sewer lines where it consider this necessary and according to its own priority depending on the availability of funds. There is no proposal as yet to construct such sewer lines in this area at present as it is not priority area, yet.

(c) The question does not arise.

Suicide by stenographer of Central Board of Secondary Education

†97. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a stenographer working in Central Secondary Education Board has committed suicide;

(b) the facts of the case ;

(c) whether Government propose to entrust the investigation in this case to C.B.I.; and

(d) have Government suspended the officers of the Board connected with the case in order to find out the reality ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) & (b) Late Shri R.K. Arora, a senior Clerk of the Central Board of Secondary Education, committed suicide on 21-7-1977.

(c) The matter is already under Police investigation.

(d) The matter will be considered by the Central Board of Secondary Education/ Controlling Authority of the Board after the report from the Police is received.

दिल्ली में अनधिकृत मकानों का गिराया जाना

98. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रित कालोनियों में बनाये गये अनधिकृत मकान का गिराया जाना केन्द्र में नई सरकार के सत्ता में आ जाने के बाद भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे इस प्रकार से मकान गिराना तुरन्त बन्द कर दें और अब के बाद उन्हें नियमित कर दें ;

(घ) यदि हां, तो क्या मकान गिराने के इस काम को उक्त अनुरोध के बाद बन्द कर दिया गया है; और

(ङ) उन्हे नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को भूमि का आवंटन

99. डा० **हेनरी आस्टिन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 18 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3898 में मांगी गई सूचना प्राप्त कर ली गई है, यदि हां तो क्या वह सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ख) क्या सात समूह आवास समितियों को भी वर्ष 1973, 1974 में कालकाजी और महरौली में भूमि आबंटित की गई थी ;

(ग) दक्षिण दिल्ली में मस्जिद मोठ और रामकृष्णपूरम में, जहां बोर्ड लगा दिए गए है, कितनी समितियों को भूमि देने का आश्वासन दिया गया है ; और

(घ) क्या कुछ समितियों ने यह कहा है कि अगर सात समितियों को भूमि दे दी गई है तो अन्य समितियों के नाम पर दक्षिण दिल्ली में भूमि आबंटित करने के लिए विचार क्यों नहीं किया जा सकता ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां । इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) पांच ग्रुप आवास समितियों को 1973 तथा 1974 में कालकाजी और महरौली क्षेत्र में भूमि का आवंटन किया गया था ।

(ग) केवल एक समिति अर्थात् प्रेस एसोसियेशन ग्रुप आवास समिति, जिसे पहले ही भूमि का आबंटन किया जा चुका है, अपनी भूमि को पहचान के लिए साइन बोर्ड लगा रखा है।

(घ) जी, हां।

ग्रुप आवास समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण की दक्षिण दिल्ली में भूमि का आवंटन

100. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 3879 से मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जाएगा ;

(ग) क्या सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि प्राइवेट और बड़े-बड़े व्यापारियों को दक्षिण दिल्ली में भूमि नहीं दी जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी ग्रुप आवास समितियों को कितनी भूमि दी जाएगी जो वर्ष 1970 से प्रतीक्षा सूची में है और जिनके सदस्य निम्न आय वर्ग के हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दक्षिण दिल्ली की छः सोसाइटियों को भूमि का आबंटन किया गया है और एक को जिसे भूमि देने का वचन दिया गया था, अभी भूमि अलाट की जानी है। प्रीतमपुरा, पश्चिम पुरी, बोदेल्ला और पश्चिम दिल्ली की अन्य सहकारी समूह आवास सोसाइटियों को भूमि की पेशकश की गई है। भूमि कितनी चाहिए वह सोसाइटियों की सदस्य संख्या पर निर्भर होगा।

Realisation of Market Rent in Instalments

101. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works & Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to U.S.Q.No. 1900 on 27-6-77 regarding Market Rent Charged from Government Employees and state :

(a) whether the requisite information has since been collected and if so, the details thereof; and

(b) the persons from whom market rent is being realised in instalments and the reasons therefor ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) The information has been collected and is being scrutinised.

(b) Where the outstandings on account of Market Rent are heavy, recovery is made in instalments to avoid hardship.

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

102. **श्री बलदेव सिंह जसरोया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों और विशेषकर उन्हें जिन्होंने दिल्ली को अपना स्थायी निवास नगर कर रखा है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट/प्लाट आदि आवंटित करने की कोई व्यवस्था की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सेवा निवृत्त ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशिष्ट योजना 1972 में आरम्भ की गई थी जिन्होने दिल्ली को अपना स्थायी निवास स्थान घोषित किया है तथा वे व्यक्ति जिन्होंने अपना नाम उस समय पंजीकृत करवाया था, उनमें से कुछ को फ्लैट आवंटित कर दिए हैं तथा शेष प्रतीक्षा पर हैं। फ़िलहाल इस प्रकार की ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन संबंधित सरकारी कर्मचारी दिल्ली विकास प्राधिकरण की सामान्य योजना के अन्तर्गत अपना नाम पंजीकृत कर सकता है।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय की हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की सदस्यता

103. **श्री डी० अमात** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 25 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4756 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की हाऊस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटिड ने अपने सदस्य को प्लाटों का आवंटन करने के लिए फरवरी, 1977 में लाटरी निकाली थी और ऐसे अनेक प्रभावशाली लोगों के नामों को शामिल कर लिया था जिन्हें 3 अगस्त, 1967 से बहुत बाद में प्रवेश दिया गया था और सोसाइटी ने ऐसे कुछ मूल सदस्यों के मामलों को विचाराधीन रखा था जो 1959, 1960 और 1961 से सोसाइटी के सदस्य थे और जिन्होंने सोसाइटी की पूरी देय राशि दे दी थी तथा औपचारिकताएं पूरी कर दी थीं परन्तु जिनका नाम लाटरी निकलने में सम्मिलित नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन मूल सदस्यों का उनके अधिकार से वंचित किए जाने के मामले में जांच करेगी और पुनः लाटरी डाले जाने और नकली सदस्यों को हटाये जाने के आदेश देगी; और

(ग) यदि नहीं तो अपने अधिकार से वंचित किए गए इन मूल सदस्यों की सरकार किस प्रकार से सहायता करेगी?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) तक : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली/नई दिल्ली में पट्टे वाले प्लाटों को बिना पट्टे वाले प्लाटों में बदलना

104. **श्री डी० अमात** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली तथा नई दिल्ली में पट्टे वाले प्लाटों को बिना पट्टे वाले प्लाटों में बदलने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख), (ग) तथा (घ) : इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1978 के अन्त तक दे देगी। रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर विचार करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाएगा।

अन्य देशों के व्यक्तियों द्वारा बच्चों को गोद लिया जाना

105. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) 1 अप्रैल 1976 से 31 मार्च, 1977 और (दो) 1 अप्रैल 1977 से 1 अक्टूबर 1977 तक की अवधि के दौरान भारत से अन्य देशों के व्यक्तियों ने कितने बच्चों को गोद लिया है ;

(ख) किन-किन देशों में पालक माता-पिताओं ने उनमें से कितने तथा कितनी आयु के बच्चों को गोद लिया ; और

(ग) सरकार ने अन्य देशों के व्यक्तियों द्वारा भारत से बच्चे गोद लेने के कार्य का संचालन करने वाली कितनी सामाजिक अथवा संगठित एजेंसियों को मान्यता दी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) भारत में दत्तक ग्रहण के वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत विदेशी नागरिको द्वारा भारतीय बालकों की गोद लिए जाने की इजाजत नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

आपात स्थिति के दौरान शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किया जाना

106. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के विभिन्न तकनीकी स्कूलों में 10 से 15 वर्षों तक काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी आपात स्थिति के दौरान सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था तथा जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया था; और

(ख) उनकी सेवाओं को समाप्त करने के क्या कारण हैं तथा उन्हें सेवा में बहाल करने तथा खपाने के लिए अब तक क्या कार्यवाई की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : उच्चतर माध्यमिक तकनीकी स्कूल, नरेला मई, 1975 में बन्द किया गया था । यह निर्णय, दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक तकनीकी स्कूलों के कार्यकरण के पुनरीक्षण हेतु मई, 1974 में उप-राज्यपाल द्वारा नियुक्त पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर, लिया गया था । इस स्कूल के बन्द होने से 155 व्यक्ति फालतू हो गए । परन्तु दिल्ली प्रशासन द्वारा उन्हें वैकल्पिक रोज़गार देने के प्रयास किए गए तथा अप्रैल, 1976 में केवल 73 व्यक्तियों की सेवाएं ही समाप्त की गईं । इनमें से ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवा 10 वर्ष या अधिक की थी केवल 48 थी । उनमें से 29 को पहले ही वैकल्पिक रोज़गार प्रदान किया जा चुका है । अब केवल 19 को ही खपाना है। उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पेयजल योजना

107. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जिले में कितने गांव राष्ट्रीय पेयजल योजना के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के और अधिक गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने गांव हैं; और

(घ) राष्ट्रीय पेयजल योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के सभी गांवों में पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 3271 ग्रामों में पेय जल की पूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है । जिलावार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) : जी हां । केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अधीन लगभग 1000 समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए 97 योजनायें अनुमोदित कर दी गई हैं । जिलावार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

जिले का नाम	ग्रामों की संख्या
1. शिमला	34
2. सोलन	12
3. सिरमोर	13
4. कुल्लू	21
5. चम्बा	61
6. बिलासपुर	46
7. हमीरपुर	193
8. ऊना	67
9. कांगड़ा	448
10. मण्डी	104
11. लाहौल व सपिति	1

(घ) हिमाचल प्रदेश के सभी ग्रामों में सरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने के बारे में कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती ।

Facility for Registration for DDA Flats for Central Government Employees

108. **Shri Ganeshwar Prasad Yadav :**
Shri M.A. Hannan Alhaj :

Will the Minister of **Works & Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that many Central Government employees are unable to make registration for DDA flats because of their financial hardship ;

(b) if so, whether Government propose to provide such a facility to Central Government employees under which they are not required to make payment at the time of registration and if they are required to make payment, deductions thereof may be made from their salaries in small instalments; and

(c) if so by what time such arrangement will be made, and if not, why not ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):

(a) The Government have no information.

(b) & (c) : Many Government employees have got themselves registered with D.D.A. by making initial registration deposit. Hence the question does not arise.

Demand for Change in Primary Education

†109. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :**
Shri M.A. Hannan Alhaj :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether in the National Conference on Education Policy, a demand was made for change in the primary education and for extending the present primary education system upto seventh standard; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) No National Conference on Education Policy has been held.

(b) Does not arise.

पेयजल की सप्लाई के लिए केरल को आवंटित राशि

110. **श्री स्कारिया थामस :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल के गावों तथा हरिजनों, कृषि श्रमिकों और किसानों वाले अन्तर्वर्ती क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई के लिए कोई राशि आवंटित की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : जल पूर्ति पांचवीं पंचवर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में है और ग्रामीण जलपूर्ति योजना के लिए निधियों का प्रावधान उक्त क्षेत्र में किया जाता है ।

तथापि, ऐसे समस्याग्रस्त ग्रामों में जहां 1.6 कि०मी० के फासले तक पेयजल के साधन नहीं है या जहां जल साधनों में हैजा जैसी स्थानिक मारी है अथवा जहां पेयजल साधन नहरूआ से ग्रहस्त हैं या जहां जल साधनों में क्लोराइड, फलोराईड आदि जैसे विषाक्त रसायन हैं, वहां पेयजल मुहैया करने के लिए 1977-78 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ किए गए त्वरित ग्राम्य जलपूर्ति के नये कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने केरल राज्य को 100 लाख रुपये की राशि नियत की है। इस फण्ड का नियतन राज्य क्षेत्र के ग्राम्य जलपूर्ति के लिए दिए गए फण्ड के अतिरिक्त है ।

दिल्ली दुग्ध योजना में हड़ताल

111. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**
श्री दयाराम शाक्य :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों ने 22 सितम्बर, 1977 को अचानक हड़ताल की थी, और

15 LSS/77—7

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हड़ताल बिना किसी नोटिस के एकदम की गई । हड़ताल करने का बहाना यह था कि 21-22 सितम्बर, 1977 को एक वितरण रूट पर तैनात दिल्ली दुग्ध योजना के स्टाफ पर आक्रमण होने के मामले को पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया था ।

हड़ताल अवैध तथा अनाधिकृत थी । अतः उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कर्मचारियों को उस दिन का (22 सितम्बर, 1977 का) वेतन नहीं दिया गया ।

Shortage of Pulses

112. **Shri Surendsa Bikram :**
Shri Chandradeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the measures being taken by Government to meet the shortage of pulses being experienced throughout the country; and

(b) whether the department has not conducted any research so far, for raising production of pulses ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The Govt. is taking the following short-term and long term measures to increase the production of pulses :

(i) Short term :

increase their productivity by use of improved seed, rhizobium culture, application of phosphatic fertiliser, adoption of need based plant protection measures and training of extension worker/farmers in improved technology.

(ii) increase area under pulses by cultivation of short duration varieties of moong, urd, cowpea after wheat harvest under irrigated conditions and in rice-fallows by intercropping with pulses.

(iii) announcement of increased support price for gram from Rs. 95/- to Rs. 125/- per quintal.

(iv) subsidy on improved seeds @Rs. 100/- per quintal.

(v) subsidy on Plant Protection chemicals @25% and Plant Protection Equipment 50%.

(vi) Financial assistance to the States for increasing the production of rhizobial @culture.

(b) No Sir. Research on pulses is in progress by the Indian Council of Agricultural Research. Improved varieties of different pulse crops possessing wide adaptability and short-duration varieties to suit different cropping patterns have been indentified. They have a measure of superiority over local varieties grown by farmers. Research has also revealed that use of phosphatic fertilisers boosts yield of pulse crops and use of rhizobium culture is also beneficial for their yields.

दिल्ली हरियाणा और राजस्थान के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

113. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बाढ़ पीड़ितों के लिए अपना सहयोग देने हेतु कितने तथा कौन-कौन से सामाजिक तथा स्वयंसेवी संगठन आगे आये; और

(ख) क्या कुछ अन्य देशों से भी वित्तीय तथा चिकित्सा सहायता दी गई और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खरीफ खाद्यान्नों के लिए व्यापार और वितरण की नई नीति

114. **डा० हेनरी आस्टिन :**
श्री ओ०वी० अलगेशन :
श्री जी०वाई० कृष्णन :
श्री समर गुहा :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री डी०डी० देसाई :
श्री सी०के० चन्द्रप्पन :
श्री पी०जी० मावलंकर :
श्री एस०जी० मुरुगायनन :
श्री के० प्रधानी :
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री एस०एस० गुप्ता :
श्री एम०एन० गोविन्दन नायर :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री एम० कल्याण सुन्दरम :
श्री राजकेशर सिंह :
श्री के०टी० कोसल राम :
श्री अहमद हुसेन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खरीफ खाद्यान्नों के लिए व्यापार और वितरण की नई नीति हाल ही में घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने इस नीति का अनुमोदन नहीं किया है;

(ग) क्या खाद्यान्न सम्बन्धी नीति पर केन्द्र और पश्चिम बंगाल के बीच वार्ता असफल रही है और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल और केन्द्र के बीच विवाद के मुद्दे क्या हैं;

(घ) अन्य कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस नीति का अनुमोदन नहीं किया है; और

(ङ) क्या चावल को लाने ले जाने पर रोक न होने के कारण विभिन्न राज्यों में चावल के मूल्य में वृद्धि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने 1977-78 मौसम के लिए खरीफ अनाजों के मूल्य तथा उनकी वसूली नीति की हाल ही में घोषणा की है ।

(ख), (ग) और (घ) : धान/चावल के संचलन पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम की सरकारों की कुछ शर्तें हैं लेकिन उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह कार्य राष्ट्र के व्यापक हित में किया गया है ।

(ङ) देश के अधिकांश भागों में चावल के मूल्यों में गिरावट आई है । तथापि, आन्ध्र प्रदेश और केरल में इसके मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है और तमिलनादु में मिलीजुली प्रवृत्ति रही है ।

दाल, गेहूं और चावल के मूल्य में वृद्धि

115. **डा० हेनरी आस्टिन** :
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री राजेकेंशर सिंह :
श्री सी०के० जाफर शरीफ :
डा० मुरली मनोहर जोशी :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान दाल, गेहूं और चावल के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों में दालों की कमी अनुभव हुई है;

(घ) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) मूल्यों को कम करने और कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मार्च, 1977 के पिछले सप्ताह से 22 नवम्बर, 1977 तक चावल, गेहूं और दालों के थोक मूल्यों के सूचकांक को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । इस विवरण से विदित होगा कि चावल के मूल्य सूचकांक में मार्च, 1977 के अंत से सितम्बर, 1977 के पहले सप्ताह तक तेजी रही है; उसके बाद चावल का मूल्य सूचकांक 22 अक्तूबर, 1977 को 173.8 से गिरकर 169.0 पर आ गया है, अर्थात् 2.8 प्रतिशत की गिरावट आई है ।

(ख) अप्रैल और मई, 1977 के विपणन महीनों के दौरान गेहूं के मूल्यों में गिरावट आई लेकिन जून-अगस्त, 1977 के दौरान उसमें मामूली वृद्धि हुई है। तभी वे से वे लगभग स्थिर रहे । गेहूं का मूल्य सूचकांक, जोकि 22 अक्तूबर, 1977 को समाप्ताह के दौरान 153.1 पर था, मार्च, 1977 के अंत के 159.3 के सूचकांक की तुलना में 3.9 प्रतिशत तक गिर गया ।

दालों के मूल्यों में सामान्यतया तेजी का रुख रहा है । मूल्य सूचकांक मार्च, 1977 के अंत में 171.0 से बढ़कर अक्तूबर, 1977 के पहले सप्ताह में 229.9 हो गया लेकिन उसके बाद गिरावट आने लगी और 22 अक्तूबर, 1977 को समाप्त होने वाले सप्ताह में यह 220.3 हो गया । पहली और 22 अक्तूबर, 1977 के बीच दालों के मूल्य सूचकांक में 4.2 प्रतिशत की गिरावट आई है ।

(ख) दालों और चावल के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः 1975-76 की तुलना में 1976-77 के दौरान उनके उत्पादन में कमी होने और मूल्यों में सामान्य वृद्धि होने के रुख की सहानुभूति के कारण हुई है ।

(ग) देश में कुल मिलाकर दालों की कमी है ।

(घ) उत्पादन में कमी ।

(ङ) कुछ अल्पकालिक विनियामक उपाय अपनाने के अलावा, दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खास जोर दीर्घकालिक उपायों पर दिया जा रहा है जिनमें चने के लिए ऊंचा समर्थन मूल्य देने संबंधी प्रोत्साहन की घोषणा करना शामिल है ।

चावल, गेहूं और दालों के थोक मूल्यों के सूचकांक

विवरण

(आधार : 1970-71-=100)

माह/सप्ताह		चावल	गेहूं	दालें
मार्च	26-3-77	156.8	159.3	171.0
अप्रैल	2-4-77	158.2	155.0	165.8
	9-4-77	159.8	155.1	165.6
	16-4-77	161.0	153.0	167.4
	23-4-77	161.2	148.7	166.6
	30-4-77	161.8	146.2	172.6
मई	7-5-77	162.8	146.6	177.9
	14-5-77	163.7	148.1	189.6
	21-5-77	164.7	149.8	191.2
	28-5-77	162.9	149.3	189.1
जून	4-6-77	164.2	149.7	188.3
	11-6-77	165.2	149.2	187.5
	18-6-77	165.6	150.0	189.7
	25-6-77	169.5	150.6	100.5
जुलाई	2-7-77	171.0	150.7	189.2
	9-7-77	173.2	151.4	200.2
	16-7-77	172.1	153.1	200.6
	23-7-77	172.4	153.2	198.2
	30-7-77	173.4	152.6	195.3
अगस्त	6-8-77	173.6	152.6	196.5
	13-3-77	173.8	153.1	198.1
	20-8-77	173.4	152.2	199.3
	27-8-77	173.6	151.7	202.4
सितम्बर	3-9-77	173.8	152,3	204.5
	10-9-77	173.8	151.9	211.9
	17-9-77	163.0	153.5	220.6
	24-9-77	170.6	154.4	229.3
अक्तूबर	1-10-77	169.1	153.4	229.9
	8-10-77	169.3	153.4	220.0
	15-10-77	168.9	153.4	217.8
	22-10-77	169.0	153.1	220.3

Transfer of Primary Teachers of Central Schools

†116. **Shri Chandradeo Prasad Verma : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision not to transfer Primary teachers of Central Schools to far off places ; and

(b) if so, the details of the decisions taken ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) and (b) Yes, Sir. The policy has been that the Primary teachers may not, generally be transferred outside the Region.

मराठी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें

117. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 से 1976-77 के दौरान मराठी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की कितनी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं.

(ख) इनकी, विषयवार सूची क्या है; और

(ग) ऐसी पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए यदि कोई भावी कार्यक्रम हैं तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय पुस्तक निर्माण बोर्ड ने वर्ष 1974-75 से 1976-77 के दौरान मराठी भाषा में निम्नलिखित 122 पुस्तकें प्रकाशित की हैं;

1974—75——40
1975—76——43
1976—77——39

122

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान प्रकाशित की गई पुस्तकों की विषयवार सूचियां संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1018/77]

(ग) बोर्ड के पास 180 पांडुलिपियां हैं और धन राशि उपलब्ध होने पर बोर्ड की 48 पांडुलिपियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और शेष पांडुलिपियों को वर्ष 1978-79 के दौरान प्रकाशित करने की योजना है ।

केन्द्रीय मंत्रियों के लिए मकान

118. **श्री सौगत राय :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रियों के लिए नये मकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान मकानों और बंगलों का क्या करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) मौजूदा बंगलों के क्षेत्र का मास्टर प्लान/जोनिल प्लान के अनुसार पुनर्विकास किया जाना है ।

कलकत्ता में खराब चावल का वितरण

119 **श्री सौगत राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने यह आरोप लगाया है कि केन्द्र कलकत्ता में अपने स्टाक से 20 लाख टन खराब चावल वितरित करना चाहता है;

(ख) क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है; और

(ग) इस आरोप के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) : जी नहीं । पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में पहली अक्तूबर, 1977 को चावल की कुल मात्रा 2.19 लाख मीटरी टन थी जिसमें से केवल 0.11 लाख मीटरी टन चावल घटिया किस्म का था ।

तथापि, पश्चिमी बंगाल सरकार से भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए जा रहे चावल के बारे में एक शिकायत मिली थी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उचित औसत किस्म के खाद्यान्न देने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के दल ने मिलकर इस शिकायत की तत्काल जांच की थी । राज्य सरकार के साथ संयुक्त निरीक्षण की एक प्रणाली लागू की गई है ताकि अच्छी किस्म का स्टाक सुनिश्चित् किया जा सके ।

अतः ये आरोप निराधार है ।

Central aid for Protecting wells from becoming Alkaline

120. **Shri Dharamasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the water of wells of peasants has become alkaline within a radius of two to six kilometers from sea coast from, Maini to Porbandar, Madhavpur, Shil, Mangrol, Chorwad, Veraval, Kodinar, Una, Rajula and Mahuva; and if so, the number of such wells and area of agricultural land rendered alkaline ;

(b) whether the Gujarat Government have formulated any scheme and sought Central assistance for protecting these wells and land or converting this water into sweet water and, if so, when and the nature and extent thereof; and

(c) the action taken and proposed to be taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes. Abut 16,000 wells and 500 sq. km. of Agricultural land have been reported, as rendered alkaline, by the Government of Gujarat.

(b) & (c): A Pilot Scheme for Artificial Recharge and control of Salinity in Gujarat with an estimated cost of Rs. 92.7 lakhs framed by the State Government was examined by the Central Ground Water Board and also discussed on 2nd September, 1977 between the concerned officials of both Central and the State Governments. It was agreed that the Project proposals, as prepared by Government of Gujarat need modifications and the same after necessary modifications would be submitted by the State Government soon. The modified scheme is still avaited from the State Government.

रताई कालोनी (राजस्थान) के निवासियों का अभ्यावेदन

121. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की रताई कालोनी के निवासियों से मई और जुलाई, 1977 में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रवासियों द्वारा प्रस्तुत की गई मुख्य आवश्यकताओं में, अच्छी प्रकार की कृषि भूमि, आवासीय क्वार्टरों का निर्माण, चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाएं और पीने के पानी की व्यवस्था शामिल हैं

(ग) योजना, राजस्थान सरकार के माध्यम से प्रशासित की जा रही है, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि रताई कालोनी में प्रवासियों की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई है।

सोहागपुर कैम्प (म०प्र०) के शरणार्थी निवासियों का अभ्यावेदन

122. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोहागपुर कैम्प (म० प्र०) के शरणार्थी निवासियों से जून, 1977 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदनों में कहा गया था : राज्य नहर प्राधिकारियों द्वारा मजदूरी बिल से कोई कटौती न की जाए ; काटे गए नकद बेकारी अनुदान और परिवार नियोजन अभियान के दौरान पारिवारिक कार्डों में नवजात बच्चों को शामिल नहीं किया था। उन्हें शामिल किया जाए ; शिविरों से निकाले गए परिवारों को शिविरों में पुनः प्रवेश दिया जाए; धान उगाने के लिए प्रवासियों को उपयुक्त भूमि दी जाए; और बरतनों तथा कपड़ों के लाभ भी दिए जाने चाहिए।

(ग) शिकायतों पर ध्यान दिया गया है और उनका समाधान कर दिया गया है। मजदूरी बिल से कटौतियां राज्य सरकार के नियमों के अधीन की जाती हैं। जहां तक संभव होता है, यदि भूमि उपलब्ध हो, प्रवासियों को धान की भूमि दी जा रही है।

तमिलनाडु के गांवों में पीने का पानी

123. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करने की योजनाओं में क्या प्रगति हुई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में उक्त योजना के लिए गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्षों में कितनी धनराशि की मंजूरी दी है, और

(ग) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु और गुजरात में उक्त योजनाओं के लिए विशेषतया मद्य निषेध के कारण होने वाली राजस्व की हानि से उनके संसाधन कम रह जाने के कारण और अधिक धनराशि की मंजूरी देने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार तमिलनाडु राज्य के 15,735 ग्रामों में से लगभग 3900 ग्रामों को पेयजल की सुविधायें वर्ष 1975-76 के अन्त तक दे दी गयी थीं।

(ख) जलपूर्ति सहित सभी राज्य प्लान योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता समेकित अनुदानों तथा समेकित ऋणों के रूप में दी जाती है। तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई ऐसी सहायता की राशि मालूम नहीं है।

समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए चालू वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति का एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन राज्यों को वर्ष 1977-78 के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। उपर्युक्त कार्यक्रम के अधीन तमिलनाडु राज्य को 140.00 लाख रुपये का नियतन किया गया है। इसमें से इस राज्य को 37.3 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त के रूप में दे दिए गए हैं।

(ग) तमिलनाडु या गुजरात या किसी अन्य राज्य को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अधीन और केन्द्रीय सहायता देना, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादन के लिए अनुमोदित जलपूर्ति योजनाओं के निष्पादन की प्रगति पर निर्भर करेगा। नशाबन्दी के कारण राजस्व में यदि कोई हानि हो तो राज्यों को उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए इस कार्यक्रम में कोई व्यवस्था नहीं है।

चीनी सम्बन्धी दोहरी मूल्य नीति

104. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री डी०डी० दसाई :
श्री उग्रसेन :
श्री आर० कोलनायाइवेलु :
श्री वसन्त साठे :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
डा० बापू कालदाते :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी सम्बन्धी दोहरी मूल्य नीति समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चीनी उद्योग, व्यापार एसोसिएशनों आदि समेत विभिन्न पक्षों से चीनी की आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति को जारी रखने और चीनी की दोहरी मूल्यनीति का परित्याग करने के समर्थन में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सभी पहलुओं और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रतिक्रियाओं पर सावधानी से विचार करने के बाद सरकार ने आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति को जारी रखने का निश्चय किया है। तथापि, राज्यों से यह कहा जाएगा कि वे लेवी चीनी के वितरण के प्रयोजन के लिए ग्रमीण तथा शहरी जनसंख्या के साथ समान व्यवहार करें।

(ख) : दोहरी मूल्य नीति का परित्याग करने के पक्ष वाले सामान्यतया ये कारण प्रस्तुत करते हैं कि नियंत्रण से भ्रष्टाचार पनपता है और लेवी चीनी विशेषकर ग्रामीण इलाकों की जनता तक वास्तव में नहीं पहुंच पाती। आंशिक नियंत्रण की नीति को जारी रखने के पक्ष वालों का विचार था कि आम आदमी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी प्राप्त करता है, उसके लिए चीनी का मूल्य 2.15 रुपये से प्रति किलो से बढ़कर 3 रुपये प्रति किलो अथवा उससे भी अधिक हो जाएगा और ऐसी स्थिति में गुड़ तथा खंडसारी के ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग के लिए लाभकर आधार पर कार्य करना कठिन हो जाएगा।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाएं

125. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य की कौन-कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई हैं; और

(ख) ऐसी कौन-कौन सी परियोजनायें हैं जिन पर कार्य चल रहा है और ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा किये जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गुजरात की 14 बृहद परियोजनाएं--पहले की योजनाओं की बची हुई 8 परियोजनाएं और 6 नई परियोजनाएं--राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थीं। इन परियोजनाओं के नाम इस प्रकार हैं :

पहली योजनाओं की बची हुई परियोजनाएं	नई परियोजनाएं
1. उकई	1. सिपू
2. कडाना	2. करजन
3. साबरमती	3. ओरसांग
4. पानम	4. सुखी
5. दमनगंगा	5 हैरन
6 माही-बजाजसागर	6. वतरक
7. माही-चरण-एक	
8. ककरापार	

(ख) पहले की योजनाओं की बची हुई परियोजनाओं में से माही-बजाजसागर परियोजना गुजरात और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है और इसका कार्यान्वयन राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। अन्य बची हुई परियोजनाओं पर काम चल रहा है और दमनगंगा परियोजना को छोड़ कर शेष परियोजनाओं के 1978-79 के अन्त तक काफी हद तक पूरी हो जाने की संभावना है। 6 नई परियोजनाओं में से इस वर्ष केवल करजन और सुखी परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई है। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि इन परियोजनाओं पर इस वर्ष कार्य शुरू हो जाने की संभावना है।

देश में बाढ़ की स्थिति

126. **श्री अहमद एम० पटेल :**

श्री ईश्वर चौधरी :

श्री युवराज :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जो इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुए हैं;

(ख) देश में, राज्यवार, हाल की बाढ़ों में कुल कितने व्यक्तियों की जान गई और फ़सलों, पशुओं और सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई; और

(ग) देश में बाढ़ नियंत्रण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान बाढ़ों से हुई क्षति का विवरण जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा अब तक सूचित किया गया है, संलग्न उपबान्ध में दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1019/77]

(ग) बाढ़ नियंत्रण राज्य योजना का भाग है और इसलिए बाढ़ सुरक्षा स्कीमों के आयोजन एवं कार्यान्वियन की जिम्मदारी राज्य सरकारों की है । बाढ़ नियंत्रण उपायों का देशव्यापी कार्यक्रम 1954 में आरम्भ किया गया था । तब से 533 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से 10,260 किलोमीटर लम्बे तटबन्धों और 17,850 किलोमीटर लम्बे ड्रेनेज चैनलों के निर्माण, 250 नगर-सुरक्षा स्कीमों के कार्यान्वियन और 4700 ग्रामों को ऊंचा उठाने का कार्य पूरा किया जा चुका है । इन उपायों से देश में कुल 250 लाख हैक्टेयर बाढ़-प्रवण क्षेत्र में से लगभग 95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को काफ़ी हद तक सुरक्षित किया जा चुका है । बाढ़ों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ी नदियों पर बहुत से जलाशयों का भी निर्माण किया गया है । राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों में बाढ़-प्रवण-क्षेत्रों के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की जा रही हैं । अधिक बाढ़-प्रवण नदी बेसिनों के लिए इन योजनाओं को तैयार करने हेतु विशेष संगठन स्थापित किए गए हैं । ये संगठन हैं––असम सरकार द्वारा स्थापित ब्रहमपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग । केन्द्र ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है ।

भारत सरकार ने 1954 से हाथ में लिए गए बाढ़-सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने तथा देश में बाढ़-नियंत्रण समस्या के लिए समन्वित समेकित तथा वैज्ञानिक कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की भी स्थापना की है ।

इस बीच बाढ़-नियंत्रण कार्यों पर व्यय की गति काफ़ी तेज कर दी गई है और चतुर्थ योजना के अन्त तक बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर हुए 347 करोड़ रुपये के कुल व्यय की तुलना में पांचवी योजना के दौरान 345 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

रूस को गेहूं ऋण की वापसी

127. **श्री ओ०वी० अलगेशन :**

श्री दयाराम शाक्य :

श्री एस०आर० दामाणि :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गेहूं ऋण की वापसी के रूप में रूस को कितनी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया गया; और

(ख) हमारे देश के गेहूं को लेने में रूस ने क्या आपत्तियां की और इन आपत्तियों को किस प्रकार दूर किया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह):(क) और (ख) भारत सरकार और रूसी सरकार के बीच 28 सितम्बर, 1977 को एक करार के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। उस करार के अधीन भारत सरकार रूसी सरकार को 14.98 लाख मीटरी टन गेहूं की शेष मात्रा को गेहूं के रूप में वापस करेगी। कुल लगभग 24.3 हजार मीटरी टन गेहूं को लेकर दो जहाज बम्बई से रवाना हो चुके हैं और कार्यक्रम के अनुसार और मात्रा भेजी जाएगी।

भारतीय शिशु कल्याण परिषद् की वित्तीय स्थिति

128. **श्री के० के० मूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिशु कल्याण परिषद् को भारत सरकार से समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और जनेवा स्थित इन्टरनेशनल यूनियन फार चाइल्ड वेलफेयर से भी प्रति वर्ष अनुदान मिलते हैं;

(ख) परिषद् की नवीनतम वित्तीय स्थिति कैसी है;

(ग) क्या इस संस्था के विधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध श्री राधा रमण, कोषाध्यक्ष अपने पद पर बने हुए हैं; और

(घ) क्या किसी सरकारी संस्था द्वारा उनके हिसाब की लेखा परीक्षा की जाती है; यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) भारतीय बाल कल्याण परिषद् को समाज कल्याण विभाग से निम्नलिखित के लिए वार्षिक अनुदान मिलता है :--

(1) बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(2) बालवाडी एवं पोषाहार कार्यक्रम;

(3) राज्य शाखा में नियुक्त दो पदाधिकारियों के लिए नाभिकीय प्रशासनिक अनुदान; तथा

(4) केन्द्रीय कार्यालय के लिए अनुरक्षण अनुदान।

विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परिषद् को अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण यूनियन से भी अनुदान प्राप्त होता है।

(ख) भारतीय बाल कल्याण परिषद् को 1976-77 के दौरान 18,903.05 रुपये का घाटा हुआ।

(ग) श्री राधा रमण अभी भी भारतीय बाल कल्याण परिषद् के कोषाध्यक्ष हैं। उनको 1976 में हुई परिषद् की वार्षिक बैठक में तीसरी बार सर्वसम्मत्ति से चुना गया था। जो स्पष्ट रूप से भारतीय बाल कल्याण परिषद् के नियमों और विनियमों के अनुसार है।

(घ) भारतीय बाल कल्याण परिषद् के लेखों का महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षण किया जाता है। महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा परिषद् को निरीक्षण रिपोर्ट भेज दी जाती है। उस रिपोर्ट पर परिषद् द्वारा कार्यवाही की जाती है और महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट के उत्तर भेज दिए जाते हैं। लेखा परीक्षण में कुछ वित्तीय तथा सहायक अनुदान के उपयोग में अन्य अनियमितताएं पाई हैं। परिषद् द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

भूतपूर्व मंत्रियों के निवासों पर किए गए खर्चों में अनियमितता

129. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 4 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व मंत्रिमण्डल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सहित प्रत्येक मंत्री के नई दिल्ली स्थित निवासों पर, वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक, प्रतिवर्ष (एक) नये रूप देने; (दो) सजावट तथा (तीन) रख-रखाव पर पूर्ववर्ती केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री व केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मंत्रियों के निवासों के नवीकरण तथा साज-सज्जा पर 1974-75 से 1976-77 तक वर्षवार खर्च का एक विवरण सभा पटल पर रखा है। जहां तक रख-रखाव पर खर्च का प्रश्न है, स्थिति यह है कि दिन-प्रतिदिन की टूट-फूट और मरम्मत आवश्यकता के आधार पर पूछताछ कार्यालयों द्वारा की गई थी और पूछताछ कार्यालय के कर्मचारियों पर तथा इस्तेमाल की गई विविध सामग्रियों पर कुल खर्च इस प्रकार था :—

1974-75	12,24,197 रुपये
1975-76	15,45,771 रुपये
1976-77	18,39,499 रुपये

इन आंकड़ों को अलग-अलग निवास-स्थान के हिसाब से बताना सम्भव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1020/77]

नगरीय तथा ग्राम्य आवास

130. **श्री एस०डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय तथा ग्राम्य आवास की समस्या को हल करने के लिए गत सात महीनों के दौरान क्या ठोस कदम उठाये गए हैं;

(ख) भूमिहीन श्रमिकों को भूमि देने सम्बन्धी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ताकि कम से कम उन्हें कुछ प्रारम्भिक सुरक्षा और गरिमा मिल सके; और

(ग) पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही किस सीमा तक उत्साहपूर्वक और उद्देश्यात्मक रूप से अनुसरण की गई है ताकि उससे अधिकाधिक लोगों का अत्याधिक भला हो सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि निम्न आय वर्ग के परिवारों को निम्न तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अधीन बनाये गए टेनामेन्टों मकानों से आनुपातिक लाभ मिल सके, राज्य सरकारों से अनुरोध

किया गया है कि इन योजनाओं के अधीन सहायता के लिए पात्रता निर्धारित करने का मापदण्ड परिवार की आय (पति व पत्नी की आय) को माने तथा कार्यक्रम इस प्रकार तैयार करें कि इन योजनाओं के अधीन विभिन्न आय वर्गों के लिए टेनामेन्टों/मकानों का निर्माण निम्नलिखित अनुपात में किया जाए।

(i) 350 रुपये की मासिक आय वाले परिवारों के लिए . 75—टेनामेन्टों/मकानों

(ii) 351 रु० तथा 600 रुपये की मासिक आय वाले परिवारों के लिए . . . . 15—टेनामेन्टों/मकानों

(iii) 601 रुपये तथा 1500 रुपये की मासिक आय वाले परिवारों के लिए . . . . . 10—टेनामेन्टों/मकानों

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटियों से अनुरोध किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1977-78 से आगे प्राइमरी कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटियों को दिए जाने वाले नये ऋणों के लिए ब्याज की भिन्नक दरों की पद्धति को अपनाये ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए वित्त सहायता अपेक्षाकृत कम दर पर मिल सके।

आवास के क्षेत्र के इस प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) प्रत्येक परिवार को एक मकान देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम अपनाना; (ii) सरकारी निधियों के उपयोग को 1,000 रुपये या इससे कम मासिक आय वाले परिवारों तक ही सीमित रखना; (iii) इमारती सामान के उत्पादन पर ज़ोर डालना; तथा (iv) आवास का निर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।

(ख) आवास स्थलों के आवेदन के पात्र 1,13,88,451 परिवारों में से 72,97,972 परिवारों को 31-8-1977 तक आवास-स्थल (अविकसित प्लाटों सहित) आवंटित किए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को मुफ्त आवास-स्थल देने के लिए इस योजना में व्यवस्था है तथा आवंटियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने संसाधनों या राज्य सरकार या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा दी जाने वाली सहायता से मकान बनाये। कुछ राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवंटियों को उनके मकानों के निर्माण के लिए सहायता दी जा रही है।

(ग) जैसे कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है कि एक भिन्न प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की भर्ती और पदोन्नति संबंधी नियमों में संशोधन

131. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की भर्ती और पदोन्नति सम्बन्धी बहुत ही पुराने नियमों में ऐसे संशोधन न किये जाने के क्या कारण हैं जिससे प्रत्येक स्नातक इंजीनियर को, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में विद्यमान भर्ती पद्धति के बावजूद विभाग में उच्चतम पद तक पहुंचने के समान अवसर प्राप्त हों;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभवी और समान योग्यता वाले तथा 15 वर्ष से अधिक का अनुभव वाले इंजीनियरों को पदोन्नती नहीं दी जाती है जबकि अनुभव-हीन और अपात्र इंजीनियरों को पदोन्नत कर दिया जाता है; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार पिछली सरकार द्वारा चलाई गई पुरानी नीति में संशोधन करने का विचार करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार को ज्ञात नहीं है कि तमिलनाडु तथा अन्य विभिन्न राज्यों में क्या प्रणाली अपनाई जा रही है। परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियम पुराने नहीं हैं, और वे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिये व्यवस्था करते हैं और किसी भी स्नातक इंजीनियर को उच्चतम पद तक जाने में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) सीधी भर्ती के कई स्तर हैं। जो लोग सक्षम हैं और उच्च स्तर की सेवा में चुन लिये जाते हैं, वे उन लोगों की तुलना में पदोन्नति जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, जो उनमें नहीं आ पाते हैं, और निचली स्तर की सेवा से सेवारम्भ करते हैं। यह स्वाभाविक ही है कि बाद में आने वाला पहले आने वाले से अधिक समय लेगा चाहे उनकी मूल योग्यता बराबर क्यों न हों।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुऐ यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की विभागीय पदोन्नतियां

132. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 1 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5626 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं सहित वर्तमान रिक्त स्थानों की संख्या 45 से भी अधिक है, यदि हां, तो 1 नवम्बर, 1977 को सहायक इंजीनियरों तथा प्रबन्ध इंजीनियरों के पदों में प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं सहित कितने रिक्त स्थान रहे;

(ख) क्या यह भी सच है कि पदोन्नति की नीति को अन्तिम रूप से तैयार करने में विलम्ब के कारण सहायक इंजीनियरों के पदों में रिक्त स्थानों की पूर्ति में देरी होने के फलस्वरूप जूनियर इंजीनियरों में काफी निराशा और हतोत्साहित होने की सम्भावना व्याप्त है जिसकी वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) सहायक प्रबन्ध इंजीनियरों के मामले में पात्रता सम्बन्धी मानदण्डों में रियायत देने के क्या कारण हैं जबकि उनसे कहीं अधिक अनुभवी तथा अर्हता प्राप्त सहायक इंजीनियर पदोन्नति के लिये उपलब्ध हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं उनको मिलाकर विभाग में वास्तविक रिक्तियों की संख्या सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में 39 और कार्यकारी इंजीनियरों के ग्रेड में 2 हैं।

(ख) कनिष्ठ इंजीनियरों में निराशा की भावना व्याप्त है क्योंकि वर्ष प्रतिवर्ष जो रिक्तियां होती है, वे बहुत कम होती हैं। फिर भी इन रिक्तियों के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) भर्ती नियमों के अधीन कार्यपालक इंजीनियरों के ग्रेड में रिक्तियों को सहायक कार्यकारी इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति 1 : 1 के अनुपात में के द्वारा भरा जाता है। पहले

वाले पद की हुई रिक्तियों को बाद वाले पद से नियमित आधार पर नहीं भरा जा सकता है । इसलिए जब कोई सहायक कार्यपालक इंजीनियर अपने कोटे में पदोन्नति के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन उसका सेवा काल पात्रता के लिए निर्धारित सेवाकाल से थोड़ा सा कम होता है, तब उसमें छूट दे दी जाती है । फिर भी यदि कोई ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं होता या दी जाने वाली छूट बहुत अधिक होती है, तब सहायक इंजीनियर को पदोन्नत करके उस रिक्ति को तदर्थ आधार पर भर लिया जाता है ।

कपास, तिलहनों तथा दालों के मामले में आत्म निर्भरता

133. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री के० मालन्ना :

श्री एस०एस० सोमानी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास, तिलहनों तथा दालों के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ख) उपरोक्त वस्तुओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य ने कितनी प्रगति की है;

(ग) क्या सरकार ने आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को कोई राज सहायता अथवा कोई अन्य सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) उपरोक्त वस्तुओं का वर्तमान उत्पादन कितना है; और कमी कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) कपास, तिलहनों तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं ताकि उनकी मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को कम से कम किया जा सके :——

1. उन्नत टैक्नोलोजी तथा कपास की अधिक उत्पादनशील किस्मों का तेजी से प्रसार करके सिंचित तथा असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में प्रति हैक्टर उत्पादकता बढ़ाना ।

2. नई सिंचाई परियोजनाओं के कमांड के अन्तर्गत क्षमता का उपयोग करके सिंचित फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाना ।

3. शुद्ध बीजों की सप्लाई को बढ़ाकर बीज उत्पादन कार्यक्रम को मजबूत बनाना ।

4. यथासंभव, बड़े क्षेत्रों में विशेषरूप से हवाई छिड़काव द्वारा वनस्पति रक्षण के उपायों को तेज करना।

5. समर्थन मूल्यों का निर्धारण तथा उन मूल्यों पर उत्पाद की खरीद करने के लिए व्यवस्था करना।

6. सूरजमुखी तथा सोयाबीन जैसी गैर-परम्परागत तिलहन की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना।

7. कपास के स्वैच्छिक श्रेणीकरण के लिए केन्द्रों की स्थापना करना ताकि किसान क्वालिटी के अनुसार अपने कपास के लिए बेहतर मूल्य पा सकें ।

8. दाल की फसलों पर प्रयोग करने के लिए किसानों को 'रिजोबियल कल्चर' की निःशुल्क सप्लाई करना।

7. (ख) राज्य, ऊपर बताई गई पद्धतियों के अनुसार उपायों को कार्यान्वित करके उपर्युक्त मदों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कपास, तिलहनों तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी 1977-78 के दौरान ही एक विशेष अभियान चलाया गया है। अतः चालू वर्ष के दौरान शुरू किए गए विशेष उपायों के प्रभाव का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है। इन फसलों के बढ़े हुए उत्पादन को प्राप्त करने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा फसल मौसम के अंत में की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उपायों को और मजबूत बनाया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) 1977-78 के दौरान कपास, तिलहनों तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित राज सहायता की व्यवस्था की गई है :—

कपास

1. **बीज :** प्रमाणित कपास के बीज के लिए 150 रु० प्रति क्विंटल।

2. **प्रदर्शन :** 200 रु० से 800 रु० प्रति हैक्टार।

3. **वनस्पति रक्षण के उपकरण :** लागत का 25 प्रतिशत, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक 200 रु० मिल सकते हैं।

4. **हवाई छिड़काव :** छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए 10 रु० प्रति एकड़ तथा अन्य किसानों के लिए 7 रु. प्रति एकड़ की दर से संचालन शुल्क।

5. **कपास श्रेणीकरण केन्द्र :** कर्मचारियों एवं विशेष श्रेणीकरण उपकरणों की लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक श्रेणीकरण केन्द्र को स्थापना के लिए 50,000 रु०।

तिलहन :

1. सघन तिलहन विकास कार्यक्रम

1. **बीज उत्पादन :** 2 तथा 16 हैक्टार पर क्रमशः केन्द्रक और आधारी बीज के उत्पादन के लिए 40,000 हैक्टार के एक यूनिट क्षेत्र के लिए प्रत्येक को 22,000 रु०। प्रमाणित बीज के परिवहन संभाल और परिसंस्करण के लिए 30 रु० प्रति क्विंटल का प्रीमियम। इसके विकल्प में, मूंगफली के मामले में उत्पादन के स्रोत पर अर्थात् राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम/राज्य बीज निगमों में प्रमाणित बीज की लागत पर 150 रु० प्रति क्विंटल की राज सहायता उपलब्ध है।

(2) **प्रदर्शन :** 125 रु० प्रति हैक्टार।

(3) **वनस्पति रक्षण :** 40,000 हैक्टार यूनिट क्षेत्र के लिए 1 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। यह राशि बिजली और हाथ से चलने वाले संयंत्रों की खरीद (75,000 रु०) तथा वनस्पति रक्षण के रसायनों के व्यापार पर होने वाली हानियों (25,000 रु०) पर खर्च करनी होती है। तोरिया तथा सरसों के मामले में राज्य सरकारें वनस्पति रक्षण संबंधी रसायनों की 25% लागत और 50% संचालन लागत को पूरी करने के लिए विकल्प के रूप में 1 लाख रू० के प्रावधान का प्रयोग कर सकती है।

(4) **मिनीकिटें :**—नए तिलहन की फसलों/किस्मों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए मुफ्त ?

2 **नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों का विस्तार**

प्रदर्शनों के लिए 200 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से राज सहायता दी जाती है, इस मुद्दे को छोड़कर ऊपर सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये उल्लेख के अनुसार।

3. **सूरजमुखी का विकास**

परिसंस्करण, श्रेणीकरण, संभाल तथा परिवहन शुल्कों के लिए किसानों को 30 रु० प्रति क्विंटल का प्रीमियम।

प्रदर्शन—300 रु. प्रति हैक्टार।

मिनिकिटें—योजना के क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष के दौरान मुफ्त।

सोयाबीन विकास :

बीजः—7,000 हैक्टार के यूनिट क्षेत्र के लिए केन्द्रक तथा आधारी बीज उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए 22000 रु०।

प्रदर्शन :—500 रु० प्रति हैक्टार।

मिनीकिटें —योजना के क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष में और उसके बाद नई किस्मों के लिए मुफ्त।

दालें :—

प्रदर्शन :—275 रु० प्रति हैक्टार।

बीज :	प्रजनक बीच	350 रु० प्रति हैक्टार
	आधारी बीज	150 रु० प्रति हैक्टार
	प्रमाणित बीज	1 रु० प्रति किलोग्राम

वनस्पति रक्षण : प्रयोग किये गये रसायनों के अनुसार 5—15 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से रसायनों की लागत पर 25%

उपकरणों (छिड़काव तथा डस्टर के उपकरण) की लागत का 50%।

रिजोबियल कल्चर :—प्रयोगशालाओं में कल्चरों के उत्पादन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रु०। किसानों को कल्चर मुफ्त सप्लाई के लिए किए जा रहे हैं।

वनस्पति रक्षण के रिए संचालन शुल्क : 12.50 प्रति हैक्टार।

दालों के उत्तम बीजों के उत्पादन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजना

प्रजनक बीज उत्पादन :

	रु० प्रति क्विंटल
मूंग, उड़द तथा लोभिया	500
मसूर	350
चना तथा अरहर	300
मटर	200
अधारित बीजों का उत्पादन	150
प्रमाणित बीजों का उत्पादन	150

विस्तार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण :

6,000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी के हिसाब से विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 1977-78 के दौरान 50,000 रु० की धनराशि निर्धारित की गई है।

(ङ) 1976-77 के दौरान कपास तिलहनों और दालों का क्रमशः 57.81 लाख गांठें, 78.31 लाख मीटरी टन तथा 112.08 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था । 1977-78 के दौरान इन फसलों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

भारतीय खाद्य निगम के संचालन पर खर्च

134. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के संचालन कार्य के खर्च में कटौती करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये हैं ; और

(ख) सरकार ने अब तक भारतीय खाद्य निगम को कितनी राज सहायता दी है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण, संचलन और वितरण संबंधी भारतीय खाद्य निगम का हैंडलिंग लागत में मंडी-फीस, क्रय/बिक्री कर, बोरे की लागत, राज्य सरकार के प्रशासनिक खर्च मंडी-मजदूरी, अग्रप्रेषण प्रभार, भाड़ा, ब्याज, स्थापन प्रभार, भण्डारण और पारगमन संबंधी क्षति और गोदाम प्रभार शामिल हैं । मंडी-फीस, एजेंसियों को देय कमीशन, क्रय/बिक्री कर, बोरे की लागत, भाड़ा आदि जैसे इन प्रभारों का अधिकांश भाग सांविधिक अथवा अनिवार्य स्वरूप का है और इन खर्चों में किसी प्रकार की कमी करने की बहुत ही कम गुंजाइश है । तथापि, इन प्रभारों की बराबर समीक्षा की जाती है ताकि उनमें किफायत की जा सके तथा अधिकतम दक्षता प्राप्त की जा सके । नकद-प्रबंध, प्रशासनिक लागत आदि जैसे कुछेक विशिष्ट क्षेत्रों में निगम किफायत करने में सफल हुआ है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम की प्रतिपूर्ति के रूप में 1752.25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जोकि वसूल किए गए खाद्यान्नों को सम्भालने की इक्नामिक लागत और बफर स्टाक के रख-रखाव की लागत सहित केन्द्रीय निर्गम मूल्य के अन्तर से संबंधित है ।

दिल्ली में भूमि तथा उसके पट्टों के प्रशासन के लिए प्राधिकरण का निर्धारण करने हेतु समिति

135. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूमि और उसके पट्टों के प्रशासन के लिये अनेक प्राधिकरण हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और सरकार द्वारा सरकारी भूमि को एक ही प्रशासन के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिये 8 व्यक्तियों की एक समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या हैं और यह समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

निर्माण और आवस तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां

(ख), (ग), (घ) भूमि का प्रबन्ध करने वाले विभिन्न प्राधिकरण निम्नलिखित हैं :—

1. दिल्ली प्रशासन ।
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण ।
3. भूमि और विकास कार्यालय ।
4. पुनर्वास विभाग ।

5. दिल्ली नगर निगम ।

6. नई दिल्ली नगर निगम पालिका ।

एक समिति का गठन किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली में एक ही एजेंसी को भूमि के प्रबन्ध का काम सौंपने की सम्भाव्यता की जांच करेगी ।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) भूमि को पट्टे पर देने की प्रणाली को उस कार्य की जांच करना, जोकि आजकल दिल्ली में भूमि का प्रबन्ध करने वाले विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है; पट्टे की प्रणाली को स्वामित्व की प्रणाली में बदलने की सम्भाव्यता पर विचार करना और यदि इस परिवर्तन की सिफारिश की गई, तो इस परिवर्तन को लागू करने के तरीके का सुझाव देना । इन बातों पर विचार करने के लिये समिति अन्य देशों में प्रचलित प्रणाली का अध्ययन कर सकती है ।

(2) उन विभिन्न उद्देश्यों का अध्ययन करना, जिसके लिये आजकल दिल्ली में अनेक एजेंसियों द्वारा भूमि के प्रबन्ध का कार्य किया जाता है, दिल्ली में भूमि के प्रबन्ध का कार्य एक एजेंसी को सौंपने की सम्भाव्यता की जांच करना और यदि एक एजेंसी की सिफारिश की गई तो इसको लागू करने के तरीके का सुझाव देना।

(3) दिल्ली में भूमि की उपयोगिता के निर्धारण में प्रत्येक वर्तमान एजेंसी के कार्य की जांच करना, यह कार्य एक एजेंसी को सौंपने की सम्भाव्यता पर विचार करना और यदि एक एजेंसी को यह कार्य सौंपने के विकल्प की सिफारिश की गई तो इस परिवर्तन को लागू करने के तरीके पर विचार करना ।

आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट फरवरी 1978 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी ।

मिदनापुर में विद्यासागर विश्वविद्यालय की स्थापना

136. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री मिदनापुर में विद्यासागर विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में 25 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4780 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में प्रस्तावित विद्यासागर विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मिदनापुर में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था । नया विश्वविद्यालय अध्यापन-व-सम्बद्धन विश्वविद्यालय होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में मिदनापुर जिला आएगा । समस्त स्नातकोतर अध्यापन केवल विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में ही किया जाएगा । नए विश्वविद्यालय के समुचित और समेकित विकास के लिए राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से एक योजना बोर्ड का गठन करेगी । यह निर्णय इस शर्त पर किया गया है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) नियम, 1974 में निर्धारित शर्तों को पूरा करेगी ।

माध्यमिक छात्रों के लिए पाठ्यचर्या

137. **श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक छात्रों के लिए पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने के बारे में अपनी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा गठित की गई समिति का प्रतिवेदन कब तक सभा पटल पर रख दिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क), (ख) और (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत से शिक्षा मंत्री द्वारा स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या, पाठ्य-विवरणों तथा पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की गई थी । इस समिति को अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों पर भारी पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने के बारे में भी सिफारिशें करनी हैं । समिति की रिपोर्ट एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत हो जाने की आशा है । समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में वर्तमान पाठ्य-क्रम में से कुछ हटाने का सुझाव दिया है । जो कुछ हटाने का सुझाव दिया गया है उसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा जा रहा है । के०मा०शि०बो० की बैठक नवम्बर के अंतिम सप्ताह में हो रही है, जिसमें इस रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा

डी०डी०ए० द्वारा निर्मित मकानों के आबंटन के लिए आधार

138. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री बलदेव सिंह जसरोया :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में डी०डी०ए० निर्मित मकानों के आवंटन का मूल आधार ही बदल दिया है जो लाटरी की बजाये मूल धनराशि जमा कराने की तारीख से किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) 5-7-1977 से पहले लाटरी दो बार निकाली जाती थी पहली बार लाटरी यह निर्णय करने के लिए डाली जाती थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत आवेदकों में से कौन से आवेदकों को दिए गए ले आउट में से फ्लैट का आवंटन करने के लिए चुना जाए तथा दूसरी बार लाटरी यह निर्णय करने के लिए डाली जाती थी कि पहली बार लाटरी के कामयाब उम्मीदवारों में से कौन से उम्मीदवार को कौन सा विशिष्ट फ्लैट आवंटित किया जाए । इस प्रक्रिया में आमतौर पर यह देखा गया है कि जिन लोगों ने बहुत पहले पंजीकरण करवाया था वे पहली लाटरी में ही पिछड़ गए और जिन व्यक्तियों ने बहुत बाद में पंजीकरण करवाया उनके हक में लाटरी खुल गई । नया तरीका इस भय को खत्म करने के लिए आरम्भ किया गया है । अब यह फैसला करने के लिए लाटरी डाली जाएगी कि कौन से आवेदक को कौन सा फ्लैट आवंटित किया जाए, तथा आवंटन करने के लिए लोगों का चयन पंजीकरण की तारीख तथा प्रारम्भिक जमा रकम के भुगतान की तारीख के आधार पर किया जाएगा ।

पश्चिम दिल्ली में बाढ़

139. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली की अधिकांश कालोनियों में इस वर्ष मानसून के दौरान पानी भर गया था; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई और सरकार ने पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया है और दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि संपत्ति की हानि का अनुमान लगभग 50 लाख रुपए लगाया गया है। दो नावों की दुर्घटना में जिन 18 व्यक्तियों के परिवार डूब गए थे उनमें से प्रत्येक को 5000 रु० दिए गए थे। जिन व्यक्तियों को फसलों और सम्पत्ति की हानि हुई थी उनको मुआवजा देने के बारे में विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय जल आयोग 'बाढ़ को रोकने के लिए निम्नलिखित योजनाएं' शुरू करने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है :—

1. राजस्थान के अजमेरी पुरा में साहिबी नदी पर एक बांध का निर्माण करना।

2. हरियाणा के मसानी में साहिबी नदी पर एक संचयन बांध का निर्माण करना।

3. नजफगढ़ नाले की निकासी क्षमता में यथा संभव अधिक से अधिक सुधार करना जो कि इस समय मोटे अनुमान के अनुसार ककरोला रेगुलेटर तक 8000 क्यू सैक्स और ककरोला रेगुलेटर के निचले बहाव की ओर 10000 क्यू सैक्स हैं।

धान और गेहूं को मजबूरी में बेचने वाले उत्पादकों को राशन व्यवस्था का लाभ

140. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि धान और गेहूं के उत्पादकों, जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए खाद्य फसलों का भंडार रखने में असमर्थ है और जिन्हें मजबूरी में यह बेचना पड़ता है, को धान गेहूं के लिए राशन व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी सदैव एम०आर० डीलरों की कृपा पर निर्भर रहती है; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई हल सोचा है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने धान/गेहूं के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की है और सरकारी एजेंसियां अपने मूल्य समर्थन अभियान के अधीन उत्पादकों द्वारा दी जा रही उचित औसत किस्म की धान/गेहूं की सभी मात्रा खरीद रही हैं। इन परिस्थितियों में, सामान्यतया उत्पादकों को अपनी पैदावार को मजबूरी में बेचने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए।

राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्धारित मूल्यों पर बड़ी संख्या में उचित दर की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल और चीनी का वितरण कर रही हैं। वितरण प्रणाली की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि इसके कार्यचालन में सुधार हो और उसके क्षेत्र में वृद्धि हो। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विशेषकर ग्रामीण इलाकों में चीनी की वितरण प्रणाली में सुधार करें।

हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद का रख-रखाव

141. **श्री शशांक शेखर सान्याल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री नुरूल हसन से मुर्शिदाबाद के नवाब हाउस के हजारद्वारी महल का दौरा करने का आग्रह किया गया था ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तत्कालीन मंत्री महुमूल्य पुस्तकालय के रख-रखाव और बहुमूल्य वस्तुओं की धूप, हवा और वर्षा, से रक्षा करने के लिए, भवन की मरम्मत कराने के लिए सहमत हो गये थे और उन्होंने कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा महल तथा अन्य चल और अचल सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने और महल और उसके प्रागंण को राष्ट्रीय संस्था में परिवर्तित करने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रो० एस० नुरूल हसन ने 12 मई, 1974 को मुर्शिदाबाद का दौरा किया था ।

(ख) यह सहमति हुई थी कि (i) पाण्डुलिपियों के संरक्षण और (ii) महल के सुरक्षण में सहायता की जाय । फिर भी यह निर्णय लिया गया था कि महल और वहां रखे पुरावशेषों को अधिकार में न लिया जाय । इसलिए न्यास के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार महल के संरक्षण और उसकी मरम्मत कराने में न्यासधारियों की सहायता करेगी । महल तथा वहां रखी कलाकृतियों को अधिकार में लेना विचाराधीन नहीं है ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षण सुविधाएं

142. **श्री माधवराव सिन्धिया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में सामान्य रूप से और केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष रूप से + 2 स्तर पर व्यावसायिक विषयों में शिक्षा देने की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं; और

(ख) केन्द्रीय बोर्ड ने + 2 परीक्षा में कार्य अनुभव और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के लिए आन्तरिक मूल्यांकन के बारे में समान पद्धति निर्धारित करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) कार्य अनुभव तथा शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था माध्यमिक स्तर पर की गई है न कि जमा 2 स्तर पर । शारीरिक शिक्षा में, प्रत्येक खेल तथा दक्षता में मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाओं का पाठ्यचर्या में ही उल्लेख कर दिया गया है । कार्य अनुभवों के लिए अध्यापक-अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें मूल्यांकन भी कार्यक्रम का एक भाग था ।

स्कूलों में कार्य अनुभव के अन्तर्गत पढ़ाए जाने वाले विषय

143. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव के अन्तर्गत 20 से अधिक विषयों को शामिल किया गया है; और

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में वास्तव में इनमें से कितने विषयों को बढ़ाया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी)

(क) और (ख) नई पद्धति के अन्तर्गत 9 और 10 (माध्यमिक स्तर) कक्षाओं में कार्य अनुभव की एक अनिवार्य विषय के रूप में व्यवस्था की गई है। पाठ्यविवरण में 54 कार्य अनुभवों की व्यवस्था की गई है । छात्र की इनमें से किसी भी एक कार्य अनुभव को चुनना होता है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इनमें से निम्नलिखित दो कार्य अनुभव पाठ्यक्रम चुने हैं :

(1) बिजली के छोटे-छोटे यंत्र (इलेक्ट्रीकल गैजेट), उनकी देखभाल तथा अनुरक्षण; और

(2) सिलाई तथा कढ़ाई ।

उपरोक्त के अलावा केन्द्रीय विद्यालय के छात्र निम्नलिखित पूरक कार्य अनुभव कार्य-कलापों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं :

(1) चिकनी मिट्टी का कार्य और खिलौने बनाना;

(2) रसायनिक उत्पादन, जिनमें स्याही, टेलकम पाउडर, दाड़ी बनाने के बाद लोशन, सौन्दर्य प्रसाधन (कास्मेटिक्स) साबुन, डिटर्जेंट पाउडर बनाना इत्यादि शामिल हैं;

(3) पाकक्रिया और भोजन प्रबंध कुछ स्कूल अपनी कैन्टीनें और कैफिटेरिया चलाते हैं;

(4) इलेक्ट्रानिकी, जैसे कि ट्रांजिस्टर तैयार करना-पावर पूर्ति इत्यादि ;

(5) ललित कलाएं, जिसमें डिजाइन बनाना, बातिक इत्यादि शामिल हैं;

(6) फल परिक्षण जैसे कि जैम, जेली, अचार इत्यादि;

(7) बागवानी;

(8) वस्त्र निर्माण और कढ़ाई ;

(9) पटसन और नारियल जटा कार्य;

(10) धातु का कार्य;

(11) कागज सम्बन्धी कार्य जैसे कि फाईल आवरण, फाईल बोर्ड, इत्यादि का निर्माण;

(12) फोटोग्राफी ;

(13) प्लास्टिक कार्य;

(14) अध्यापन साधन; और

(15) लकड़ी का कार्य इत्यादि।

पूरक कार्य अनुभव कार्यकलापों में बाजार में बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा ।

Rice Wheat and Suger for Bihar for 1976-77

144. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the quota of rice, wheat and sugar fixed by the Central Government for Bihar for the financial year 1976-77; and

(b) the quantity supplied so far ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) About 5.48 lakh tonnes of wheat and 2.19 lakh tonnes of sugar were allotted by the Central Government to the Government of Bihar for the Financial year 1976-77. No rice was allotted for this period.

(b) The offtake against the allocations was about 1.63 lakh tonnes of wheat and 2.15 lakh tonnes of sugar.

निरक्षरता दूर करने के लिए नए पाठ्यक्रम का पता लगाने हेतु समिति की नियुक्ति

145. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निरक्षरता दूर करने और नये साहित्यकारों के लिए क्षेत्रवार साहित्य निकालने हेतु एक समिति नियुक्त करने के बारे में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें बताते हुए उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा पद्धति में एक और परिवर्तन

146. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एस०एस० सोमानी :

श्री वीरेन्द्र प्रसाद :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री के० लकप्पा :

श्री वयालार रवि :

श्री रामानन्द तिवारी :

श्री एस०आर० दामणी :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

डा० बापू कालदाते :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री सन्तोषराव गोडे :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इस आशय का संकेत दिया है कि देश में माध्यमिक शिक्षा में और परिवर्तन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव क्या हैं;

(ग) क्या युवा पीढ़ी पर पाठ्य पुस्तकों का भारी बोझ है;

(घ) क्या सभी राज्य 10+2 की नई प्रणाली लागू करने पर सहमत हो गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो कौन-कौन से राज्य नई पद्धति लागू करने पर सहमत नहीं हुये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) तथा (ग) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के अध्यक्ष होने की हैसियत से शिक्षा मंत्री ने, स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर के लिए विद्यमान पाठ्य-विवरणों, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्य पुस्तकों के पुनरीक्षण के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति, श्री ईश्वरभाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति को यह भी जांच करनी थी कि क्या माध्यमिक स्तर पर स्कूल के बच्चों पर पाठ्यचर्या का भारी बोझ है। इस समिति की रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत हो जाने की संभावना है। एक अन्तरिम रिपोर्ट में समिति ने, अध्ययन के वर्तमान पाठ्यक्रमों से कुछ हटा देने का सुझाव दिया है। जो कुछ हटाने का सुझाव दिया गया है उसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा जा रहा है। के०मा०शि०बो० की बैठक नवम्बर 1977 के अन्तिम सप्ताह में हो रही है, तब इस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

(घ), (ङ) और (च) : विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की नई पद्धति, अर्थात् 10+2 के कार्यान्वियन के बारे में वर्तमान स्थिति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1021/77]

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का अनुपात

147. **श्री डी० जी० गवई :**

श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के प्रत्येक विभाग में श्रेणी एक, दो और तीन के पदों पर अन्य कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनका अलग-अलग अनुपात क्या है ; और

(ख) सभी श्रेणी के पदों पर इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित कोटे को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उक्त लक्ष्य के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये जब कभी और जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, निम्नलिखित कदम जारी रखे जायेंगे :--

1. रिक्त पदों को स्थानीय/क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय/केन्द्रीय रोजगार कार्यालय/रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय में अधिसूचित किया जाता है

2. रिक्त पदों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय/समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित ा जाता है।

3. रिक्त स्थानों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संगठनों के ध्यान में लाया जाता है।

4. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को लगातार तीन वर्षों तक रखा जाता है। ऐसे स्थानों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के बीच अदलाबदली भी की जाती है।

5. चयन के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों का पृथक से साक्षात्कार रखा जाता है जिससे कि निर्णय करने में सामान्य उम्मीदवारों के साथ उनकी तुलना न हो।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सामान्य अर्हता के स्तरों में कमी की जाती है, बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न पाये जायें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित किए जाने वाले अपेक्षित कोटे की यथा सम्भव हर साल पूर्ति करने के लिए उल्लिखित कार्यवाही के माध्यमों से भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विवरण

(क) मंत्रालय के मुख्य विभागों में आरक्षित आदेशों के अंतर्गत आने वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

विभाग का नाम		कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों का अनुपात	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कृषि विभाग	वर्ग क	132	1 : 7.8	1 : 65
	वर्ग ख	496	1 : 13.6	1 : 164.3
	वर्ग ग	746	1 : 6.1	1 : 73.6
ग्राम विकास विभाग	वर्ग क	41	—	—
	वर्ग ख	32	1 : 5.4	—
	वर्ग ग	119	1 : 12.2	—
कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग	वर्ग क	6	—	—
	वर्ग ख	10	1 : 9	—
	वर्ग ग	9	1 : 8	—
खाद्य विभाग	वर्ग क	56	1 : 5.2	1 : 27
	वर्ग ख	262	1 : 16.5	1 : 130
	वर्ग ग	284	1 : 9.9	1 : 141
सिचाई विभाग	वर्ग क	27	1 : 26	—
	वर्ग ख	78	1 : 18.5	—
	वर्ग ग	125	1 : 6.8	1 : 124

टिप्पणी :—जहां तक संगठित सेवा, अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, का संबंध है, कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग के लिये सफल उम्मीदवारों का नामांकन संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गयी परीक्षा आदि के परिणाम के आधार पर किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय के विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

148. **श्री डी० जी० गवई :**

श्री कचरुलाल हेमराज जैन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभागों में प्रत्येक श्रेणी के कुल कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की विभागवार पृथक-पृथक संख्या कितनी है ;

(ख) कुल विभागों में और श्रेणी एक, दो और तीन के अन्य कर्मचारियों की तुलना में उनका पृथक-पृथक अनुपात कितना है ; और

(ग) सभी श्रेणियों के पदों में उक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित कोटे को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उक्त लक्ष्य कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) इस मंत्रालय के नियंत्रण अधीन पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण रोस्टर रखे जाते हैं और समय-समय पर इन आदेशों के अनुसार ही नियुक्तियां की जाती हैं। आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

पद की श्रेणी	अनु०जा०/अनु० जन जातियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या	कालम 2 में से अनु०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों की संख्या		कालम 2 के दूसरे कर्मचारियों की तुलना में अनुपात	
		अनु० जा०	अनु० जन जा०	अनु० जा०	अनु० ज० जा०
1	2	3	4	5	6
शिक्षा विभाग					
श्रेणी-1 .	103	12	—	8 : 1	—
श्रेणी-2 (राज०) .	109	3	1	35 : 1	108 : 1
श्रेणी 2 (अ० राज०)	343	27	1	12 : 1	342 : 1
श्रेणी 3 . .	458	65	3	6 : 1	152 : 1
संस्कृति विभाग					
श्रेणी-1 . . .	20	—	—	—	—
श्रेणी-2 (राज०) . .	25	3	—	7 : 1	—
श्रेणी-2 (अ० राज०) .	55	4	—	12 : 1	—
श्रेणी-3 . . .	119	14	1	8 : 1	118 : 1

1	2	3	4	5	6
समाज कल्याण विभाग					
श्रेणी-1	34	5	—	6 : 1	—
श्रेणी-2	94	9	—	9 : 1	—
श्रेणी-3 . . .	118	19	—	5 : 1	—

दालों का उत्पादन

149. **श्री एस० सोमानी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में देश में दालों का कितना उत्पादन हुआ तथा उक्त वर्ष में उनकी मांग कितनी थी ; और

(ख) चालू वर्ष में दालों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है तथा इनकी मांग कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1976-77 के दौरान दलहनों का अखिल भारतीय उत्पादन 112.1 लाख मीटरी टन हुआ था । वर्ष 1977-78 के उत्पादन अनुमान राज्य सरकारों से अभी देय नहीं हुए हैं । दलहनों की मांग अन्य प्रतिस्थानी खाद्य-पदार्थों, विशेषकर साग-सब्जियों और फलों, दूध और दूध से बनी वस्तुओं, मांस, मछली, अण्डों आदि की उपलब्धि और मूल्यों, आय के स्तरों और वितरण तथा जनसंख्या में वृद्धि जैसे अनेक घटकों से प्रभावित होती है । इसे दृष्टि में रखते हुए देश में दलहनों की प्रभावी मांग से संबंधित ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है । तथापि, राष्टीय पोषण संस्थान ने अनुमान लगाया है कि सन्तुलित आहार में प्रतिदिन औसतन 64.1 ग्राम दालों की जरूरत होती है । इसके आधार पर, 1976-77 और 1977-78 के लिए क्रमशः 166 तथा 168 लाख मीटरी टन दलहनों की जरूरत होगी ।

वयस्क और प्रारम्भिक शिक्षा पर बल

150. **श्री० पी० जी० मावलंकर : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 12 अक्तूबर 1977 को श्रीनगर में काश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में यह संकेत दिया था कि सरकार का विचार वयस्क और प्रारम्भिक शिक्षा पर अधिकाधिक बल देकर महात्मा गांधी द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार शिक्षा की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का मुख्य प्रारूप क्या है और उनकी क्रियान्विति कब की जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने एक अथवा अधिक शैक्षिक क्षेत्रों में समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया है; और इस बारे में क्या प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में वित्तीय उपबन्धों सहित ठोस सुझाव क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है कि प्रारम्भिक शिक्षा के साधारणीकरण और प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार पर बल देते हुए साक्षरता के सार्वत्रिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी । सरकार ने यह दृष्टिकोण भी स्वीकार कर लिया है कि ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा का प्रयोग एक

साधन के रूप में किया जाना चाहिए । शिक्षा की नई पद्धति का पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक विषय-वस्तु को कम किया जा सके और इसे इस प्रकार संशोधित किया जा सके कि यह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हेतु एक साधन के रूप में काम आ सके । उद्देश्य होगा कि शिक्षा को जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए । सरकार ने इस संबंध में शिक्षा के राष्ट्रीय नीति संकल्प का पुनरीक्षण भी आरम्भ कर दिया है ।

(ग) और (घ) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के अगस्त में हुए एक सम्मेलन में इन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया और यह सिफारिश की गई कि सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को छठी योजना के अन्त तक पूरा करने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि आगामी दशक में 15--35 आयु वर्ग के लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा प्रयत्न किया जाना चाहिए । बाद में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड ने सिफारिश की है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार 15--35 आयु वर्ग के 10 करोड़ व्यक्तियों तक पांच वर्षों के अन्दर कर दिया जाना चाहिए । तथापि ये प्रयत्न विशिष्ट कार्यक्रमों के रूप में स्पष्ट किए जाने चाहिएं और उनकी वित्तीय आवश्यकताएं भी दर्शाई जानी चाहिए ।

शिक्षा मंत्री ने योजना आयोग के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण और प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार के कार्यान्वियन हेतु लक्ष्यों और वित्तीय आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य दलों का गठन किया गया है । ये कार्य दल अब समस्याओं की जांच कर रहे हैं। आशा की जाती है कि नई योजना तयार करते समय ठोस प्रस्ताव सामने आ जायेंगे ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की पुनर्वास बस्तियों में सुविधाओं का अभाव

151. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिजली और जल तथा मल निकासी जैसी उचित सुविधाओं के अभाव के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण की पुनर्वास बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की दयनीय जीवन निर्वाह स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बस्तियों में अत्यावश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) झुग्गी झौंपड़ी उन्मूलन योजना के अनुसार सार्वजनिक बरमे, पीने के पानी के नल, सामुदायिक शौचालय तथा सड़क की बिजली आदि जैसी नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है । पानी व बिजली के पृथक्-पृथक् कनेक्शन देने तथा मल-जल निकासी के लिए दिल्ली प्रशासन से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं लेकिन उन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में वातानुकूलित "शापिंग कम्पलैक्स"

152. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली में "शापिंग कम्पलैक्स" का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त 'कम्पलैक्स' के निर्माण पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान था और वास्तव में इसके निर्माण पर कुल कितनी लागत आई; और

(ग) इसका उद्घाटन कब होगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 1,58,40,370 रुपये है। क्योंकि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है इसलिये परियोजना के पूरा होने तथा लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही वास्तविक लागत का पता चल सकता है।

(ग) यह सम्पूर्ण कार्य जनवरी, 1978 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और उसके बाद इसका उद्घाटन किया जा सकता है।

बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव

153. **श्री गणनाथ प्रधान : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1977-78 की अवधि के लिये बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मंजूरी दी गई उक्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिये वास्तव में कितनी धनराशि आबंटित की गई और इनकी क्रियान्विति कब-कब हुई और उनके लिये विश्व बैंक ने कितनी धनराशि की मंजूरी दी?

(क) और (ख) उड़ीसा सरकार से वर्ष 1977-78 के दौरान अभी तक एक बृहत् परियोजना नामशः महानदी बराज स्कीम तथा एक मध्यम परियोजना नामशः बड़ानाला परियोजना की रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई हैं।

महानदी बराज स्कीम अगस्त, 1977 में प्राप्त हुई थी तथा इस समय आयोग में इसकी जांच की जा रही है। बड़ानाला परियोजना पर आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी जा चुकी हैं जिनके उत्तरों की प्रतीक्षा है।

बांडापिपली नामक एक मध्यम स्कीम की योजना को आयोग द्वारा जून, 1977 में स्वीकृति दी गई थी।

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि चालू वर्ष के लिये बड़ानाला परियोजना के लियं केवल 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

लेकिन बड़ानाला और महानदी बराज परियोजनाओं के कार्यों को हाथ में लेना तभी संभव होगा जब ये परियोजनायें तकनीकी रूप से तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाई जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा अपनी विकास योजनाओं में शामिल कर ली जाएंगी।

विश्व बैंक अभी हाल में उड़ीसा में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये 52.3 मिलियन डालर की ऋण-सहायता देने के लिये सहमत हो गया है। बैंक ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी विशिष्ट मध्यम सिंचाई परियोजना को नहीं चुना है।

ताप्ती नदी (मध्य प्रदेश) पर सिंचाई परियोजनाएं

154. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप्ती नदी पर नौथा और खेरिचा परियोजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदनों में शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की कुल लागत क्या है तथा जिला पूर्वी निमाड़ (खंडवा) में कितनी भूमि की सिंचाई करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) अपर ताप्ती परियोजना चरण-दो ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है और महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त परियोजना रिपोर्ट में इस परियोजना के अन्तर्गत नौथा और खरिया में बांधों के निर्माण की व्यवस्था है। अपर ताप्ती परियोजना चरण-दो पर कुल लगभग 88 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इससे मध्य प्रदेश के 0.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। इस स्कीम के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई अलग रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन परीक्षण द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभ का सर्वेक्षण

155. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन परीक्षण द्वारा 1975 और 1976 के दौरान टेलीविजन पर प्रसारित सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभ का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र (रा० शै० एवं प्रशि० परि०) उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन परीक्षण के दौरान प्रशिक्षित अध्यापकों के साथ राज्यों के शिक्षा विभागों के माध्यम से सम्पर्क बनाये हुए हैं। प्रशिक्षण के दौरान विज्ञान के जिन विषयों से संबंधित स्वत: शैक्षणिक अध्ययन सामग्री पहले नहीं दी जा सकी, केन्द्र द्वारा वह भी तैयार कर ली गई हैं और उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रशिक्षण वाले राज्यों को छापने तथा अध्यापकों में वितरित करने के लिये भेज दी गई हैं। उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन परीक्षण के दौरान बहुमुखी संचार साधन पैकेज (टेलीविजन जिसका एक भाग था) का प्रयोग करते हुए थोड़े ही समय में बहुत बड़ी संख्या में विज्ञान के प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की सफलता से प्रोत्साहित होकर पैकेज का विस्तार करने के साथ-साथ गैर-साईट क्षेत्रों में इन निवेशों को उपलब्ध कराने का कार्य भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आरम्भ किया गया था। इन क्षेत्रों में, जिनमें कुछ आदिम जाति के क्षेत्र भी शामिल हैं, अनेक प्रदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। अपने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु जिन राज्यों ने पैकेज कार्यक्रम को अपना लिया है अथवा अपनाने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की है, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और सुविज्ञता उपलब्ध की जा रही है।

हरसूद (मध्य प्रदेश) में खुदाई

156. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ (खण्डवा) जिले के तहसील हरसूद में कोई अन्वेषण, खुदाई अथवा पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया है; और

(ग) क्या उक्त तहसील में दुर्लभ पुरातत्वीय वस्तुओं के नष्ट होने का भय है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1957-61 के मध्य जिला पूर्वी निमाड़ की हरसूद तहसील में 212 गांवों का पुरातत्वीय-अन्वेषण किया गया है।

(ख) कोटा, खलवा और पुंघटवल में इस अन्वेषण से पाषाण युगीन स्थलों और मध्यकालीन मन्दिरों के स्थलों का पता चला है।

(ग) जी, नहीं।

Abolitions of Public Schools

157. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether he has received the resolution adopted by the National Committee of the Janata Party about introducing a uniform system of education at primary level by doing away with the public schools in the country ; and

(b) the action taken so far by Government on its resolution ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) Yes, Sir. Resolution of the Working Committee (not National Committee) of the Janata Party regarding abolition of public schools has been received.

(b) The matter was examined with a view to ascertaining the legal position as to whether the Central Government or for that matter the State Government in whose territorial jurisdiction the various public schools are located, are legally competent to take any steps to abolish any or all of the public schools. The legal opinion tendered is as follows :—

(i) Public Schools run by minorities

By virtue of Article 30 of the Constitution the minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Therefore, if steps are taken to abolish the public schools completely then Article 30 (1) of the Constitution will be violated.

(ii) Public Schools run on commercial lines

The Constitution ensures freedom of occupation, trade or busineess and if we abolish the public schools then such a right may be violated.

(iii) The public schools are not a creation of any Statute or recognition granted by the Government. Even if the Conference is dissolved and the schools are not called public schools, still the schools may run on the lines adopted by them.

In the light of the legal position Government may not be competent to initiate any action to abolish the so-called public schools. It may be added that public schools are generally meant to be those schools which are members of the Indian Public Schools' Conference. This Conference is voluntary association of member schools and a society registered under the Societies Registration Act. There are at present 50 schools throughout the country which are members of this Conference.

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जल संसाधन (वाटर टैक्नोलोजी) विषय

158. **श्री उग्रसेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विषयों में जल संसाधन को एक विषय के रूप में शामिल करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 'जल प्रौद्योगिकी' को यथावत अध्ययन के विषयों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं, यद्यपि इन विश्वविद्यालयों के कुछ अध्ययन

पाठ्यक्रमों में उस विषय के कुछ विशिष्ट पहलू जैसी जल-संसाधन इंजीनियरी, जल विज्ञान, जल आपूर्ति, कोटि नियंत्रण, प्रदूषण, सिंचाई, स्थलीय जल की उत्पति एवं स्रोत तथा घरेलू और औद्योगिक गन्दे जल का निरूपण एवं निपटान इत्यादि शामिल किये गये हैं।

मिल गेट पर गन्ने का मूल्य

159. **श्री उग्रसेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1977-78 मौसम के लिये मिल-गेट तथा पोल केन्द्रों पर गन्ने का मूल्य कब तक निर्धारित कर दिया जायेगा; और

(ख) इस वर्ष समूचे देश में गन्ने का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मंत्रिमण्डल ने 27-10-1977 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया है कि वर्ष 1977-78 मौसम के लिये अनुकूलतम अवधि अथवा समस्त मौसम के दौरान 8.5 प्रतिशत की मूल न्यूनतम वसूली, जो भी अधिक हो, के लिये गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.50 रु० प्रति क्विंटल होना चाहिये और शीघ्र ही एक अधिसूचना जारी की जायेगी जिसके अधीन प्रत्येक फैक्टरी के लिये सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जायेंगे।

(ख) वर्ष के इस समय गन्ने के उत्पादन के अनुमान केवल उन क्षेत्रों के बारे में उपलब्ध हैं जो कि गन्ने के अन्तर्गत है। वर्ष 1977-78 के लिये प्रथम अनुमान 2775.5 हजार हैक्टर है। 1976-77 के लिये तदनुरूपी अनुमान 2716.1 हजार हैक्टर था।

रूस का "कम्बाइन हार्वेस्टर एस के पी -4ए"

160. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के "कम्बाइन हार्वेस्टर एस के पी-4 ए" वर्ष 1974-75 में बेरोजगार इंजीनियरों को नकद भुगतान पर बेचे गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने "कम्बाइन" बेचे गये और वे कितने मूल्य के थे;

(ग) क्या ये "कम्बाइन" वर्ष 1972 में आयात किये गये थे और गैर-सरकारी मालिकों ने उन्हें 1974 तक खरीदने से इन्कार कर दिया था;

(घ) क्या सरकार को उनके कार्यकरण के बारे में कोई प्रतिकूल सूचना मिली है और वे खराब पाये गये हैं तथा उनमें से अधिकांश बेकार पड़े हैं; और

(ङ) क्या सरकार का उन कम्बाइनों के क्रेताओं को हुई भारी क्षति की पूर्ति करने का विचार है; जो इस समय बेकार पड़े हुए हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां। "एग्रो सर्विस" केन्द्रों का संचालन करने वाले उद्यमियों को 1,48,950 रुपये प्रति "कम्बाइन" (कर छोड़कर) की दर से नकद भुगतान करने पर 24 रूस के "कम्बाइन एस के पी-4 ए" बेचे गये।

(ग) भारत में ये "कम्बाइन" वास्तव में 1974 में प्राप्त हुए थे, न कि 1972 में। अतः 1972—74 से किन्हीं गैर-सरकारी मालिकों द्वारा उन्हें खरीदने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) मंत्रालय में कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें इस मशीन की कुछ खराबियों और उसको चलाने में आने वाली समस्याओं की शिकायत की गई थी। मंत्रालय को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनमें से अधिकांश मशीनें बेकार पड़ी हैं।

(ङ) मंत्रालय को पता नहीं है कि इन मशीनों के कारण उद्यमियों को किसी प्रकार की हानि हुई है। यदि कोई ऐसी हानि हुई है तो भी सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा देने का प्रश्न नहीं होता।

दिल्ली में मद्य निषेध लागू करना

161. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पूर्ण मद्य निषेध कब लागू होने की संभावना है;

(ख) क्या इसे विभिन्न चरणों में लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो कैसे?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) मद्य निषेध को क्रमशः लागू करने का विचार है ताकि अप्रैल, 1980 से यह लागू हो जाये।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा घोषित की गई मद्य निषेध सम्बन्धी नीति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1022/77]

खाद्यान्नों का उत्पादन

162. **श्री सी० एन० विश्वानाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77 में खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम आंकड़े क्या थे और जिन क्षेत्रों में सुधार हुआ है वहां उत्पादन अधिक होने के कारण क्या हैं;

(ख) 1977-78 में कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) गत सात महीनों के दौरान उत्पादकता में सुधार लाने के लिये क्या ठोस उपाय किये गय ताकि अधिक उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सके?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1976-77 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1115.7 लाख मीटरी टन हुआ है। 1975-76 की तुलना में 1976-77 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में ज्वार और बाजरे के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह मुख्यतः इन फसलों के प्रति हैक्टार उपज में वृद्धि के कारण हुई है। पंजाब और हरियाणा ने चावल और गेहूं के उत्पादन में जिस वृद्धि की सूचना दी है वह क्षेत्र में वृद्धि होने और कुछ प्रति हैक्टर अधिक पैदावार के कारण हुई है।

(ख) 1977-78 के उत्पादन अनुमान अभी राज्यों से देय नहीं हुए हैं।

(ग) उत्पादकता बढ़ाने के लिये जो ठोस कदम उठाये गये हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:--

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत आने वाली क्षेत्र में वृद्धि करना,

(2) वर्षा, सिंचाई मिट्टी के प्रकारों आदि की स्थितियों के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन और विस्तार करना,

(3) उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करने और साथ ही प्रयोग की उपयुक्त पद्धतियों के माध्यम से उसके प्रभाव में सुधार लाने के लिये चुनिन्दा जिलों में विशेष उर्वरक अभियान चलाना,

(4) चना, अरहर आदि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये फास्फेट पूरक उर्वरकों के प्रयोग के लिये विशेष अभियान चलाना,

(5) विस्तार कर्मचारियों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित नवीनतम प्रौद्योगिकी में कृषकों को प्रशिक्षण देना,

(6) विद्युत और सिंचाई जल की निरन्तर आपूर्ति प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना,

(7) कृषकों को उत्पादन ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करना और

(8) अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि करना तथा यूरिया की कीमत में कमी करना।

Ban Sagar Dam

†163. **Shri Sukhendra Singh :**
Shri Y.P. Shastri:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have accorded their approval for starting work again on the Ban Sagar Dam over the Sone river in Madhya Pradesh, the Construction work on which had commenced but had to be abandoned for certain reasons ;

(b) if so, the expenditure estimated on this project and how this expenditure will be shared by other States;

(c) the area of land to be irrigated in Madhya Pradesh on its completion and quantity of water to be provided to Bihar and Uttar Pradesh; and

(d) the time by which this project is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The Bansagar Control Board, at its first meeting held on 17th September, 1977 under the Chairmanship of the Union Minister of Agriculture and Irrigation, resolved that the construction of the Bansagar Dam should be started without further delay.

The Board also asked the State Governments of Bihar and Uttar Pradesh to submit their reports for the utilisation of their share of Bansagar water so that the Bansagar Project could be processed for clearance by the Planning Commission.

(b) The Bansagar Project submitted by Madhya Pradesh Government is estimated to cost Rs. 172.44 crores which excludes the cost of irrigation systems in Bihar and Uttar Pradesh. The cost of the Bansagar dam is about Rs. 56 crores which will be shared by Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh in the ratio of 2:1:1.

(c) The Bansagar Project envisages annual irrigation of 2.49 lakh hectares in Madhya Pradesh. The States of Bihar and Uttar Pradesh will each get one million acre feet of stored water.

(d) The Project is likely to be completed in abut 8-9 years after the commencement of works.

राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना

164. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सेवा योजना के विस्तार के रूप में इस वर्ष "राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवा योजना" आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और इस योजना के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यह योजना किन-किन राज्यों में लागू की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1977-78 से शुरू की गई राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना का उद्देश्य है उन युवकों को, जिन्होंने अपनी प्रथम डिग्री पूर्ण कर ली है, अवसर प्रदान करना, ताकि वे पूर्णकालिक आधार पर, विशिष्ट अवधि के लिये राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में स्वैच्छिक आधार पर भाग ले सकें। शुरू में, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये नेहरू युवक केन्द्रों और स्वैच्छिक एजेन्सियों के जरिये प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रवर्धन का कार्य करेंगे। स्वयं-सेवकों को इस क्षेत्र में कार्य शुरू करने से पहले उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रत्येक स्वयंसेवक को यात्रा और आकस्मिक खर्चे के साथ प्रतिमास 175 रु० का वजीफा दिया जायेगा। 1977-78 वर्ष के लिये इस योजना हेतु 7.5 लाख रु० की बजट व्यवस्था की गई है। यह योजना सभी राज्यों में लागू कर दी गई है।

टी०एम०एस०एस०एम० लायब्रेरी

165. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजनावधि के दौरान टी०एम०एस०एस०एम० लायब्रेरी, तंजाबूर की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन सिफारिशों के क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) टी०एम० एस०एस०एम० पुस्तकालय, तंजाबूर की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित विजिटिंग समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। इस रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी।

मार्गदर्शी गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना संबंधी प्रतिवेदन

166. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम०एल० दांतवाला की अध्यक्षता में गठित मार्गदर्शी गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना (पी०आई०आर०ई०पी०) संबंधी पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मार्गदर्शी गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने का निर्णय किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है और इस उद्देश्य के लिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय के ग्राम विकास विभाग में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

167. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 1979 के मध्य तक के लिए पर्याप्त खाद्यान्न भण्डार है;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी दो वर्षो में खाद्यान्न आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है;

(ग) क्या गत चार महीनों से खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होनी आरम्भ हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डार को देखते हुए मूल्य वृद्धि के **क्या कारण हैं** तथा इनमें कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सरकारी एजेंसियों के पास पहली अक्तूबर, 1977 **को खाद्यान्नों का कुल स्टाक 182 लाख मीटरी** टन था। खाद्यान्नों का आयात किए बिना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतें **पूरी** करना संभव होगा ।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों के मूल्यों में एक ग्रुप के रूप में **पिछले चार महीनों के दौरान लगभग** 2.4 प्रतिशत की तेजी आयी है। तथापि यह वृद्धि मुख्यतया दालों के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के कारण हुई है। अनाजों के मूल्यों में गिरावट देखी गई है लेकिन गेहूं के भावों में मामूली मजबूती आयी है जो कि मौसमी स्वरूप की है। दालों के दामों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण उत्पादन में गिरावट आना है और दालों के अधीन फसल का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए पग उठाए जा रहे हैं। चने की अधिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से चने का समर्थन मूल्य 95 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1978-79 के विपणन मौसम से 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

बाढ़ और सिंचाई सम्बन्धी "पैनल"

168. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ और सिंचाई सम्बन्धी दो 'पैनल' बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इन 'पैनलों' के क्या मुख्य उद्देश्य हैं; और

(घ) क्या ये 'ग्रुप' सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा इन पर **कितनी राशि खर्च** होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दोनों दलों के गठन और उनके विचारार्थ विषयों की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) योजना आयोग द्वारा विचार किए जाने के लिए दोनों दलों के लिए जरूरी है कि वे अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 10 नवम्बर, 1977 तक और अन्तिम रिपोर्ट 10 जनवरी, 1978 तक प्रस्तुत करें। बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्यकारी दल के संबंध में राज्यों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय सम्बन्धित राज्यों और संगठनों द्वारा उठाया जायेगा।

विवरण

1. सिंचाई सम्बन्धी कार्यकारी दल]

(1) गठन :

1. सचिव, सिंचाई विभाग	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य

3. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय (जनजातीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित)	सदस्य
4. संयुक्त सचिव (गंगा बेसिन), सिंचाई विभाग	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (सिन्धु), सिंचाई विभाग	सदस्य
6. वित्तीय सलाहकार, सिंचाई विभाग	सदस्य
7. सदस्य (जल संसाधन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
8. सदस्य (अभिकल्प और अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
9. संयुक्त सचिव (भूमि), कृषि विभाग	सदस्य
10. सदस्य (इंजीनियरी), संयुक्त नदी आयोग, सिंचाई विभाग	सदस्य
11. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
12. मुख्य इंजीनियर (मानिटरिंग एक), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
13. मुख्य इंजीनियर (मानिटरिंग दो), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
14. मुख्य इंजीनियर (सूखा अध्ययन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
15. सदस्य (प्रगति और आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	संयोजक

(2) विचारार्थ विषय :

(1) विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए पांचवीं योजना के अन्तर्गत भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के सम्बन्ध में कार्य निष्पादन की समीक्षा करना। राज्यवार समीक्षा की जाए।

(2) प्रत्येक राज्य के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय निवेश बताते हुए और अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का सृजन करने के लिए पांच वर्षीय मध्यावधिक योजना को तैयार करना। आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संभाव्यताओं के दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(3) जहां तक संभव हो, निर्माण और प्रचालन की अवस्थाओं के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त रोजगार का अन्दाजा लगाना।

(4) 1978-79 से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान सिंचाई प्रणालियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने की नीति और उपायों की सिफारिश करना, जिसमें वर्तमान प्रणालियों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम और केन्द्र में गठित समिति के निर्देशों के अन्तर्गत मानीटर किए जाने वाले सुव्यवस्थित प्रचालन कार्यक्रमों को अपनाया जाना भी शामिल है।

(5) पंचवर्षीय कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त नीतियों और उपायों की सिफारिश करना।

2. बाढ़ नियंत्रण, जल-निकास और समुद्री कटाव रोधी उपायों संबंधी कार्यकारी दल

(1) सचिव, सिंचाई विभाग	अध्यक्ष

कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग)

(2) संयुक्त सचिव (सिन्धु)	सदस्य
(3) संयुक्त सचिव (गंगा बेसिन)	सदस्य

(4) वित्तीय सलाहकार, सिंचाई विभाग	सदस्य
(5) सदस्य (इंजीनियरी) संयुक्त नदी आयोग . .	सदस्य

कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)

(6) संयुक्त सचिव (भूमि), कृषि विभाग . . .	सदस्य
(7) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि .	सदस्य

राज्य और अन्य संगठय

(8) मुख्य इंजीनियर, सिंचाई, *हरियाणा, चण्डीगढ़ .	सदस्य
(9) मुख्य इंजीनियर, सिंचाई. *उड़ीसा, भुवनेश्वर .	सदस्य
(10) मुख्य इंजीनियर, सिंचाई, *उत्तर प्रदेश, लखनऊ . *बाढ़ नियंत्रण का कार्य देखने वाले।	सदस्य
(11) प्रमुख इंजीनियर एवं पदेन सचिव, सिंचाई और जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता।	सदस्य
(12) अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग, गोहाटी	सदस्य
(13) अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग. पटना	सदस्य

केन्द्रीय जल आयोग

(14) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
(15) सदस्य (जल संसाधन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
(16) सदस्य (बाढ़), केन्द्रीय जल आयोग	संयोजक

(2) विचारार्थ विषय :

(1) भौतिक लक्ष्यों अर्थात् 1973-74 से पांचवीं योजना के अन्तर्गत उचित रूप से सुरक्षित बनाए गए क्षेत्र और वित्तीय लक्ष्यों के रूप में बाढ़ नियंत्रण, ड्रेनेज और समुद्री कटाव रोध के क्षेत्र में हुई प्रगति की आलोचनात्मक समीक्षा करना। भौतिक और वित्तीय उद्देश्यों को पूरा करने में आई समस्याओं और रुकावटों और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान महसूस की गई कमियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(2) बाढ़ प्रवण क्षेत्रों और लाभान्वित क्षेत्रों के बारे में अधिक सही आंकड़े एकत्र करने के उपायों का सुझाव देना।

(3) संगठनात्मक और प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकताओं के विशेष सन्दर्भ में 1978-79 से 1982-83 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए इस क्षेत्र के लिए नीतियों और कार्यक्रम के सुझाव देना।

(4) वर्तमान बाढ़ नियंत्रण और समुद्र कटाव रोधी स्कीमों से हुए लाभों को कायम रखने और इन कार्यों के ठीक प्रकार से प्रचालन और रख-रखाव के उपायों के सुझाव देना।

गंगा कावेरी लिंक परियोजना

169. **श्री के० लकप्पा :**

श्री विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने के बारे में दिनांक 13 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कावेरी लिंक परियोजना विभिन्न चरणों में आरंभ की जाएगी तथा क्या निर्माण के प्रथम चरण को चालू योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) कुछ नदियों को आपस में जोड़ने की स्कीम के बारे में, जिसमें गंगा को कावेरी के साथ जोड़ना भी शामिल था, कुछ वर्ष पहले कागजी अध्ययन किए गए थे। ऐसी किसी दीर्घकालीन स्कीम के बारे में अन्वेषण शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि विभिन्न बेसिनों, उप-बेसिनों और क्षेत्रों में फालतू जल और जल की कमियों की स्थिति का गहन अध्ययन किया जाए और सूखा प्रवण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल के अन्तर्बेसिन और अन्तर्क्षेत्रीय ट्रांसफर की संभावनाओं का पता लगाया जाए। केन्द्रीय जल आयोग में इस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है।

इस प्रकार के देशव्यापी अध्ययनों और अन्वेषणों का स्वरूप ही ऐसा है कि इनमें काफी समय लग जाता है। इन अध्ययनों के पूरा होने के बाद ही ऐसी परियोजनाओं की लागत के अनुमान तैयार किए जा सकते हैं और उनके कार्यान्वियन का समय निर्धारित किया जा सकता है।

Asian Games, 1892

†170. **Shri Vijay Kumar Malhotra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Asian Games are likely to be organised in Delhi in 1982 ;

(b) whether preparation for the the same has started or not ; and

(c) the expenditure proposed to be incurred for the purpose during this year ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) The matter is under consideration of the Government.

(b) & (c) Do not arise.

Expenditure on Sports

†171. **Shri Vijay Kumar Malhotra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on sports by the Central Government during 1976-77;

(b) the provision made therefor in the budget for 1977-78 ;

(c) the percentage thereof to the total budget provision for the current year ; and

(d) whether the Central Government propose to increase this percentage in the coming years ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Rs. 199.68 lakhs.

(b) Rs. 217.70 lakhs.

(c) 1.14% of the total budget provision made for Department of Education.

(d) There is no such proposal under consideration. Budget provision for Sports or other subjects is not made on the basis of percentage of total budget.

विश्व हाकी कप प्रतियोगिता

172. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :**

श्री जेंना बैरागी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व हाकी कप प्रतियोगिता के लिए पटियाला में आयोजित प्रशिक्षण शिविर से तीन खिलाड़ी चले गए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूरे मामले की कोई निष्पक्ष जांच कराई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि जांच कराई गई है तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) खिलाड़ियों के अनुसार, जैसा कि समाचारपत्रों में बताया गया है, वे भारतीय हाकी संघ के चयनकर्त्ताओं में से एक की, उनके अनुसार, तथाकथित अनापेक्षित टिप्पणियों के विरोध में शिविर छोड़कर चले गए।

(ग) तथा (घ) इस मंत्रालय द्वारा कोई जांच नहीं की गई है क्योंकि यह मामला पूर्णतया भारतीय हाकी संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कि एक स्वायत्त निकाय है।

Allotment of Government Accommodation to Former Ministers and M.Ps.

173. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of flats and type of accommodation allotted to former Ministers, MPs. and other officers belonging to the Congress Government and the terms of allotment thereof ;

(b) whether these allotments are in conformity with the rules of allotment of Directorate of Estate and the Ministry of Works and Housing ; and

(c) whether these allotments are of a specified period ; if so, the period of allotment in each case ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) After the assumption of office by the new Government, accommodation from the general pool has been allotted to former Ministers, M.Ps. etc., in the following cases on the terms indicated therein:—

(i) **Shrimati Indira Gandhi, former Prime Minister :** She has been allotted bungalow No. 12 Willingdon Crescent, (Type VIII), on payment of rent under "F.R. 45-B" plus departmental charges (Rs. 2824/- p.m.) on a purely temporary basis.

(ii) **Shri Jairam Das Daulat Ram (Ex-M. P.) :** He was in occupation of a Type-VIII bungalow 14, Tughlak Road. To enable him to vacate the said accommodation, he has been allotted a Type V house 17-B Havelock Square, on payment of rent under "F. R. 45-B" plus departmental charges.

(b) The allotments are on ad-hoc basis, with the approval of the competent authority.

(c) No, Sir. The allotments are on a purely temporary basis liable to be cancelled or withdrawn at any time.

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के फालतू सामान की बिक्री के कारण की गई सप्लाई/जमा राशि के बारें में दावें

174. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के फालतू सामान की बिक्री के कारण की गई सप्लाई अथवा जमा कराई गई राशियों के लिए (अविभाजित भारत सरकार के विरुद्ध) भारत में पार्टियों के ऐसे दावों की संख्या कितनी है तथा कितनी राशि के दावे हैं जिन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापित और स्वीकृत किए जाने के पश्चात् उनके मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय दावा संगठन ने स्वीकार कर लिया था तथा जिनका भुगतान कर दिया गया था तथा कितने दावों का उनके मंत्रालय द्वारा अभी भुगतान किया जाना बाकी है ।

(ख) क्या ऐसे किसी स्वीकृत दावे का भुगतान इस आधार पर रोक दिया गया है कि 1947 में विभाजन से पहले के ठेकों से संबंधित दावे 1956 में परिसीमा द्वारा वर्जित हो गए यद्यपि दावेदार 1948 से अपने दावों के लिए पैरवी कर रहे थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में शीघ्रता करने तथा प्रभावित पार्टियों को आवश्यक राहत दिलाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) फालतू भण्डारों के फलस्वरूप पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को की गई सप्लाई/जमा के सम्बन्ध में भारत के केन्द्रीय दावा संगठन के पास 68.25 लाख रुपये की राशि के 454 दावे पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 28.96 लाख रुपये की राशि के 162 दावों का निपटान कर दिया गया था, शेष 39.29 लाख रुपये की राशि के 292 दावे पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापन के अभाव में अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) इस प्रकार के किसी भी मामले में अवधि सम्बन्धी सीमा के कारण अदायगी नहीं रोकी गयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) शेष मामलों के तुरन्त निपटान के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, फिर भी, मुख्य रूप से उनका निपटान पाकिस्तान सरकार के उतर पर निर्भर करता है ।

दिल्ली में जल सप्लाई में व्यवधान

175. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में जल सप्लाई में व्यवधान डालने के लिए मुख्य पाइन लाइनों को तोड़ने के सुनियोजित प्रयत्न किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां । हाल ही में मुख्य जल सप्लाई पाइप लाइन तोड़ने के कई मामले देखने में आये हैं लेकिन यह कहना कठिन है कि ये सुनियोजित प्रयास है ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने होमगार्डों और विभागीय कर्मचारियों को तैनात करके नाजुक तथा महत्वपूर्ण स्थापनाओं और खुली जल पाइप लाइनों की देख-रेख के लिए गश्त शुरू की है। पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया था कि वे भी इन क्षेत्रों में गश्त और बढ़ा दें। जल की पाइप लाइनों को काटकर जलपूर्ति को अस्त-व्यस्त करने की सभी घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस अधिकारियों को लिखवा दी गई है।

विवरण

लाल झण्डा यूनियन के धरना के दौरान जलपूर्ति को अस्त व्यस्त करने के ब्यौरे

क्रम सं०	तारीख	ब्यौरे
1.	11-10-77	लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में वर्तानिया बिस्कुट फैक्टरी के सामने पश्चिम दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाला 11 00 मि०मी० व्यासार्द्ध के प्रो० एस० सी० मुख्य नल।
2.	12-10-77	भैरो रोड के समीप कैलाश जलाशय को पानी सप्लाई करने वाला 900 मि०मी० व्यासार्द्ध का पी०एस०सी० मुख्य नल।
3.	12-10-77	रिंग रोड और भैरो रोड के चौराहे पर कैलाश जलाशय को जल सप्लाई करने वाला 900 मि०मी० का व्यासार्द्ध के पी०एस०सी० मुख्य नल के अन्तर्गत अवस्थापन।
4.	12-10-77	बहादुरशाह जफर मार्ग के साथ के क्षेत्रों को जल सप्लाई करने वाला राजघाट के समीप 8″ व्यासार्द्ध का सी०आई० जल का मुख्य नल।
5.	12-10-77	ए०जी०सी०आर० के पीछे 4″ व्यासार्द्ध का जल का सी०आई० मुख्य नल।
6.	12-10-77	माता सुन्दरी रोड के साथ 5″ व्यासार्द्ध का जल का मुख्य नल।
7.	14-10-77	वजीराबाद राष्ट्रीय मार्ग के साथ ट्रांसपोर्ट नगर के सामने वजीराबाद से शाहदरा को जाने वाला 24″ व्यासार्द्ध का सी०आई० पम्पिंग मुख्य नल पर सुराख।
8.	14-10-77	वजीराबाद शाहदरा के 24″ व्यासार्द्ध का सी०आई० मुख्य नल का सुराख।
9.	14-10-77	जी०टी० रोड शाहदरा पर झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में 15″/18″ पानी का सी०आई० नल।
10.	14-10-77	सीलमपुर चरण-III तथा I को जल सप्लाई करने वाला 6″ व्यासार्द्ध सी०आई० का मुख्य नल।
11.	14-10-77	उत्तमनगर के पास नजफगढ़ को जाने वाला जल सप्लाई का 12″ व्यासार्द्ध का सी०आई मुख्य नल।
12.	14-10-77	सी-2 बी जनकपुरी के सामने जल सप्लाई का 110 मि०मी० व्यासार्द्ध का मुख्य नल।
13.	14-10-77	ए-ब्लाक जनकपुरी में दूध के डिपो के सामने जल सप्लाई का 8″ सी० आई० का मुख्य नल।

1	2	3
14.	14-10-77	. सी० 6बी जनकपुरी के सामने डी-ब्लाक को जल सप्लाई करने वाली विद्या मार्ग के साथ 8" व्यासार्द्ध का ए०सी० पाइप।
15.	14-10-77	. कालकाजी अस्पताल के समीप कालका जी जलाशय से 9" व्यासार्द्ध का जल का सी०आई० मुख्य नल ।
16.	14-10-77	. बदरपुर नलकूप से गिरी नगर जाने वाला पानी का 12" व्यासार्द्ध का सी०आई० मुख्य नल ।
17.	14-10-77	सतबाड़ी नलकूप से महरोली जाने वाला जल का 7" व्यासार्द्ध का मुख्य नल।
18	15-10-77	ग्रेटर कैलाश जलाशय से चिराग दिल्ली को जाने वाला पानी का 1100 मि०मी० व्यासार्द्ध का पी०एस०पी० पम्पिंग नल ।
19.	15-10-77	लेडी श्रीराम कालेज के पास कालकाजी जलाशय से डिफेंस कालोनी को जाने वाला पानी का 21" व्यासार्द्ध का मुख्य नल।
20.	15-10-77	. 2ए/8ए ब्लाक गीता कालोनी के बीच 4" व्यासार्द्ध वाटर मेन।
21.	15-10-77	. फ्लैग स्टाफ जलाशय से स्टेट लेबोरेटरी अलीपुर रोड को जाने वाला पानी का 5" व्यासार्द्ध का सी०आई० का मुख्य नल।
22.	15-10-77	लोअर वेला रोड के साथ पानी का 7" व्यासार्द्ध का सी०आई० मुख्य नल।
23.	15-10-77	. मजनू के टीले के समीप पानी का 6" व्यासार्द्ध का सी०आई० मुख्य नल।
24.	16-10-77	. मकान नं० 2513-14 बगीची रघुनाथ, सदर बाजार के समीप पानी का मुख्य नल।
25.	16-10-77	. डेरा बावा करम सिंह पटपड़ गंज रोड के सामने गीता कालोनी ब्लाक-15 में 12" व्यासार्द्ध की मुख्य लाइन से 6" व्यासार्द्ध की शाखा लाइन।
26.	16-10-77	. श्री विष्णुदत्त के निवास के समीप ए/2/88 जनकपुरी के समीप पानी का मुख्य नल।
27.	17-10-77	. रामपुरा मेन रोड के समीप पानी का मुख्य नल।
28.	17-10-77	. मौहल्ला दर्शन, फाटक हौज काजी के समीप पानी का मुख्य नल।
29.	17-10-77	. ओखला इन्टेक यमुना के किनारे के समीप पानी का मुख्य नल।
30.	17-10-77	डी०टी०सी० मुख्यालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट के समीप राइजिंग मेन।
31.	17-10-77	जी० ब्लाक, हरिनगर के समीप पानी का मुख्य नल।
32.	17-10-77	सुभाष नगर के समीप नजफगढ़ रोड के साथ पानी का मुख्य नल।
33.	17-10-77	. एम ब्लाक, श्याम नगर में पानी का मुख्य नल।
34.	17-10-77	. किंग्जवे कैम्प के समीप हडसन रोड पर पानी का मुख्य नल।

उपर्युक्त के अलावा नगर के विभिन्न भागों में रेगुलेटरी वाल्ब को चलाकर जल सप्लाई को ध्वस्त व्यस्त करने के मामले भी ध्यान में आये हैं।

†House Building Loans to University Employees

†176. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission has taken any decision for giving house building loans to the employees of the Central Universities ; and

(b) if not, the reasons therefor and the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) The University Grants Commission has not taken a decision regarding grant of house building loans to the employees of the Central Universities because the Commission does not have powers to sanction loans to employees of Central Universities.

गत तीन वर्षों में वितरित की गई भूमि

177. **श्री बयालार रवि :**

श्री बसन्त साठे :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सुधार की प्रगति के बारे में दिनांक 20 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1086 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 के प्रथम छः महीनों में भूमिहीनों को कुल कितनी फालतू भूमि वितरित की गई तथा इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) 1975-76 और 1976-77 को इन्हीं अवधियों के दौरान वितरित की गई भूमि की तुलना में ये आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं, और

(ग) क्या फालतू भूमि के वितरण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार का विचार कोई विशेष कदम उठाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1975-76 के बारे में जानकारी अपूर्ण है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि 1 लाख एकड़ से कम भूमि वितरित की गई थी। 1976-77 में स्थिति में सुधार हुआ और अप्रैल-सितम्बर के दौरान लगभग 5.6 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई। वितरण का निर्धारण मामलों के निपटान से होता है और चूंकि मामलों के निपटान में कुछ समय लगता है, अतः किसी अवधि के दौरान हुई उपलब्धि पिछले प्रयासों का ही परिणाम होती है। अनुवर्ती चरणों में वितरण की गति में अपेक्षाकृत धीमापन आना स्वाभाविक है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध भूमि पहले ही वितरित की जा चुकी है।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा से फालूत भूमि के वितरण के कार्य को और तेज करने की सलाह दी है।

विवरण

राज्य	अप्रैल से सितम्बर, 1977 के बीच वितरित किया गया क्षेत्र (एकड़)	टिप्पणी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	49,083	
असम	7,568*	*31-1-1977 तक

1	2	3
बिहार .	7,650	
गुजरात .	633	
हरियाणा .	215	
हिमाचल प्रदेश .	2*	*30-6-1977 तक
जम्मू ग्रौर कश्मीर .	उ० न०	
कर्नाटक .	3,842	
केरल .	4,460	
महाराष्ट्र	उ० न०	
मणिपुर	उ० न०	
उड़ीसा	26,340	
पंजाब	135	
राजस्थान .	1,580	
तमिलनाडु . .	उ० न०	
त्रिपुरा . .	399	
उत्तर प्रदेश . .	1,310*	*30-6-1977 तक
पश्चिम बंगाल . .	893	
दादर ग्रौर नगर हवेली	1,023*	*31-8 1977 तक
दिल्ली .	उ० न०	
पांडिचेरी	70	
	1,18,081	

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा परिणामों को घोषणा में विलम्ब

178. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसके द्वारा ली गई विभिन्न परीक्षाग्रों के परिणाम बहुत विलम्ब से घोषित किए ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; ग्रौर

(ग) ग्रागामी वर्षों में ऐसा विलम्ब न होने देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के ग्रनुसार विश्वविद्यालय द्वारा ली गई कुछ परीक्षाग्रों के परिणाम मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से इस वर्ष देर से निकाले गये :

(i) क्योंकि लोक सभा के चुनाव इस वर्ष मार्च में हुए थे ग्रतः परीक्षाएं देर से शुरू की गई ;

(ii) विश्वविद्यालय तथा कालेजों के नियमित छात्रों तथा भूतपूर्व छात्रों के परीक्षा कार्य के लिये विश्वविद्यालय तथा कालेजों के शिक्षकों को पारिश्रमिक बंद कर देने से भी प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं ; ग्रौर

(iii) भारी वर्षा के कारण बिजली बन्द हो गई तथा विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय में लगभग एक सप्ताह तक रोशनी नहीं थी । अतः परिणाम तैयार करने के लिये कम्प्यूटर मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सका । जिसके परिणामस्वरूप इतना ही विलम्ब हुआ ।

विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं कि जहां तक हो सके, भविष्य में इस प्रकार का विलम्ब न होने पाये ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा मूल्य नियत करने के मानदंड

179. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से कृषि तथा बागवानी उत्पाद आते हैं ; और

(ख) आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के लिये विभिन्न जिन्सों के मूल्य नियत करने हेतु क्या मन - दंड अपनाये जाते हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सभी कृषि जिन्सें, जिसमें बागबानी उत्पाद भी शामिल है, कृषि मूल्य आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं । आयोग नियमित आधार पर महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों तथा समय-समय पर इसे सौंपी गई अन्य जिन्सों की मूल्य नीति के सम्बंध में सिफारिशें करता रहा है ।

(ख) मूल्य-नीति सम्बंधी अपनी सिफारिशें करते समय आयोग अपने विचारार्थ विषयों की सीमा में कार्य करता है, जिनके अनुसार आयोग को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है :--

(1) उन्नत टैक्नोलोजी अपनाने तथा अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता;

(2) भूमि एवं अन्य उत्पादन सम्बन्धी संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता ;

(3) शेष अर्थ व्यवस्था विशेषकर रहन-सहन की लागत, मजदूरी के स्तर, औद्योगिक लागत तंत्र आदि पर मूल्य नीति का सम्भावित प्रभाव ।

साहाय्य मूल्यों के स्तर पर अपनी सिफारिशें करने से पहले आयोग अन्य बातों के साथ-साथ, फसल विशेष की उत्पादन लागत पर उपलब्ध आंकड़ों, आदानों के मूल्यों में परिवर्तनों एवं प्रतिस्पर्धी फसलों के लिए निर्धारित मूल्यों में किए गए परिवर्तनों को भी ध्यान में रखता है । अधिप्राप्ति मूल्यों के स्तर पर अपनी सिफारिशें करते समय आयोग फसल की सम्भावनाओं तथा बाज़ार मूल्यों के सम्भावित रुख को भी ध्यान में रखता है ।

वसूल किए गए खाद्यान्न तथा उनके रक्षित भंडार की मात्रा

181. **श्री एस०आर० दामाणि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेन्सियों के चालू वर्ष के दौरान राज्यवार खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में वसूली की और 3 अक्तूबर, 1977 के दिन रक्षित भंडार में प्रत्येक मद की कितनी मात्रा थी ;

(ख) प्रत्येक राज्य की अभी तक उठान क्या रही है और वर्ष के शेष महीनों में मांग सम्बन्धी अनुमान क्या है ; और

(ग) क्या रक्षित भंडार की कोई सीमा नियत की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पंचाग वर्ष 1977 (31 अक्तूबर तक) के दौरान राज्यवार खाद्यान्नों की वसूल की गई मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण (परिशिष्ट 1) में दिया जाता है । अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य प्राधिकरणों के पास पहली अक्तूबर, 1977 को लगभग 182 लाख मीटरी टन खादयान्न थे जिनमें 136 लाख मीटरी टन गेहूं, 44 लाख मीटरी टन चावल और 2 लाख मीटरी टन मोटे अनाज थे ।

(ख) पंचांग वर्ष 1977 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटी गई मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण (परिशिष्ट 2) में दिया जाता है । जहां तक वर्ष के शेष महीनों में सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की प्रत्याशित मांग का सम्बन्ध है, यह उल्लेख किया जाना है कि बाज़ार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को देखते हुए यह ज़रूरतें प्रत्येक मास भिन्न-भिन्न होती हैं । अतः राज्य सरकारों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्यान्नों की मांग का ठीक-ठीक अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है ।

(ग) तकनीकी ग्रुप की बफर स्टाक और परिचालन स्टाक के आकार संबंधी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1023/77]

Requset fromt States for Enhancement of Procurement Price of Foodgrains and Paddy

182. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the States which asked for the enhancement of procurement price of foodgrains and paddy production of Kharif and when did they submit their demand ;

(b) the reason given by each State for the enhancement of procurement price ;

(c) the reaction of Government thereto ; and

(d) the procurement price of foodgrains fixed by the Government at present ?

The Minister of Stare in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bahnu Pratap Singh) : (a), (b), (c) & (d) For Kharif marketing season 1977-78, the Agricultural Prices Commission recommended an increase in the procurement price of paddy to Rs. 77/- per quintal and suggested continuance of procurement price for jowar, bajra, maize and ragi at Rs. 74 per qtl. In the course of discussions with the Union Minister for Agriculture and Irrigation during September, 1977, the Chief Ministers/Food Ministers/Agriculture Ministers of most of the States except Assam, Kerala and Jammu & Kashmir, demanded higher procurement prices on the ground that the cost of production has increased. After careful consideration of the recommendations of the Agricultural Prices Commission and the views expressed by the States, Government of India decided to accept the recommendation of the APC regarding the level of procurement prices. The zonal restrictions on movement of paddy and rice have also been removed to ensure better availability of foodgrains even in deficit States and to enable the farmer to get a better price for his produce in the open market.

Claims of Displaced Sindhis pending disposal

183. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether cases of ownership claims are still pending disposal of Sindhi displaced persons who came from Pakistan during 1947-48 and 1948-49 to Junagadh, Rajkot and Jamnagar Districts of Gujarat ;

(b) if so, the number of cases pending ; and

(c) the time by which these pending cases will be disposed of ?

The Minister of State for Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : (a), (b) & (c) No claims in respect of immovable properties left by displaced persons in former West Pakistan are pending for initial verification. However, 36 compensation cases of Sindhi displaced persons settled in erstwhile Saurashtra region are under process of finalisation as below:—

Junagadh.	31
Rajkot .	. 4
Jamnagar	. 1
	36

These cases are expected to be disposed of expeditiously.

नेशनल फेडरेशन ग्राफ कोग्रापरेटिव शूगर फैक्टरीज के निदेशक से लेवी की चीनी के ग्रलाभप्रद मूल्य के बारे में ज्ञापन

184. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन ग्राफ कोग्रापरेटिव शूगर फैक्टरीज के निदेशक ने लेवी की चीनी के ग्रलाभप्रद मूल्यों के बारे में मंत्री महोदय को कोई ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मराठे समिति की सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय लिया है ; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) कृषि तथा सिंचाई मंत्री को फेडरेशन के उपाध्यक्ष का 29 जून, 1977 का ज्ञापन संख्या एफ० 13-56/77 एस पी० प्राप्त हुग्रा था।

(ख) मंत्रिमडल ने ग्रपनी 27-10-1977 की बैठक में मराठे समिति की गन्ने के न्यूनतम मूल्य को लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करने के लिए ग्राधार मानने की सिफारिश पर निर्णय लिया लेकिन यह तय करते समय प्रत्येक मिल को उसकी लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करने के लिए ग्रलग-ग्रलग समझा जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मीटर के लिए धरोहर राशि देने की प्रक्रिया में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा परिवर्तन

185. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास तथा पूर्ति ग्रौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के नये ग्राबंटियों को डेसू द्वारा कहा जाता है कि वे क्वार्टर के पिछले ग्राबंटी की ग्रोर यदि कोई बकाया राशि हो तो उसे जमा करायें ग्रौर बिजली का कनेक्शन फिर से देने के लिए ग्रावेदन करते समय नकद धरोहर राशि जमा करायें;

(ख) क्वार्टर के ग्रावंटी के कार्यालय द्वारा ग्रावंटी की ग्रोर से गारंटी देने की प्रक्रिया को बदलने के क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्रक्रिया में इस परिवर्तन के कारण सरकार के विशेष रूप से कम आय पाने वाले कर्मचारियों के लिए कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं और यदि हां तो पुरानी प्रक्रिया को फिर से लागू करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) सरकारी क्वार्टरों के कतिपय अलाटियों के पास बिजली प्रभारों की भारी मात्रा में बकायों के होने के कारण दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान ने कुछ समय पूर्व यह निर्णय लिया था कि सरकारी क्वार्टरों के आवंटियों से बिजली के मीटरों की धरोहर राशि नकद वसूल की जाए और पिछले आवंटी से यदि कोई बकाया राशि देय हो तो बिजली की सप्लाई पुनः देने से पूर्व नये अलाटी द्वारा उनका भुगतान किया जाना चाहिए । सरकारी क्वार्टरों के नये आवंटियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त होने पर संस्थान ने अब यह निर्णय लिया है कि बिजली पुनः देने से पूर्व नये अलाटियों से पुराने अलाटियों के बकाया के वसूल करने पर बल न दिया जाए । तथापि, ऐसे आवंटियों को अन्य लोगों की भांति धरोहर राशि नकद जमा करानी होगी ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में निधियों तथा छात्रावास के निर्माण के संबंध में कुप्रबन्ध

186. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में निधियों के बारे में कुप्रबन्ध हुआ था;

(ख) क्या छात्रावासों के निर्माण के बारे में छात्रों ने शिकायतें की थीं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा चुकी है अथवा किये जाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कालकाजी, दिल्ली में गैर-सरकारी आवास एजेन्सी को जमीन की बिक्री

187. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी के निकट विस्थापित व्यक्ति भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अभिगृहीत बहुत-सी भूमि ग्रेटर कैलाश भाग-II की एक गैर-सरकारी आवास कम्पनी को बेच दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) ऐसे पात्र विस्थापितों को, जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में है और जो आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भूमि देने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जहां तक भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है, नए आबंटनों पर रोक काफी समय पहले लगा दी गई थी और कोई भी विस्थापित व्यक्ति आबंटन की प्रतीक्षा में प्रतीक्षा सूची में नहीं हैं ।

जहां तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आए विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है ऐसे सभी व्यक्ति जो दिल्ली में लाभकारी रोजगार में लगे हैं और जिन्हें 4-1-1966 और 13-8-67 के प्रेस नोटों के उत्तर में पात्र व्यक्ति पाया गया, उन्हें चितरंजन पार्क में प्लाटों की पेशकश की गई थी। चितरंजन पार्क के शेष प्लाटों के लिए दिनांक 14-1-77 के प्रेस नोट द्वारा नए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जो व्यक्ति उपयुक्त पाए जाएंगे उन्हें प्लाट लाटरी निकाल कर आबंटित किए जाएंगे।

दिल्ली दुग्ध योजना में छिड़काव द्वारा सुखाया गया व्यापारिक कचरा

188. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के गोदाम में छिड़काव द्वारा सुखाया गया 70-80 टन व्यापारिक कचरा (स्प्रेड्राइट ट्रेड वेस्ट) खराब हो गया है;

(ख) क्या वह कैसीन भी खराब हो गया है :

(ग) क्या हाल ही में 80 हजार लिटर दूध खराब हो गया था; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) 21-9-77 को रात को दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से हड़ताल करने के कारण 1,38,500 लिटर परिसंस्कृत व 20,094 लिटर कच्चा दूध खराब हो गया।

(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित खराब हुए दूध का मूल्य लगभग 1,39,397 रुपये था।

गोदामों में और खुले में रखा हुआ अनाज

189. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के रक्षित भंडार में इस समय कितना अनाज है और इसमें से कितना अनाज गैर-सरकारी गोदामों में और कितना भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जमा है और कितना पोलीथीन डाल कर खुले में रखा है ;

(ख) क्या यह सच है कि पोलीथीन डाल के नीचे रखा गया बहुत-सा गेहूं बुरी तरह खराब हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो खराब हुए गेहूं की मात्रा और मूल्य का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में क्या कारगर कार्यवाही की गई है/करने का विचार है जिससे इस कारण से हानि न हो ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 15-10-1977 को 142 लाख मीटरी टन खाद्यान्न था जिसमें से 53 लाख मीटरी टन खाद्यान्न कैप स्टोरेज में रखा हुआ था (कवर तथा प्लिंथ) और शेष 89 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम, राज्य भाण्डागार निगम तथा प्राईवेट पार्टियों के गोदामों में थे।

(ख) 7983 मीटरी टन गेहूं खराब हो गया था ।

(ग)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	खराब हुई मात्रा (मीटरी टन में)	खराब हुए स्टाक का मूल्य (रु० में)
1.	जम्मू तथा कश्मीर	96	129696
2.	राजस्थान	1203	1625253
3.	पंजाब	18	24318
4.	हरियाणा	03	4053
5.	दिल्ली	33	44583
6.	उत्तर प्रदेश	331	447181
7.	हिमाचल प्रदेश	80	108080
8.	काण्डला	2850	3850350
9.	महाराष्ट्र	251	339101
10.	गुजरात	65	87815
11.	मध्य प्रदेश	12	16212
12.	तमिलनाडु	2115	2857365
13.	आन्ध्र प्रदेश	223	301273
14.	कर्नाटक	05	6755
15.	महाराष्ट्र (पी० ओ०)	19	25669
16.	बिहार	679	917329
	जोड़	7983	10785033

(घ) जिन स्थानों पर कैप स्टोरेज में खाद्यान्नों की ज्यादा मात्रा खराब हुई है वहां पर ढका हुआ भण्डारण स्थान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं :—

(1) काश कार्यक्रम के अधीन बड़े पैमाने पर नये गोदामों का निर्माण ।

(2) मौजूदा गोदाम कम्पलैक्स में जहां कहीं थोड़ी-सी भूमि उपलब्ध है वहां छोटे आकार के गोदामों का निर्माण करना । तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ऐसे छोटे गोदामों का थोड़े समय में निर्माण कराया जा सकता है ।

(3) मौजूदा गोदाम कम्पलैक्सों में और स्वीकृत केन्द्रों पर जहां तुरन्त भूमि मिल सकती है, वहां नये गोदामों का निर्माण कराना ।

(4) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से बफर स्टाक के भण्डारण के लिए गोदामों का निर्माण कराना ।

(5) प्राइवेट पार्टियों को न्यूनतम विशिष्ट अवधि के लिए गारंटी बद्ध अधिभोग पर गोदाम का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना और अपेक्षाकृपत सुगम शर्तों पर बैंक ऋण दिलाने में उनकी मदद करना ।

(6) चट्टों की ऊंचाई बढ़ाकर, बेकार/अप्रचलित सामान तथा क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का शीघ्र निपटान कर मौजूदा भण्डारण क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करना जिससे खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए अतिरिक्त खाली स्थान पैदा किया जा सके ।

(7) केन्द्रीय भाण्डागार निगम, राज्य भाण्डागार निगम, राज्य सरकारें और प्राईवेट पार्टियों जैसे विभिन्न स्रोतों से और गोदाम किराये पर लेना ।

(8) वसूली मौसम के दौरान सुरक्षा स्थापनों, चीनी मिलों, चावल मिलों, प्रयोग में न आ रहे पुनर्वास कैम्प आदि से अस्थायी तौर पर गोदाम किराये पर लेना ।

केरल में टेपिग्रोका काम्प्लैक्स

190. **श्री के० ए० राजन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बिस्कुट स्टार्च, स्टार्च, ग्लूकोज, पशु-चारा आदि के निर्माण के लिए राज्य में सरकारी क्षेत्र में 9 करोड़ की लागत के एक 'टेपिग्रोका काम्प्लैक्स' की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने केरल में ग्राम-कृषि पर आधारित औद्योगिक काम्प्लैक्स की स्थापना के लिए परियोजना, जिसमें अन्य बातों के अलावा टेपिग्रोका विधायन भी शामिल है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुरोध किया है । परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्नातक इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के अवसर

191. **श्री के० ए० राजन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नई दिल्ली के स्नातक जूनियर इंजीनियरों के पदोन्नति की उचित व्यवस्था संबंधी अपनी मांगों पर बल देने के लिये निर्माण भवन के सामने धरना दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जूनियर इंजीनियरों के दो ग्रुप हैं । उनमें से एक ग्रुप में स्नातक तथा ए० एम० आई० ई० इंजीनियर हैं, और दूसरे ग्रुप में डिप्लोमा होल्डर और अन्य गैर स्नातक इंजीनियर हैं । दोनों ग्रुपों के हितों में विरोध है । पहले गैर-स्नातक जूनियर इंजीनियरों ने धरना लगाया था । सरकार ने दोनों पार्टियों को समय दिया था ताकि वे किसी सूत्र की खोज करके आपस में सहमत हो जायें । वे ऐसा नहीं कर सके । अब सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो दोनों पार्टियों के लिये उचित तथा न्यायोचित हो, परन्तु ऐसा कोई भी तरीका खोजना सम्भव नहीं है जिससे सभी सन्तुष्ट हो सकें ।

Contents of Milk of Mother Dairy

192. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been undertaken to enrich the contents of milk by vitamin 'A' in collaboration with three Mother Dairies of Calcutta, Madras and Delhi;

(b) whether this project has been implemented through National Dairy Development Board; and

(c) the time by which the dairy at Patna would be included in this project ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) & (b) It is proposed to implement a scheme for enrichment of milk with vitamin 'A' to the extent of one lakh Litres daily at each dairy, in collaboration with the National Dairy Development Board and the three mother dairies at Calcutta, Delhi and Madras, as an experimental project.

(c) Inclusion of the dairy at Patna will be considered when the project is extended after the initial experimental stage.

पश्चिम बंगाल में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

193. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गन्दी बस्ती सुधार योजना हेतु केन्द्र द्वारा 1971-72 से 1976-77 की अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि मंजूर और वितरित की गई ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) 1971-72 से 1976-77 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल गन्दी बस्ती सुधार योजना में वास्तविक और वित्तीय अर्थों में कितनी प्रगति हुई ?

(घ) क्या गन्दी बस्ती सुधार योजना पर तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए खर्च के बारे में अनियमितताओं के कोई आरोप लगाये गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कृष्णानदी जल को मद्रास लाने की योजना

194. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी जल को मद्रास ले जाये जाने की योजना की क्रियान्विती पर चर्चा करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा एक मंत्री स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसमें क्या निर्णय किये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारें अप्रैल, 1976 में इस बात पर सहमत हो गईं कि तमिलनाडु सरकार कृष्णा नदी के जल में उनमें से प्रत्येक के हिस्से में से पांच-पांच टी० एम० सी० जल का प्रयोग मद्रास शहर में जल की सप्लाई करने के लिए कर सकती है । इस समझौते के अनुसरण में विभिन्न वैकल्पिक स्कीमें और उन पर आने वाली लागत के अनुमान संबंधित राज्यों के अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये थे जिन पर अधिकारियों के स्तर की दो बैठकों में विचार किया गया ।

इन अध्ययनों पर, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा 27 अक्तूबर, 1977 को बुलाई गई बैठक में विचार किया गया, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश के मध्यम सिंचाई परियोजना विभाग के मंत्री, कर्नाटक के बृहद् सिंचाई विभाग के मंत्री और तमिलनाडु के निर्माण मंत्री शामिल हुए थे ।

विचार-विमर्श के फलस्वरूप निम्नलिखित निर्णय किये गये :--

(एक) तमिलनाडु सरकार को, 1500 क्यूसेक तक के डिस्चार्ज को ले जाने के लिए श्रीशलम से पैन्नार तक बनाई गई एक खुली चैनल द्वारा एक जुलाई से 31 अक्तूबर की अवधि के दौरान श्रीशैलम

जलाशय से अधिक से अधिक 15 टी० एम० सी० जल किसी एक जल-वर्ष में लेने की अनुमति दी जायेगी ;

(दो) आंध्र प्रदेश सरकार भूमि का अधिग्रहण करने और आवश्यक जल-संचय की व्यवस्था करने में सहयोग देगी । आंध्र प्रदेश सरकार नहरों और अन्य संरचनाओं के निर्माण में और जल-सप्लाई प्रणाली के रख-रखाव और प्रचालन में भी सुविधाएं प्रदान करेगी ;

(तीन) तमिलनाडु सरकार श्रीशैलम से पुण्डी तक जल ले जाने की व्यवस्था पर होने वाला व्यय और रख-रखाव एवं प्रचालन व्यय उठाएगी । इन खर्चों का ब्यौरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों द्वारा तैयार किया जा सकता है ;

(चार) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकार के मध्य तय हुए निकासी के स्थान से श्रीशैलम और सोमशिला के बीच लाइन्ड चैनल का इस्तेमाल सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा; और

(पांच) केन्द्रीय सरकार प्रचालन की अवस्था के दौरान इस प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए प्रबंध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि श्रीशैलम से इस जल-सप्लाई प्रणाली के लिए लिया गया जल किसी एक जल-वर्ष में 15 टी० एम० सी० से अधिक नहीं होगा और इस प्रणाली का का उपयोग केवल मद्रास शहर को जल-सप्लाई करने के लिये किया जायेगा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ।

28 अक्तूबर, 1977 को एक समझौते पर, जिसका अनुसमर्थन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाना है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकारों के प्रतिनिधियों और सचिव, सिंचाई विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किये गये ।

इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम

195. **डा० बापू कालदते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने डिप्लोमाधारियों के लिए इंजीनियरिंग में "तीन वर्षीय" अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम की योजना प्रायोजित की है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने ये सुविधाएं उपलब्ध की हैं ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ये सुविधाएं उपलब्ध करने से इन्कार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने डिप्लोमा-धारियों के लिए चुने हुए इंजीनियरिंग कालेजों में अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की एक जगह योजना बनाई है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार डिप्लोमाधारियों के लिए इंजीनियरिंग में अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रमों की सुविधायें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में उपलब्ध हैं ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । वस्तुतः डिप्लोमाधारियों के लिए एक अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के विचाराधीन है ।

अपने मकान रखने वाले कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों पर कब्जा जमाये रखना

196. **डा० बापू कालदते** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने मकान रखने वाले अनेक सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी क्वार्टर खाली नहीं किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या वे सरकारी क्वार्टरों का वाणिज्यिक किराया दे रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां । ऐसे 1320 अधिकारियों ने सरकारी वास खाली नहीं किए हैं, जिनके अपने मकान हैं।

(ग) तथा (घ) सरकारी रिहायशी वास को दखल में रखे हुए ऐसे अधिकारियों से, जिनके अपने मकान हैं 1-6-77 से सामान्य लाइसेंस फीस ली जाती है यदि उनके अपने मकानों से मासिक आय 10,000/- रुपये से अधिक नहीं है । 1000/- रुपये से अधिक और 2000/- रुपये तक की मासिक किराये पर मार्किट लाइसेंस फीस का 50% लिया जाता है । 2000/- रुपये से अधिक की मासिक आय पर मार्किट किराया लिया जाता है । उनसे सरकारी वास खाली करवाना अपेक्षित नहीं है ।

समाज कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए संगठनों को दी गई धनराशि

197. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और बिहार राज्य में गैर-सरकारी संस्था/संगठन को गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) इन गैर-सरकारी संगठनों के प्रधानों/चेयरमैनों/संयोजकों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उनको दी गई सम्पूर्ण धनराशि का हिसाब-किताब ठीक ढंग से रखा गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन संगठनों/संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चंद्र) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य

198. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कृषि मूल्य आयोग द्वारा प्रमुख कृषि उत्पादों के क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किये थे और सरकार ने क्या मूल्य स्वीकार किये थे ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया के बारे में ही नहीं बल्कि समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए आयोग के समक्ष रखे जाने वाले मूल तथ्यों के संबंध में भी अपनी असहमति प्रकट की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण जिसमें प्रमुख खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसलों के आयोग द्वारा सिफारिश किये गए तथा सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में निर्धारित किये गये सहाय्य/ अधिप्राप्ति मूल्य दिये गये हैं। संलग्न हैं। (अनुबन्ध 1)।

(ख) तथा (ग) उत्पादन करने वाले राज्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों से अधिक की मांग करते रहे हैं। तथापि विभिन्न फसलों के विषय में नीति संबंधी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले आयोग, राज्य सरकारों द्वारा मूल्य नीति व उसके सम्मुख रखे गए मूल तथ्यों पर भली-भांति विचार करता है।

विवरण

विपणन वर्ष के अनुसार कृषि जिंसों के न्यूनतम सहाय्य व अधिप्राप्ति मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

जिंस किस्म	1975-76		1976-77		1977-78		1978-79	
	कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश	सरकार द्वारा निर्धारित	कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश	सरकार द्वारा निर्धारित	कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश	सरकार द्वारा निर्धारित	कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश	सरकार द्वारा निर्धारित
			अधिप्राप्ति मूल्य					
खाद्यान्न								
धान साधारण	74.00	74.00	74.00	74.00	77.00	77.00		
ज्वार एफ०ए० क्यू	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00		
बाजरा ,,	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00		
मक्का ,,	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00		
रागी	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00		
गेहूं	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	110.00		
			न्यूनतम सहाय्य मूल्य					
जौ	—	—	65.00	65.00	65.00	65.00		
चना	—	—	90.00	90.00	95.00	95.00	120.00	125.00

वाणिज्यिक फसलें :						
गन्ना†	9.50††	8.50††	9.50††	8.50††	9.50††	8.50††
कपास पंजाब अमरीकन 320 एफ	210.00	210.00	220	घ०न	255.00	255.00
पटसन असम बाटम व तुलनीय किस्में व वर्ग	135.00	135.00	140.00	135.00	136.00*	141.00*
मूंगफली (सावत)	—	—	140.00	140.00	155.00	160.00
सोयाबीन	—	—	—	—	145.00@	145.00@
सूरजमुखी के बीज	—	—	150.00	150.00@	165.00@	165.00@

एफ० ए० क्यू०-अच्छी औसत किस्म।

†मूल स्तर से बनने वाले प्रति 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 10 पैसे की 8.5 प्रतिशत वसूली से संबंधित हैं।

††चीनी के कारखानों द्वारा देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य।

घ०न-घोषित नहीं किए गये।

*असम में ग्रेड डब्ल्यू-5 के लिए

@ 10 रु० का प्रोत्साहन प्रीमियम शामिल है।

झींगा मछली पकड़ने का कार्य

199. **श्री के० डी० कोसलराम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तिरुचेनदुर के निकट तटीय क्षेत्र में बिना मछली पकड़ने की किसी सुविधा के झींगा मछली पकड़ने का काम जोरों से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कोचीन पत्तन से इस प्रकार की कितनी मछली का कितना निर्यात किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

कुलशेखर पत्तनम में मत्स्य पत्तन

200. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कुलशेखर पत्तनम में, जो कभी एक छोटे पत्तन के रूप में कार्य कर रहा था, एक मत्स्य पत्तन का निर्माण करने का है या वीरपंडियनपत्तनम अथवा पुन्नक्कायल में जहां समुद्र गहरा है और क्या वहां पर परिष्कृत यूनिटों की भी स्थापना करना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : जी नहीं।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. ADJOURNMENT MOTION

गांधी स्मृति में एक गाइड श्री दामोदरन नायर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले का समाचार

श्री वसन्त साठे (अकोला) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 56 के अधीन मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की आज सूचना दी है। जो इस प्रकार है :

> "गांधी स्मृति में एक गाइड श्री दामोदरन नायर द्वारा श्री मोरारजी देसाई को उद्धृत किये जाने पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रमण"

नियम 58 के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव को गृहीत या अस्वीकृत किया जा सकता है और अध्यक्ष नियम 60 के अन्तर्गत अपनी सहमति देते हैं। सहमति देना अध्यक्ष की अपनी इच्छा की बात नहीं है। यदि कोई प्रस्ताव नियमानुसार है तो उसके लिये सहमति देनी होगी।

इस लिये नियम 60 के अधीन प्रश्नकाल के बाद और कार्य सूची में दर्ज मामले उठाने से पूर्व अध्यक्ष को स्थगन प्रस्ताव देने वाले सदस्य को बुलाना चाहिये। जैसा मैंने कहा है मेरी सूचना नियम 58 के अन्तर्गत नियमानुसार है। आप सभा से पूछिए। यदि 50 से कम सदस्य मेरे प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होते तो सभा की अनुमति नहीं होगी। लेकिन यदि 50 से अन्यून सदस्य खड़े होते हैं तो प्रस्ताव को गृहीत समझा जाना चाहिये। कृपया आप यह न कहें कि अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि उससे स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप नियम 58 देखिए। उसमें यह वाक्य भी स्पष्ट है कि प्रस्ताव हाल ही में हुई किसी विशेष घटना तक सीमित रहेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आप नियम 59 पर भी ध्यान दें जिसके अनुसार यदि कोई मामला सांविधिक अधिकरण के पास लम्बित हो तो उस पर चर्चा नहीं की जा सकती । इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में की गई है और अधिकारी उसके बारे में जांच कर रहे हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए । मैंने लिखित अभ्यावेदन दिया है । मूल प्रश्न यह है कि यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हैं कि सूचना नियमानुसार है तो उसे पेश करने की अनुमति देते हैं । मामले के निपटान की प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय तथा दलों और ग्रुपों के सदस्यों तथा प्रतिनिधियों के बीच 19 सितम्बर 1958 को हुई एक बैठक में निर्धारित की गई थी । इसे 31 अगस्त, 1959 के समाचार में भी प्रकाशित किया गया था । यदि कोई प्रस्ताव नियमानुसार है तो उसे अवश्य गृहीत किया जाना चाहिये । और यदि अध्यक्ष के पास पूरे तथ्य नहीं हैं तो प्रस्ताव की प्राप्ति का उल्लेख सभा में कर सकते हैं और सदस्य से संक्षेप में विवरण सुन कर अपना निर्णय दे सकते हैं ।

इसलिये यह बात कि मामला न्यायालय के अधीन है, ठीक नहीं है और मामले पर निर्णय हो जाने से पूर्व फैसला देना भी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे आप से ही पता लगाना है कि मामला विचाराधीन नहीं है। क्या कोई मामला लम्बित नहीं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : कोई मामला लम्बित नहीं। इसलिये न्यायालय के विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं है । आपने अपना निर्णय दे दिया है । हमें उसके कारण जानने का अधिकार है। मैं यह नहीं कहता कि आप कारण बताने को बाध्य हैं ।

मेरा निवेदन है कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग गांधी स्मारक निधि पर जाते हैं। वहां उन्हें सब बातें बतायी जानी होती हैं । इसलिये गाइडों का वहां होना जरूरी है । यदि गाइड को इसलिये पीटा जाता है कि उसने नाथू राम गोडसे को राष्ट्रीय स्वयं सेवक का कार्यकर्त्ता बताया था तो यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय बन जाता है क्योंकि वहां सामान्य जनता को जाने में दिक्कत होगी । वहां असुरक्षा की भावना पनपेगी। गाइड की वहां सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है ।

इसलिये आम आदमी के लिये इससे अधिक महत्व की बात दूसरी नहीं होती । इसलिये इस विषय पर संसद में चर्चा की जानी चाहिये ताकि जनता को महात्मा गांधी के बारे में तथ्य बताने वालों को सुरक्षा प्रदान की जा सके और तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा न जा सके।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहा हूं । स्थगन प्रस्ताव के बारे में नियमों में व्यवस्था है जिसे तब ही लागू किया जा सकता है जब अध्यक्ष महोदय, अपनी सहमति दे दें। (**व्यवधान**) ऐसा नहीं है कि 50 सदस्य खड़े हो जायें और वह प्रस्ताव गृहीत हो जायेगा। अध्यक्ष पीठ की सहमति के सम्बन्ध में भी विभिन्न नियम लागू होते हैं।

(व्यवधान)

परम्परा यह रही है कि एक दिन या दो दिन पहले हुई घटनाओं के बारे में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाता रहा है क्योंकि स्थगन प्रस्ताव से तात्पर्य उसी घटना से है जो अविलम्बनीय लोक महत्व की हाल ही में घटित हुई हो अन्यथा पिछले 25 वर्षों के दौरान अध्यक्ष पीठ ने स्थगन प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी है क्योंकि चर्चा उठाने के अन्य तरीके जैसे--ध्यानाकर्षण प्रस्ताव,

अल्प सूचना , नियम 193 के अधीन चर्चा आदि भी उपलब्ध हैं । देखा जाये तो स्थगन प्रस्ताव और कुछ नहीं केवल सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव है । इसलिये स्थगन प्रस्ताव का विषय काफी वजनदार होना चाहिये । मेरे विचार से इस स्थगन प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं है कि जिससे सरकार का दूर से भी सम्बन्ध हो। इसलिये इस पर चर्चा के लिये किसी अन्य तरीके का प्रयोग किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है । मैंने सहमति यह मान कर नहीं दी कि स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव है । इस मामले में सरकार का घटना से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है । यदि आप मुझे विश्वास दिला सकें कि मेरी धारणा गलत है तो मैं अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकता हूं । मैं इस विषय पर सभा के नेता और विपक्ष के नेता के विचार जानना चाहूंगा ।

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । मैं आपका यह विनिर्णय मानता हूं कि स्थगन प्रस्ताव सरकार की निन्दा का प्रस्ताव है । इस मामले से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा गांधी स्मृति के एक गाइड पर कथित हमले का समाचार है। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि गाइड कह रहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की है । यह बिल्कुल गलत बात है । हत्या करने से बहुत पहले गोडसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को छोड़ चुका था। मैंने उसे बताया कि गांधी स्मृति में ऐसी विवादास्पद बातें नहीं कही जानी चाहियें । मैंने दूसरी ओर के लोगों से भी कहा कि यदि कोई आदमी गलत कहता है तो उसे मारने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है । बात वहीं समाप्त हो गई थी । मेरा तो इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : मैं पहले इस बात पर आता हूं कि सरकार से इस मामले का सम्बन्ध है या नहीं । एक बात तो सभी मानते हैं कि गांधी स्मृति भारत सरकार के निरीक्षण में है । इसलिये सरकार का उससे संबंध है ।

बापू की स्मृति में बना यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है । देश के विभिन्न भागों से यहां बहुत से व्यक्ति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं । वहां उन्हें कुछ जानकारी और सलाह दी जाती है । मैंने श्री देसाई की आत्मकथा का वह अंश पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्त्ता था। बाद में आपने उसका स्पष्टीकरण किया है।

जब यह बात समाचार पत्रों में आयी तो मैंने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने कहा कि यह सब दिल्ली प्रशासन के साथ सांठ-गांठ करके हो रहा है । मैंने यह विशेष रूप से आरोप लगाया है और पत्र की एक प्रति दिल्ली प्रशासन को भी भेजी है । मैंने मुख्य कार्यकारी पार्षद् से भी मौखिक रूप से इन बातों का उल्लेख किया है । सरकार कैसे कह सकती है कि यह मामला उससे सम्बन्धित नहीं ।

यहां तो सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संस्थान है जहां राष्ट्र के बापू की स्मृति है । वहां सर्वोदय का एक व्यक्ति गांधी जी के बारे में बताता है । वहां उसे गुंडे या हो सकता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आदमी मारते हैं । हम किसी दल के हित के लिये नहीं लड़ रहे । हम तो एक कतिपय मामले के लिये संघर्ष कर रहे हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ।

(व्यवधान)

उस आदमी ने शिकायत की है, उसे सुरक्षा प्रदान न करना प्रशासन की असफलता है । यही नहीं उस गाइड को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सरकार-की दोहरी असफलता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों ओर के विचार सुन लिये हैं । मेरा निर्णय सुरक्षित है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

समस्तीपुर में हुई घटना की जांच करने सम्बन्धी एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन और त्रिपुरा में राष्ट्रपति राज सम्बन्धी पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं श्री चरणसिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) समस्तीपुर (बिहार) में 2 जनवरी, 1975 को हुए विस्फोटों की घटनाओं की जांच करने संबंधी एक-सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन ।

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए संख्या एल० टी० 993/77**]

(2) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत त्रिपुरा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई दिनांक 5 नवम्बर, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 679(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा किये गये दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 680(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए संख्या एल०टी० 994/77**]

(3) राष्ट्रपति के नाम त्रिपुरा के राज्यपाल के दिनांक 2 नवम्बर, 1977 और 3 नवम्बर, 1977 के दो प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल०टी० 995/77**]

बम्बई सिंचाई (गुजरात संशोधन) अधिनियम 1976

निर्माण तथा आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला की ओर से गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बंबई सिंचाई (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्टपति का अधिनियम संख्या 45) की एक प्रति जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल० टी० 996/77**]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1973-74 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 997/77]

(2) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1973-74 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 998/77]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनारायण..........

(व्यवधान)

(दर्शकदीर्घा से कुछ पर्चे फेंके गये और सभा में कुछ शोरगुल हुआ)

(Some leaflets were thrown from the Visitors Gallery and there was some Commotion)

श्री के० लकप्पा : संसद भवन में भी आर०एस०एस० के गुंडों से कोई सुरक्षा नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. speaker, the hand bills have been thrown out by the Republican Party.

अध्यक्ष महोदय : मैंने सचिवालय को इसकी जांच करने के लिये कह दिया है **(व्यवधान)**

Deshpande Commission Report, Memorandum of action taken on the Report and a Statement

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I beg to lay on the table :—

(7) A copy each of the following papers under sub-section (4) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952:—

(i) (a) Report of the Deshpande Commission set up by the Central Government to enquire into the facts and circumstances leading to the death of Justice D.S. Lamba of the High Court of Punjab and Haryana.

(ii) Memorandum of Action taken on the Report (Hindi and English versions).

(b) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying simultaneously the Hindi version of the Report.

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-999/77]

राष्ट्रपति द्वारा सितम्बर तथा अक्तूबर 1977 में प्रख्यापित किये गये अध्यादेश

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 9) जो राष्ट्रपति द्वारा 3 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०-1000/77]

(दो) बैंककारी सेवा आयोग (निरसन अध्यादेश) 1977 (1977 का संख्या 10) जो राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्बहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०-1001/77]

(तीन) शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 11) जो राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल टी०-1002/77]

(चार) स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 12) जो राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०-1003/77]

(पांच) दि स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एंड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 13) जो राष्ट्रपति द्वारा 30 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०- 1004/77]

(छः) दि ग्रेशम एंड करेवन आफ़ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश 1977 (1977 का संख्या 14) जो राष्ट्रपति द्वारा 30 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०-1005/77]

(सात) दि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जंन) संशोधन अध्यादेश 1977 (1977 का संख्या 15) जो राष्ट्रपति द्वारा 13 अक्तूबर, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०-1006/77]

(आठ) अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 16) जो राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 1977 को प्रख्यापित किया गया था।
[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-1007/77]

केन्द्रीय जल प्रयोगशाला (ग्रुप क और ग्रुप ख) भर्ती नियम, 1977

निर्माण तथा आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किये गए केन्द्रीय जल प्रयोगशाला (ग्रुप क और ख)

15 LSS/77—11.

भर्ती नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1158 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-1008/77]

केन्द्रीय भंडागारण निगम का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन तथा उदग्रहण चीनी मूल्य समीकरण निधि नियम 1977

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं श्री भानुप्रताप सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1963 की धारा 31 की उपधारा (ii) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1976/77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-1009/77]

(2) उद्ग्रहण चीनी मूल्य समीकरण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उद्ग्रहण चीनी मूल्य समीकरण निधि नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 619 (ङ) में प्रकाशित।
[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-1010/77]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा अक्तूबर 1977 में जारी किये गए बाजार ऋणों सम्बन्धी वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1044 और 1045 जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 557(ङ) से 561(ङ) जो दिनांक 8 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 580(ङ) से 582(ङ) जो दिनांक 19 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 586(ङ) जो दिनांक 22 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 587(ङ) जो दिनांक 23 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) सा० सां० नि० 1125 जो दिनांक 27 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 1126 जो दिनांक 27 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 1127 जो दिनांक 27 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 1011/77]

(नौ) सा० सां० नि० 1128 और 1129 जो दिनांक 27 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 1130 जो दिनांक 27 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 603(ङ) जो दिनांक 3 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० सां० नि० 604(ङ) जो दिनांक 5 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० सां० नि० 605(ङ) जो दिनांक 7 सितम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० सां० नि० 609(ङ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०सां० नि० 616(ङ) से 618(ङ) जो दिनांक 24 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० सां० नि० 1279 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० सां० नि० 1280 और 1281 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा० सां० नि० 627(ङ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा० सां० नि० 646(ङ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० सां० नि० 662(ङ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-1011/77]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1006 और 1007 जो दिनांक 30 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 564(ङ) जो दिनांक 9 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 1100 जो दिनांक 20 अगस्त, 1977 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 1189 जो दिनांक 10 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 606(ङ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 626(ङ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-1012/77]

(14) भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1977 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-1013/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

खाद्य जोनों की समाप्ति का समाचार

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"खाद्य क्षेत्रों को समाप्त किए जाने; जिससे कमी वाले राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और बिहार के लिए अनाज के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उसे लोगों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के मामले में कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं, का समाचार"

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : भारत सरकार द्वारा घोषित 1977-78 के विपणन मौसम के लिए खरीफ़ अनाजों की मूल्य तथा वसूली नीति के अधीन चावल और धान के संचलन पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को उठा लिया गया है और सारे देश में अब इनका अबाध रूप से संचलन होगा। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर यह नीति अपनाई गई थी :

(1) सुगम खाद्य स्थिति खरीफ़ की फ़सलों से भरपूर पैदावार होने की सम्भावना और 190 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होने, जिसमें 48 लाख मीटरी टन चावल था, से इन नियंत्रणों और प्रतिबन्धों को जारी रखना अनावश्यक समझा गया था।

(2) जनता-उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की भलाई। यह सम्भावना थी कि अधिशेष राज्यों में उत्पादकों को अपनी पैदावार का बेहतर मूल्य मिलेगा और कमी वाले राज्यों के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न कम मूल्य पर मिलेंगे। नई नीति को अपनाने से ये उम्मीदें पूरी हो गयी हैं।

(3) अच्छी पैदावार की दृष्टि में यह भी आशा की गई थी कि चावल से संचलन संबंधी प्रतिबन्ध उठाने के बाद भी चावल की वसूली बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। यह आशा भी पूरी हो गयी है। अधिक से अधिक वसूली करने के प्रयत्न जारी हैं। वस्तुतः इस वर्ष

चावल की वसूली अब तक सबसे अधिक हुई है, जोकि 6.5 लाख मीटरी टन है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 4.9 लाख मीटरी टन की वसूली हुई थी; और

(4) सारी भारतीय जनता समान होने के नाते उनके लिए यथासम्भव एक कामन मार्केट की सुविधा होनी चाहिए।

2. भारत सरकार के पास पिछले वर्ष का काफ़ी बचा हुआ स्टाक है जिससे कमी वाले राज्यों की चावल संबंधी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।

3. पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और बिहार राज्यों से कहा गया था कि व्यापारियों तथा मिल मालिकों पर सूझ-बूझ के साथ लेवी लगाकर संशोधित नीति के अधीन उनके लिए चावल की पर्याप्त मात्रा वसूल करना सम्भव होना चाहिये और इस संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई है या दी जा रही है। पश्चिमी बंगाल सरकार बृहत्तर कलकत्ता और दुर्गापुर-आसनसोल औद्योगिक कम्पलेक्स में सांविधिक राशन व्यवस्था को जारी रखना और इन क्षेत्रों को राज्य के शेष क्षेत्रों से अलग रखना चाहती थी और उनका यह प्रस्ताव भी मान लिया गया है।

4. सरकार स्थिति पर बराबर नज़र रखे हुए हैं और उसे समूचे राष्ट्रीय हित में आवश्यक समझे जाने वाले उपचारी उपाय करने में हिचकिचाहट नहीं होगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार की नई खाद्य नीति से पता चलता है कि सरकारी-नीतियां परस्पर विरोधी हैं। एक तरफ तो वाणिज्य मंत्री यह कह रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण जन वितरण प्रणाली के माध्यम से होना चाहिए और दूसरी ओर श्री बरनाला ने इसकी आशा ही समाप्त कर दी है। वितरण में कहा गया है कि गोदामों में सुरक्षित भंडार पड़ा है। परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक का कहना है कि हमें खाद्य स्थिति के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। भंडार इसलिए है क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। क्या सरकार ऐसी नीति बनाएगी कि गरीब लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए ?

सरकार ने कम उपज वाले राज्यों की सलाह लिए बिना खाद्य नीति बनाई। जन खाद्यान्न वितरण का काम निजी व्यापरियों को दिया जाएगा, तो इस बात की क्या गारन्टी है कि कमी पड़ने पर कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई की जाएगी और जन वितरण प्रणाली को बनाए रखा जाएगा? क्या जनता सरकार की नीति यह नहीं है कि गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों को भोजन दिया जाए? निजी व्यापारियों को खाद्यान्न वितरण का काम देने से क्या इस नीति को बल मिलेगा ?

श्री भानू प्रताप सिंह : सरकार का इरादा जन वितरण प्रणाली को समाप्त करने का नहीं है। हम जन वितरण प्रणाली को निर्बाध बनाना चाहते हैं। गेहूं के मामले में हमने ऐसा कर दिया है। गत वर्षों में चावल की बिक्री 30 लाख टन से 40 लाख टन रही है। हमारे पास 48 लाख टन चावल का स्टाक है। इसलिए जन वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की कमी नहीं आएगी। नई नीति की घोषणा के बाद मूल्यों में कमी आई है। खबरों से पता चलता है कि वसूली का काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

खाद्य नीति बनाते समय हमने राज्य सरकारों की सलाह ली थी। लेकिन सभी राज्यों की एक सलाह नहीं हो सकती। कुछ राज्य खाद्यान्न के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाने के हक में थे और कुछ राज्य प्रतिबन्ध हटाने के पक्ष में थे। हमने राष्ट्रहित में सभी प्रतिबन्ध हटा लिए हैं। आशा है इसके संतोषजनक परिणाम निकलेंगे।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : इससे उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को नुकसान होगा वसूली का काम व्यवहारिक दृष्टि से छोड़ दिया गया है। निर्धारित वसूली मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। वे कम दामों में अपनी फसलें बेच रहे हैं। कुछ ही महीनों में दाम बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा। उड़ीसा विधान सभा ने तथा 5 अन्य राज्यों ने एक खाद्य जोन बनाने की सिफारिश की है परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया।

श्री भानु प्रताप सिंह। वास्तव में वसूली का काम चल रहा है और गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक वसूली हुई। यह आशंका निराधार है कि मूल्य बढ़ जाएंगे। जमाखोरों को पता है कि सरकार के पास पर्याप्त भंडार है। वे खाद्यान्न जमा करने की बेवकूफी नहीं करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या यह परस्पर विरोधी प्रयास नहीं है? सरकार एक ओर अधिक वसूली पर जोर दे रही है और दूसरी ओर जोन प्रणाली को समाप्त कर रही है। प्रतिबन्ध हटाने से किसानों को जमाखोरों और चोर बाजारियों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल के लोगों को घटिया चावलों की सप्लाई होती है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि सरकार चोर बाजारियों एवं जमाखोरों से गरीब किसानों की रक्षा किस प्रकार करेगी? साथ ही सरकार उपभोक्ताओं के हितों की किस प्रकार रक्षा करेगी?

श्री भानु प्रताप सिंह : जहां तक राज्य सरकारों को खाद्यान्न संचलन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कहने का प्रश्न है, मेरा उत्तर नकारात्मक है। ऐसा करने से अन्य राज्य भी ऐसी ही मांग करेंगे और उनकी मांग को ठुकराना असम्भव हो जाएगा। साथ ही ऐसा करने से हमारी नीति भी असफल हो जाएगी।

जहां तक गरीब लोगों को खाद्यान्न सप्लाई करने का प्रश्न है, कमी वाले राज्यों की मांग यथा-सम्भव पूरी की जाएगी। अतः किसी प्रकार की कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं।

श्री पी०के० कोडियन (अडूर) : यह कहना सही नहीं है कि चावल के पर्याप्त भंडार है और कमी वाले राज्यों को अपनी मांगों के बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अभी प्राकृतिक प्रकोप हो जाए तो सारा स्टाक समाप्त हो जाएगा। दूसरे, चावल की वसूली मांग के अनुरूप कभी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने चावल की वसूली का लक्ष्य भी नहीं रखा है।

क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि केरल राज्य में चावल की कीमतों में वृद्धि हुई है? क्या केन्द्रीय सरकार यह आश्वासन देगी कि केरल में चावल की मांग को हर हालत में पूरा किया जाएगा?

श्री भानु प्रताप सिंह : जहां तक केरल का सम्बन्ध है, केरल के समुद्र तट से बड़े पैमाने पर चावल की तस्करी होती है। यदि केरल सरकार सतक रहे तो कोई कठिनाई नहीं होगी और सभी उचित मांगें मान ली जाएंगी। हमने पहले ही यह आश्वासन दे दिया है।

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने केरल से चावल की तस्करी होने का गम्भीर आरोप लगाया है। क्या उनके पास प्रमाण है?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। हमें एवं केरल सरकार को तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

उत्पादन इतना अधिक हुआ है कि उत्पादकों को उनके उत्पाद पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य (उलुबैरिया) : हमारा यह अनुभव रहा है कि पश्चिम बंगाल में चावल की कमी रहती है क्योंकि यहां चावल की बजाय पटसन का उत्पादन अधिक किया जाता है। जब भी वहां चावल का निर्बाध संचलन किया जाता है, मूल्य बढ़ जाते हैं। केवल राशन करने से ही पश्चिम बंगाल की समस्या हल हो सकती है। वहां गरीब लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम है। राज्य को जमाखोरों से बचाने के लिए सरकारी एजेन्सी से व्यापार किया जाना चाहिए। मेरी अपील है कि पूरे देश में सभी आवश्यक वस्तुओं को एक समान मूल्यों पर सप्लाई किया जाए। मंत्री महोदय को सजग रहना चाहिए। उन्हें न केवल, कमी वाले राज्यों बल्कि ग्रामीण गरीबों की समस्याओं को समझना चाहिए।

श्री भानु प्रताप सिंह : हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जब भी अवसर होगा, हम उपाय करेंगे। अगर हमें किसी गम्भीर स्थिति से अवगत कराया जाएगा तो हम स्थिति को सुधारने के लिए सभी सम्भव उपाय करेंगे।

पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम उनके साथ सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। यदि कलकत्ता में घटिया चावल की सप्लाई हुई है तो इसका कारण चावल का निर्बाध संचरण है।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
17वां प्रतिवेदन

श्री सी०एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं वाणिज्य मंत्रालय के बारे में 1970 के दशक के दौरान बाइसिकलों और बाइसिकल के पुर्जों के निर्यात पर लोक लेखा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVILEGES
पहला प्रतिवेदन

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति का पहला प्रातवेदन पेश करता हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजकर 10 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

सदस्य द्वारा त्याग पत्र
Resignation of Member

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री भगवत दयाल शर्मा का दिनांक 21 सितम्बर, 1977 को त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। मैंने उनका त्याग पत्र 21 सितम्बर, 1977 से स्वीकार कर लिया है।

फरक्का में गंगा जल के बटवारे पर भारत और बंगला देश की सरकारों के बीच समझौते के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. AGREEMENT BETWEEN GOVT. OF INDIA AND BANGLADESH ON SHARING OF GANGA WATERS AT FARAKKA

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस सदन के माननीय सदस्यों को अखबारों से ज्ञात हुआ होगा कि भारत और बंगला देश के बीच फरक्का पर गंगा के पानी के बटवारे और उसके प्रवाह को संवर्धित करने के विषय में एक करार पर 5 नवम्बर, 1977 को ढाका में मंत्रि-स्तर पर हस्ताक्षर किये गए। मैं सदन के सभा पटल पर इस करार की एक प्रति रख रहा हूं जो बंगला देश सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार हस्ताक्षर होने के बाद जारी किया गया है। सदन से इस सुदीर्घ वक्तव्य के लिए भी मैं उदारता की याचना कर रहा हूं। वार्ता के दौरान इस करार में निहित समस्याओं की जटिलता और महत्व के अतिरिक्त मुझे इस वक्तव्य में उन आलोचनाओं पर भी कुछ कहना है जो इस करार के बारे में की गई और परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि स्थिति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तथा निहित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाय।

इस करार की ऐतिहासिक प्रकृति तथा भारत और बंगलादेश के आपसी संबंधों के लिए और इस उप महाद्वीप की राजनीति के लिए इसका असाधारण महत्व विदेशों में प्रायः सभी जगह स्वीकार किया गया है। और भारत में भी जनमत के अधिकांश वर्गों ने इसे स्वीकार किया है। इस करार पर हस्ताक्षर हो जाने तथा तत्काल इसके लागू होने से एक ऐसी बड़ी समस्या का समाधान हो गया है जिसने कि दोनों देशों के आपसी संबंधों को बिगाड़ रखा था तथा जिसने इस उपमहाद्वीप में विगत 25 वर्षों से राजनीतिक वातावरण को दूषित कर रखा था।

माननीय सदस्यगण फरक्का समस्या के लम्बे इतिहास और इसकी जटिलता से अवगत हैं। इस करार पर बातचीत के दौरान जो मसले खड़े हुए उनका असर दोनों पक्षों के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों पर तथा संवेदनशीलता पर पड़ा। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि हुगली में बहाव के लिए उपलब्ध पानी तो एक उचित सीमा से कम न हो और साथ ही प्रवाह को संवर्धित करने के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ऊपरी जलधार और नीचे की जलधार की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। बंगलादेश की ओर से यह कहा गया कि उन्हें इस्तेमाल के लिए जितने पानी की जरूरत इस समय होती है वह पूरी होती रहनी चाहिए ताकि भविष्य में देश की पारिस्थितकी और अर्थ-व्यवस्था पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। उनका यह भी कहना था कि पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाये रखने के लिए खुश्की के दिनों की अवधि में निम्नतम प्रवाह 55,000 क्यूसेक निर्बाध जारी रहना चाहिए। यह बातचीत अनिवार्यतः जटिल एवं लम्बी हुई ताकि दोनों पक्षों के विषय एवं विरोधी उद्देश्यों में संतुलन बैठाया जा सके।

बातचीत की यह समस्या इस वजह से और भी जटिल हो गई चूंकि तटवर्ती लोगों के अधिकारों से संबंधित अन्तर्राष्टीय कानून अभी संहिताबद्ध होना बाकी है और इसलिए न्यायोचित बटवारे को निश्चय करने के लिए कोई सार्वभौमरूप से स्वीकृत मानदंड अभी नहीं है। विभिन्न देशों ने यद्यपि 1966 के हेलसिंकी नियमों को अन्तर्राष्टीय कानून के एक आदर्श के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया है लेकिन आमतौर से यह माना जाता है कि प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय नदी का क्योंकि अपना अलग स्वरूप होता है इस-लिए उसके जल के न्यायोचित वितरण की बात सम्बद्ध तटवर्ती राज्यों के बीच द्विपक्षीय (अथवा बहुपक्षीय बातचीत के माध्यम से ही तय की जा सकती है और इस तरह की द्विपक्षीय बातचीत में प्रत्येक सहभागी तटवर्ती देश के हकों और अधिकारों की ठीक-ठीक मात्रा निश्चित करने के आधार पर कोई समझौता कर पाना संभव नही। बातचीत के माध्यम से किसी समाधान

पर पहुंचना अनिवार्य तौर पर संबद्ध पक्षों द्वारा अपनाई गई दो दूरस्थ स्थितियों के बीच समझौते का प्रयास होता है। प्रस्तुत समस्या में प्रश्न पानी के उपयोग के अलग-अलग प्रयोग और प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का था। बंगलादेश ने शुरू में जो स्थिति अपनाई वह यह थी कि ऐतिहासिक प्रवाह को कायम रखा जाए जिसका मतलब यह था कि निचले तटवर्ती राज्य को एक प्रकार से ऊपरी तटवर्ती राज्य द्वारा पानी के उपयोग पर वीटो का अधिकार होता। भारत ने शुरू में जो स्थिति अख्तियार की वह यह थी कि उसे 40,000 क्यूसेक का अधिकतम प्रवाह लेने का अधिकार होना चाहिए जिससे कि हुग्ली नदी की सामान्य स्थिति के लिए उसे अधिकतम लाभकारी प्रवाह प्राप्त हो सके और इस प्रकार कलकत्ता बन्दरगाह के परिरक्षण और सुधार के लिए पर्याप्त जलमात्रा प्राप्त हो।

इसके अतिरिक्त दोनो देशों के हकों की बात तो दूर है, कोई द्विपक्षीय करार मात्र अधिकारों और हकों पर आधारित नहीं हो सकता, खासतौर से इस तरह की परिस्थितियों में जैसी कि गंगा के निचले थाले में है। जहां कमी के दिनों में उनकी जरूरतों को पुरा करने के लायक भी पानी नहीं होता। इसलिए यह जरूरी था कि यह करार सम्मिलित त्याग और पारस्परिक समायोजन के सिद्धांत पर आधारित हो और इससे किसी भी देश के अधिकारों और हकों पर बुरा असर न पड़े।

माननीय सदस्यगण यह भी स्वीकार करेंगे कि इस बातचीत में प्रश्न सिर्फ दो देशों के बीच पानी के बटबारे का ही नहीं था, और न ही इसके प्रवाह को संवर्धित करने का ही, बल्कि इसमें अपने निकटतम पड़ौसी के साथ संबन्ध को बेहतर बनाने की राजनीतिक आवश्यकता सन्निहित थी जोकि हमारी समूची विदेश नीति की प्रभविष्णुता तथा विश्वसनीयता की कठोर परीक्षा है और इस दृष्टि से उन सिद्धान्तों की परीक्षा है जिनके विषय में भारत ने हमेशा यह कहा है कि ये सिद्धान्त राष्ट्रों के संबन्धों के लिए मार्गदर्शक होने चाहियें।

फरक्का समस्या के संबन्ध में इस सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं उसके विषय में उसे ही प्रारम्भ से सब कुछ करने का मौका नहीं मिला था। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने और बाद में बंगलादेश सरकार ने गंगा के पानी के बटवारे के विषय में उनके साथ समझौता किये बिना फरक्का बराज परियोजना का निर्माण करके उसे शुरू करने का हमारा अधिकार कभी स्वीकार नहीं किया। 1951 से ही, जबकि इस परियोजना के संबन्ध में प्रारंभिक जांच कार्य चल रहा था, अंतरसरकारी परामर्श और वार्ताएं हुई थीं। मई 1974 की सम्मिलित घोषणा में भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों ने इस बात का उल्लेख किया था कि फरक्का बराज 1974 के अंत तक चालू हो जायेगा लेकिन साथ ही वे इस बात पर भी सहमत हुए थे कि इस बराज के चालू होने से पहले गंगा में निम्नतम प्रवाह के दिनों में उपलब्ध पानी के परस्पर स्वीकार्य आवंटन पर सहमति हो जानी चाहिये। इस प्रकार माननीय सदस्यगण यह देखेंगे कि पिछली सरकार ने यह बुनियादी निर्णय पहले ही ले रखा था कि भारत इसमें से पानी तभी लेगा जबकि इस संबन्ध में आवंटन के विषय में बंगलादेश के साथ समझौता हो जाएगा।

यह बराज अप्रैल 1975 में राष्ट्रपति मुजीब की सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद चालू हो गया जिसमें यह व्यवस्था थी कि 21 अप्रैल से 31 मई के बीच की अवधि में भारत 11,000 से 16,000 क्यूसेक के बीच पानी लेगा। दुर्भाग्य से 1975-76 के खुश्क मौसम के लिये कोई समझौता नहीं हो सका। हालांकि भारत सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि अप्रैल 1975 में जो करार हुआ था वह सिर्फ मई 1975 के अंत तक के लिये बैध था और उस तारीख के बाद पानी लेने का जहां

तक प्रश्न है वह किसी भी तरह बाध्य नहीं, जबकि बंगलादेश सरकार का तर्क यह था कि 21 अप्रैल, से 31 मई के बीच की अवधि के बटवारे में जो पानी उसके हिस्से में आता है उसकी मात्रा अर्थात् 39,000—44,000 क्यूसेक से किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं जानी चाहिये जो कि पिछली सरकार ने बंगलादेश के लिये छोड़ना स्वीकार किया था।

जब 1975-76 के खुश्क मौसम के लिये कोई समझौता नहीं हो सका और भारत ने फीडर केनाल की क्षमता के प्रायः बराबर पानी लेना शुरू कर दिया तो बंगलादेश सरकार ने फरक्का के मामले को अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के कई प्रयास किये और भारत पर इक-तरफा तरीके पानी लेने का आरोप लगाया। इस मसले को इस्तांबूल में हुए इस्लामी सम्मेलन में, कोलंबो के गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उठाया गया और अन्ततः संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें अधिवेशन में एक औपचारिक शिकायत के रूप में भी इसे प्रस्तुत किया गया। बंगलादेश सरकार द्वारा प्रस्तुत इस मुद्दे पर महासभा ने विचार समाप्त करते हुए यह सर्वसम्मत बयान स्वीकार किया जिसमें दूसरे निर्णयों के साथ ही यह निर्णय भी शामिल था कि दोनों सरकारें तुरन्त मंत्रि-स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत पुनः प्रारम्भ करें। यह भारत के उस स्थिति के अनुरूप ही था जोकि वह सदा से अख्तियार किये रहा है कि द्विपक्षीय समस्याएं द्विपक्षीय स्तर पर ही सर्वोत्तम ढंग से सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन उपयुक्त सर्वसम्मत वक्तव्य ने हमारे ऊपर उद्देश्यपूर्ण ढंग से बातचीत करने का दायित्व टाल दिया। तदनुसार दिसम्बर 1976 और अप्रैल 1977 के बीच मंत्रि-स्तर पर बात-चीत के चार दौर हुए। इस बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता यानी हमारे रक्षा मंत्री और बंगलादेश के नेताओं के बीच बातचीत किस प्रकार आगे बढ़ी जिसका ब्यौरा अधिकारी स्तर की परवर्ती वार्ताओं में तैयार होना था और तैयार होकर दोनों देशों के बीच एक व्यापक करार में सन्निहित किया जाना था। 30 सितम्बर, 1977 को अधिकारी स्तर की वार्ता के तीसरे दौर के अंत में अंततः एक करार हुआ और उस पर हस्ताक्षर किये गये। इन वार्ताओं से सिर्फ हमारे दोनों देशों के बीच ही नहीं बल्कि, क्योंकि इससे विगत में महासभा का भी ताल्लुक रहा है और खासतौर पर मित्र गुटनिरपेक्ष देशों का, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी बहुत आशायें जगी हैं। इस करार को दोनों देशों की दूर-दर्शिता तथा तर्कसंगतता पर आधारित प्रमाण के रूप में सभी देशों ने स्वीकार किया तथा वह इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देश किस प्रकार अपने विकास को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं।

फरक्का बराज परियोजना का निर्माण मुख्यतः कलकत्ता बंदरगाह की सुरक्षा तथा सुधार के लिए किया गया है। देश का कोई भी व्यक्ति कलकत्ता शहर के लिए इस बंदरगाह के महत्व तथा संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व को कम नहीं आंक सकता है जिस पर हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्भर करता है। इस करार में फरक्का परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वाधिक संभव व्यवस्था है तथा इसके साथ-ही-साथ संकट की स्थिति में बंगलादेश की जरूरतें भी इससे पूरी होंगी।

सदन के सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 1960 में अनुमोदित फरक्का बराज परियोजना दस्ता-वेज सहित अनेक आकलनों पर विचार किया गया कि मार्च के मध्य से मई के मध्य तक 20,000 क्यूसेक तक पानी निकाल लेने पर भी उक्त परियोजना पूर्णतः युक्तिसंगत होगी। इस आंकड़े तथा अन्य आंकड़ों पर तत्कालीन पाकिस्तान सरकार के साथ विचार विनिमय हुए, यद्यपि उससे स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये आंकड़े अनंतिम हैं और भावी अध्ययनों तथा मानक परीक्षणों के संदर्भ में उनमें संशोधन होते रहेंगे। सम्पन्न करार में मार्च मई की अवधि में 20,500 से 26,750 क्यूसेक तक पानी निकालने

की व्यवस्था है। इसके साथ-ही-साथ भारत के हिस्से में इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि की व्यवस्था है जबकि 25 वर्ष के प्रेक्षित आंकड़े पर आधारित 4 वर्ष में से 3 वर्ष की अवधि में पानी का प्रवाह 55,000 क्यूसेक के न्यूनतम स्तर से अधिक होता है। भारत द्वारा न्यूनतम पानी की निकास मात्रा भी कम-से-कम निकास से दुगुना है जो अप्रैल 1975 के करार के अनुसार अनुमेय थी। इस करार के अंतर्गत भारत 8 महीने के लिए, अर्थात् जून से जनवरी तक, जल-निकास की अधिकतम मात्रा, अर्थात् 35,000 से 40,000 क्यूसेक, प्राप्त करने में भी सफल रहा है। करार में इस बात की भी व्यवस्था है कि बंगलादेश को उसके भाग का 80 प्रतिशत पानी प्रत्येक 10 दिन की अवधि के लिए अवश्य दिया जायेगा। इससे बची हुई 20 प्रतिशत पानी की मात्रा का उपयोग प्रशासनिक सुविधा तथा फरक्का पर पानी के प्रवाह की भिन्नता की दैनिक समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

चूंकि जल-विज्ञान यथार्थ विज्ञान नहीं है इसलिए द्रवगतिकी मानक अध्ययन त्रुटि की नगण्य मात्रा के अंतर्गत पानी के निकास के प्रभाव का अनुमान लगाने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी, भारतीय इंजीनियरों द्वारा किये गये मानक परीक्षणों तथा वास्तविक प्रभावों के आदिरूप अध्ययन दोनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि करार में सहमत पानी के निकास की अनुसूची से कलकत्ता बंदरगाह की बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी तथा तलकर्षण, नदी प्रशिक्षण, भू-क्षरण की रोक, आदि जैसे अन्य उपायों से बंदरगाह में सुधार होगा। ऊपरी स्तर पर पानी की अधिकतम आपूर्ति करने के अतिरिक्त इन पूरक उपायों को अपनाने की आवश्यकता फरक्का बरराज परियोजना तैयार करने तथा उसे लागू करने के पूरे समय तक स्वीकार की गई है।

फरक्का बराज से ऊपरी स्तर पर जल आपूर्ति के फलस्वरूप कलकत्ता बंदरगाह के सुधार में समय लगेगा तथा उसे बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता। इसी बीच जैसे-जैसे देश में प्रगति हुई है और कृषि आधुनिक होती गई है, वैसे-वैसे गंगा के पानी के उपयोग्य तथा अनुपभोग्य प्रयोग की मांग, विशेषकर सिंचाई के लिए, बढ़ती गई है और भविष्य में उसके और तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसलिए किसी दीर्घकालिक योजना द्वारा पानी की उपलब्धता में वृद्धि करने की तर्कसंगत व्यवस्था करना अनिवार्य है ताकि बंगलादेश की आवश्यकता के अलावा हम अपनी ऊपरी जलधारा तथा निचली जलधारा की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। भारत तथा बंगला दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक समाधान समान रूप से महत्व का है और इसे दोनों देशों के सहयोग से ही सर्वाधिक सुकर बनाया जा सकता है। समझौते में दोनों देशों की सरकारें केवल सभी प्राप्य दीर्घकालिक प्रस्तावों के अध्ययन के लिए ही राजी नहीं हुई हैं अपितु ऐसा अध्ययन वे तीन साल के भीतर ही कर लेंगी। करार में अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर दोनों सरकारों के लिए सद्भावपूर्वक योजना या योजनाओं के चयन की तथा उसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था है।

इस प्रकार हमने बंटबारे की व्यवस्था के अल्पकालिक उत्सर्ग की बात स्वीकार की है क्योंकि दीर्घकालिक समस्या के समाधान के उपायों से भी यह जुड़ा है। उक्त करार शुरू में 5 वर्ष के लिए वैध है 3 और वर्ष के बाद उसकी समीक्षा का प्रावधान है जिसमें दीर्घकालिक समाधान की दिशा में प्रगति सहित उसके कार्यान्वयन के कार्य संचालन, प्रभाव तथा प्रगति का विचार निहित है।

हमें आशा है कि उक्त करार से न केवल गंगा के प्रवाह की वृद्धि की दीर्घकालिक समस्या का समाधान होगा अपितु उक्त पूरे क्षेत्र के जल-संसाधनों को अधिकतम उपयोग के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा। करार की शर्तों के अंतर्गत संयुक्त नदी आयोग का संवर्धन भारत तथा बंगलादेश में बढ़ते हुए सहयोग के लिए बाढ़-नियंत्रण तथा अन्य समस्या-क्षेत्रों में करना चाहिए ताकि दूसरे पक्ष के हितों पर उसका प्रभाव पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस करार पर विचार करते हुए हमारे उपमहाद्वीप में व्याप्त, विगत वर्षों के मतभेदों, संदेहों तथा अवरोध पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि भारत ऐसा देश है जो अपनी परम्परा तथा सिद्धान्तों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अन्य देशों के साथ सहयोग तथा मैत्री की नीति के प्रति वचनबद्ध है। वर्तमान सरकार यह मानती है कि हमारे विकास तथा हमारी विदेश नीति की प्रभावकारिता के लिए कठोर परीक्षा यह है कि क्या हमें इस उपमहाद्वीप को वमनस्य से मुक्त रखना है या नहीं जिससे हम अपने साधनों को विकास के बुनियादी काम पर तथा देशवासियों के कल्याण पर केन्द्रित करें। अगर हम यह मानते हैं कि भारत का निजी हित उसके पड़ौसी देशों की खुशहाली में है तो हमें ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयत्न करना चाहिए जो दोनों देशों में विकास को प्रभावित करती हैं।

हम किसी तीसरे देश या पक्ष के संयोग या दखल के बिना द्विपक्षीय वार्ता से फरक्का विवाद को हल करने के लिए भी कृतसंकल्प हैं। द्विपक्षीय बातचीत के जरिए इस करार के होने से और खासकर द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत मतभेदों तथा विवादों को तय कर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि दो नजदीक पड़ौसी देशों के सभी मुद्दे, चाहे वे कितने ही जटिल क्यों न हों, सहयोग तथा पारस्परिक समायोजना की भावना से द्विपक्षीय रूप में हल किये जा सकते हैं।

जिस दृष्टिकोण और भावना से यह करार संभव हुआ है यदि इसे बंगलादेश के साथ हमारे संबन्धों के वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाए तो यह दोनों देशों के बीच, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर, सदैव विकासमान सहयोग की ओर ले जाएगा। इससे महाद्वीप में शांति एवं विकास को संवर्धित करने तथा एक वृहत्तर विश्व व्यवस्था के लिए साथ-साथ काम करने के हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भी योगदान मिलेगा।

विभिन्न उपयोगों के लिए पानी की मांग में संभावित वृद्धि होने से यह स्पष्ट था कि समय बीतने के साथ यह समस्या और भी अधिक पेचीदा एवं जटिल हो जाती। यदि इस दीर्घकालिक समस्या को हल करने के लिए दोनों देशों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की गई होती तो इसके लिए न केवल बहुत बड़े अवसरों की कीमत चुकानी पड़ती अपितु अल्पकालिक बटवारे की व्यवस्था करना भी अत्यन्त कठिन हो जाता। अतः यदि कोई समझौता करना ही था तो दोनों देशों का समान हित इस कार्य में विलम्ब करने के बजाए इसे जल्दी ही करने में था।

फरक्का समस्या बंगलादेश की एक राष्ट्रीय समस्या रही है जो राजनीतिक दलों और शासकों से परे थी। बंगलादेश के सभी राजनीतिक दल और वर्ग अधिक हिस्सा मांगने और इस विवाद के शीघ्रता से निपटान पर एकमत रहे हैं।

भारत में भी, फरक्का समस्या को दलीय हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। पिछली सरकार द्वारा किये गए वायदों का सम्मान करते हुए हमने इस करार को अंतिम रूप दिया है। सदन से मेरा निवेदन है कि वे अंतर्दलीय मतभेदों को भुलाकर हमारी विदेशनीति के संपूर्ण लक्ष्य के वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, विशेषरूप से दोनों देशों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, इस करार को स्वीकार करें।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : मेरा एक निवेदन है कि पश्चिम बंगाल में शांति और व्यवस्था के भंग होने का भय है। इसलिये इस विषय पर पूर्ण चर्चा की जाये।

(**व्यवधान**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुरा) : पश्चिम बंगाल सरकार ने इस समझौते पर असंतोष प्रकट किया है और उसका विरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि इस विषय पर चर्चा के लिए कोई अवसर उपलब्ध हो। लेकिन आप वक्तव्य पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

प्रधानमंत्री की सोवियत संघ की यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. PRIME MINISTER'S VISIT TO U.S.S.R.

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात है, सोवियत संघ की कम्युनिष्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रधान मंडल के अध्यक्ष महामान्य श्री ब्रेझनेव द्वारा सोवियत नेताओं के निमंत्रण पर मैंने रूस की यात्रा की। मैं भारत से 21 अक्तूबर को रवाना हुआ और 27 अक्तूबर की सुबह वापस लौट आया। रूस में अपने प्रवास के दौरान मैं काला सागर के शहर सोची तथा युक्रेनियाई सोवियत समाजवाद गणराज्य की राजधानी कीव भी गया। इस यात्रा में विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी मेरे साथ थे। इस पूरी यात्रा में हम जहां कहीं भी गये वहीं नया-चार की सामान्य अपेक्षाओं से ऊपर उठकर हमारा अत्यन्त हार्दिक एवं सद्भावपूर्ण स्वागत किया गया।

मास्को में अपने प्रवास के दौरान हमने सोवियत नेताओं से दो बार बातचीत की जिसका नेतृत्व महासचिव श्री ब्रेझनेव ने किया। सोवियत नेताओं के साथ कई बार हमारी अनौपचारिक बातचीत भी हुई। इस विचार-विनिमय में हमने अपने द्विपक्षीय संबन्धों पर तथा विभिन्न अंतराष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर बातचीत की। यद्यपि, इस प्रकार की बातचीत गोपनीय समझी जानी चाहिए क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा होता है, फिर भी सदन को यह बताने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हमारी बातचीत अत्यन्त स्पष्ट तथा मैत्रीपूर्ण हुई। इस बातचीत में यह बात स्पष्ट हुई कि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते सराहते हैं और दोनों का यह निश्चय भी प्रकट हुआ कि हम दोनों के बृहत्तर हित में पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित अपने सहयोग और अपनी मित्रता को सुरक्षित रखकर सुदृढ़ करना चाहते हैं।

मेरे लिए सोवियत संघ की यह पहली यात्रा नहीं थी। मैंने 1960 में मास्को तथा रूस के कुछ अन्य शहरों की यात्रा की थी। अब 17 वर्ष बाद मैंने जिन स्थानों की यात्रा की उनकी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ।

जब जनता सरकार सत्ता में आई तो बहुतों ने यह सोचा था कि भारत में सरकार बदलने से भारत-रूस संबन्धों को धक्का पहुंचेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते थे: इस यात्रा ने हमारे इस विश्वास की पुष्टि कर दी कि हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक पद्धति में और कुछ मामलों में हमारे दृष्किोणों में अंतर होने के बावजूद हमारे संबन्धों को किसी प्रकार का धक्का नहीं पहुंचा है। इसके विपरीत, लाभदायक द्विपक्षीय संबन्धों के संवर्धन के सिद्धान्त के आधार पर भविष्य में दोनों के बीच सहयोग के क्षेत्र में स्वस्थ विकास की संभावनाएं हैं। जैसा कि, राष्ट्रपति ब्रेझनेव तथा मेरे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा में स्वीकार किया गया है, भारत-रूस संबन्ध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हमारे संबन्ध ऐसे हैं कि जिनसे किसी राष्ट्र को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तों पर आधारित है जो सारे विश्व पर लागू होता है।

मैं इस यात्रा का विशेष स्वागत इसलिए करता हूं कि इससे मुझे सोवियत नेताओं से व्यक्तिगत संबन्ध स्थापित करने का अवसर मिला और इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि हमारे संबन्धों को बनाये रखने में तथा हमारे बीच अगर कभी कोई गलतफहमी पैदा हो तो उसे दूर करने में यह बहुत उपयोगी होगा।

भारत-रूस सहयोग अनेक क्षेत्रों में एक निरंतर प्रक्रिया है : इस प्रक्रिया में कभी शिथिलता नहीं आने दी गई। मेरी यात्रा के दौरान कोई नये तकनीकी या आर्थिक प्रश्न नहीं उठे क्योंकि हमने यह महसूस किया कि विशेषज्ञों के स्तर पर ही सबसे अच्छी तरह इन पर विचार किया जा सकता है।

फिर भी, इस घोषणा में यह कहा गया है कि दोनों देशों के बीच तकनीकी, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग को और सुदृढ़ करने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए सोवियत संघ से विशेषज्ञों के शिष्टमंडलों के निकट भविष्य में भारत आने की संभावना है और इसके बाद इन प्रस्तावों पर भारत-सोवियत संयुक्त आयोग विचार कर सकता है। जैसा कि सदन को मालूम है कि तकनीकी, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक भारत-सोवियत संयुक्त आयोग है। इस आयोग का स्तर हाल ही में ऊंचा कर दिया गया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री इस आयोग के सहअध्यक्ष होंगे और सोवियत पक्ष से वहां के उप-प्रधानमंत्री, महामान्य श्री आर्खिपोव सोवियत सहअध्यक्ष होंगे। इस संयुक्त आयोग का अगला अधिवेशन अगले वर्ष के शुरू में नई दिल्ली में होगा।

मैंने राष्ट्रपति ब्रेझनेव और अध्यक्ष कोसीगन को भारत की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इन यात्राओं की तिथियां बाद में तय होंगी।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह यात्रा सोवियत संघ के साथ भारत के संबन्धों की अनिवार्य निरन्तरता की पुष्टि करती है जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व को संवर्धित करने के लिए सह-अस्तित्व, गुटनिरपेक्षता और मैत्री के सिद्धान्तों के प्रति हमारी वचनबद्धता को मजबूत बनाती है। यथार्थ में इस यात्रा ने भारत-सोवियत संबन्धों को स्थिरता एवं सुदृढ़ता के नये आयाम प्रदान किये हैं। इसके परिणामों का हमारे देश में और सोवियत संघ में स्वागत हुआ है और मैं समझता हूं कि जिस परिपक्वता के साथ इसकी पुनःपुष्टि हुई है वह इसे तनाव शैथिल्य को संवर्धित करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति की खोज का मार्ग प्रशस्त करने में एक महत्वपूर्ण घटक बना देगा। दोनों देशों ने यह बात भी स्वीकार की है कि ये संबन्ध उन अन्य देशों के साथ संबन्ध विकसित करने के मार्ग में रुकावट नहीं है जो शांति को आगे बढ़ाने तथा राष्ट्रों के बीच आपसी समझ को सुदृढ़ बनाने के समान लक्ष्यों से अनुप्रेरित हैं। संक्षेप में, जैसा कि मैंने मास्को में कहा था वर्तमान भारत-सोवियत संबन्धों को किन्हीं भी दो देशों के लिए अनुकरणीय आदर्श माना जा सकता है।

समाचार खबर एजेन्सी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SAMACHAR NEWS AGENCY

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : माननीय सदस्यों को मेरा वह वक्तव्य याद होगा जो मैंने उन परिस्थितियों, जिनके परिणामस्वरूप चार समाचार एजेंसियों, जो उस समय तक काम कर रही थी, के विलय से "समाचार" का गठन हुआ था, पर 7 अप्रैल, 1977 को सदन में दिया था। मैंने यह भी बताया था कि इस ढांचे के विरुद्ध हुई व्यापक आलोचनाओं और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की सरकार की वचनबद्धता को देखते हुए मैं विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर रहा हूं जो "समाचार" के भविष्य के बारे में जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी।

2. जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, यह समिति श्री कुलदीप नायर की अध्यक्षता में 19 अप्रैल, 1977 को गठित की गई थी। इसके 11 अन्य सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट 13 अगस्त, 1977 को प्रस्तुत की गई थी और उसके शीघ्र बाद जारी कर दी गई थी ताकि जो सिफारिशें की गई हैं उनके प्रति सरकार अपना दृष्टिकोण बनाने में समाचारपत्रों और जन साधारण की प्रतिक्रियाओं से लाभान्वित हो सके। रिपोर्ट के जारी होने के बाद 31 अगस्त 1977 को "समाचार" की प्रबन्ध समिति ने एक

प्रस्ताव पास किया जिसमें सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि समाचार एजेंसियों के भावी ढांचे के बारे में सरकार जो भी निर्णय लेगी वह उनको लागू करने में अपना सहयोग देगी।

3. सरकार ने देश में समाचार एजेंसियों के भावी ढांचे के प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया है। ऐसा करते समय सरकार ने समाचार एजेंसियों संबन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों की ओर उसकी रिफारिशों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखा है। सरकार ने इस तथ्य को भी नोट किया है कि भूतपूर्व सरकार ने न केवल : "समाचार' के गठन में सक्रियरूप से सहायता की थी, अपितु वह "समाचार" की प्रबन्ध समिति का नीति निर्णय लेने में मार्गदर्शन भी करती थी। इस प्रकार "समाचार" आपात स्थिति की पैदावार और उसका प्रतीक था और निसंदेह यह आपात स्थिति से उद्भूत विपथन था। अतः सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि फिलहाल मामले में सरकार की भूमिका इस विपथन को ठीक करने तक ही सीमित होनी चाहिए। आपात स्थिति के दौरान जिन समाचार एजेंसियों को दबाब से तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध विलय के लिए मजबूर किया गया था, उनको उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिस प्रकार वे पहले करती थी। उसके बाद उनको यह छूट होगी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उस निर्णायक भूमिका को अधिक प्रभावशाली ढंग से निभा सकें जिसकी प्रैस ढांचे में उनसे अपेक्षा की जाती है, वे यदि चाहें तो आपस में सहयोग करें या इकट्ठी हो जाएं। सरकार यह महसूस करती है कि स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करके उसको समाचार एजेंसियों के विकास और विस्तार का काम समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों पर ही छोड़ देना चाहिए।

4. तदनुसार सरकार ने "समाचार" को यह सूचित करने का निर्णय लिया है कि सरकार यथापूर्व स्थिति बहाल करने और इस प्रकार उन चारों समाचार एजेंसियों, जो 24 जनवरी, 1976 को तथाकथित 'स्वैच्छिक विलय' से पहले विद्यमान थी, अर्थात् प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया' हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को बहाल करने के पक्ष में है।

5. गुट निरपेक्ष देशों के समाचार एजेंसी संगम में भारत के भाग लेते रहने की आवश्यकता और भारतीय भाषाओं में समाचार सेवाओं के विकास की भी आवश्यकता से सरकार सहमत है। सरकार को उम्मीद है कि चारों एजेंसियों में से प्रत्येक के लिए गुट निरपेक्ष देशों के समाचार एजेंसी संगम में वैयक्तिक रूप से या किसी सहकारी व्यवस्था के माध्यम से संयुक्त रूप से भाग लेना संभव होगा। सरकार गुट निरपेक्ष देशों के समाचार एजेंसी संगम में भाग लेने हेतु और भारतीय भाषाओं में सेवाओं के विकास हेतु आर्थिक सहायता देने पर विचार करने के लिए तत्पर होगी।

6. यथापूर्व स्थिति के बहाल होने की दशा में सरकार "समाचार' के कर्मचारियों की वर्तमान परिलब्धियों का संरक्षण करने में सहायता करेगी। चारों एजेंसियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए सहायक अनुदान दिया जायेगा ताकि उनके द्वारा "समाचार" में ली जाने वाली परिलब्धियों तथा यदि वे अपनी-अपनी मूल एजेंसी में काम करते रहते तो उनको समय-समय पर जो परिलब्धियां मिलतीं उनके बीच के अन्तर की पूर्ति की जा सके। यह सहायक अनुदान हर वर्ष कम होता जायेगा। इस प्रकार की सहायता से "समाचार" द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों के व्यय की भी पूर्ति होगी। क्योंकि कुछ समाचार एजेंसियां अपने विलय के बाद अस्त-व्यस्त हो गई होंगी, अतः सरकार उनको अनावर्ती अनुदान देने पर भी विचार करेगी ताकि वे अपना काम नए सिरे से चालू कर सकें।

7. जैसा कि सदन को मालूम है, यह सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि सभी लोकतान्त्रिक संस्थाएं स्वतंत्र और स्वच्छन्द वातावरण में काम करें। हमारी सभी कार्यवाइयां इस धारणा और

वचनबद्धता के अनुरूप हैं। मुझे विश्वास है कि सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि इस निर्णय से चौथे स्तम्भ की स्वतंत्रता और सुदृढ़ होगी।

उत्तर रेलवे पर हाल में हुई दो गम्भीर रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. TWO RECENT SERIOUS TRAIN ACCIDENTS ON NORTHERN RAILWAY

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : महोदय, लोक सभा सचिवालय से पता चला है कि श्री के० लकप्पा ने इस विषय में सामान्य चर्चा के लिए प्रस्ताव की सूचना दी है। मैंने सरकार की ओर से सचिव को सूचित किया है कि हम इस पर पूर्ण चर्चा के लिए तैयार हैं। अब मैं अपना वक्तव्य पढ़ने की अनुमति चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय : पढ़िये।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, सदन की पिछली बैठक समाप्त होने के बाद उत्तर रेलवे पर दो गंभीर रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें भारी जन हानि हुई है। इस सम्बन्ध में मैं अत्यन्त दुख और खेद के साथ बयान देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं।

28-8-77 को लगभग 10.20 बजे, रायबरेली-इलाहाबाद खंड पर सतरामपुर और फ़ाफ़ामऊ स्टेशनों के बीच 352 डाउन सहारनपुर-लखनऊ इलाहाबाद एक्सप्रेस गाड़ी जा रही थी। सराय गोपाल पलैग स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित चौकीदार वाले एक समपार पर तीन पहिये वाले एक टैम्पो से उसकी भिड़न्त हो गई। टैम्पो का उपयोग टैक्सी के रूप में किया जा रहा था जिसमें ड्राइवर और क्लीनर के अलावा 23 यात्री थे।

इस दुर्घटना के फ़लस्वरूप 18 व्यक्ति मारे गये और अन्य चार घायल हुए जिनमें से 3 को गंभीर चोटें आईं।

दुर्घटना के तुरन्त बाद, स्थानीय निवासियों की सहायता से उस गाड़ी के गार्ड ने घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार कर दिया और बाद में उन्हें इलाहाबाद के तेजबहादुर सप्रू अस्पताल में भेज दिया गया।

सूचना मिलते ही महाप्रबन्धक तथा विभागों के अध्यक्षों सहित रेलवे बोर्ड के सदस्य यातायात दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए तथा उन्होंने अस्पताल में घायल व्यक्तियों को देखा। रेल राज्य मंत्री भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये थे तथा अस्पताल में वे घायल व्यक्तियों से भी मिले।

मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान भी किया गया।

रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त, लखनऊ ने इस दुर्घटना की जांच की है। उनकी अनन्तिम जांच-पड़ताल के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी। समपार में प्रवेश करने से पहले आने वाली गाड़ी को देखने की प्राथमिक चेतावनी की ओर सड़क वाहन के ड्राइवर का ध्यान न देना, सीधे तौर से दुर्घटना का कारण बना।

दूसरी दुर्घटना 10-10-1977 को नैनी स्टेशन पर हुई। उस दिन लगभग 00.15 बजे गाड़ी नं० 103 अप हावड़ा-अमृतसर डीलक्स एक्सप्रेस, जिसमें 17 सवारी डिब्बे लगे हुए थे और जिसमें बिजली इंजन लगा हुआ था, की अप सी पी सी माल गाड़ी के पिछले भाग से टक्कर हो गई। यह माल गाड़ी उस स्टेशन के अप स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर सिगनलों के बीच खड़ी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन और पहले पांच सवारी डिब्बे चूर-चूर हो गये और बाद के दो सवारी डिब्बे

पटरी से उतर गये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। पिछले 10 सवारी डिब्बे पटरी पर बने रहे। माल गाड़ी के पिछले भाग का ब्रेकयान और 3 माल डिब्बे चकनाचूर हो गये और अन्य तीन पटरी से उतर गये।

यह सूचना देते हुए मुझे खेद है कि इस दुर्घटना में 57 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 47 को गम्भीर चोटें आई और 53 मामूली रूप से घायल हुए।

दुर्घटना होने के कुछ मिनटों के भीतर ही इस दुर्घटना के बारे में मंडल नियंत्रण और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना पहुंचा दी गयी थी। सहायक चिकित्सा अधिकारी, नैनी तुरन्त ही मौके पर पहुंच गये और उन्होंने घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करना आरम्भ कर दिया। उस गाड़ी के गार्ड ने भी गाड़ी में यात्रा कर रहे कुछ चिकित्सकों और दवाई विक्रेताओं की सहायता से प्राथमिक उपचार किया था। मंडल अस्पताल से डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों का एक दल रोगी वाहन सहित मौके पर पहुंच गया, उन्होंने चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की और गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को अस्पतालों में भेजना आरम्भ कर दिया।

महत्वपूर्ण स्टेशनों पर घायलों और मृतकों की सूची लगायी गयी और जनता की पूछताछ का उत्तर देने के लिए पूछताछ कार्यालय भी खोले गये। नं० 103 अप एक्सप्रेस जिन स्टेशनों पर ठहरती है उन सभी स्टेशनों पर मृतकों के फ़ोटो भेजे गये। मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को मौके पर पहुंचने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की गयीं जिनमें मुफ्त पास दिया जाना भी शामिल था। क्षतिग्रस्त गाड़ी के सभी यात्रियों को सड़क वाहनों द्वारा इलाहाबाद पहुंचाया गया ताकि वहां से आगे वे अपनी यात्रा कर सकें। दिल्ली के लिए एक विशेष गाड़ी भेजी गयी जो 09.55 बजे इलाहाबाद से रवाना हुई।

सूचना मिलने के फ़ौरन बाद सदस्य यातायात, उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक और विभागों के अध्यक्षों को साथ लेकर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड वायुयान द्वारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे।

जिस समय मुझे दुर्घटना की सूचना मिली उस समय मैं पूना में था। अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके, वित्त आयुक्त (रेलवे) और अपर यांत्रिक सदस्य, रेलवे-बोर्ड को साथ लेकर मैं दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए वायुयान द्वारा रवाना हो गया। इसी प्रकार, रेल राज्य मंत्री भी, जो मद्रास में थे, दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलते ही, फ़ौरन वायुयान द्वारा मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो गये।

सिविल पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा दल मौके पर पहुंच गये और उन्होंने यात्रियों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए समस्त क्षेत्र को घेर लिया। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, जिलाधीश और पुलिस और सेना के अधिकारी भी मौके पर उपस्थित थे और उन्होंने यात्रियों के लिए राहत कार्यों तथा उनके सामान की सुरक्षा का पर्यवेक्षण किया।

पहचाने गये मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों और घायलों को अनुग्रह के रूप में भुगतान किया गया। इस दुर्घटना के कारण उत्पन्न दावों के निपटारे के लिए एक तदर्थ दावा आयुक्त नियुक्त किया गया है।

रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, लखनऊ ने इस दुर्घटना के बारे में जांच-पड़ताल भी की है, जिन्होंने इस दुर्घटना का वर्गीकरण 'रेल कर्मचारियों की गलती' की कोटि में किया है। उनकी अन्तिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

15 LSS/77—12

इस दुर्घटना के बाद दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उपायों को सुदृढ़ करने तथा आगे और उपाय खोजने के उद्देश्य से मैंने क्षेत्रीय रेलों के मुख्य संरक्षा अधीक्षकों तथा मुख्य परिचालन अधीक्षकों की एक बैठक दुर्घटनाओं की स्थिति और गाड़ी परिचालन में वर्तमान संरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए बुलाई थी। विशेष आमंत्रण पर, रेल संरक्षा के अपर आयुक्त भी बैठक में उपस्थित थे। इस समस्या के बारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया और 24-10-77 से एक राष्ट्व्यापी संरक्षा अभियान भी चलाया गया है।

इन दुर्घटनाओं पर अत्यन्त खेद व्यक्त करते हुए मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कोई प्रयास बाकी नहीं रहेगा।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दिनांक 1 मई, 1976 के संकल्प संख्या 31-1-76-एम के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री शेर सिंह के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दिनांक 1 मई, 1976 के संकल्प संख्या 31-1-76-के एम के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री शेर सिंह के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

लोकपाल विधेयक

LOKPAL BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना

श्री शशांक शेखर सान्याल (जंगीपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा जन सेवकों के विरुद्ध अवचार के अभिकथन की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बजट सत्र (1978) के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

महोदय, हमने दिल्ली से बाहर दौरा न करने का निश्चय किया और साक्ष्य की भी कोई जांच न करने का निश्चय किया केवल महान्यायवादी से ही पूछा गया। हमारी नौ बैठकें हुई हैं और हमने विभिन्न सरकारों तथा जानकारी रखने वाले निकायों के विचार आमंत्रित किये हैं। कुल 585 संशोधन हैं। इतनी अधिक संख्या में संशोधन हैं कि उन पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

इस सम्बन्ध में मैंने लोकपाल विधेयक पेश किया था जिसे चौथी लोकसभा के दौरान विचार जानने के लिए देश भर में परिचालित किया गया था और सर्वत्र उसके पक्ष में विचार दिये गये थे।

पिछले सत्र में उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि मैं अपना विधेयक वापस ले लूं तो इसी सत्र में सरकारी विधेयक पर विचार किया जा सकता है।

अब ग्यारह वर्ष हो चुके हैं। अब तो संयुक्त प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन दे देना चाहिये था। इस पर और विचार करना निरर्थक है। वह अपना प्रतिवेदन 1 दिसम्बर तक दे सकते हैं। मेरे विचार से अब और समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जन सेवकों के विरुद्ध अवचार के अभिकथन की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बजट सत्र (1978) के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधेयक पुरःस्थापित

BILL INTRODUCED

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) विधेयक

WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) BILL

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के साधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से कुछ उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपभोग किये गये जल पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के साधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से कुछ उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपभोग किये गये जल पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सिकन्दर बख्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

पश्चिम बंगाल में कुछ पटसन मिलों का बन्द किया जाना

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : नियम 377 के अधीन मैं पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के बन्द होने का मामला उठाना चाहता हूं। इस समय 6 पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं जिससे 20000 श्रमिक बेकार हो गये हैं। इन मिलों में से तीन किन्नीसन जूट मिल, एलेक्जेंडर जूट मिल और नेहाटरीजूट मिल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इनमें से एक एलेक्जेंडर जूट मिल 1 वर्ष से बन्द पड़ी है। मैंने बार-बार यह मामला उठाया है लेकिन सरकार ने इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया है। श्रमिकों की गड़बड़ का बहाना बना कर मिलों को बन्द रखा जाता है। यदि इस समस्या की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और बिगड़ जायेगी। राज्य सरकार के पास शक्ति नहीं। वह तो केन्द्र सरकार को कह सकती है या दोनों पक्षों की बैठक बुला सकती है।

लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा अस्पताल (अर्जन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक

LADY HARDINGE MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL (ACQUISITION) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : I have a point of order. Sir, the name of Bill is Lady Hardinge Medical College which is a matter of Shame for Shri Raj Narain. Throughout his life he had been fighting for changing the foreign names of schools, hospitals and roads and yet he has brought forward a Bill in respect of a hospital which is named after a foreigner. This name should be changed to Shrimati Sucheta Kripalani Hospital. He is doing injustice to the soul of Lohiaji.

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : It is a parliamentary problem. You should have brought the amendment at the time when this Bill was introduced. I have no objection to its name being changed to Shrimati Sucheta Kripalani. I fully agree that the names of buildings which have been named after English kings and queens should be changed. They must be named after Indians. Now I beg to move.

> "that the Bill to provide for the acquisition of the Lady Hardinge Medical College and Hospital and for the management of the Kalavati Saran Hospital, with a view to ensuring better facilities for higher medical education for women and medical facilities for women and Children in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

I am happy that there is no amendment to this Bill it means the whole House is with me. The Government are going to take over these two hospitals. They are managed by trusts. The Government have been bearing full expenditure being incurred on these hospitals for the last four years.

So while spending so much, the Government have to ensure that they are run properly. We can not tolerate improprieties in their management . The employees should get their salaries in time. There is one printing mistake in this Bill. In part G of Clause 2 on page 2 instead of 17th March, 1957 we should read 17th April, 1957.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए आयुर्विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए अधिक अच्छी सुविधाएं तथा महिलाओं और बच्चों के लिए चिकित्सीय सुविधायें सुनिश्चित करने की दृष्टि से लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल के अर्जन करने का और

कलावती शरण अस्पताल के प्रबन्ध का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा है, यह एक निर्विवाद विधेयक है। यह कहा गया है कि चिकित्सा परिषद् ने समय-समय पर इस अस्पताल एवं कालेज का निरीक्षण किया और स्थिति असंतोषजनक पायी। मेरा अनुरोध है कि किसी भी कर्मचारी को निकाला न जाय और सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारी मान कर पूरे लाभ दिये जायें।

दुर्भाग्यवश इस देश में विशेषकर दिल्ली में विभिन्न अस्पताल तथा मेडीकल कालेज विभिन्न अधिकरणों के अधीन काम करते हैं। भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजना है। दिल्ली में स्थिति अनेक संस्थाओं के डाक्टरों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार सेवा शर्तों के ही अनुसार है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाले लोगों का चिकित्सीय व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे डाक्टरों तथा वैज्ञानिकों को हीन दृष्टि से देखते हैं। उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं होता। देशवासी तो उनका सम्मान करते हैं लेकिन आपके अधिकारी नहीं करते। पटेल चैस्ट इन्स्टीट्यूट के डाक्टरों को बहुत भाग दौड़ करने के बाद भी न्याय नहीं मिला और उन सब ने अपने त्यागपत्र दे दिये। मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार किसी अन्य अस्पतालों तथा कालेज के डाक्टरों के साथ न करें।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है। मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि इस मंत्रालय के प्रति उचित व्यवहार नहीं हो रहा और राशि नियतन के मामले में इसके साथ मतभेद से काम लिया जा रहा है। प्रत्येक रोगी को ही दी जा रही औषधि की मात्रा अपर्याप्त है, 60 करोड़ की आबादी वाले देश में हर व्यक्ति को चिकित्सीय सुविधायें प्रदान करना संभव नहीं। मंत्री महोदय के प्रस्तावों का उद्देश्य पवित्र तथा कल्याणकारी है।

प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी मंत्री महोदय की योजना सराहनीय है। इस योजना के अन्तर्गत एक हजार की आबादी के लिये एक मैडिकल एटेन्डेंट होगा लेकिन केरल में यह सम्भव न होगा। यह एक बड़ी योजना है और इसे कार्यान्वित करने में कुछ खतरे भी हैं। योजना के अन्तर्गत यदि एक पंचायत में एक व्यक्ति की नियुक्ति की गयी तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें सरकारी कर्मचारी मानना संभव न होगा। इस बारे में राज्य सरकारों का परामर्श भी लिया जाना चाहिये।

आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने के साथ साथ हमें विश्व में प्रचलित शिक्षा की आधुनिक प्रणालियों को भी नहीं भूलना चाहिये। इसके लाभों से हमें अपने लोगों को वंचित नहीं करना चाहिये।

दक्षिण के लोगों पर राष्ट्रीय भाषा थोपना उचित नहीं है। इससे बहुत हानि होगी। छः महीनों के अन्दर वहां के लोगों को राष्ट्रभाषा सीखने के लिये कहा गया है। यह कैसे संभव है?

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं इस विधेयक पर बोलना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने वालों के बहुत से नाम मेरे पास पड़े हैं। यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो उन्हें भी देनी पड़ेगी।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : If you allow, I can give my time to Dr. Sushila Nayar.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बोल सकती हैं।

Dr. Sushila Nayar : I want to say a few words about this bill. I want to know whether the Board of Management is appointed by the Government and whether there will be any improvement in functioning after it is taken over by the Government. The Government should not act in haste in taking over this institution. Question is how to autiviate this institution.

The Lady Hardinge Medical College used to be one of the best educational institutions before independence but its standared started to decline with the increasing Government interference after independence. I am in favaour of the same independence and antonomy of the medical institutions as have been provided to the Universities.

The Government can take medical education in its hand but I would like to know whether there will be any improvement. This institution can be converted into an affiliated college of the All India Institute of Medical Sciences after enacting a law. I may also point out that you should weed out the incompetent staff and activise the institution before it is taken over by the Government.

I welcome the rural health scheme of the Government. I have doubts whether the medical workers will be satisfied with the emoluments to be paid to them. Secondly, an amount of Rs. 50.00 for medicine is quite insufficient. I would like the Government to give thorough consideration to this scheme.

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I thank Shri Vayalar Ravi for giving his valuable suggestions.

We have never said about a bare foot Doctor scheme. There will be a Public Health Attendant for population of one thousand. His job will be to educate villagers in the matter of public health, sanitation and epidemics. We have also said that there should be a trained midwife in each village. There will be multipurpose workers for an area with 5000 population. Then there will be sub-centres and Primary Health Centres.

I want to assure the Government of Kerala State that we will not disturb the health scheme being implemented by them and that they will not be neglected by the Janata Government at the Centre.

The Lady Hardinge Medical College was set up in 1911. It is a registered institution. Its main object is to provide medical education to the women. The Government has been giving annual grant to this institution. I have already stated the grants given to it during 1974-75, 1975-76 and 1976-77.

In all Central assistance to the tune of Rs. 215 lakhs has been given to Lady Hardinge Medical College and Hospital but even then the standard of medical education and medical servies of this institution is deterirating. I think we will be failing in our duties if we do not take measures to set the things right. It is therefore quite appropriate for the Government to take over these institutions . We want to make these institutions as model ones. I may make it clear with all the humility at my Command to Smt. Sushila Nayar that for improving that standara of services in these institutions we want to take over these institutions. With a view to provide good medical education to the students, the Government decided to take over the administration of Lady Hardinge Medical College and Hospital, but I do not know under which circumstances this more was later on dropped. These institutions are having another sister institution known as Kalavati Saran Hospital. This Hospital provides facilities for the treatment of diseases of children and it is functioning in the premises of Lady Hardinge Hospital since 1956. A statement regarding the recurring and non-recurring expenditure of this institution has already been made by me. The administration of Kalavati Saran Hospital is being run by a seperate management board.

It is the keen desire of the Government to provide best medical facilities for the treatment of the diseases of women and children. In order to intensify those facilities and also to provide better medical education facilities to women, it is quite necessary to improve the working of these institutions. It is our attempt to convert them into model institutions, to achieve these objects, the Government has decided to take over these institutions. Moreover I may also mention that on 25th January, 1975, the Management Board of Lady Hardinge Medical College and Hospital passed a resolution and requested the Government to take over these institutions alongwith their assets and liabilities.

The other benefit of our taking over of these institutions will be that about 1100 employees of Lady Hardinge Hospital and about 250 employees of Kalavati Saran Hospital will become entitled for all the benefits of Government service.

Our friend Shri Ravi also raised the issue of scholarship to the students of Patel Chest Institute. In this connection I may submit that we are granting a scholarship of Rs. 400/- P.M. to the students of these institutions whereas their demand is to enhance it to Rs. 600/. In this connection my submission is that Patel Chest Institute is directly governed by Delhi University and scholarship and other facilities are given in accordance with the recommendations of University Grants Commission. This hospitals is connected wtih Delhi and likewise the hospitals at Aligarh and Banaras and also governed by the Centre. So we are to take nto considerations the financial aspects of all these institutions.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए आयुर्विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए अधिक अच्छी सुविधायें तथा महिलाओं और बच्चों के लिए चिकित्सीय सुविधायें सुनिश्चित करने की दृष्टि से लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल के अर्जन करने का और कलावती शरण अस्पताल के प्रबन्ध का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ किया जायेगा। खण्ड 2;

Shri Raj Narain : I beg to move.

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,—

17 मार्च, 1957 (17th March, 1957) के स्थान पर

"17 अप्रैल, 1957" (17th April, 1957) शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,—

"17 मार्च, 1957" (17th March, 1957) के स्थान पर

"17 अप्रैल, 1957" (17th April, 1957) प्रतिस्थापित substitute किया जाये :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाअध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2, संशोधित रूप में, जोड़ दिया गया।

Clause 2, as amended , was added to the Bill

खंड 3 से 19 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 3 to 19 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill

Shri Raj Narain : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत-पत्रों के बारे में प्रस्ताव—जारी

Motion re. White Paper on misuse of Mass Media During Internal Emergency—Contd.

उपाध्यक्ष महादय : अब हम प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत पत्र पर चर्चा करेंगे।

डा० मुरली मनोहर जोशी : प्रथम वक्ता होंगे।

Dr. Murli Manohar Joshi : (Almora) : At the outset I woulu like to congratulate the Minister for Information and Broadcasting for placing before the House a detailed white Paper on the misuse of mass media during emergency. It is a matter of pleasure that Janata Party has fulfilled its promise and the freedom of Press and Expression has been fully restored. It is a well known fact that the voice of people was badly curbed during emergency. But the measures which were actually taken by the Government to Jag press have been highlighted by this White Paper. This white paper looksl ike a tip of the ice-burg as it brings to light only some of the incidents leading to misuse of mass media. People hardly knew about all these things. Our ex-Prime Minister had stated time and again that the concept of credibility of mass-media was meaningless. Direct threats were given to press and journalists. We do not know under whose order or authority pre-censorship was imposed even on the proceedings of Parliament. Such guidelines were given to the officers that the speeches of Members of Legislatures/Parliament participating in a debate should not be published. Only their names and party affiliations should be given. During the Monsoon Session of 1975, the entire proceedings of the Parliament were submitted for pre-censorship. I want to ask my friends in the opposition benches under whose authority or orders this sort of censorship was imposed. May I know if orders of the Speaker were obtained for this purpose ? I am strongly of the opinion that all those who had committed the most serious offence of withholding the duplication of authentic reports of Parliamentary proceedings should now be brought to book. They should be prosecuted. There are a good number of officers too in the Ministry of Information and Broadcasting who worked day and night, rather conspired day and night against the fearless and honest journalists and threatened them from time to time. All their actions should be inquired into. A lot has been published in several journals about Mr. Shukla who led Indian team to Canadian Film Festival. According to one journal Mr. Shukla made unsuccessful attempts to entangle himself with film actresses of the team. All these things should be looked into.

During emergency a special issue of "Aajkal" was published at the time of World Hindi Conference. This issue contained an article which related to Gandhism. This issue of the magazine was withdrawn. Another issue of the magazine was got published and this article was got substituted by another article. This is a case of gross misuse of official position and must be looked into. I want that full details with regard to this episode should be made available to the House by Minister for Information and Broadcasting. Sir I want to lay it on the Table.*

---

*[सभा पटल पर रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 1062/77]
[Laid on the Table of the House *See* No. LT-1062/77]

Sir, now I may draw the attention of the House towards another similar incident. A series named "Builders of Modern India" was started by Ministry of Information and Broadcasting. A Hindi journalist of Banaras was contacted for publishing a biagraphy of Smt. Indira Gandhi. It was decided to pay him Rs. 4,000 for the purpose. What has happened to this proposal ? What are its details ? What far a list of thousands of such people was drawn who linned their faith in the Government and administration of the day. All these facts should be looked into.

My other submission is that the service conditions of engineers and producers of All India Radio and Doordarshan should be looked into. These are commercial organisa tions and I am of the opinion that separate budget should be prepared. At present 60 per cent of AIR's income is spent on administration and hardly 30 per cent of the amount is being utilized for programmes etc. All this should be reserved.

Regarding the functioning of Doordarshan, I may submit that there are certain institutions which have got monopoly so far as production of films is concerned. This monopoly should be put to an end and chance should be provided to other deserving people also. The people who have got the ability to give their programmes on Doordarshan should be given ample opportunity to do so.

During emergency, a film named "Rare Tigers of India" was produced. This film was not cleared by censors simply because one of its charactres had resemblence with Jaya Prakash Narain. There were absolutely no politics in this film but still it was not cleared by censors. There are a number of such like incidents. All there things should be inquired into because no reference of all these episodes has been made in the White-Paper.

Lastly, I may submit that all those people who committed atrocities during emergency should be brought to book and all these who stood for democracy and honesty of their duty should be honoured. In future nobody should be allowed to repeat what happened during emergency. The country has already given its verdict against all those who to submitted before unjustice. The rule of law must be established in the country and nobody should be allowed to misuse the powers of emergency in future.

श्री वी० अरुणाचलम (तिरुनेलवेली) : आपातस्थिति के दौरान प्रचार साधनों का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो श्वेत-पत्र जारी किया गया है, उसके लिए सरकार निश्चय ही बधाई की पात्र है। श्वेत-पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि पिछली सरकार ने किस प्रकार की अनैतिक राजनीतिक चालें चल कर अपने विरोधियों का दमन किया। कितनी निर्दयता से समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता का हनन किया गया तथा किस प्रकार के ओछे हथकंडों को अपना कर राष्ट्र के लोकतांत्रिक जीवन को तहस नहस कर दिया गया।

[श्री एम० सत्यनारायन राव पीठासीन हुए]
[Shri Satyanaryan Rao in Chair]

राष्ट्रीय लोकतन्त्र का गला घोटने का कार्य प्रमुख रूप से सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से ही किया गया। 26 जून, 1975 को आपात स्थिति की घोषणा के साथ ही समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता पर सेंसर लगा दिया गया। इस सन्दर्भ में मुझे न्यायमूर्ति लार्ड डेंनिग के यह शब्द विशेष रूप से स्मरण हो आते हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि किसी भी देश के राष्ट्रीय जीवन के लिए स्वतन्त्र समाचारपत्रों का होना बहुत ही जरूरी है। सरकार ने आपातस्थिति के दौरान समाचारपत्रों को इस प्रकार से डरा-धमका कर अपने विचारानुसार ढालने का प्रयत्न किया। निडर तथा ईमानदार पत्रकारों के विरुद्ध जाली मुकदमें चलाये गये। इतना ही नहीं विदेशी पत्रकारों को भी देश से भाग जाने के लिए बाध्य किया गया। समाचारपत्रों ने जब सेंसरशिप के विरोध में सम्पादकीय के स्थान को खाली रखना आरम्भ कर दिया, तो सरकार यह भी सहन न कर सकी। अनेक सम्पादकों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यह सब हथकंडे अपना कर भूतपूर्व सरकार ने समाचारपत्रों को पूर्णतया अपने नियंत्रण

में रखने का प्रयत्न किया। उस समय हमारी सरकार ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पूर्णतया ताक पर **रख दिया**। उस समय समाचारपत्र तथा आकाशवाणी केवल उन्हीं लोगों के बारे में समाचार देने लगे जो उस लोकतंत्र की बात करते थे जिसकी कल्पना या व्याख्या किसी भी राजनीति शास्त्र की किताब **में नहीं थी**। देश में सम्पूर्ण प्रचार माध्यमों का उपयोग तथाकथित अनुशासित लोकतंत्र के प्रसार और **बीस सूत्री** तथा पांच सूत्री कार्यक्रम के प्रचार के लिए किया जाने लगा। स्थिति यह हो गई कि 20 सूत्री **कार्यक्रम के** विरुद्ध टिप्पणी देना भी गैर-कानूनी समझा जाने लगा। देश को ऐसा आभास करवाने का **प्रयत्न** किया गया मानो श्रीमती गांधी ही ऐसी नेता हैं जो कि राष्ट्र को 'अनुशासन' सिखाने के लिए अग्रसर हुई हैं। क्या आप विश्व के इतिहास से कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां कि जिस व्यक्ति ने किसी प्रत्याशी का नामांकनपत्र भर, स्वयं ही उसका विरोध किया हो। परन्तु श्रीमती गांधी ने ऐसा किया। ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति भला अन्य लोगों को क्या 'अनुशासन' सिखा सकता है?

आपात स्थिति के दौरान देश के सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग श्री संजय गांधी के व्यक्तित्व को उभारने के लिए किया जाने लगा। श्री गांधी का सार्वजनिक जीवन नाममात्र का भी नहीं था। वह **किसी साधारण** पंचायत के भी सदस्य नहीं थे परन्तु एकदम सार्वजनिक जीवन के सभी सिद्धांतों तथा **नियमों को** तिजांजलि देकर उन्हें रेडियो तथा टेलीविज़न का हीरो बना दिया गया। उनके बारे में किए **जाने वाले असाधारण** प्रचार को कांग्रेस दल भी न रोक पाया।

अभी तक मैंने प्रचार साधनों का आपातकालीन स्थिति में दुरुपयोग किए जाने की बात की है। **वैसे तथ्य** तो यह है कि कांग्रेस तथा जनता सरकार में कोई विशेष अंतर नहीं है। आज भी आकाशवाणी के अनेक कनिष्ठ अधिकारियों को किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के वक्तव्य तथा भाषण को अपने ही ढंग **से प्रस्तुत करने** के व्यापक अधिकार हैं। जब कभी भी केन्द्र तथा राज्यों के बीच कभी टकराव होता है तो **प्रचार साधन** केन्द्र का साथ देने से नहीं हिचकचाते।

मंत्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं कि यह निष्पक्ष ढंग से काम करेगा। लेकिन कठिनाई यह है कि कार्यान्वियन के समय आश्वासनों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इस कठिनाई का समाधान यह है कि राज्य सरकारों को अपनी टी० वी० तथा रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इससे **बौद्धिक प्रतियोगिता** को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसा करना परमावश्यक है।

आपातकालीन स्थिति के दौरान द्रमुक सरकार ने भी 13 पत्रिकाओं के विरुद्ध 87 बार कार्यवाही की थी। इस श्वेतपत्र में उसका कोई उल्लेख नहीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को संदेश भेजा कि उनकी सरकार केन्द्रीय सरकार के सभी आदेशों का पालन कर रही है। वास्तव में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी आदेशों का पालन किया था। श्री करुणानिधि ने केन्द्रीय सरकार के सभी **आदेशों का पालन** किया था।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi—Sadar) : In addition to this white paper, certain facts about emergency were also brought out through Shah Commission and Kuldip Nayar Committee report. This white paper on misuse of mass media is no doubt, a valuable document. But it does not contain full information about the horrible things perpetrated by the Information and Broadcasting Ministry during the emergency. In those dark days such things happened which had no parallel in history. There was a well planned conspiracy to perpetuate dynastic rule in this country.

It is generally said that Shrimati Gandhi did not know about many things and excesses were committed by officers responsible for implementing Government policy. The fact was that Mrs. Gandhi was present at a meeting wherein it was decided to withdraw facilities enjoyed by journalists who did not fall in line with Government view.

An all out effort to muzzle the press was made during the emergency. Journalists were harassed and not allowed to function independently.

AIR and Television were misused to build up the personality of Sanjay Gandhi. A large amount of money was spent by Doordarshan to give publicity to Sanjay Gandhi. Steps should be taken to root out influence of caucus from AIR and Doordarshan.

During the emegency machinery was misused for party purposes. Translators from the Information and Broadcasting Ministry were deputed for translating election manifesto of the Congress Party. Government money was spent to influence journalists. This misuse of money should be enquired into.

All India Radio lost credibility during emergency. Then we were in jail and we did not like to listen to AIR. As a matter of fact B.B.C. and Voice of America gave useful information about the real situation in our country.

We had good and friendly relations with Soviet Union and we wanted our friendship with that country to grow stronger and stronger. It is really a matter of great regret that Moscow Radio did not do justice to the people of this country during emergency. The Radio tried to justify the imposition of emergency.

The white paper prepared by the Ministry should be widely circulated in the country so that the people at large come to know about the real situation in emergency. It should be translated into various Indian languages and distributed among people.

We should have correct information about the functioning of various Ministries during emergency. All Ministries should bring out white papers on the lines of the white papers brought out by the Information and Broadcasting Ministry.

Staff artists having 5 to 10 years of service should be regularised.

The film 'Kissa Kursi Ka' was destroyed during emergency. Another film has been prepared and is with the Censor Board. The Minister should tell us the reasons for not passing that film so far.

The decision taken by the Government in regard to Samachar news agency should be welcomed. Influence of caucus is still there in Samachar which should be weeded out.

श्री वेदव्रत बरुआ (कालियाबोर): आज देश के प्रथम प्रधान मंत्री का जन्म-दिवस है। मेरे दल के लोग आज उनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं।

हमारे दल में चुनाव के हार के बाद इस बारे में अनेक प्रस्ताव पास किए हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप आपातस्थिति का समर्थन करते हैं?

श्री वेदव्रत बरुआ : हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि मेरा दल आपातस्थिति का समर्थन नहीं करता है। हमने यह बात भी स्पष्ट रूप से कही है कि देश में सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए जिसका अर्थ एक व्यक्ति के शासन की समाप्ति है। कांग्रेस पार्टी ने यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही है।

कहा जाता है कि आपातस्थिति के दौरान प्रचार साधनों का बहुत दुरुपयोग किया गया था। मान लिया जाए कि यह सच है कि आपातस्थिति के दौरान प्रचार साधनों का दुरुपयोग किया गया। परन्तु आज जबकि आपातस्थिति समाप्त की जा चुकी है, फिर भी सत्तारूढ़ दल के लाभ के लिए इन साधनों के दुरुपयोग का क्या औचित्य है? कल जनता पार्टी कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें कई एक संकल्प पास किए गए। आकाशवाणी ने समाचार बुलेटिन में पांच मिनट से कुछ अधिक समय तक उनके बारे में प्रचार किया। कल समाचारों का आधा समय इसमें लग गया। यदि कांग्रेस पार्टी आज ऐसे संकल्प पास करती तो उसको आकाशवाणी पर इतना समय नहीं दिया जाता जितना सत्तारूढ़ दल को दिया गया है। ऐसी स्थिति को सुधारा जाना चाहिए। मैं कुछ लोगों की प्रशंसा करता हूं जो देश में लोकतांत्रिक वातावरण को बनाए रखना चाहते हैं। इसे बनाए रखना आवश्यक भी है। अब बिना किसी आरोप के कांग्रेसी लोगों को गिरफ्तार करना सरकारी सत्ता का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है?

उत्तर प्रदेश में 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। यह सच है या नहीं, परन्तु ऐसा आरोप लगाया गया है।

कहा गया है कि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की तरह हमारे देश में इस सम्बन्ध में एक निगम बनाया जाना चाहिए। जनता पार्टी के सभी घटकों ने हमसे इस प्रकार की मांग की थी। अब जब कि वे सत्तारूढ़ हैं तो वे इस प्रकार का निगम क्यों नहीं बनाते। कांग्रेस पार्टी का यह मत था कि सरकार के कार्यक्रमों को बताने के लिए आकाशवाणी की आवश्यकता है। परन्तु जनता पार्टी के सभी घटक मांग करते थे कि इसे निगम में बदला जाना चाहिए। अब आप ऐसा क्यों नहीं करते ? आपको ऐसा करने से कौन रोकता है ? कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियां मानी हैं। क्या आप भी अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे ? क्या आप कह सकते हैं कि आपने जो कुछ किया है वह पूर्णतः ठीक है, वह पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुरूप है ? यदि हम लोकतांत्रिक ढंग का विकास चाहते हैं तो हमें अपनी संस्थाओं में परिवर्तन करना होगा ताकि अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रोका जा सके।

जहां तक समाचार के विभाजन का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका भी विभाजन किया जाएगा और इसे राज सहायता भी दी जाएगी। यदि एक समाचार एजेंसी को चार भागों में विभाजित करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में असमर्थ बनाया जाएगा और सरकार उन्हें राज सहायता देगी तो ऐसी स्थिति में समाचार एजेन्सियां किस प्रकार स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती हैं। सरकार का कहना है कि, 'समाचार' को विभाजित करके यथापूर्व स्थिति में किया जा रहा है। पहले इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या दो या तीन एजेन्सियां न बनाई जाएं जो कि अपने काम को चलाने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम हों। तभी समाचार एजेन्सियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब सभी समाचार एजेन्सियां सरकार के समर्थन पर पूरी तरह निर्भर होंगी।

देश में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली को नष्ट करने, अर्थव्यवस्था को भंग करने और उत्पादक प्रक्रियाओं में बाधा डालने पर कटिबद्ध हैं। लोग देश में अनुशासन चाहते हैं। वे कार्य कुशलता चाहते हैं। लोगों को यह आश्वासन देना होगा कि हमारी लोकतांत्रिक पद्धति काफ़ी सुदृढ़ है। हमें लोकतंत्र चलाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। यदि आप कांग्रेस पार्टी पर दबाव डालना चाहते हैं तो वह झुकेगी नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कहां गलती की और आपने कहां गलती की है। यदि हमारे ऊपर धन एकत्रित करने का आरोप है तो हम भी यह आरोप लगा सकते हैं कि आपने भी उसी तरह से लाखों, करोड़ों रुपये वसूल किए हैं। यदि दोनों दल अपने आपको सुधारते हैं तो मेरे विचार में हमारी लोकतंत्री प्रणाली और भी मज़बूत बनेगी और फलफ़ूल सकेगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नोर) : श्वेत-पत्र से एक लाभप्रद उद्देश्य हल हुआ है। इसके द्वारा देश के समक्ष उन तथ्यों को रखा गया है जिनसे यह स्पष्ट होता है कि आपात स्थिति के दौरान प्रचार साधनों जैसे रेडियो, समाचारपत्रों और समाचार एजेन्सियों का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया।

जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद कुछ अच्छे कार्य किए हैं। उदाहरणार्थ चुनाव के दिनों में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को रेडियो और टेलीविज़न पर अपने विचार प्रगट करने का अवसर दिया। लेकिन क्या केवल इसी अवसर पर रेडियो और टेलीविज़न को निष्पक्ष रहना चाहिए ? आज की स्थिति क्या है। पटना में 29 सितम्बर को एक रैली हुई जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया लेकिन रेडियो ने इस बारे में एक शब्द तक नहीं कहा गया। 12 अगस्त को मावलंकर हाल में देश के कोने-कोने

से आए हजारों युवकों ने बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में आवाज उठाई लेकिन न तो रेडियो और न ही टेलीविजन में इस बारे में एक शब्द भी कहा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्वेत-पत्र में उन समाचारपत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है जिन्होंने आपात स्थिति के दौरान निर्भीकता से काम किया लेकिन 'पेट्रीयाट' के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा गया है। उसके सम्बन्ध में केवल इक्का-दुक्का बात कह दी गई है, क्यों? क्योंकि 'पेट्रीयाट' उन कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता जिन्हें यह सरकार पसन्द करती है और 'पेट्रीयाट' स्वयं सेवकसंघ के भी विरुद्ध है। अतः यह श्वेत-पत्र पूर्णतः श्वेत नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्वेत-पत्र में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि जब 'समाचार' का गठब किया गया तो राज्य सभा के सदस्य श्री भूपेश गुप्त ने सरकार के निर्णय का एकदम विरोध किया। श्री अडवाणी ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया। जानबूझ कर इस तथ्य को छिपाया गया है क्योंकि वह साम्यवादी दल को ऐसे दल के रूप में चित्रित करना चाहते हैं जोकि आपात स्थिति के दौरान किए गए सभी कार्यों का समर्थन करता है।

जहां तक श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय का सम्बन्ध है, मैं सरकार से इस बात पर पूरी तरह सहमत हूं कि आपात स्थिति के दौरान श्रव्य प्रचार निदेशालय का दुरुपयोग किया गया। लेकिन अब मुख्य बात यह है कि क्या श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय के रवैये में आज भी कुछ परिवर्तन हुआ है। हमारे विचार में ऐसा नहीं हुआ है। मैंने मंत्री महोदय को, श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय के छोटे समाचारपत्रों, विशेषकर सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले पत्रों के प्रति अपनाए जाने वाले रवैये के बारे में लिखा है। उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। इन समाचार पत्रों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों के समान व्यवहार किया जाता है। ऐसी नीति, जो अतीत में अपनाई गई है, में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव
Motion re.Contempt of the House

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को मालूम है कि आज लगभग 12.35 बजे दो दर्शकों ने दर्शक दीर्घा से सभा में पर्चे फेंके और दर्शक दीर्घा से नारे लगा कर सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने उन्हें तुरन्त हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। वाच एण्ड वार्ड अधिकारी की रिपोर्ट इस प्रकार है :—

> "आज लगभग 12.35 बजे दो दर्शकों ने, जिनके पास दर्शक दीर्घा पास संख्या 33034 और 33035 थे और जो श्री बापू कालदत्ते और श्रीमती ए० रंगनेकर, संसद् सदस्यों के माध्यम से श्री एस० एन० सिंह और श्री वी० गायकवाड़ के नाम से आज जारी किए गए थे, दर्शक दीर्घा से नारे लगाए। दर्शकों को तुरन्त वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दीर्घा से बाहर लाया गया।

पूछताछ करने पर पता चला है कि दर्शकों ने पासों का दुरुपयोग किया है। उनमें से एक दर्शक नामतः श्री सुरेश मालूजी सावंत ने श्री एस० एस० सिंह के नाम जारी किए पास का दुरुपयोग किया और दूसरे दर्शक श्री कंचन उबाले ने श्री वी० जी० गायकवाड़ के नाम में जारी किए गए पास का दुरुपयोग किया।

श्री सुरेश मालूजी सावंत और श्री कंचन उबाले 12 नवम्बर, 1977 की रात को बम्बई से दिल्ली आए। 13 नवम्बर, 1977 को श्री सावंत श्रीमती ए० रंगनेकर, संसद् सदस्या के निवास स्थान पर गए और उनसे लोक सभा सत्र देखने के लिए 2 पासों के लिए अनुरोध किया। संसद सदस्य ने उसे 14 नवम्बर को सुबह संसद् भवन के स्वागत कार्यालय में आने के लिए कहा। तदनुसार श्री सावंत और कंचन लगभग 11 बजे स्वागत कार्यालय पहुंच गए। थोड़ी देर बाद संसद् सदस्या स्वयं आईं और श्री सावंत को दो पास दिए। ये पास श्री एस० एन० सिंह और श्री वी० जी० गायकवाड़ के नाम में थे। चूंकि पास 12 बजे दोपहर के थे, वे संसद् भवन में 12 बजे दाखिल हुए और कुछ समय बाद दीर्घा में चले गए। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक कार्यवाही देखी और लगभग 12.35 बजे उन्होंने उठकर नारे लगाए और अपने पास छुपाए हुए कुछ पर्चे सभा में फ़ेंकने का प्रयास किया। वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों ने रोका और बाहर ले आए।

इन दो युवकों की मांगें उन पर्चों में दी हुई हैं जो ये सभा में फ़ेंकने का प्रयास कर रहे थे और संसद् सदस्यों में बांटना चाहते थे।

इन दर्शकों ने दीर्घा से नारे लगाकर एक भारी अपराध किया है।"

अपने आपको सुरेश मालुजी सावंत और कंचन उबाले कहने वाले उक्त दर्शकों ने एक भारी अपराध किया है और वे सभा के अवमान के दोषी हैं। मैं यह मामला सभा द्वारा उचित कार्यवाही किए जाने के लिए उसके ध्यान में लाता हूं।

श्रम और संसदीय कार्य मंत्री (श्री लारंग साई) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको सुरेश मालूजी सावंत, पुत्र श्री मालूजी बंदू सावंत और श्री कंचन उबाले, पुत्र श्री झीपा कहलाने वाले व्यक्तियों ने, जिन्होंने दर्शक दीर्घा से आज 12.35 बजे सभा में नारे लगाए और वहां से कुछ पर्चे फ़ेंके और जिन्हें वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोषी हैं।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित किए बिना उक्त श्री सुरेश मालूजी सावंत और श्री कंचन उबाले को सभा के इस प्रकार अवमान के लिए मंगलवार, 15 नवम्बर, 1977 के मध्याह्न-पश्चात् 6 बजे तक कारावास का दण्ड दिया जाए और केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभा प्रस्ताव से सहमत है। अब मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आप को सुरेश मालूजी सावंत, पुत्र श्री मालूजी बंदू सावंत और श्री कंचन उबाले, पुत्र श्री झीपा कहलाने वाले व्यक्तियों ने, जिन्होंने दर्शक दीर्घा से आज 12.35 बजे सभा में नारे लगाये और वहां से कुछ पर्चे फेंके और जिन्हें वाच एण्ड वार्ड

अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोशी हैं।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित किये बिना उक्त श्री सुरेश मालूजी सावंत और श्री कंचन उबाले को सभा के इस प्रकार अवमान के लिए मंगलवार, 15 नवम्बर, 1977 के मध्याह्न पश्चात् 6 बजे तक कारावास का दण्ड दिया जाये और केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 15 नवम्बर, 1977/24 कार्तिक, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 15, 1977/ Kartika 24, 1899 (Saka).

MGIPRRND 15 LSS/77—Sec Ist—Day—26-12-77 200